



वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

एनएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गाँव के सामने, नई दिल्ली-110012

दूरभाष : 011-25848127, 011-25842846, फैक्स : 011-25840478

ईमेल : rg-ppvfra@nic.in

www.plantauthority.gov.in



वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गाँव के सामने

नई दिल्ली-110012

www.plantauthority.gov.in

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	<i>प्राक्कथन</i>	<i>i</i>
	<i>आभार ज्ञापन</i>	<i>iv</i>
	<i>विशिष्ट सारांश</i>	<i>v</i>
1	संक्षिप्त परिचय	7-14
2	पौधा किस्म रजिस्ट्री की प्रगति	15-21
3	कृषकों से संबंधित गतिविधियां	22-97
4	डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास	98-122
5	भारतीय पौधा किस्म जरनल, पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर तथा प्राधिकरण के प्रकाशन	123-138
6	डेटाबेसों का विकास, इंडस, एनओआरवी तथा वेबसाइट	139
7	प्रशासनिक मामले (वैधानिक कोष्ठ तथा आरटीआई संबंधी मामले)	140-141
8	प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम	142-146
9	प्रशासन की सामान्य गतिविधियां	147-172
10	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	173-179
11	प्राधिकरण के वित्तीय विवरण 2016-17	180-185
12	नागरिक आचार संहिता	186-187
अनुबंध		
I	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के सदस्य (31 मार्च 2017 को)	189-191
II	पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के मानव संसाधनों का विवरण	192
III	वर्ष 2016-17 के दौरान नए डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई राशि का विवरण	193-194
IV	वर्ष 2016-17 के दौरान विद्यमान डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई राशि का विवरण	195-197
V	वर्ष 2016-17 के दौरान फील्ड जीन बैंक/जीन बैंक को जारी की गई राशि का विवरण	198
VI	वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता	199
VII	वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त कृषक किस्मों की सूची	200-204
VIII	पंजीकरण के अंतर्गत फसलें	205-208
IX	वर्ष 2016-17 के दौरान जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र	209-228
X	संक्षिप्तियां	229-230

मुझे पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) का वर्ष 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला एक देश है जिसने समझौते के भाग II में अनुच्छेद 27 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (बी) को प्रभावी बनाने के लिए समझौते की पुष्टि करते हुए प्रावधान किया तथा वर्ष 2001 में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (2001 का 53) लागू किया।

प्राधिकरण का अधिदेश परंपरागत पादप आनुवंशिक संसाधनों को सुधारने तथा उनके संरक्षण में योगदान देने के लिए किसानों के महत्व को पहचानने व आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की नई किस्में विकसित करने के साथ-साथ बीज उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से पौधों की किस्मों और किसानों, पादप प्रजनकों व अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के द्वारा निर्धारित एक प्रभावी कानूनी प्रणाली उपलब्ध कराना है। भारत अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार *सु जेनेरिस* प्रणाली पर पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू करने वाले विश्व के कुछ प्रथम देशों में से एक है। इस अधिनियम से खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) में मौजूद हमारे अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों तथा प्रतिबद्धताओं की पूर्ति होती है।

प्राधिकरण को वर्ष 2007 में आवेदन प्राप्त होने शुरू हो गए थे और पिछले दशक में प्राधिकरण न पादप किस्मों की रजिस्ट्री के माध्यम से नई व विद्यमान पौधा किस्मों के पंजीकरण; पौधा किस्मों के विशिष्टता, एकरूपता व स्थायित्व (डीयूएस) परीक्षण के लिए दिशा-निर्देश करने; पूरे देश में उन किसानों की पहचान करने, जिन्होंने परंपरागत पौधा किस्मों को संरक्षित करने व नई किस्मों के विकास में योगदान दिया है; राष्ट्रीय जीन बैंक, फील्ड जीन बैंकों, फसलों के लिए डीयूएस नेटवर्क विकसित करने के लिए प्रणाली सृजित करने की दिशा में कार्य करना आरंभ किया था। किसानों को उनकी किस्मों के पंजीकरण में सहायता देने के लिए एक कृषक कोष की स्थापना की गई तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने व उनके टिकाऊ उपयोग के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किए गए। प्राधिकरण ने अब तक 140 फसल प्रजातियों का पंजीकरण हेतु अधिसूचित किया है तथा 10 फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। प्राधिकरण अनेक प्रकाशन निकालता है जैसे भारतीय पौधा किस्म जर्नल व प्राधिकरण के कार्यों व गतिविधियों से संबंधित वृहत संकलन व तकनीकी ब्रॉशर।

वर्ष 2012 में प्राधिकरण के दो कार्यालय स्थापित किए गए, पहला रांची में, जिसके अंतर्गत झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अधिकार क्षेत्र है तथा दूसरा गुवहाटी में जिसके अधिकार क्षेत्र में असम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश आते हैं (राजपत्र अधिसूचना संख्या 929 दिनांक 27 अप्रैल, 2012)। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय की सहायता से 3 और शाखा कार्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर ली है (राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 182 दिनांक 19 जनवरी, 2017)। प्राधिकरण संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से वर्ष 2017-18 के दौरान पुणे, पालमपुर और शिवामोगा में यह कार्यालय स्थापित करेगा।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण ने विभिन्न आंचलिक परियोजना निदेशालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, (केवीके), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों व देशभर के स्वयं सेवी संगठनों व अन्य संगठनों के सहयोग से अनेक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। प्राधिकरण ने अनेक किसान मेलों व किसान उत्सवों में भाग लिया जहां इसने पौधा किस्मों से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के महत्व तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की खास-खास बातों के बारे में अपनी गतिविधियां प्रदर्शित कीं और इसके बारे में जागरूकता फैलाई।

प्राधिकरण का यह सौभाग्य है कि माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने दो अवसरों यथा 24 अगस्त, 2016 व 21 दिसम्बर, 2016 को पादप जीनोम संरक्षण समुदाय पुरस्कार (2012-13 और 2013-14) व पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान एवं प्रतिदान (2014) प्रदान किए। इन अवसरों पर परंपरागत किस्मों के संरक्षण में उनके योगदान के लिए 10 कृषक समुदायों को पुरस्कृत किया गया, 13 किसानों को प्रतिदान दिया गया तथा 31 किसानों को सम्मानित किया गया।

प्राधिकरण की गतिविधियों को सुचारू बनाने के लिए इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में डीयूएस केन्द्रों के विभिन्न वैज्ञानिकों व डीयूएस परियोजनाओं के कई वैज्ञानिकों के साथ डीयूएस केन्द्रों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई ताकि इस संबंध में हुई अद्यतन प्रगति के बारे में जाना जा सके तथा यदि कोई कठिनाई या समस्या हो तो उसका समाधान किया जा सके। जर्मनी तथा नीदरलैंड्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उपोव समझौते के अंतर्गत भारत में अनेक बैठकें आयोजित की गई, ताकि समझौते वाले देशों की स्थिति के बारे में जानकारी ली जा सके।

मुझे प्राधिकरण की वृद्धि व विकास में माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह जी द्वारा उपलब्ध कराए गए मार्गदर्शन तथा दिशा-निर्देश का उल्लेख करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इसके साथ ही मैं डॉ. एस.के. पटनायक, सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग व डॉ. टी. महापात्र, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) एवं महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. का भी उनके मार्गदर्शन, नेतृत्व तथा निरंतर सहायता प्रदान किए जाने के

कारण ऋणी हूं। मैं डॉ. अशोक दलबी, अपर सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग व श्री राजेश कुमार सिंह, पूर्व संयुक्त सचिव (बीज) का प्राधिकरण के प्रति उनकी गहन रुचि व उपलब्ध कराई गई बहुमूल्य सहायता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्राधिकरण की विभिन्न समितियों/कार्य बलों में सेवारत उन माननीय सदस्यों व अन्य अधिकारियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने प्राधिकरण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में समर्पित भाव से काम किया है व सहायता प्रदान की है।

मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) को प्राधिकरण को इसका लक्ष्य प्राप्त करने में निरंतर सहायता प्रदान करने व अथक रूप से निःस्वार्थ भाव से सेवाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; भा.कृ.अ.प., विधि एवं न्याय मंत्रालय; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को समय-समय पर उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता व मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली तथा निदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर), नई दिल्ली को भी प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए विभिन्न उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक वहन करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं अपने प्रतिष्ठित बैंकरों, नामतः भारतीय स्टेट बैंक तथा सिंडिकेट बैंक को उनकी वित्तीय सेवाओं व सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सीएजी का उनके द्वारा समय पर दी गई सहायता, मार्गदर्शन व दिशानिर्देश के लिए हृदय से आभारी हूं।

मैं इस प्रतिवेदन के सम्पादन मण्डल की इस प्रतिवेदन को समय पर संकलित करने तथा उनके प्रभावी समन्वयन के लिए सराहना करता हूं।

21/11/2017
W^hbo
j#o

आभार ज्ञापन

मैं वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान प्राधिकरण के निष्पादन का वर्णन करने वाले इस प्रतिवेदन को तैयार करने में अपने बहुमूल्य सुझाव देने, प्रेरणा प्रदान करने, उत्साहवर्धन व व्यापक दृष्टि प्रस्तुत करने के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंदिनाल का हृदय से आभारी हूँ।

मैं श्री एस.के. पटनायक, सचिव एवं डॉ. बी. राजेन्द्र, संयुक्त सचिव (बीज) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग एवं कार्यकारी पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के दयालु समर्थन और मार्गदर्शन को स्वीकार करता हूँ।

मैं इस वार्षिक प्रतिवेदन के लेखन, संकलन तथा इसे संश्लिष्ट करने की दिशा में किए गए अथक प्रयासों के लिए डॉ. कृतिका अंबझागन (तकनीकी परीक्षक), श्री दीपल रॉय चौधरी (संयुक्त पंजीकार) तथा श्री डी.एस. राज गणेश (विधिक परामर्शक) की विशेष रूप से सराहना करता हूँ।

मैं डॉ. रवि प्रकाश (पंजीकार), डॉ. टी.के. नागरत्ना (पंजीकार), डॉ. एस.ए. देसाई (पंजीकार), श्री जे.पी. सिंह (वित्तीय परामर्शक), डॉ. ऋतु जैन (संयुक्त पंजीकार), श्री उमाकान्त दुबे (उप-पंजीकार) तथा श्री आर.एस. सैंगर (उप-पंजीकार) तथा श्री आर.आर. प्रधान (विधिक परामर्शक) की प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन को यह रूप देने में सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से सराहना करता हूँ।

मैं डॉ. डी.एस. पिलानिया (तकनीकी सहायक), डॉ. ज्योति जायसवाल, डॉ. जसबीर मदान, डॉ. मनीषा गौतम के योगदानों के प्रति आभारी हूँ। मैं विशेष रूप से श्री श्याम नारायण, श्री अरविन्द कुमार (दोनों कम्प्यूटर सहायक) तथा श्री सुनीत कुमार (तकनीकी परीक्षक), सुश्री नीता कुमारी, श्री यादराम, श्री संतोष सिंह बिष्ट तथा अन्य कार्यालय सहायकों के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने समय पर इस दस्तावेज को प्रकाशित करने के लिए इसके संकलन में अपना समय दिया और बहुमूल्य सहायता प्रदान की। मैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के स्टाफ को यह वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने में वांछित योगदान देने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

प्राधिकरण कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के बीज संभाग एवं आंतरिक वित्त संभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त सहायता तथा सहयोग के लिए अत्यंत आभार व्यक्त करता है। हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों की उस साझेदारी के प्रति भी आभारी हैं जो उन्होंने डीयूएस परीक्षण सम्पन्न करने में प्रदान की है तथा इस प्रतिवेदन को तैयार करने में जो बहुमूल्य योगदान उपलब्ध कराया है उसके प्रति भी हम अत्यंत आभारी हैं।



(राकेश चंद्र अग्रवाल)
महा-पंजीकार

विशिष्ट सारांश

भारत ने *सु जेनेरिस* प्रणाली अपनाकर पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी एवं एफआरए) अधिनियम, 2001 (2001 का 53) लागू किया है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पौधा किस्मों की सुरक्षा, किसानों व पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करना था। यह एक अनोखा अधिनियम है जिसमें उपोव, 1978 समझौते तथा अन्य के प्रावधानों की जहां एक ओर पुष्टि की गई है वहीं दूसरी ओर खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) की भावना को भी पूरा किया गया है। इसके द्वारा राष्ट्रीय अपेक्षा के अनुसार प्रजनकों तथा किसानों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। इस अधिनियम के उद्देश्य से वर्ष 2005 में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। प्राधिकरण पौधा किस्मों के पंजीकरण की प्रणाली को सुचारु रूप से उपलब्ध कराने, हितधारकों को परस्पर जोड़ने, बीज क्षेत्र में नवोन्मेषों को प्रोत्साहित करने, राष्ट्र के किसानों के योगदानों व महत्व को ज्ञापित करने, राष्ट्रीय जीन निधि विकसित करने, जीन बैंकों को स्थापित करने व उनका रखरखाव करने से संबंधित कार्य अपनी स्थापना के काल से ही करता आ रहा है।

अब तक, भारत सरकार ने पौधा किस्म पंजीकरण के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों पर 140 फसल प्रजातियों को अधिसूचित किया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण ने 38 वंश प्रजातियों को अधिसूचित किया है। वर्ष 2016-17 के दौरान प्राधिकरण को तीन विभिन्न श्रेणियों में कुल 3569 आवेदन प्राप्त हुए इनमें से कृषक श्रेणी के अंतर्गत 3041, नई के अंतर्गत 221 तथा विद्यमान किस्मों के अंतर्गत 307 आवेदन प्राप्त हुए थे। सर्वाधिक आवेदन कृषक श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त हुए थे (3041)। जिसके पश्चात् क्रमशः सार्वजनिक संस्थानों (300) व निजी संगठनों (228) द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों का स्थान था। सर्वाधिक आवेदन चावल के मामले में प्राप्त हुए (1119) जिसके पश्चात् क्रमशः मक्का (257), अरहर (161), उड़द (122), गेहूं (103), बैंगन (98), कोदो मिलेट (97), दाल मटर (80), लिटल मिलेट (79), मिर्च (79), लौकी (70) व अन्य फसलों का स्थान है, जैसा कि सारणी 1 में उल्लेख किया गया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 495 पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए। इनमें से 288 कृषकों के, 107 निजी संगठनों के तथा 99 सार्वजनिक संगठनों के थे। कृषक किस्मों को छोड़कर 99 नई किस्मों, 62 सामान्य ज्ञान की किस्मों तथा 46 विद्यमान अधिसूचित किस्मों पंजीकृत की गईं। सर्वाधिक प्रमाण-पत्र चावल के लिए जारी किए गए (288) जिसके पश्चात् क्रमशः चतुर्गुणित कपास (39), मक्का (33), गेहूं (19), भिण्डी (16), टमाटर (14), द्विगुणित कपास (11), ज्वार (7), सोयाबीन (6), जौ (6) तथा अन्य फसलों का स्थान था, जैसा कि सारणी 4 में उल्लेख किया गया है।

प्राधिकरण की 11 नवम्बर 2016 को एक बैठक हुई जिसमें विद्यमान अधिसूचित किस्मों के पंजीकरण की स्वीकृति, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की अनेक

तकनीकी—कानूनी व प्रशासनिक मामलों, प्राधिकरण के वार्षिक लेखे तथा पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार 2013–14 प्रदान करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

प्राधिकरण के विधायी कोष्ठ ने विभिन्न न्यायालयों में दाखिल किए गए मुकदमों में पैरवी की। चौंतीस मुकदमे लम्बित थे जिनमें से छह का निपटान किया गया और शेष मामले प्राधिकरण के विरुद्ध अब भी लम्बित हैं। भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई जिसमें किस्मों के पंजीकरण के उद्देश्य से 10 वंशों/प्रजातियों (चमेली, रजनीगंधा, पपीता, चाइना एस्टर, आडू, जापानी आलूबुखारा, स्ट्राबेरी, मिर्च, शिमला मिर्च, पैपरिका, कंगनी तथा रागी) को अधिसूचित किया गया।

सूचना के अधिकार (आरटीआई) कोष्ठ को सीधे या अन्य विभागों के द्वारा हस्तांतरण के माध्यम से 87 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी। मांगी गई सूचना को निर्धारित समय—सीमा में उपलब्ध कराया गया।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने वर्ष 2016–17 में दो पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह आयोजित किए गए जिनमें वर्ष 2013–14 और 2014–15 के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। दस कृषक समुदायों के कुल 44 किसानों को अधिनियम में उल्लिखित किसानों के अधिकारों के प्रावधानों के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं, डीयूएस केन्द्रों, आंचलिक परियोजना निदेशालय, कृषि विज्ञान केन्द्रों व अन्य हितधारकों को पूरे देश में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई। प्राधिकरण ने विभिन्न स्थानों पर आयोजित किसान मेलों व कृषि मेलों में भाग लिया जहां किसानों के अधिकारों, किसानों की किस्मों सहित अन्य किस्मों के पंजीकरण पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के प्रति जागरूकता लाने के प्रयास किए। किसानों को भूजातियों सहित उनकी परंपरागत किस्मों व कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु जागरूक बनाने के लिए उत्तर-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में जागरूकता का विशेष अभियान चलाया गया। भा.कृ.अ.प. नेटवर्क की कृषि विज्ञान प्रणाली की भी इसमें सहायता ली गई। प्राधिकरण ने द्विपक्षीय सहयोग, आईटीपीजीएफआरए, सीबीडी, उपोव, डब्ल्यूआईपीओ तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मामलों सहित कई तकनीकों मामलों पर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग से परामर्श लिया।

प्राधिकरण को वर्ष 2016–17 के दौरान कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग से 1975.00 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई जिसमें से 1886.90 लाख रुपये का उपयोग हुआ। इसमें पिछले वर्ष का 7.38 लाख रुपये की गैर-खर्च की गई राशि को शामिल करते हुए कुल 95.40 लाख रुपये की राशि शेष रही।

प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने के लिए कृषि, सहकारिता, किसान कल्याण विभाग को समय पर भेजा गया। प्राधिकरण के वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया गया तथा उनकी समय पर लेखापरीक्षा किए जाने के पश्चात् उन्हें वैधानिक समय—सीमा के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अध्याय 1 : संक्षिप्त परिचय

पादप आनुवंशिक संसाधन मानवता के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये भोजन, रेशे, चारा, वन तथा औद्योगिक उपयोग के लिए पौधों की नई किस्में सृजित करने में आनुवंशिक विविधता के एक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। परंपरागत पादप प्रजनकों में खेती करने वाले समुदाय व वनों के व निवासी शामिल हैं जिन्होंने इस विविधता का पालन-पोषण किया है तथा सदियों से पौधे उत्पन्न करने के लिए चयन का कार्य किया है। आधुनिक पादप प्रजनक जैव विविधता से समृद्ध अंचलों में खोजपूर्ण भ्रमण तथा अन्वेषण के माध्यम से आनुवंशिक विविधता संकलित करते हैं तथा खेती के लिए उनका मूल्य बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न युक्तियों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार, पादप प्रजनकों के अधिकार उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने तथा ऐसी पारिस्थितिक प्रणाली सृजित करने के लिए हैं जिनसे निरंतर नई खोज होती रहती है तथा जननद्रव्य पर उत्तरदायित्वपूर्ण नेतृत्व प्राप्त करने की क्रियाविधि स्थापित की जा सकती है तथा ऐसे दीर्घावधि अनुसंधान एवं विकास को सहायता मिलती है जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में पादप प्रजनन को बढ़ावा मिलता है तथा किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज/रोपण सामग्री उपलब्ध होते हैं।

कृषि में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) को लागू करने के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में 'पादप पेटेंट अधिनियम, 1930' लागू हुआ तथा *यूनियन इंटरनेशनाले पाउर ला प्रोटेक्शन डेस ऑबटेशंस वेजिटले (उपोव)* या पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ की 1961 में यूरोप में स्थापना हुई जिसे बाद में 1972, 1978 और 1991 में संशोधित किया गया। वर्तमान में, उपोव समझौते के अंग के रूप में 74 सदस्य स्टेट हैं जिनमें यूरोपीय यूनियन, ओएपीआई शामिल हैं। भारत उपोव का पर्यवेक्षक रहा है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने के लिए बहुपक्षीय उपाय के रूप में टैरिफ तथा व्यापार पर सामान्य समझौते (गैट) के द्वारा पादप प्रजनकों के अधिकारों द्वारा पौधा किस्मों की सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। उरुग्वे वार्ता में गैट की संधियों से वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना हुई। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर हुए समझौते (ट्रिप्स) के अनुच्छेद 27.3 (बी) में यह प्रावधान है कि सभी सदस्य पौधा किस्मों को सुरक्षा प्रदान करेंगे जिसके लिए या तो पेटेंटों को अपनाया जाएगा या ऐसा कोई प्रभावी *सु जेनेरिस* प्रणाली लागू करके किया जाएगा या इन सभी के उपयोग द्वारा ऐसा किया जाएगा।

भारत सरकार ने पौधा किस्मों की सुरक्षा, किसानों और पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करने व आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी *सु जेनेरिस* प्रणाली की स्थापना हेतु भारतीय पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी एवं एफआर) अधिनियम, 2001 (2001 का 53) लागू किया।

भारतीय पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम 12 सितम्बर 2003 को अधिसूचित हुए जिनमें बाद में समय-समय पर संशोधन हुआ। अंततः अधिनियम के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.

1588(ई) के द्वारा 11 नवम्बर 2005 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की।

1.1 पीपीवी और एफआर अधिनियम के उद्देश्य

उक्त अधिनियम के उद्देश्य हैं :

- पौधा किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना।
- नई पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने तथा किसी भी समय उसके संरक्षण व उसके सुधार में किसानों द्वारा दिए गए योगदान के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।
- नई पौधा किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक व निजी, दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु पादप प्रजनक के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना।
- देश में बीज उद्योग की प्रगति को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

1.2 अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

यह अधिनियम एक *स्यू जेनेरिस* प्रणाली पर आधारित है और इस दृष्टि से अनूठा है कि इसमें प्रजनकों, किसानों, कृषक समुदायों व अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों को पूर्ण मान्यता दी गई है। इसके अंतर्गत किसी प्रजनक या उसके अधिकारी, उसके एजेंट या लाइसेंसी को पंजीकृत किस्म के बीज को पैदा करने, बेचने, उसका विपणन करने, वितरण करने, आयात और निर्यात का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। जहां तक कृषकों के अधिकारों का संबंध है, यह अधिनियम कृषकों को किस्म उगाने वाले, संरक्षक और प्रजनक के रूप में मान्यता प्रदान करता है और यह प्रावधान कराता है कि कृषक किस्मों को पंजीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में पंजीकृत किस्म के अनिवार्य लाइसेंस का उस स्थिति में प्रावधान है जब बीज/रोपण सामग्री उपयुक्त मूल्य अथवा मात्रा में जन-सामान्य को उपलब्ध न कराई गई हो। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा कोई संगठन लाभ में भागीदारी का दावा कर सकता है, बशर्ते कि पादप आनुवंशिक सामग्री उसकी हो तथा उसने पंजीकृत किस्म के विकास में भागीदारी की हो। अनुसंधानकर्ताओं को प्रयोग अथवा अनुसंधान करने के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म के उपयोग करने का अधिकार है तथा ऐसी किस्म का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा किस्म के आरंभिक स्रोत के रूप में अन्य किस्मों के सृजन के उद्देश्य से किया जा सकता है। भारत वह विशिष्ट देश है जहां कृषकों के अधिकारों को स्थापित करने व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधान को लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक समुदाय के भूत, वर्तमान तथा भावी योगदानों को मान्यता प्रदान की गई है तथा इसमें कृषक समुदायो/कृषकों को कृषि-जैव विविधता के संरक्षण में किए गए उनके योगदानों के लिए पुरस्कृत करने का अवसर भी उपलब्ध कराया गया है।

1.3 पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

प्राधिकरण एक निकाय कारपोरेट है जिसका वैधानिक दर्जा है तथा इसे चल तथा अचल सम्पत्तियों को अधिगृहीत करने, बनाए रखने तथा उनके निपटान का अधिकार है और साथ ही इसके लिए ठेका करने का भी अधिकार है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह सोसायटीज ब्लॉक, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा परिसर, नई दिल्ली में किराए के भवन में कार्य कर रहा है। 31 मार्च 2016 को प्राधिकरण का एक अध्यक्ष तथा 15 सदस्य हैं।

1.4 पौधा किस्मों का पंजीकरण

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने पंजीकरण हेतु 140 फसल प्रजातियों के विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है, जिसमें अनाज, दालें, मोटे अनाज, तिलहन, मसाले, सब्जियां, पुष्प, औषधीय व सगंधीय पौधे तथा रेशा फसलें शामिल हैं। प्राधिकरण ने रिपोर्टाधीन वर्ष 2016-17 के दौरान पौधा किस्मों (नई, विद्यमान अधिसूचित और कृषक किस्म की श्रेणी में) के अंतर्गत 495 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैं। और अधिक आवेदकों को आकर्षिक करने के लिए प्राधिकरण विभिन्न हितधारकों के लाभ के लिए नियमित रूप से जागरूकता तथा क्षमता निर्माण संबंधी कार्यक्रम आयोजित करता है।

पीपीवी और एफआरए द्वारा आवेदकों द्वारा प्रत्याशी किस्मों के दावों के सत्यापन, प्रजनन अनुरक्षण, बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित संदर्भ/उदाहरण किस्मों/किस्मों के अनुरक्षण, प्रजनन व प्रगुणन संबंधी आवेदकों के दावों की पुष्टि के लिए फसल विशिष्ट डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार किस्मगत गुणों का डेटाबेस सृजित करने के लिए पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत देशभर में डीयूएस परीक्षण केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त फसल विशिष्ट केन्द्रों में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण किए जा रहे हैं। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए आंकड़े और विश्लेषण के लिए इन केन्द्रों द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राधिकरण ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के परामर्श से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सक्षम फसल प्रजातियों की पहचान की है तथा डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए परियोजनाओं को सहायता भी प्रदान की है। प्राधिकरण ने अपना राष्ट्रीय जीन बैंक तथा देशभर में फील्ड जीन बैंक स्थापित किए हैं। यह नियमित रूप से भारतीय पौधा किस्म जरनल प्रकाशित कर रहा है तथा मुख्यालय और अपने शाखा कार्यालयों में पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है।

1.5 पादप प्रजनकों के अधिकार

प्रजनकों का अधिकार इस अधिनियम का अत्यंत प्रमुख प्रावधान है जिसका भारतीय कृषि तथा वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रजनक को भी अपनी किस्म के विरुद्ध अनंतिम सुरक्षा का अधिकार है ताकि, पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने तथा प्राधिकरण द्वारा

अंतिम निर्णय लेने के बीच की अवधि के दौरान किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई गलत कार्य न किया जा सके। इसी प्रकार, अनुसंधानकर्ताओं को भी अधिकार दिए गए हैं। तथापि, किसी नई किस्म का बार-बार उपयोग करने पर उस पंजीकृत किस्म के प्रजनक से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है।

अधिनियम के अंतर्गत नई किस्मों की नवीनता के लिए पौधा किस्म सुरक्षा में डीयूएस की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रणाली के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। कोई भी व्यक्ति निम्न में से किसी के भी के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है।

- **नई किस्म** अधिनियम की धारा 29(2) के अंतर्गत विशिष्टीकृत ऐसे गण या प्रजातियां
- **विद्यमान किस्म,**
 - बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित,
 - सामान्य ज्ञान की किस्म (वीसीके)
- **कृषक किस्म**
 - किसानों द्वारा उनके खेत में परंपरागत रूप से उगाई गई और विकसित की गई किस्म,
 - ऐसी वन्य संबंधी या भू-प्रजाति है जिसके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है।
- **अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म (ई डी वी)**

आरंभिक किस्म से मुख्यतः व्युत्पन्न किस्म या ऐसी किस्म से व्युत्पन्न किस्म जो ऐसी आरंभिक किस्म से मुख्यतः व्युत्पन्न हो जिसमें अनिवार्य गुण की अभिव्यक्ति बनी रहे जिसके परिणामस्वरूप ऐसी आरंभिक किस्म के जीनप्ररूपों का संयोग या जीनप्ररूप प्राप्त हुआ हो।

1.6 कृषकों के अधिकार

अधिनियम में कृषकों को निम्न अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं :

- **अपनी किस्मों के पंजीकरण का अधिकार :** इस अधिनियम के अंतर्गत किसानों द्वारा विकसित या संरक्षित परंपरागत किस्में या उनके द्वारा विकसित नई किस्में मान्यता की पात्र हैं।
- **बीज पर अधिकार :** इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी फसल से अपने बीज को बचाकर रखने, उसे बुआई, पुनः बुआई, आदान-प्रदान करने और अन्य किसानों के साथ साझीदारी करने या बेचने का अधिकार बशर्ते कि वह किसान किसी सुरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीज की बिक्री न करे।
- **पुरस्कार एवं सम्मान का अधिकार :** इस अधिनियम के अंतर्गत जो किसान या कृषक समुदाय पादप आनुवंशिक संसाधनों (आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों) के सुधार के साथ भू-प्रजातियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में रत हैं, वे पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार, प्रतिदान, सम्मान प्राप्त करने के पात्र हैं, बशर्ते कि उनकी पादप सामग्री का उपयोग इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण योग्य किस्मों के विकास में किया गया हो।

- **अज्ञानता में हुए उल्लंघन के प्रति सुरक्षा** : यदि किसी किसान ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 65 के अनुसार अधिकार का उल्लंघन किया हो और वह न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध कर सके कि उसे उल्लंघन के समय ऐसे अधिकार के विद्यमान होने का ज्ञान नहीं था तो उसे आरोपी नहीं माना जाएगा।
- **शुल्क से छूट** : किसी किसान या किसानों के समूह को इस अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्णय की प्रति प्राप्त करने, या आदेश अथवा दस्तावेज प्राप्त करने या उसका निरीक्षण करने के लिए कोई भी शुल्क अदा नहीं करना होगा। किसानों को किसी भी प्रकार का शुल्क अदा करने तथा किस्म के पंजीकरण में सामान्यतः अन्य लोगों द्वारा अदा किए जाने वाले शुल्क की तुलना में ऐसे भुगतानों से छूट प्राप्त है। उसे पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा किस्मों के परीक्षण तथा अन्य सेवाओं, इसके साथ ही अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कानूनी कार्रवाई या अदालत, न्यायाधिकरण आदि में चलाए जाने वाले मुकदमों के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्कों से छूट प्राप्त है।
- **बीजों का तर्कसंगत मूल्य** : किसानों को तर्कसंगत तथा लाभप्रद मूल्य पर किसी पंजीकृत किस्म के बीजों को प्राप्त करने का अधिकार है। जब यह शर्त पूरी नहीं होती है तो अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित प्रावधान के अंतर्गत प्रजनक का यह एकमात्र अधिकार निलंबित कर दिया जाता है तथा प्रजनक को किसी किस्म के बीजोत्पादन, वितरण तथा बिक्री का अधिकार लेना पड़ता है। पादप सुरक्षा संबंधी अधिकांश कानूनों में सुरक्षित किस्मों को अनिवार्य लाइसेंस लेने का प्रावधान है, ताकि किसानों को बीजों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- **कृषक किस्मों का प्राधिकृतिकरण** : किसी कृषक किस्म से किसी अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म के विकास तथा इसके वाणिज्यीकरण के लिए उस किसान (नों) या उस कृषक समूह(हों) से अनुमति के साथ प्राधिकरण प्राप्त करना होता है जिसने ऐसी किस्म के संरक्षण या विकास में अपना योगदान दिया है। इस प्रकार की प्रक्रिया से किसान प्रजनकों के साथ प्राधिकार दिए जाने की शर्तों के बारे में परस्पर निर्धारण कर सकते हैं जिसमें रायल्टी, लाभ में भागीदारी आदि शामिल हैं।
- **क्षतिपूर्ति का अधिकार** : जब इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्म की किसी प्रवर्धित सामग्री को किसी किसान को बेचा जाना हो तो प्रजनक को दी गई शर्तों के अंतर्गत उस किस्म के अपेक्षित निष्पादन का खुलासा करना होता है। यदि प्रवर्धन सामग्री निर्धारित दशाओं के अंतर्गत ऐसा निष्पादन करने में असफल रहती है तो किसान प्राधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति का दावा पेश कर सकता है। प्राधिकरण संबंधित किस्म के प्रजनक को इस मुद्दे के बारे में अधिसूचित करेगा तथा उसे विरोध दाखिल करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके पश्चात् प्राधिकरण यदि उचित समझता है तो संबंधित किसान को क्षतिपूर्ति अदा करने का निर्देश प्रजनक को दे सकता है।

प्राधिकरण में स्थित कृषक कोष की कृषक किस्मों के आईपीआर पंजीकरण की देखभाल करता है, देशभर में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है तथा उन किसानों तथा कृषक समुदायों की पहचान करता है जिन्होंने जननद्रव्य के संरक्षण और नई किस्मों के विकास में अपने योगदान दिए हैं।

1.7 किस्मों का पंजीकरण

किसी पौधा किस्म और इसके नाम के पंजीकरण के लिए आवेदन निम्न श्रेणियों में दिया जा सकता है :

- **नई किस्म** : यदि कोई किस्म अपनी पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने की तिथि से एक वर्ष से कम अवधि के लिए वाणिज्यिकृत की गई है तो यह नई किस्म है।
- **विद्यमान किस्म**: इसमें निम्नलिखित श्रेणियां हैं :
 - **बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म** : बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित किस्मों इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण की पात्र हैं।
 - **कृषक किस्म** : कृषकों द्वारा विकसित और उनके खेतों में परंपरागत रूप से उगाई गई जिसमें वे वन्य संबंधी या भू-प्रजातियां या किस्मों भी शामिल हैं जिनके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है।
 - **सामान्य ज्ञान की किस्म** : जो बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं की गई है और एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए वाणिज्यिकृत श्रृंखला में हैं।
- **अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म** : वह किस्म जो मुख्यतः आरंभिक किस्म से विकसित की गई हो, नई या विद्यमान किस्म के अंतर्गत आती है।

1.8 किस्मों के फील्ड-परीक्षण की अवधि

आवेदन पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है और आवेदक को डीयूएस परीक्षण शुल्क जमा कराना होता है। वांछित शुल्क और बीज प्राप्त करने के पश्चात् किस्म को डीयूएस परीक्षण करने के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र भेजा जाता है। डीयूएस परीक्षण केन्द्र की अवधि निम्नानुसार है :

- **नई किस्मों** : दो स्थानों पर दो समान फसल वर्ष
- **कृषक किस्म और वी सी के** : दो स्थानों पर एक फसल मौसम
- **बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म** : डीयूएस परीक्षण नहीं किया जाता है लेकिन किस्म की ईवीआरसी समिति द्वारा जांच की जाती है जो इसके पंजीकरण की सिफारिश करती है।
- **ई डी वी** : डीयूएस परीक्षण अनिवार्य नहीं है लेकिन डीयूएस मानदंडों की पुष्टि के लिए फील्ड परीक्षण किया जाता है।

डीयूएस परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के बाद आवेदन पर फिर कार्रवाई की जाती है और यदि दावा किए गए गुण तथा डीयूएस परीक्षण में ज्ञात किए गए गुण समान होते हैं तो उस किस्म का विज्ञापन किया जाता है। यदि दावा किए गए गुण और डीयूएस परीक्षण द्वारा निर्धारित गुण भिन्न होते हैं तो आवेदक को आवेदन में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अंततः किस्म के पासपोर्ट आंकड़े भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किए जाते हैं।

आवेदन को भारतीय पौधा किस्म जरनल में विज्ञापित किया जाता है जिसमें प्रकाशन की तिथि से 3 माह की अवधि तक आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। यदि कोई विरोध दाखिल नहीं होती है या यदि दाखिल किया गया विरोध अस्वीकार कर लिया जाता है तो किस्म के पंजीकरण की कार्रवाई की जाती है। सुरक्षा की अवधि निम्नानुसार है :

1.9 सुरक्षा की अवधि तथा फसलें

वर्तमान में कुल 140 फसल प्रजातियां सुरक्षा की पात्र हैं (अनुबंध-VII)। खेत फसलों की सुरक्षा की अवधि 15 वर्ष है जबकि वृक्षों और लताओं के लिए यह अवधि 18 वर्ष है। अधिसूचित विद्यमान किस्मों को बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचना की तिथि से 15 वर्ष के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है।

1.10 प्रजनक को दिए गए अधिकार

पंजीकरण से किसी किस्म को उसके नाम के साथ पैदा करने, बेचने, उसका विपणन करने, आयात-निर्यात करने का एकमात्र अधिकार मिल जाता है। यह अधिकार कृषकों के इस अधिकार से जुड़ा है कि किसान किसी भी ब्रांडहीन लेकिन पंजीकृत किस्म के बीजों का उपयोग कर सकता है।

1.11 किसानों/कृषक समुदायों को पुरस्कार/प्रतिदान

पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 के नियम 70(2)(ए) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 45(2) में उन किसानों व कृषक समुदायों और विशेष रूप से आदिम जातियों तथा ग्रामीण समुदायों के किसानों को सहायता प्रदान करने और पुरस्कार देने का प्रावधान है जो विशेष रूप से कृषि जैव विविधता के हॉट-स्पॉट के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों व उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार और परिरक्षण में रत हैं। यह पुरस्कार/प्रतिदान राष्ट्रीय जीन निधि से दिए जाते हैं। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए वर्ष 2009-10 में पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष अधिक से अधिक ऐसे पांच पुरस्कार दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही दस किसानों को पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान तथा 15 किसानों को पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। दिए गए पुरस्कारों का विवरण सारणी 1 में दिया गया है। इन पुरस्कारों का चयन किसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की समिति द्वारा किया जाता है।

सारणी 1 : पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार, प्रतिदान एवं सम्मान का विवरण

पुरस्कार	विवरण	आवेदन
पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार	प्रत्येक वर्ष पांच कृषक समुदायों को पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक उद्धरण, स्मृति चिह्न व 10 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं।	इन पुरस्कारों के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था तथा इसे प्राधिकरण की वेबसाइट: (http://www.plantauthority.gov.in/forms.htm) पर भी दर्शाया गया था।
पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान	प्रत्येक वर्ष दस किसानों को यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक उद्धरण, स्मृति चिह्न तथा 1.5 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं।	आवेदन संबंधित पंचायत समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव या संबंधित जिला कृषि अधिकारी या संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक या जिला आदिवासी विकास कार्यालय द्वारा अग्रेषित किए जाने चाहिए।
पादप जीनोम संरक्षण कृषक सम्मान	प्रत्येक वर्ष 20 कृषकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक उद्धरण, स्मृति चिह्न तथा 1 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं।	

2. पादप किस्म रजिस्ट्री की प्रगति

2.1 फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का प्रकाशन

अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकरण ने निम्न फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण करने के लिए भारतीय पौधा किस्म जरनल (पीवीजे) में दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। इन फसल प्रजातियों में अनाज, मसाले, फल और पेय शामिल हैं। ऐसी अपेक्षा है कि कुल 140 फसलों के पंजीकरण से कृषि के विविधीकरण का अवसर उपलब्ध होगा तथा इनसे कानूनी सुरक्षा के अलावा इन फसलों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी काफी वृद्धि होगी।

सारणी 2 : वर्ष 2016-17 के दौरान पीवीजे में प्रकाशित फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशा-निर्देशों की सूची

क्र. सं.	फसल प्रजातियां	पीवीजे में प्रकाशन का माह
1	अमरूद	अप्रैल 2016
2	लीची	
3	गेंदा	मई 2016
4	पान	जून 2016
5	देवदार	
6	चीड़	
7	शहतूत	अक्टूबर 2016
8	चमेली	
9	कूटू	
10	दाना चौलाई	
11	बाकला	
12	प्रोसो मिलेट	
13	कोदो	नवम्बर 2016
14	लिटल मिलेट	
15	बार्नयार्ड मिलेट	
16	जीमीकंद	
17	अरबी	
18	बण्डा	
19	रतनजोत	
20	ऑर्किड	

2.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या में प्रगति

वर्ष 2016-17 के दौरान पादप किस्मों का पंजीकरण मांगने वाले आवेदन 90 विभिन्न फसलों के थे जिनमें अनाज, दलहन, वाणिज्यिक फसलें, तिलहन, सब्जी और फल (सारणी 1 और 2) शामिल हैं।

सर्वाधिक आवेदन चावल के मामले में प्राप्त हुए (1119), जिसके पश्चात् क्रमशः मक्का (257), अरहर (161), उड़द (122), गेहूं (103), बैंगन (98), कोदो (97), दाल मटर (80), लिटल मिलेट (79), मिर्च (79), लौकी (70) तथा अन्य फसलों का स्थान था जिनका उल्लेख सारणी 3 और 4 में किया गया है। वर्ष 2007-17 की अवधि के दौरान दाखिल किए गए व प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा आवेदनों के रुझान की विस्तृत सूची भावी संदर्भ के लिए अनुबंध में दी गई है।

सारणी 3 : वर्ष 2016-17 के दौरान फसल समूहों के अंतर्गत श्रेणीकृत किए गए व प्राप्त आवेदनों की संख्या

फसल समूह	प्राप्त आवेदनों की संख्या
अनाज	1895
फलीदार फसलें	508
तिलहन	245
मसाले	221
सब्जियां	455
फल	168
पुष्प	29
रेशा फसलें	28
रोपण फसलें	5
शर्करा फसलें	14
वृक्ष	1
कुल	3569

सारणी 4 : वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त आवेदनों का फसलवार वर्गीकरण

फसल	प्राप्त आवेदनों की संख्या
खट्टा	15
बादाम	1
सेब	6
खुबानी	42
बेल	12
केला	7
जौ	36
बार्नयार्ड मिलेट	33
शिमला मिर्च	1
करेला	18
उड़द	122
काली मिर्च	2
लौकी	70
बैंगन	98
बंदगोभी	3
गुलनार	1
अरण्ड	9
फूलगोभी	16
चेरी	1
चना	60
मिर्च	79
नारियल	1


धनिया	38
गुलदाउदी	8
खीरा	23
शरीफा	8
डाइकोकम गेहूं	2
द्विगुणित कपास	3
कठिया गेहूं	13
सौंफ	8
दाल मटर	80
कंगनी	43
रागी	23
लहसुन	17
अदरक	13
ग्लेडियोलस	6
अंगूर	7
मूंग	40
मूंगफली	32
बेर	6
भारतीय सरसों (करन राई)	10
भारतीय सरसों (सरसों)	33
ईसबगोल	1
जामुन	4
चमेली	1
पटसन	2
सेम	10
कोदों	97
मसूर	34
अलसी	42
लिटल मिलेट	79
मक्का	257
नारंगी	1
आम	16
गेंदा	4
मंथाल पुदीना	1
खरबूजा	6
नीम	1
जायफल	15
भिण्डी	47
प्याज	12
ऑर्किड	2
पपीता	16
आडू	6
नाशपाती	1
बाजरा	35
अरहर	161
अनार	9
आलू	13

कद्दू	49
तोरिया (गोभी सरसों)	9
तोरिया	23
चावल	1119
तोरई	35
गुलाब	6
तिल	60
ज्वार	56
सोयाबीन	22
स्पिनेच बीट	1
गन्ना	14
सूरजमुखी	6
संतरा	2
चाय	4
चतुर्गुणित कपास	23
टमाटर	47
हल्दी	47
सब्जी चौलाई	11
अखरोट	8
तरबूज	5
गेहूं	103
Xai/ g	3569


वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान प्राधिकरण को कुल 3569 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 85 प्रतिशत आवेदन किसानों द्वारा दाखिल किए गए थे (चित्र 1)। कुल 3041 कृषक किस्मों के अलावा सार्वजनिक तथा निजी संस्थानों ने अधिसूचित किस्मों के 230 आवेदन, नई किस्मों के 221 आवेदन तथा सामान्य ज्ञान की किस्मों के 77 आवेदन प्रस्तुत किए (चित्र 2)।

- *नई किस्मों व सामान्य ज्ञान की किस्मों का पंजीकरण* : नई किस्मों व सामान्य ज्ञान की किस्मों की श्रेणी में दाखिल किए गए आवेदनों की जांच पादप किस्म रजिस्ट्री द्वारा की गई और जहां कहीं आवश्यक था, स्पष्टीकरण मांगे गए। कुल 221 नई किस्में व 77 सामान्य ज्ञान की किस्में वर्ष 2016–17 में प्राप्त हुईं। इनकी प्राथमिक जांच से यह पता चला कि अधिकांश स्पष्टीकरण किस्मों की बिक्री के प्रमाण, पूर्वज सामग्री की वैधानिक अपेक्षाओं के प्रमाण, तकनीकी प्रश्नावली (समूहीकरण/विशिष्टता व संदर्भ किस्मों के साथ तुलना) के विवरण के बारे में थे। प्राधिकरण इन मुद्दों से निपटने के लिए विभिन्न मंचों का लाभ उठा रहा है ताकि प्रजनक आवश्यक विवरणों के बारे में परिचित हो सके तथा एक निश्चित समय सीमा में पंजीकरण प्रक्रिया को और सुचारु बनाते हुए सम्पन्न किया जा सके।
- *विद्यमान अधिसूचित किस्मों का पंजीकरण* : वर्ष 2016–17 के दौरान पीपीवी और एफआरए में बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत कुल 230 किस्मों को अधिसूचित किया गया। इनमें से 188 विद्यमान अधिसूचित किस्म अनुशांसा समिति (ईवीआरसी) के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिनमें से 9 आवेदन निजी संगठनों द्वारा तथा 179 आवेदन 16 सार्वजनिक संस्थाओं (भा.कृ.अ.प. और राज्य कृषि

विश्वविद्यालय) द्वारा दाखिल किए गए थे। इन फाइलों की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश स्पष्टीकरण किस्मों की बिक्री की तिथि, पूर्वज सामग्री की कानूनी अपेक्षाओं के प्रमाण और संदर्भ किस्मों की तुलना में विशिष्ट डीयूएस गुणों के विवरण से संबंधित थे।




चित्र 1: वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त विभिन्न आवेदनों की संख्या




आवेदन	प्राप्त आवेदनों क संख्या
कृषक	3041
निजी संस्थाएं	228
सार्वजनिक संस्थाएं	300
कुल	3569

चित्र 2 : वर्ष 2016-17 के दौरान आवेदकों की विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या पिछले एक दशक में प्राप्त आवेदनों की संख्या प्रतिवर्ष 462 से बढ़कर 3569 हो गई है (चित्र 3)। इसके अतिरिक्त पंजीकृत की जाने वाली फसल प्रजातियों की संख्या भी पिछले दस वर्षों के दौरान 12 प्रजातियों से बढ़कर 90 से अधिक हो गई है।




चित्र 3 : वर्ष 2007-17 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या



चित्र 4 : वर्ष 2007-17 के दौरान उन फसलों की संख्या जिनके आवेदन प्राप्त किए गए

2.3 किस्मों के पंजीकरण में प्रगति

वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 495 पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए। इनमें से 288 कृषकों, 107 निजी संगठनों तथा 99 सार्वजनिक संगठनों से प्राप्त हुए थे। कृषक किस्मों को छोड़कर नई किस्मों के 99, सामान्य ज्ञान की किस्मों के 62 तथा विद्यमान अधिसूचित किस्मों के 46 मामले पंजीकृत किए गए। सबसे अधिक प्रमाण-पत्र चावल की किस्मों (288) के लिए जारी किए गए जिसके बाद क्रमशः चतुर्गुणित कपास (39), मक्का (33), गेहूं (19), भिण्डी (16), टमाटर (14), द्विगुणित कपास (11), ज्वार (7), सोयाबीन (6), जौ (6) तथा अन्य फसलों का स्थान था, जैसा कि अनुबंध IX में वर्णन किया गया है।



पंजीकृत किस्मों की संख्या
 चित्र 5 : वर्ष 2016-17 के दौरान जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की संख्या

अध्याय 3 : डीयूएस केन्द्र

3.1 डीयूएस केन्द्र

3.1.1 भा.कृ.अनु.प. – भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

भा.कृ.अनु.प.— भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान वर्ष 2007 से चावल के परीक्षण का नोडल केन्द्र है। आज की तिथि तक 57 किस्मों के पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त करने के लिए केन्द्र ने आवेदन किया है। वर्ष 2016–17 के दौरान लगभग 150 किस्में अनुरक्षण के अधीन थीं। वर्ष 2016–17 में चावल की किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण इस प्रकार है :



फसल	नई किस्म		वीसीके	एफवी
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
चावल	11	84	06	91

केन्द्र ने 22 जून 2016 को पीपीवी और एफआर के माध्यम से पौधा किस्मों (कृषक किस्मों सहित) 'आईपी सुरक्षा करने' शीर्षक का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है।

3.1.2 भा.कृ.अनु.प.— भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (क्षेत्रीय केन्द्र), करनाल

भा.कृ.अनु.प.—भा.कृ.अ.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, भारत के उत्तरी क्षेत्र के लिए उपयुक्त चावल की किस्मों के परीक्षण के लिए एक सह-नोडल केन्द्र है। वर्ष 2016–17 में 15 संदर्भ किस्मों और 23 बासमती किस्मों का खरीफ 2016–17 के दौरान अनुरक्षण करते हुए लक्षण-वर्णन किया गया। वर्ष 2016–17 के दौरान डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत आने वाली किस्मों की संख्या निम्नानुसार है :

फसलें	नई		वीसीके	एफवी
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
चावल	02	03	शून्य	01

3.1.3 तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर

तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय का बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग चावल और सूरजमुखी के लिए सह नोडल केन्द्र है। वर्ष 2016–17 के दौरान जिन किस्मों का परीक्षण किया गया उनकी सूची निम्नानुसार है :

फसल	किस्में	संदर्भ किस्में
चावल	जीके 124, जीके 107, जीके 123, जीके 122, जीके 43, जीके 5028, जीके 121, जीके 114, जीके 125	आईआर 64, डीआरआर धान 38, स्वर्ण, महसुरी, एमटीयू 1010
	केएसएफएच-473, एलजी 52.01, एलजी 55.01, एलजी 54.01, जीके 2018, जीके 2021, जीके 2008, जीके 2009	केबीएसएच-41, केबीएसएच-42, केबीएसएच-44, डीआरएसएच-1, पीएसएच-569

सूरजमुखी	एनएसए-66, एलजीएसएफ 12060बी, एलजीएसएफ 12001बी, एलजीएसएफ 12087बी	सीएमएस-234ए, सीएमएस-234बी, सीएमएस-17ए, सीएमएस-17 बी
	एनएसएसआर-308, एनएसएसआर-310, एलजीएसएफ 12027आर, एलजीएसएफ 12097आर, एलजीएसएफ 12055आर	आरएचए-271, 6-बी-1, आरएचए-272

3.1.4 भा.कृ.अनु.प. – राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक

भा.कृ.अनु.प. – राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारत के पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत चावल परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है। केन्द्र में चावल की निम्नलिखित किस्मों का अनुरक्षण और लक्षण वर्णन किया गया : आदित्य, एएसडी 20, एएसडी 3, बासमती 386, बासमती 370, बीपीटी 5204, को 43, को 47, सीआरएमएस 32ए, सीएसआर 10, दांतेश्वरी, दुर्गा, हेमावती, हिमालय-2, हिमालय-741, एचएमटी सोना, आईईटी 8116, ज्योति, कलिंगाIII, कर्जत-3, महामाया, एमटीयू 1010, नरेन्द्र 359, एनएलआर 30491, पीए 6444, पूजा, पीआर 106, प्रसन्ना, पीटीबी 37, पीटीबी 5, एनएलआर 33358, पीटीबी 53, पीटीबी 7, आरसीएम 5, सरजू-52, सावित्री, सुधा, टी-23, तुलसी, उत्कलप्रभा, वनप्रभा, विवेक धान 62, वीएल धान 221, वीएल धान 81.



वर्ष 2016-17 के दौरान चावल की किस्मों के डीयूस परीक्षण के विवरण

फसलें	नई		वीसीके	एफवी
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
चावल	9	64	6	135

3.1.5 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, भारत के मध्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त चावल की किस्मों के परीक्षण व लक्षण-वर्णन के लिए सह-नोडल केन्द्रों में से एक है। यहां 22 संदर्भ किस्मों के साथ लगभग 28 किस्मों का वर्ष 2016-17 के दौरान परीक्षण किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान लगभग 542 किस्में अनुरक्षण प्रजनन के अधीन थीं। केन्द्र ने अम्बिकापुर, बलरामपुर, बीजापुर, बिलासपुर, दांतेवाड़ा, धमतरी, जांजगीर, कांकेर, कवस्था और राजनंदगांव के सहयोग से वर्ष 2016-17 के दौरान 10 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाए।



3.1.6 भा.कृ.अ.प. – भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल

भा.कृ.अ.प. – भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल गेहूं व जौ के परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है। बारह कृषक किस्मों, 4 निजी क्षेत्र की और 9 सार्वजनिक क्षेत्र की (नई श्रेणी के अंतर्गत) गेहूं की किस्मों सहित 25 प्रत्याशी किस्मों का 54 संदर्भ किस्मों के विरुद्ध डीयूएस हेतु परीक्षण किया गया।

वर्ष 2016–17 में गेहूं की किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसलें	नई		वीसीके	एफवी
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
गेहूं	कलर्ड व्हीट (ब्लू), कलर्ड व्हीट (ब्लू)-2, कलर्ड व्हीट (ब्लू)-3, कलर्ड व्हीट (ब्लैक), कलर्ड व्हीट (पर्पल)	डीबीडब्ल्यू 88, डीबीडब्ल्यू 90, अजीत 349, ईगल 135, एचआई 1563, बीडब्ल्यू 321, नर्मदा 14, ईगल 145	शून्य	मोहित-गोल्ड, सोनाली-काव, देहाती गेहूं ललका, गेहूं देसी, गेहूं लाल, खिलौना-बीआर, शेखर-1, गेहूं देसी-2, लमहर्वान गेहूं, कादर गोल झाहूं, कठिया देसी गेहूं, गोहोम
जौ	–	एबीआई वोयागेर, इनोवेशन, केडब्ल्यूएस, इरिना	आरजीटी प्लानेट झाना	नांगसताकमो, देसी जाई-1, देसी जाई सुंधबाला, लाल बार्ले, अरुणा बार्ले, रोही लाल जाव'1

निगरानी दल द्वारा किए गए मुख्य पर्यवेक्षण/दिए गए सुझाव

- यदि आवश्यक हो तो कृषक किस्मों का डीयूएस परीक्षण इसके शुद्धिकरण के पश्चात् किया जाना चाहिए।
- गोहोम एक एस्टिवम प्रजाति है, कठिया प्रजाति नहीं, जैसा कि दावा किया गया था।
- कृषक किस्म नांगसताकमो को मिश्रण के रूप में पाया गया।

केन्द्र में अनुरक्षित/लक्षण-वर्णन की गई किस्में

फसलें	किस्मों की संख्या
गेहूं	एस्टाइवम की जारी की गई किस्में = 264 ड्यूरम तथा डाइकोकम की जारी की गई किस्में = 36 1965 के पहले जारी की गई किस्में = 58 उदाहरण किस्में = 119
जौ	संदर्भ तथा उदाहरण किस्में = 95

3.1.7 भा.कृ.अ.नु.प. – भा.कृ.अ.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर

भा.कृ.अ.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर चपाती गेहूं, कठिया और डाइकोकम फसल प्रजातियों के लिए सह-नोडल केन्द्र है। वर्ष 2016–17 के डीयूएस परीक्षण किए गए तथा आवश्यक सावधानियां बरतते हुए उनका उचित रूप से अनुरक्षण किया गया। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार खेत आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। आवेदक द्वारा दिए गए सभी विवरणों की जांच के लिए खेत में संयुक्त



पर्यवेक्षण किए गए। डीयूएस निगरानी दल के अध्यक्ष डॉ. जे.पी. टंडन (पूर्व सहायक महानिदेशक— एफएफसी), भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली ने नोडल अधिकारी डॉ. अरुण गुप्ता, भा.कृ.अ.प. — भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल तथा डॉ. एस. वी. साईप्रसाद, भा.कृ.अ.प.— भा.कृ.अ.सं., क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर के साथ विस्तृत पर्यवेक्षण किए। कुल 71 किस्मों की निगरानी की गई जिनमें से 14 प्रत्याशी किस्में तथा 38 संदर्भ किस्में शामिल हैं। इनके साथ ही दूसरे वर्ष की प्रविष्टियों में 9 कृषक किस्में व 10 संदर्भ किस्में शामिल की गईं। डीयूएस परीक्षणों का संचालन व प्रबंध अच्छा व संतोषजनक था। वर्ष 2016-17 के डीयूएस परीक्षण आवश्यक सावधानियां बरतते हुए किए गए और उनका उचित रूप से अनुरक्षण किया गया। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार खेत आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। संदर्भ किस्मों के साथ डीयूएस परीक्षणों के आंकड़े (2016-17) भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल तथा पीपीवी और एफआरए को गेहूं में डीयूएस परीक्षण की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने व संकलन हेतु अग्रेषित किए गए।

अनुरक्षण प्रजनन का विवरण

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत (स्वयं जारी की गई/भा.कृ.अ.प./राज्य कृषि विश्वविद्यालय)
ट्रिटिकम प्रजाति	130 (80 एस्टाइवम, 46 ड्यूरम तथा 4 डाइकोकम)	भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा आपूर्ति की गई

आवेदक द्वारा दिए गए सभी विवरणों के लिए खेत में पर्यवेक्षण किए गए डीयूएस परीक्षणों का संचालन तथा प्रबंध अच्छा व संतोषजनक था।

- प्रथम परीक्षण : 52 प्रविष्टियां (14 प्रत्याशी किस्में जिनमें से 7 प्रथम वर्ष में, 7 द्वितीय वर्ष में थीं तथा 38 संदर्भ किस्में) 3 प्रतिकृतियों सहित।
- द्वितीय परीक्षण : 19 प्रविष्टियां (9 प्रत्याशी कृषक किस्में (द्वितीय वर्ष) तथा 10 संदर्भ किस्में)

वर्ष 2016-17 के दौरान मूल्यांकन में शामिल किस्में

वीसीके	डीबीडबल्यू14, एचयूडबल्यू 234, डीबीडबल्यू16, एचडी 2733, एचपीडबल्यू 42, डब्ल्यूएच 1021, एचआई 1563, एनडबल्यू 2036, जीडबल्यू 11, एचयूडबल्यू 510, एनडबल्यू 1076, डीबीडबल्यू 90, डब्ल्यूएच 291, डीपीडबल्यू 621-50, पीबीडबल्यू 502, एचडी 3059, डीबीडबल्यू 88, पीबीडबल्यू 373, एमएसीएस 2496, पीबीडबल्यू 343, कलर्ड व्हीट ब्लू, कलर्ड व्हीट ब्लू-2, कलर्ड व्हीट ब्लू-3, पीबीडबल्यू 343, कलर्ड व्हीट ब्लैक, कलर्ड व्हीट पर्पल, एचडी 2967, एमपी 1203, एमपी 3173, जीडबल्यू 496, अजीत 349, एकेडबल्यू 1071, डब्ल्यूएच 711, एचडी 2987, बीडबल्यू 321, एचडी 1941, जे-1-7, के 9351, डीबीडबल्यू 39, ईगल 135, जीडबल्यू 366, एचआई 1500, एचआई 1544, मोहित गोल्ड, एचपीडबल्यू 147, के 8434, सोनाली केडबल्यू, एनपी 818, डीएल 153-2, नर्मदा-14, सीबीडबल्यू 38, जीडबल्यू 10
कृषक किस्म	एचडी 2932, यूपी 2554, देहाती गेहूं ललका, सोनक, सोनालिका, गेहूं देसी, पीबीडबल्यू 12, गेहूं लाल, पीवी 18, एचएस 490, खिलौना बीआर, एचडी 2967, शेखर-1, लर्मा राज, पीबीडबल्यू 596, लम्हर्वा गेहूं (डीबीआर), क्वाद्रा गोल ज़ाहूँ गेहूं देसी 2, जम्हर्वा गेहूं

3.1.8 कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएस), धारवाड़

यूएस, धारवाड़ में दिए गए डीयूएस परीक्षणों का विवरण निम्नानुसार है :

फसलें	नई		वीसीके	एफवी
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां		
कपास	05	72	03	
सोयाबीन	03	—	—	02
मूंगफली	01	—	—	05
तिल	—	—	—	02

निगरानी दल द्वारा किए गए प्रमुख पर्यवेक्षण

कपास : डॉ. के. रेतनावेल, नोडल अधिकारी डीयूएस परियोजना, सीआईसीआर क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बटूर द्वारा डीयूएस दल बीज इकाई, यूएस, धारवाड़ के साथ निगरानी की गई। निजी फर्मों के प्रतिनिधि श्री महंतेश, नुजीवीडू सीड्स तथा सुश्री अनुराधा, मेटाहेलिक्स भी दल के अंग थे।

सोयाबीन : डॉ. मृणाल कुचलन, नोडल अधिकारी, डीयूएस परियोजना, आईआईएसआर, इंदौर ने बीज इकाई, यूएस, धारवाड़ के डीयूएस दल के साथ निगरानी की।

फसल का खाका तथा फसल प्रबंध डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार था। फसल की वृद्धि तथा आकृतिविज्ञानी गुणों की अभिव्यक्ति सभी प्रत्याशी किस्मों, सामान्य ज्ञान की किस्मों तथा कृषक किस्मों में बहुत अच्छी थी। सकल परीक्षण अनुरक्षण, आंकड़ों की रिकॉर्डिंग तथा साज-संभाल की निगरानी दल द्वारा अत्यधिक सराहना की गई।

अनुरक्षण/लक्षण वर्णन के अधीन किस्मों

फसल	वर्ष 2016-17 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों की संख्या
कपास	64
सोयाबीन	05
मूंगफली	12
तिल	3

3.1.9 भा.कृ.अनु.प. – भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत इस्तेमाल की जाने वाली मक्का की संकर किस्मों (एकल संकर, त्रिमार्गी संकर आदि) के संकर बीजोत्पादन के साथ संदर्भ किस्मों व मक्का की अंतः प्रजनित वंशक्रमों का अनुरक्षण किया जा रहा है जिनके डीयूएस परीक्षण में निम्नतम विलगन दूरी की आवश्यकता होती है तथा इनमें वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य पौधों/समष्टियों की संख्या का उपयोग करके स्वपरागण के माध्यम से अनुरक्षण भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिन प्रजनक समूहों या संस्थानों ने जीनप्ररूपों का विकास किया है वे आनुवंशिक एकीकरण तथा जीनप्ररूपों की शुद्धता को लंबे समय तक बनाए रखने की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त/आदर्श हैं। अतः जिन अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान केन्द्रों/अनुसंधान संस्थानों ने अंतःप्रजनित वंशक्रमों का विकास किया है, और/अथवा किस्मों (ओपीवी/संकरों) को जारी किया है उन्हें संदर्भ प्रविष्टियों के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। संबंधित व्यक्ति (यों) या अनुसंधान संस्थान (नों) अथवा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान केन्द्र (द्रों) से मौसम के अंत में संदर्भ किस्मों के बीजों को वांछित मात्रा में उत्पन्न करने तथा सभी संदर्भ प्रविष्टियों

के उन प्रजनक बीजों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया जिनका उपयोग डीयूएस परीक्षण में किया जा रहा है। जिन केन्द्रों को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है, वे हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ऊचानी, करनाल; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना; महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, कोल्हापुर; और अंगारू, हैदराबाद। संदर्भ किस्मों/जीनप्ररूपों के आनुवंशिक रूप से शुद्ध बीज के उत्पादन एवं प्रस्तुतीकरण की पुष्टि भी इनमें से प्रत्येक केन्द्र से प्राप्त की ली गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रों को संदर्भित बीज के उत्पादन के लिए आवश्यक भुगतान का भी आश्वासन दिया गया है तथा यह अनुरोध किया गया है कि यदि आवश्यक हो तो वे उत्पन्न संदर्भ बीज को प्रस्तुत भी करे।

डीयूएस परीक्षण का विवरण

विवरण	परीक्षण अधीन नई प्रविष्टियां				वीसीके (एक वर्ष का परीक्षण)		एफवी	ओपीवी		कुल
	अंतः प्रजनित वंशक्रम		संकर		अंतःप्रजनित वंशक्रम	संकर		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष						
सार्वजनिक	.	.	3	5	—	.	—	—	2	10
निजी	26	17	24	29	2	1	—	—	—	99
कृषक	—	—	—	—	—	—	16	—	—	16
उप-योग	26	17	27	34	2	1	16	—	2	125
योग	43		61		3		16	3		125

प्रस्तुत किए गए पंजीकृत किस्मों/आवेदनों का विवरण

फसल	वर्ष 1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	वर्ष 1999 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या				जारी किए गए प्रमाण-पत्र
			संकर		ओपीवी		
			नई	विद्यमान	नई	विद्यमान	
मक्का	246	141	42	44	12	36	104

वर्ष 2017-18 के लिए योजना

- जैसे ही नई किस्में जारी और अधिसूचित की जाती हैं, नए आवेदनों को संसाधित करना।
- जिन आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है, उनके संबंध में यदि कोई शंका हो, तो उसका समाधान करना।

3.1.10 भा.कृ.अ.प. – भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान (पूर्व में डीएसआर), हैदराबाद

वर्ष 2016-17 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसलें	नई		वीसीके	एफवी
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां		
खरीफ 2016	12 (जीके 4060, जीके 4063, एसवाईएन-एसआर-डीजे 2233, एसवाईएन-एसआर-एमएलआर 02010, एसवाईएन-एसआर-एमएलबी 0092, एसवाईएन-एसआर-स्टार, एसवाईएन-एसआर-डेरी ग्रीन,	13 (279बी, 279ए, सीएवएच 30, सीबी 33, सीएसवी 27, सीबी 11, 415बी, 415ए, डीजीजे 022, जीके 950, जीके 952, जीके 951,	—	7** (नवागी मलदांडी, बेद्रा, चिकनी लाल (डीला पुष्पगुच्छ), मोठी मणि ज्वार, लाहन मणि ज्वार, मोथी सफेद ज्वार और चिकनी लाल ज्वार)

	एसवाईएन-एसआर-एमएलएसएफआर 0300, एसवाईएन-एसआर-एमएलएसएफआर 0179, एसवाईएन-एसआर-एमएलबी 0052, एनआईसीएसएसएच 145 तथा एनआईसीएसएसएच 723*)	एचटीजेएच 3206)		
रबी 2016-17	2 (एसवाईएन-एसआर-एमएलआर 1172 और एसवाईएन-एसआर-डीजे 4062)	-	-	7**

(** रबी प्रकार, अतः इन्हें रबी 2016-17 के दौरान पुनः रोपा गया)

फसल की सकल वृद्धि तथा आकृति विज्ञानी गुणों की अभिव्यक्ति लगभग सभी प्रत्याशी किस्मों में बहुत अच्छी थी; कुछ प्रत्याशी किस्मों में पर्यवेक्षित अवस्था तथा दावा किए गए गुणों की अवस्था में थोड़ा अंतर देखा गया। चूंकि कृषक किस्में रबी प्रकार की हैं, अतः उनका आने वाले रबी मौसम में परीक्षण किया जाएगा।

अनुरक्षण/लक्षण-वर्णन के अंतर्गत आने वाली किस्में : 50; 2077ए, 2088बी, 2219ए, 2219बी, 27ए, 27बी, 296ए, 296बी, आईएमएस 9ए, आईएमएस 9बी, एकेएमएस 14ए, एकेएमएस 14बी, 7ए, 7बी, 7ए, आरएस 627, अफजापुर लोकल, एकेआर 150, एपीके1, सी 43, सीओ-एस-28, सीएस 3541, सीएसवी 12 (एसपीवी 462), सीएसवी 15, सीएसवी 20, सीएसवी 24एसएस, सीएसवी 27, सीएसवी 28, सीएसवी 29आर, सीएसवी 7आर, सीएसवी 8आर, डीएसवी5, जीजे 40, एम 35-1, परभणी मोती, फुले अनुराधा, पी. रोहिणी, पी. सुचित्रा, पी. उत्तरा, पीवीके 400, पीवीके 801, पीवीके 809, आरएस 29, आरएस 585, एसपीवी 2018, एसएसजी 59-3, एसएसवी 74, स्वाति, आईसीएसबी 467 और पंत चरी 6.

पौधा किस्म सुरक्षा पर जागरूकता के संबंध में कार्यशाला व प्रशिक्षण एवं कृषि फसलों में डीयूएस गुणों का अंकीकरण, 31.03.2017

विशेष रूप से लक्षण-वर्णन आंकड़ों से संबंधित खेत आंकड़े एकत्र करने के लिए फील्ड पुस्तिका में इस्तेमाल की विधि से वैज्ञानिकों, तकनीकी सहायकों, अनुसंधान अध्येताओं, कुशल सहायकों को परिचित कराने के लिए 31 मार्च 2017 को कृषि फसलों में डीयूएस गुणों के अंकीकरण व पादप किस्म सुरक्षा पर जागरूकता से संबंधित एक कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में आईआईएमआर, एनबीपीजीआर (क्षेत्रीय केन्द्र), आईआईआरआर, आईआईओआर तथा पीजेटीएसएयू से आए लगभग 100 प्रतिभागी उपस्थित थे। डॉ. ए.के. व्यास, सहायक महानिदेशक (मानव संसाधन प्रबंध) ने समापन समारोह के दौरान प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए तथा उन्हें सम्बोधित भी किया। उन्होंने भा.कृ.अ.प. के सभी संस्थानों से अनुरोध किया कि वे भी फील्ड पुस्तिका का उपयोग करके अंकीकरण पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। उन्होंने डिजिटल इंडिया की सोच को कार्यान्वित करने की दिशा में आईआईएमआर के प्रयासों की सराहना की। जहां पेपर फील्ड बुक का उपयोग किए बिना मोबाइल एप की सहायता से खेत आंकड़े एकत्र करने की सोच को सच्चाई में बदला गया था। इस कार्यक्रम का प्रायोजन पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) ने किया।

पीपीवी और एफआरए में दाखिल किए गए आवेदन

वर्ष 1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की सूची	वर्ष 2001 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की सूची	दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या			जारी किए गए प्रमाण-पत्र	लम्बित आवेदन
		ईएनवी	नई	वीसीके		
281 (इनमें ए/बी/आर वंशक्रम, संकर, ओपीवी शामिल हैं)	65	43	32	31	72	34

3.1.11 महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी (कपास)

वर्ष 2016-17 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण इस प्रकार है :

नई		वीसीके	ईडीवी और आईवी	आरवी
प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष			
04	36	04	06	115

निगरानी दल के मुख्य पर्यवेक्षण :

- प्रयोग का खाका मानदंडों के अनुसार किया गया है तथा परीक्षणों का रखरखाव बहुत अच्छी तरह किया गया है।
- फसल की वृद्धि तथा आकृतिविज्ञानी गुणों की अभिव्यक्ति सभी प्रत्याशी किस्मों के मामले में बहुत अच्छी है।
- परीक्षण तथा पादप सुरक्षा संबंधी उपाय अपनाते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए।
- आंकड़ों को डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किया गया है तथा डेटाशीट अच्छी तरह से रखी जा रही हैं।
- खेत खरपतवारों से मुक्त थे तथा पौधे स्वस्थ थे जो गमलों में सभी आकृतिविज्ञानी गुणों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम थे।
- प्रत्येक प्रत्याशी किस्म के गुणों की अभिव्यक्ति का सत्यापन पीपीवी और एफआरए के निष्पादन के अनुसार किया गया।
- सकल निष्पादन, फसल की वृद्धि, परीक्षण करने की विधि तथा पर्यवेक्षणों की रिकॉर्डिंग उत्कृष्ट व उत्साहवर्धक थी।

अनुरक्षण/लक्षण-वर्णन अधीन किस्में

फसलें	वर्ष 2016-17 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों की संख्या
कपास	नोडल अधिकारी, सीआईसीआर, कोयम्बटूर से 115 संदर्भ किस्में प्राप्त हुईं।

पीपीवी और एफआरए में दाखिल किए गए आवेदन

फसल	वर्ष 1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की सूची	वर्ष 2001 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की सूची	दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या			जारी किए गए प्रमाण-पत्र	लम्बित आवेदन
			विद्यमान	अधिसूचित नई	वीसीके		

कपास	6	10	4	5	—	(फुले-492) (फुले-388) (फुले-688) (जेएएल- 749) (फुले-धनवंतरी) (फुले- अनमोल)	(आरएचएच-0622) (आरएचसी- 0717) (आरएचसीबी- 011)
------	---	----	---	---	---	---	--

**3.1.12 भा.कृ.अ.प. – केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर
वर्ष 2016-17 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण के विवरण**

फसलें	नई		वीसीके	ईडीवी / आईवी	निगरानी की तिथि
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष			
कपास गोसिपियम हिर्सुटम गोसिपियम बार्बेडेंस गोसिपियम आर्बोरियम गोसिपियम हर्बेसियम	4	23	4	66	21.11.16

अनुरक्षण / लक्षण-वर्णन अधीन किस्में

लक्षण वर्णित किस्में तथा उनकी संख्या	केवल अनुरक्षण के लिए लक्षण-वर्णित किस्मों के नाम
जी. हिर्सुटम (46)	एलआरए5166, सीएनएचओ12, अंजली, प्रतिमा, सूरज, सुरभि, सुप्रिया, सुमंगला, सहाना, अभादिता, आरोग्य, नरसिम्हा, एमसीयू5, एमसीयू5वीटी, एमसीयू12, एमसीयू10, डीएचवई286, बीएन1, एकेएच8828, एकेएच081, खंडवा2, एनएच545, एनएच615, जेके4, जीकॉट10, जीकॉट12, जीकॉट20, जीकॉट16, जीकॉट18, गंगांना रागेती, जएलएच168, एफ846, एफ1054, एफ1378, एफ1861, आरएस875, आरएस2013, आरएस810, आरएसटी9, एचएस6, एच1226, केसी3, देवीराज, कंचना, पीकेवीआर रजत, आरएमपीबीएस155
जी. आर्बोरियम (28)	जीएके423, जीकॉट15, एकेए7, सी29, वीना, एचडी226, आरजी8, एचडी110115, जवाहर ताप्ती, आरजी18, एकेए5, एलडी491, पीए183, राघवेन्द्र, एकेए8401, अरविन्द, एलडी327, एचडी107, एलडी210, वाई1, जीकॉट19, जेएलए794, एकेए8, एलडी594, एचडी321, एचडी 324, पीए255
जी. हर्बेसियम (1)	जयधर

3.1.13 चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

पीपीवी एवं एफआरए योजना के अंतर्गत कपास/चना/ज्वार के लिए यह एक सह नोडल केन्द्र है।

फसलें	नई एवं वोसीके		ईडीवी और आईवी
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां	
कपास	10+10 (संदर्भ किस्में)	02+04 (संदर्भ किस्में)	6
चना	—	—	—
ज्वार	—	—	—

निगरानी दल के मुख्य पर्यवेक्षण

निगरानी दिनांक 16.09.2016 को डीएसआर-भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली के पूर्व परियोजना निदेशक डॉ. आर.के चौधरी की अध्यक्षता में की गई। निगरानी दल ने पाया कि सकल निष्पादन, फसल की वृद्धि, परीक्षण करने की विधि तथा पर्यवेक्षणों की रिकॉर्डिंग श्रेष्ठ और उत्साहवर्धक थे।

पीपीवी और एफआरए में दाखिल किए गए आवेदन

फसलें	वर्ष 1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की सूची	वर्ष 2001 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की सूची	दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या			जारी किए गए प्रमाण-पत्र	लम्बित आवेदन
			विद्यमान अधिसूचित	नई	वीसीके		
बाजरा	19	12	6	—	—	6	1
तोरिया	2	—	—	—	—	—	—
पीली सरसों	—	1	—	1	—	1	—
भूरी सरसों	1	—	—	—	—	—	—
राया	2	5	2	3	—	3	2
तिल	1	1	—	—	—	—	—
तारामीरा	1	—	—	—	—	—	—
मूंगफली	1	—	—	—	—	—	—
अरण्ड	1	—	—	—	—	—	—
सूरजमुखी	—	1	—	—	—	—	—
मूंग	6	6	1	2	—	1	2
उड़द	1	1	—	1	—	—	1
चना	14	5	1	—	—	1	—
दाल मटर	7	4	—	1	—	—	—
अरहर	—	2	—	—	—	—	—
मसूर	—	3	—	—	—	—	—
द्विगुणित कपास	किस्म = 06 संकर = 01	किस्म = 03 संकर = 01	04 (3 किस्में और 1 संकर)	—	—	4	—
चतुर्गुणित कपास	किस्म = 11 संकर = 03	किस्म = 05 संकर = 21	09 (7 किस्में और 2 संकर)	—	—	8	—

3.1.14 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, भटिंडा

वर्ष 2016-17 में प्रत्याशी किस्मों, यदि कोई हैं तो, के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसलें	वीसीके		ईडीवी
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	
कपास	प्रत्याशी किस्में : एनसीएस-904बीटी एनसीएस-9002 बीटी2 आरसीएच 602 बीजी-II एसवीए- 371 एसवीए-145 एसवीएजीएमएस-47 केआर-111 एसडब्ल्यूसीएच 4704 बीजी II बायो 54510	प्रत्याशी किस्में : एनसी-5065 बीजी-I 54-एसएस-33 बीजी II संदर्भ किस्में : एनएच545 कांडवा 2 सहाना सुप्रिया	ईडीवी : पीसीएच-878 बीटी 2 पीसी-पी 8011 बीटी 2 पीसी-पी 251 बीटी 2 आईवी : पीसीएच-401 बीटी पीसी-पी 8011 बीटी पीसी-पी 251

बायो 6165-2 बीजी II संदर्भ किस्में : अबाधिता एल 604 जी. कॉट 12 पीकेवी रजत जेएलएच 168 एमसीयू 10 एमसीयू 5 एकेए 7 वीना जवाहर ताप्ती		
---	--	--

निगरानी दल के मुख्य पर्यवेक्षण

- परीक्षण का खाका तथा रखरखाव बहुत अच्छा है। एसवीए 145, सहाना, वीना और एमसीयू 5 में कोई अंकुरण नहीं हुआ, अतः पौधों की संख्या शून्य थी।
- फसल की वृद्धि तथा आकृति विज्ञानी गुणों की अभिव्यक्ति अधिकांश प्रत्याशी किस्मों में अच्छी थी।
- आंकड़े डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए थे।



3.1.15 कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएस), धारवाड़

डीयूएस परीक्षण केन्द्र, धारवाड़, कर्नाटक में डीयूएस गुणों के लिए कठिया गेहूं के 21 वंशक्रमों का लक्षण वर्णन किया गया। बाईस प्रविष्टियों में से दो प्रत्याशी किस्मों नामतः ईगल-145 और गोहोम का परीक्षण 45 परीक्षणों की दृष्टि से 19 संदर्भ किस्मों में किया गया। इन परीक्षणों में 16 बाली विशिष्ट गुण थे तथा 9 दानों से संबंधित गुण थे।

विभिन्न डीयूएस गुणों में प्रत्याशी व संदर्भ किस्मों में मात्रात्मक भिन्नता देखी गई तथापि, प्रत्याशी किस्म ईगल-145 को पत्ती के रंग, दाने के रंग, दाने की क्रीज और दाने की कठोरता को छोड़कर अन्य सभी लक्षण-वर्णित डीयूएस परीक्षणों के मामले में संदर्भ किस्म एचआई-8498 के समान पाया गया, जबकि अन्य प्रत्याशी प्रविष्टि गोहोम को वृद्धि स्वभाव, बाली के निकलने, पौधे की ऊंचाई, पुष्पगुच्छ की लंबाई, बाली तथा पुष्पवृंत का मोमियापन, बाली घनत्व, शूकियों, तुष से संबंधित गुणों व दाने की कठोरता और रोमों पर ब्रश जैसे गुणों के अलावा अध्ययन किए गए सभी गुणों के मामले में संदर्भ किस्म ए-28 के समरूप पाया गया।

परीक्षण की गई संदर्भ तथा प्रत्याशी किस्मों की सूची निम्नानुसार है :

संदर्भ किस्में			प्रत्याशी किस्में
कुल 19			कुल 2
एचआई-8498	ए-28	पीडीडब्ल्यू-215	ईगल-145 (दूसरे वर्ष)
एचआई-8663	एकेडीडब्ल्यू 2997-16	पीडीडब्ल्यू-274	गोहोम (पहले वर्ष)
एमएसीएस-2694	बीएएक्सआई-288-18	पीडीडब्ल्यू-291	
एमएसीएस-2846	बिजागा येलो	एचआई-8381	

राज-6550	डीडब्ल्यूआर-185	राज-6560	
डब्ल्यूएचडी-943	डीडब्ल्यूआर-1006		
एमपी-3173	पीबीडब्ल्यू-34		

डीयूएस प्लॉट का सामान्य दृश्य



3.1.16 पीडीकेवी, अकोला

डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत किस्मों के विवरण निम्न सारणी में दिए गए हैं :

फसलें	नई		वीसीके	एफवी
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
अरहर	—	03	—	16
कुसुम	—	01	—	00

अनुरक्षण/लक्षण वर्णन अधीन किस्मों

फसलें	वर्ष 2016-17 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों के नाम व उनकी संख्या				
अरहर (63)	वाम्बन-1	टीएटी-10	एके-101	यूपीएस-120	सी-11
	जीटी-100	जीएस-1	एमए-6	मानक	जीएयूटी-00आईई
	सीओ-6	एलआरजी-38	एमए-3	पारस	जेए-4
	जीटी-101	टीएस-3	एमएएल-13	एएल-201	टी-15-15
	आईसीपीएल-8863	आईसीपीएल-85063	एनडीए-1	एएल-15	जीसी-11-39
	टीटीबी-7	बीडीएन-2	पूसा 9	पूसा-992	सीओ-7
	एकेटी-8811	एलआरजी-30	डीए-11	पूसा-855	जेकेएम-189
	डब्ल्यूआरपी-1	बीएसएमआर-736	आजाद	पूसा-84	पीकेवी-तारा
	जेकेएम-7	पीटी-221	अमर	पूसा-33	पूसा-2002-02
	बीएसएमआर-853	बीडीएन-708	बिरसा अरहर-1	पूसा-991	आईसीपीएल-151
	आईसीपीएल-87119	सीओ-5	बहार	पूसा-2001	आईसीपीएल-87
	जीटी-1	एचवाई-3सी	टी-7		सीओआरजी-9701
कुसुम (27)	ए-1	जेएसएफ-1	नीरा	एनएआरआई-एनएच-1	जीएमयू-2369
	ए-2	जेएसआई-7	मंजिरा	एनएआरआई-एच-15	एनएआरआई-38
	ए-300	जेएसआई-73	शारदा	डीएसएच-129	एसएसएफ-658
	एकेएस-207	जेएसआई-97	पीबीएनएस-12	एमएमएस	
	भीमा	जेएसआई-99	जेएलएसएफ-414	सी-2829-5-3ए-6	
	गिर्ना	एनएआरआई-6	पीबीएनएस-40	एमएसवी-10-1-5	

3.1.17 भा.कृ.अ.प. – अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना – चना, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर), कानपुर

वर्ष 2016-17 के दौरान 8 कृषक किस्मों नामतः चना-1, चना-15, चना 2000, काटा चना, गोपाल चना-2, हरा चना, अंजनी चना और बूट-बी का डीयूएस परीक्षणों हेतु परीक्षण किया गया। चना के लिए दिए गए डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार 20 डीयूएस गुणों पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। इनमें शामिल थे – तना : एंथोसियानिन का रंग, प्रथम पुष्प निकलने पर पौधे की ऊंचाई, 50 प्रतिशत पुष्पन के दिन, प्रति पुष्पवृंत पुष्पों की संख्या, वृद्धि स्वभाव, पत्तियों पर हरे रंग की गहनता, उप पत्ती का आकार, पत्ती पैटर्न : पुष्प का रंग, धारियां, पुष्पवृंत की लंबाई, पौधे की ऊंचाई, फलियों का आकार, प्रतिफली बीजों की संख्या, बीज का रंग, बीज का आकार, बीज की आकृति, बीज कवच की बनावट, बीज पर धारियां, बीज प्रकार, बीज कवच की बनावट, बीज पर धारियां और बीज प्रकार। चने की 113 संदर्भ किस्मों भी भा.कृ.अ.प.- आईआईपीआर, कानपुर में रखी गई थी।

3.1.18 भा.कृ.अ.प. – अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना – अरहर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर), कानपुर

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण के विवरण

प्रथम वर्ष की किस्में	लाली अरहर, मणिका अरहर, पीली अरहर, देहाती अरहर-2, देहाती अरहर लाल, जामुनिया राहारी, भूरा राहरी, लाल राहरी, धोबा राहरी, अरहर चैती-पी, देसी अरहर-1, अरहर देसी-पी, रेहे अरहर, देसी अरहर-डी, अरहर-2, एचजेपीए-12, एचजेपीए-16, एचजेपीए-15
दूसरे वर्ष की किस्में	अरहर अलसी, देसी अरहर बेगारी, अरहर गणपद, अरहर मानपुर पहाड़ी, लोकल अरहर, पालकी अरहर, राम अरहर, सिंगचोरा अरहर, अरहर सूर्यकांत, बुम्बा तुमुर, चैता अरहर, मोटा अरहर कार्तिका, पहाड़ी अरहर, चैतारी अरहर, करंजा तुअर, चोटाबाली अरहर, अगहनी, एचजेपी-7
एफवी	लाली अरहर, मणिका अरहर, पीली अरहर, देहाती अरहर-2, देहाती अरहर लाल, जामुनिया राहारी, भूरा राहरी, लाल राहरी, धोबा राहरी, अरहर चैती-पी, देसी अरहर-1, अरहर देसी-पी, रेहे अरहर, देसी अरहर-डी, अरहर-2, एचजेपीए-12, एचजेपीए-16, एचजेपीए-15

अनुरक्षण/लक्षण-वर्णन अधीन किस्में

अनुरक्षण प्रजनन अधीन किस्मों के नाम
दीर्घावधि – एनडीए 1, पूसा 9, एनडीए 2, टी-7, अमर, डीए 11, एमए 3, एमएएल 13, बहार, एमए6, आजाद, आईपीए 9एफ, आईपीए 203, आईपीए 8एफ, आईपीए 15एफ, आईपीए 16एफ, केपीएल 43, आईपीए 2012-1, केपीएल-44, इलाहाबाद लोकल, कुदरत-3, एरामा चचाकामती, धोली ड्वार्फ
मध्यावधि – बीडीएन 708, एलआरजी 38, आईसीपीएल 85063, एके 101, टीएस 3, डब्ल्यूआरजी 27, बीआरजी 30, एलआरजी 30, जीएस 1, डब्ल्यूआरजी 53, जीसी 11-39, जेए-4, एकेपी 1 जेकेएम 7, सीओ 5, जेकेएम 189, जीटी 1, टीवी 1, विपुला, वाम्बन-2, पीटी 221, एके 022, डब्ल्यूआरपी-1, टी 15-15, आईसीपीएल-332, टीटीबी-7, सीओ 6, वीबीएन-3, पीआरजी-176, टीजेटी-501, जेकेएम-189
अगेती – पूसा 855, आईसीपी 84031, पूसा 2001, पूसा 84, एएल 15, पूसा 33, टीजेटी 501, जीटी 100, एएल 201, पूसा 991, जीटी 101, आईसीपीएल 151, सीओआरजी 9701, टीएटी 10, आईसीपीएल 87, पूसा 992

पीपीवी और एफआरए में दाखिल किए गए आवेदन

फसले	वर्ष 1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की सूची	वर्ष 2000 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की सूची	दाखिल किए गए आवेदन			जारी किए गए प्रमाण-पत्र	लम्बित आवेदन
			विद्यमान अधिसूचित	नई	वीसीके		
अरहर	123	37	24	01	—	18	7

पीपीवी और एफआरए द्वारा पंजीकृत किस्मों की सूची

क्र.सं.	किस्मों के नाम	पंजीकरण प्रकार	पंजीकरण संख्या
1-	सीओआरजी-9701	विद्यमान	2012 का 45
2.	मालवीया विकास (एमए-6)	विद्यमान	2012 का 46
3.	नरेन्द्र अरहर-2 (एनडीए 98-1)	विद्यमान	2012 का 27
4.	मालवीय विकल्प (एमए-3)	विद्यमान	2012 का 174
5.	डब्ल्यूआरपी-1	विद्यमान	2012 का 173
6.	जवाहर तूर जेकेएम-189	विद्यमान	2011 का 78
7.	पूसा-991	विद्यमान	2012 का 23
8.	पूसा-992	विद्यमान	2012 का 24
9.	विपुल	विद्यमान	2012 का 130
10.	जीटी-101	विद्यमान	2012 का 132
11.	जीटीएच-1 (एसकेएनपीसीएच-10)	विद्यमान	2012 का 46
12.	पूसा 2001	विद्यमान	2012 का 29
13.	मालवीय चमत्कार (एमएएल-13)	विद्यमान	2012 का 26
14.	बीआरजी-1	विद्यमान	2012 का 28
15.	अमोल (बीडीएन-708)	विद्यमान	2012 का 44
16.	बीएसएमआर-853 (वैशाली)	विद्यमान	2012 का 47
17.	वीबीएन (आरजी)- 3	विद्यमान	2012 का 131
18.	टीटी 401	विद्यमान	2011 का 16
19.	बिरसा अरहर-1	विद्यमान	आवेदनों पर कार्रवाई हो रही है
20.	एनडीए-99-6	विद्यमान	
21.	जीएयूटी 001 (ई) बीएएनएएस	विद्यमान	
22.	बीआरजी 2	विद्यमान	
23.	पीएयू 881	विद्यमान	
24.	एएल 201	विद्यमान	
25.	फुले टी-0012 (राजेश्वरी)	नई किस्म	

3.1.19 जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

यह अलसी, मसूर तथा दाल मटर के लिए सह नोडल केन्द्र है। इसके निम्नलिखित अधिदेश हैं :

- अलसी, मसूर और दाल मटर की संदर्भ/उदाहरण किस्मों का अनुरक्षण प्रजनन और प्रगुणन
- पीपीवी और एफआरए के डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस विवरणों के लिए डेटाबेस तैयार करना तथा इंडस डेटाबेस को अद्यतन करना।
- डीयूएस बुनियादी ढांचे का रखरखाव करना।

इस केन्द्र ने 17 मार्च 2017 को पादप प्रजनन व आनुवंशिकी विभाग, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

डीयूएस परीक्षण तथा लक्षण-वर्णन अधीन किस्मों की संख्या

फसलें	एफवी
अलसी	07
मसूर	11
दाल मटर	09

3.1.19.1 अलसी

- गुणों की अभिव्यक्ति के आधार पर अलसी की संदर्भ किस्में

गुण	संदर्भ किस्में
पुष्पन का समय	शारदा, शेखर और पार्वती
पुष्प पंखुड़ियों का आकार	शारदा, आर 552 और नीलम
पुष्प की आकृति	आर 552, सुरभि और मीरा
पुष्प का रंग	जे 23, गरिमा, पद्मिनी और गौरव
पुष्प का पुष्पदलविन्यास	शेखर, रश्मि और आर 552
पुष्प की नाड़ियों का रंग	सुरभि, शीला, जीवन और नीलम
वर्तिकाग्र का रंग	गौरव और किरण
परागकोष का रंग	हिमालिनी, लक्ष्मी 27 और रश्मि
पौधे का वृद्धि स्वभाव	टी 397, सुब्राह्मंद, गौरव
पौधे की ऊंचाई	जेएलएस 9, जे 23 और मीरा
फली का आकार	टी 397, शेखरांद, नीलम
फली का चिपकना	लक्ष्मी 27 और टी 397
बीज का रंग	गौरव, सुरभि, श्वेता, नीलम और लक्ष्मी 27
बीज का आकार	सुरभि, गरिमा और नीलम
बीज का भार	सुरभि, गरिमा और नीलम
तेल अंश	एस 36, गरिमा और पद्मिनी

- अनुरक्षित की गई अलसी की संदर्भ किस्में

संदर्भ किस्में	संख्या	नाम
कुल	22	गरिमा, गौरव, हिमालिनी, जे 23, जीवन, जेएलएस 9, किरन, लक्ष्मी 27, मीरा, नीलम, पदमनी, पार्वती, आर 552, रश्मी, एस 36, शारदा, शीला, शेखर, शुभ्रा, सुरभि, श्वेता और टी 397
अनुरक्षित की गई	21	गरिमा, गौरव, हिमालिनी, जे 23, जेएलएस 9, किरन, लक्ष्मी 27, मीरा, नीलम, पदमनी, पार्वती, आर 552, रश्मी, एस 36, शारदा, शीला, शेखर, शुभ्रा, सुरभि, श्वेता और टी 397
अनुरक्षित न की गई	01	जीवन

- जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में अनुरक्षित अलसी की अन्य किस्में

संदर्भ किस्में	संख्या	नाम
कुल	7	दीपिका, इंदिरा अलसी 29, जवाहर 1, जे 17, जेएलटी 215, कार्तिका, एलसीपी 147


- जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में बोई गई अलसी की कृषक किस्में

संदर्भ किस्मों, 7 अन्य किस्मों और 7 कृषक किस्मों के बीज, बीज प्रजनन फार्म, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में रबी 2016–17 के दौरान दिनांक 11.11.2016 को बोए गए। ये बीज 5 मी. लंबी तथा कतार से कतार की 30 सें.मी. दूरी रखते हुए 5 कतारों में बोए गए तथा दो प्रतिकृतियों में राष्ट्रीय परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार संदर्भ किस्मों के रखरखाव के लिए अनुशासित सस्यविज्ञानी पैकेज के अंतर्गत इन्हें उगाया गया। अंकुरण तथा पौधों की संख्या उपयुक्ततम थी तथा विशिष्ट गुणों की अभिव्यक्ति भी उचित रूप से हुई थी। पर्यावरणीय स्थितियां सामान्य वृद्धि के लिए अनुकूल थीं। सभी संदर्भ तथा अन्य किस्मों के विशिष्ट गुणों की अभिव्यक्ति का पर्यवेक्षण परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया।

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	नाम
1.	2015/1197	रोही तिसी
2.	2014/1828	रीता तिसी
3.	2015/280	तिसी जे
4.	2015/263	तिसी 4
5.	2015/299	देशी तिसी
6.	2015/1754	राजा
7.	2014/903	तिसी III

कृषक किस्मों का अंकुरण संदर्भ किस्मों के समान सामान्य था। केवल तिसी III अपवाद किस्म थी (15%)। तिसी रोमन III ने झाड़ीदार पौधे का स्वभाव प्रदर्शित किया।

- अलसी की कृषक किस्मों में विशिष्ट गुणों की अभिव्यक्ति



3.1.19.2 मसूर

जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में मसूर की सभी 13 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है।

- गुणों की अभिव्यक्ति के आधार पर मसूर की संदर्भ किस्में

क्र.सं.	गुण	उदाहरण किस्में
1.	पत्तियां : हरे रंग की गहनता	वीएल1, वीएल 103, डीपीएल 15, डीपीएल 62, जेएल 1, जेएल 3
2.	तना : एंथोसियानिन रंग	के 75, एनडीएल 1, पीएल 4, पीएल 234
3.	पुष्पन का समय	डीपीएल 15, डीपीएल 62, वीएल 4, वीएल 103
4.	पत्ती : रोमिलता	सुब्रिता, रंजन
5.	उप पत्ती : आकार	वीएल 1, वीएल 103, डीपीएल 15, डीपीएल 62, पीएल 15
6.	पौधा : वृद्धि स्वभाव	डीपीएल 15, रंजन, डीपीएल 62
7.	पुष्प : मानक रंग	पीएल 4, के 75
8.	पौधा : ऊंचाई	डीपीएल 15, डीपीएल 62
9.	फली : एंथोसियानिन रंग	डीपीएल 15, डीपीएल 62, आशा
10.	बीज : आकार (100 बीजों का भार)	पीएल 406, पीएल 234, डीपीएल 15, के 75, वीएल 1, वीएल 4, डीपीएल 62, पीएल 5
11.	बीज : कवच का रंग	डीपीएल 15, के 75, वीएल 1, वीएल 14
12.	बीज : छिलके पर चित्तियां	पीएल 406, के 75
13.	बीजपत्र : रंग	डीपीएल 15, डीपीएल 62

- जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में अनुरक्षित मसूर की संदर्भ किस्में

संदर्भ किस्में	संख्या	नाम
कुल	16	आशा, डीपीएल 15, डीपीएल 62, जेएल 1, जेएल 3, के 75, डीएल 1, पीएल 234, पीएल 4, पीएल 5, पीएल 406, रंजन, सुब्रिता, वीएल 1, वीएल 4 और वीएल 103
अनुरक्षित	16	आशा, डीपीएल 15, डीपीएल 62, जेएल 1, जेएल 3, के 75, डीएल 1, पीएल 234, पीएल 4, पीएल 5, पीएल 406, रंजन, सुब्रिता, वीएल 1, वीएल 4 और वीएल 103

- जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में बोई गई मसूर की कृषक किस्में

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	नाम
1.	2014/1824	करुणा मसूर
2.	2014/1822	गुड्डी मसूर
3.	2015/243	मसूर 1
4.	2015/1214	देशी 3
5.	2015/1267	देशी मसूर II
6.	2015/1269	देशी मसूर I
7.	2015/1220	देशी 2
8.	2016/257	मसूर/मासरा
9.	2016/358	मासरी-एलओ
10.	2016/1019	नंदी
11.	2016/1020	साल्दाहारी

संदर्भ तथा कृषक किस्मों के बीज, बीज प्रजनन फार्म, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में रबी 2016-17 के दौरान दिनांक 11.11.2016 को बोए गए। ये बीज 5 मी. लंबी तथा कतार से कतार की 30 सें.मी. दूरी रखते हुए 5 कतारों में बोए गए तथा दो प्रतिकृतियों में राष्ट्रीय परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार संदर्भ किस्मों के रखरखाव के लिए अनुशासित सस्यविज्ञानी पैकेज के अंतर्गत इन्हें उगाया गया। दो कृषक किस्मों नामतः देशी मसूर 1 और मसूर/मासरा को छोड़कर अन्य सभी किस्मों में अंकुरण तथा पौधों की संख्या उपयुक्ततम थी तथा विशिष्ट गुणों की अभिव्यक्ति भी उचित रूप से हुई थी। पर्यावरणीय स्थितियां सामान्य वृद्धि के लिए अनुकूल थीं तथा गुणों की अभिव्यक्ति भी सामान्य थी।

● मसूर की कृषक किस्मों पर पर्यवेक्षण

संदर्भ किस्मों के साथ सभी 11 कृषक किस्मों में 11 कृषक किस्मों की बुवाई 11.11.2016 को की गई। मसूर/मासरा तथा देशी मसूर 1 के बीज अंकुरित नहीं हुए। अन्य 9 संदर्भ किस्मों का पर्यवेक्षण परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार विशिष्ट गुणों की अभिव्यक्ति को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया। सभी 9 कृषक किस्मों में बेमेल प्रकार के पौधों की संख्या बहुत कम थी तथा गुणों के समूहीकरण के आधार पर पौधों की संख्या समरूप थी। सभी कृषक किस्मों का अंकुरण, मसूर/मासरा और देसी मसूर-1 को छोड़कर संदर्भ किस्मों के समान सामान्य था।



3.1.19.3 दाल मटर

गुणों की अभिव्यक्ति के आधार पर दाल और सब्जी मटर की संदर्भ किस्में

क्र.सं.	गुण	उदाहरण किस्में
1.	तना : एंथोसियानिन रंग	एचएफपी 4, रचना
2.	पत्तियां : रंग	रचना, एचयूपी 2, एचयूडीपी 15, एचएफपी 8909, वीएल 3, बी 22
3.	पत्तियां : मोमिया चमक	एचएफपी 4, एचएफपी 8909, केपीएमआर 400
4.	पत्तियां : उप पत्तियां	एचयूडीपी 15, एचएफपी 4, रचना, आईपीएफ 99-25
5.	पत्ती : कक्ष का रंग	एचयूडीपी 15, रचना, बी 22
6.	अनुपत्र : खरगोश के कान के समान अनुपत्र	डीडीआर 23, बी 22, रचना, एचयूडीपी 15
7.	अनुपत्र : प्रकार	रचना, डीएमआर 7
8.	पुष्प : खिलना (दिन)	आर्केल, एनडीवीपी 24, डीडीआर 23, यूडीपी 15, एचएफपी 8909
9.	पुष्प : मानक पंखुड़ी रंग	एचयूडीपी 15, एचएफपी 4, बोनविले, 22
10.	प्रति अनुपत्र फलियों की संख्या	अर्का अजीत, एचडीपी 15, रचना
11.	फली : घुमाव	रचना, केएफपी 103
12.	फली : सुदूर भाग की आकृति	एचएफपी 4, रचना

13	फली : हरे रंग की गहनता	वीएल 3, एचएफपी 8909, डीएमआर 7, आर्केल, एचयूडीपी 15, आईपीएफडी 99-13
14	पौधा : ऊंचाई (सें.मी.)	एचएफपी 4, केपीएमआर 400, एचयूडीपी 15, एपी1, रचना केएफपी 103
15	बीज : आकृति	एचएफपी 4, रचना
16	बीज : सतह	एचयूडीपी 15, रचना, आर्केल, एपी1
17	बीज : बीज पत्र का रंग	एचयूडीपी 15, एचएफपी 4, एचएफपी 990
18	बीज : 1000 बीजों का भार (ग्रा.)	बी 22, रचना, जयंती
19	बीज : छिलके पर चित्तियां	एचयूडीपी 15, रचना
20	बीज : पार्चमेंट	एचयूडीपी 15, रचना

अनुरक्षित किस्मों की संख्या

संदर्भ किस्में	संख्या	नाम
कुल	20	एपी 1, अर्का अजीत, आर्केल, बी 22, बोनविले, डीडीआर 23, डीएमआर 7, एचएमपी 4, एचएफपी 8909, एचएफपी 9907, एचयूडीपी 15, एचयूपी 2, आईपीएफ 99-25, आईपीएफडी 99-13, जयंती, केएफपी 103, केपीएमआर 400, एनडीवीपी 24, रचना, वीएल 3
अनुरक्षित	14	अर्का अजीत, बी 22, आर्केल, आजाद पी1, डीडीआर 23, एचएफपी 4, एचएफपी 8909, एचयूडीपी 15, एचयूपी 2, आईपीएफ-99-25, जयंती, केपीएमआर 400, रचना, वीएल 3
अनुरक्षित न की गई	06	बोनविले, एचएफपी 9907, एनडीवीपी 24, डीएमआर 7, आईपीएफडी 99-13, केएफपी 103

जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जलबपुर में अनुरक्षित दाल मटर की अन्य किस्में

अन्य किस्में	संख्या	नाम
कुल	14	वीआरपी 5, जेपी 180, वीआरपी 6, पूसा प्रगति, जीएस 10, ई 6, डीडीआर 27, एपी 31, एपी 4, एपी 3, एपी 2, वीआरपी 7, अगेता 6, जेपी 885

जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में बोई गई खेत मटर की कृषक किस्में

क्र. सं.	पंजीकरण संख्या	नाम
1	2015/1764	खुशी कराई
2	2015/1231	गुल्टी मटर
3	2015/245	मटर 25
4	2015/285	देशी मटर 14
5	2015/1403	बोटारा
6	2016/1002	गच्छ दाना
7	2016/1010	कमला
8	2016/290	मखायत मुबी सलेक्शन
9	2016/1696	एनपी 20

14 संदर्भ व 09 कृषक किस्मों के बीज दिनांक 11.11.2016 को रबी 2016-17 के दौरान जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में बोए गए। यह बुवाई दिशानिर्देशों के अनुसार अनुशंसित सस्यविज्ञानी

पैकेज के अंतर्गत 5 मी. लंबी व 50 सें.मी. की दूरी पर बनी 5 कतारों में की गई। गच्छ दाना और कमला को छोड़कर अंकुरण तथा पौधों की संख्या उपयुक्ततम थे जिनमें विशिष्ट गुणों की उचित अभिव्यक्ति हुई थी। पर्यावरणीय स्थितियां सामान्य वृद्धि तथा गुणों की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल थीं। बोई गई सभी 9 कृषक किस्मों में विशिष्ट गुणों की अभिव्यक्ति को संदर्भ किस्मों के साथ रिकॉर्ड किया गया। कृषक किस्मों की बुवाई 11.11.2016 को की गई। सभी कृषक किस्मों में बेमेल प्रकार के पौधों की संख्या बहुत कम थी तथा गुणों के समूहीकरण के आधार पर पौधों की संख्या समरूप थी। सभी कृषक किस्मों में, एनपी 20 को छोड़कर, बीज की चिकनी सतह अभिव्यक्ति हुई तथा कृषक किस्म मुख्यात मूबी सलेक्शन के बीजों का बड़ा आकार रिकार्ड किया गया।



3.1.20 विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा

भा.कृ.अनु.प.— विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा अधिदेशित फसलों नामतः मक्का, सोयाबीन और राजमा के लिए जून 2002 से सह नोडल केन्द्र है। अनुरक्षण प्रजनन/लक्षण-वर्णन/डीयूएस परीक्षण के लिए फसल प्रजातियों की सूची नीचे दी गई है :

वर्ष	फसल का नाम	वंशक्रमो / मूल्यांकित किस्मों की संख्या	परीक्षणों की संख्या
2005	मक्का	61 (20 अंतरप्रजनित, 11 संकर, 30 मिश्रित)	33
	सोयाबीन	78	20
2006	सोयाबीन	83	20
	मक्का	54 (30 अंतरप्रजनित, 14 संकर, 30 मिश्रित)	31
2007	सोयाबीन	11	20
	मक्का	119 (60 अंतरप्रजनित, 19 संकर, 40 मिश्रित)	31
2008	सोयाबीन	89	20
2009	सोयाबीन	90	20
	मक्का	43 (12 संकर, 10 मिश्रित, 21 अंतरप्रजनित)	30
2010	सोयाबीन	90 (बीज प्रगुणन)	—
	मक्का	42 (12 संकर, 9 मिश्रित तथा 21 अंतरप्रजनित)	30
2011	सोयाबीन	90 (बीज प्रगुणन)	—
	मक्का	44 (14 संकर, 9 मिश्रित तथा 21 अंतरप्रजनित)	30
2012	मक्का	41 (14 संकर, 21 अंतरप्रजनित, 6 मिश्रित)	30
	सोयाबीन	91 (बीज प्रगुणन)	—
	राजमा	4 (2 कृषक किस्में)	22

2013	मक्का	38 (17 अंतरप्रजनित, 15 संकर, 6 मिश्रित)	30
	सोयाबीन	91	अनुरक्षित
	राजमा	1	.
2014	मक्का	40 (8 अंतरप्रजनित, 12 संकर तथा 20 कृषक किस्में)	30
	राजमा	3 (एक कृषक किस्म के साथ दो संदर्भ किस्में)	22
2015	मक्का	5 (2 कृषक किस्मों के साथ 3 संदर्भ किस्में)	31
	सोयाबीन	1 कृषक किस्म	22
		23	अनुरक्षित
	राजमा	7 (4 कृषक किस्मों के साथ 3 संदर्भ किस्में)	22
9		अनुरक्षित	
2016	राजमा	4 (2 अभ्यर्थी + 2 संदर्भ)	22
		11 संदर्भ किस्में	अनुरक्षित
	सोयाबीन	25 संदर्भ किस्म	अनुरक्षित

- **राजमा** : दो कृषक किस्मों नामतः पुलस्त मोठ और बेदू को दो संदर्भ किस्मों नामतः आईपीआर 98-5 और एचयूआर-15 के साथ ग्री आउट परीक्षण के लिए उगाया गया तथा राजमा पर डीयूएस परीक्षण करने हेतु राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार 22 डीयूएस परीक्षणों के लिए उनका लक्षण-वर्णन किया गया। किस्म बेदू अंकुरित नहीं हुई। राजमा के ग्री आउट परीक्षण तथा सोयाबीन संदर्भ किस्मों के रखरखाव की निगरानी फसल में फली बनने की अवस्था के दौरान संस्थान के निगरानी दल द्वारा की गई और परीक्षण संतोषजनक पाया गया।

- **अनुरक्षण के अधीन किस्मों की संख्या**

फसल प्रजातियां	किस्मों का स्रोत	किस्मों के नाम
सोयाबीन	भा.कृ.अ.प.	12 (डीएस 228, डीएस 97-12, पूसा 16, पूसा 20, पूसा 222, पूसा 24, पूसा 37, पूसा 40, एनआरसी 2, एनआरसी 7, एनआरसी 12, एनआरसी 37)
	स्वयं	7 (वीएलएस 1, वीएलएस 2, वीएलएस 21, वीएलएस 47, वीएलएस 59, वीएलएस 63, वीएलएस 65)
	अन्य (विशिष्ट)	72 (एडीटी1, अलंकार, अंकुर, बिरसा सोया 1, ब्राग, सीओ , सीओ 3, सीओ सोया 2, दुर्गा, गुजरात सोया 1, गुंजरात सोया 2, गौरव, हरा सोया, हार्दी, इम्प्रूव्ड पेलिकन, इंदिरा सोया 9, जेएस 2, जेएस 71-05, जेएस 75-46, जेएस 76-205, जेएस 79-81, जेएस 80-21, जेएस 90-41, जेएस 93-05, जेएस 95-60, जेएस 97-52, जेएस 335, केबी 79, केएचएसबी 2, कालीतुर, ली, एलएसबी 1, एमएयूएस 2, एमएयूएस 32, एमएयूएस 47, एमएयूएस 61, एमएयूएस 61-2, एमएयूएस 71, एमएयूएस 81, मोनेटा, पालम सोया, पीके 262, पीके 308, पीके 327, पीके 471, पीके 416, पी 472, पीएस 564, पीएस 1024, पीएस 1029, पीएस 1042, पीएस 1092, पीएस 1241, पीएस 1347, पीएस1368, पुजाब 1, राएयूएस 5, शैलागीत, शिवालिक, एसएल 96, एसएल 295, एसएल 525, एसएल 688, टीएएमएस 38, टीएएमएस 98, टाइप 49)
राजमा	भा.कृ.अ.प.	आईवीएफबी 1, अर्का अनूप, अर्का कोमल, सुरिधा एवं पीडीआर 14
	स्वयं	वीएल राजमा 63 तथा वीएल राजमा 125
	अन्य	एचयूआर 15, एचयूआर 137, एचयूआर 203 और एचयूआर 35

केन्द्र/संस्थान द्वारा जारी की गई किस्मों की सूची

भा.कृ.अ.प.— विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, अल्मोड़ा द्वारा जारी तथा अधिसूचित किस्में (एसओ35 दिनांक 22 नवम्बर 2016)

वीएल सोया (सोयाबीन), वीएल भट 201 (काला सोयाबीन), वीएल धान 7620 (चावल), वीएल गेहूं 953 (गेहूं), वीएल स्वीट कॉर्न (मक्का), वीएलबी 94 (जौ), वीएल मंडुआ 358 (फिगर मिलेट)

3.1.21 केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर एवं

सीएसआरएसजेएएफ, बुदबुद, वर्द्धमान

केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान का बुद बुद केन्द्र पटसन की दो प्रजातियों (कार्कोरस ओलिटोरियस एल. तथा कार्कोरस कैप्सुलेरिस एल.) के डीयूएस परीक्षण व अनुरक्षण प्रजनन के लिए उत्तरदायी है।



- डीयूएस परीक्षण का विवरण इस प्रकार है :

फसलें	नई		एफवी	कुल
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
पटसन (कार्कोरस कैप्सुलेरिस एल.)	जेआरसीएम 2	केजेसी 7	लागू नहीं	02
पटसन (कार्कोरस ओलिटोरियस एल.)	जेआरओएम-1, एनजे 7055, एनजे 7010, एनजे 7005, एनजे 7050		लागू नहीं	05
पहचानी जाने वाली प्रजातियां	लागू नहीं	कोई नहीं	कामरा पट चेका पट	02

- अनुरक्षित/लक्षण-वर्णन के अधीन किस्में

फसलें	अनुरक्षित प्रजनन के आीन किस्मों के नाम अथवा संख्या
सफेद पटसन (कार्कोरस कैप्सुलेरिस) (सं.18)	डी 154, जेआरसी 321, जेआरसी 212, जेआरसी 7447, जेआरसी 4444, यूपीसी 94, पदमा, केसी 1, केटीसी 1, जेआरसी 698, बिधान पत 1, बिधान पत 2, बिधान पत 3, जेआरसी 80, जेआरसी 517 जेआरसी 532, मोनालिसा और जेबीसी 5
तोसा पटसन (कार्कोरस ओलिटोरियस) (सं. 23)	एएयू-ओजे-1, जेबीओ-1 (सुधांगसु, जेआरओ 2407 (सम्पत्ति), सीओ-58, जेआरओ 204, आईआरए, जेआरओ 632, जेआरओ 360., जेआओ 524, जेआरओ 7835, जेआरओ 878, जेआरओ 8432, एस-19, जेआरओ 128, जेआरओ 620, चिनसुरह ग्रीन, सुदान ग्रीन, टांगिका-1, जेआरओ 2345, केओएम 62, टीजे 40 ओर बिधान रूपाली

केन्द्र ने पादप किस्म सुरक्षा प्राप्त करने के लिए पटसन के अनेक आवेदन दाखिल किए हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :

फसले	वर्ष 1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की सूची	वर्ष 2000 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की सूची	फाइल किए गए आवेदनों की संख्या			जारी किए गए प्रमाण-पत्र	लम्बित आवेदन
			अधिसूचित नई	वीसीके			
सफेद पटसन	3	8	10	4		9	1 (केजेसी 7)
तोसा पटसन	5	10	10	5	1	7	2 (बिधान रूपाली, जेआरओ 2407)

3.1.22 भा.कृ.अनु.प. – भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान तिलहन की फसलों नामतः अरण्ड (*रिसिनस कम्युनिस* एल.), सूरजमुखी (*हेलिअंथस एनस* एल.) तथा कुसुम (*कार्थेमस टिक्टोरियस* एल.) के पंजीकरण हेतु समन्वयन तथा डीयूएस परीक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2016–17 के दौरान अरण्ड की दो किस्में मानक विवरण तैयार करने के लिए खरीफ के मौसम में उगाई गई जबकि कुसुम की एक कृषक किस्म के लिए डीयूएस परीक्षण किया गया। सूरजमुखी में परीक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान 17 प्रत्याशी किस्मों पर रबी 2016–17 के दौरान परीक्षण किए गए। अरण्ड (6) और सूरजमुखी (3) की कुल 9 संदर्भ प्रविष्टियों का रखरखाव करके उनका प्रगुणन किया गया। अरण्ड की दो कृषक किस्में 9 अगस्त 2016 को बोई गई तथा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 30 डीयूएस परीक्षणों के लिए आंकड़े रिकॉर्ड किए गए।

फसलें	नई		वीसीके	एफवी
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
अरण्ड	—	—	—	2
सूरजमुखी	—	17	—	—
कुसुम	—	—	—	1

रबी 2016–17 के दौरान सूरजमुखी के तीन अलग-अलग प्रतिकृति परीक्षण दूसरे वर्ष के दौरान कुल 17 प्रत्याशी किस्मों के लिए किए गए। इन परीक्षणों के लिए बुवाई निर्धारित खाके के अनुसार 18 नवम्बर 2016 को की गई तथा फसल में पौधों की वांछित संख्या होने के अलावा सभी प्रत्याशी प्रविष्टियों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी थी। इन परीक्षणों में 8 संकर प्रत्याशियों के साथ 5 संदर्भ प्रविष्टियां शामिल थीं, 5 आर वंशक्रम प्रत्याशियों के साथ 3 संदर्भ प्रविष्टियां शामिल थीं तथा 4 ए/बी वंशक्रम प्रत्याशियों के साथ 4 संदर्भ प्रविष्टियां शामिल थीं। 30 परीक्षणों के पर्यवेक्षण डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए तथा अन्य पर्यवेक्षणों का कार्य प्रगति पर है। संकरों (16), आर-वंशक्रमों (10), ए, बी तथा अन्य प्रजनित संकरों (9) के अलावा उचित संदर्भ प्रविष्टियों से युक्त सूरजमुखी पर डीयूएस परीक्षण रबी 2015–16 के दौरान किए गए तथा कटाई उपरांत पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। यह परीक्षण पूर्ण हुआ तथा आंकड़ों का अंकीकरण किया गया।

दो संदर्भ प्रविष्टियों के साथ कुसुम की एक कृषक किस्म के परीक्षण के अंतर्गत इसकी बुवाई 26 अक्टूबर 2016 को की गई और 25 डीयूएस परीक्षणों के लिए आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। अतिरिक्त डीयूएस परीक्षणों के मूल्यांकन के लिए पांच संदर्भ प्रविष्टियों के ताजी पत्ती व बीज परीक्षण (प्रत्येक के तीन-तीन) हेतु सूरजमुखी का लक्षण-वर्णन किया गया।

पीपीवी एवं एफआरए के साथ फाइल किए गए आवेदन

फसलें	फाइल किए आवेदनों की संख्या			जारी किए गए प्रमाण-पत्र
	ईएनवी	नई	वीसीके	
अरण्ड	3	1	2	4
सूरजमुखी	8	—	—	8
कुसुम	3	—	—	3

3.1.23 भा.कृ.अनु.प. – तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर

वर्ष 2016-17 के दौरान कृषक किस्म (16), नई किस्म (1) तथा वीसीके (2) श्रेणियों के अंतर्गत कुल 19 प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण किया गया। कृषक किस्म श्रेणी के अंतर्गत उन्नीस किस्मों में से 16 ने प्रजाति भिन्नता प्रदर्शित की तथा एक किस्म का खेत में अंकुरण ही नहीं हुआ। तिलहनी ब्रैसिका अर्थात् ब्रैसिका जुंसिया (89), ब्रैसिका रापा किस्म भूरी सरसों (02), ब्रैसिका रापा किस्म तोरिया (15), ब्रैसिका रापा किस्म पीली सरसों (12), ब्रैसिका नैपस (07), ब्रैसिका केरिनाटा (05), इरूका सेटाइवा (01) के अंतर्गत कुल 131 किस्मों का रखरखाव किया गया।



- वर्ष 2016-17 के दौरान डीयूएस परीक्षण के अधीन परीक्षित किस्मों

क्र.सं.	नाम	प्रस्तावित प्रजातियां	वास्तविक प्रजातियां	श्रेणी
1	45 एस 35	बी. जुंसिया	बी. जुंसिया	नई
2	जे10801एफसी	बी. जुंसिया	बी. जुंसिया	वीसीके
3	मस्टर्ड 5222	बी. जुंसिया	बी. जुंसिया	वीसीके
4	जटा राय	बी. जुंसिया	बी. जुंसिया	एफवी
5	सुभ्रा कुसुम	बी. जुंसिया	बी. रापा किस्म पीली सरसों	एफवी
6	खातो सरसों	बी. जुंसिया	बी. रापा किस्म तोरिया	एफवी
7	लोटनी देसी	बी. जुंसिया	बी. रापा किस्म तोरिया	एफवी
8	पीला सरसो देसी	बी. जुंसिया	बी. रापा किस्म पीली सरसों	एफवी
9	पीला – एम	बी. जुंसिया	बी. रापा किस्म पीली सरसों	एफवी
10	लोटनी – एम	बी. जुंसिया	बी. रापा किस्म तोरिया	एफवी
11	पीला सरसो – 1	बी. जुंसिया	बी. रापा किस्म पीली सरसों	एफवी
12	रेहे पीला सरसों	बी. जुंसिया	बी. रापा किस्म पीली सरसों	एफवी
13	बीसा सरसों	बी. जुंसिया	बी. जुंसिया	एफवी
14	सदा दीपक	बी. जुंसिया	अंकुरण नहीं	एफवी
15	पीला लोटनी	तोरिया	बी. टोर्नेफोर्टी	एफवी
16	लोटनी – के	बी. जुंसिया	बी. जुंसिया	एफवी
17	शेरू	बी. जुंसिया	बी. जुंसिया	एफवी
18	लोडनी	बी. जुंसिया	बी. जुंसिया	एफवी
19	लोकनी	बी. जुंसिया	बी. जुंसिया	एफवी

3.1.24 भा.कृ.अनु.प. – भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी

भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (टमाटर, बैंगन, भिण्डी, फूलगोभी, बंदगोभी, सब्जी मटर, सेम, लौकी, करेला, कद्दू और खीरा) के अंतर्गत डीयूएस केन्द्र का प्रबंध कर रहा है।

3.24.1 वर्ष 2016–17 के दौरान सब्जी फसलों के डीयूएस परीक्षण

किस्म का प्रकार	नई		वीसीके	एफवी	कुल
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष			
भिण्डी	2	24	6	—	32
बैंगन	7	19	2	6	34
फूलगोभी	4	17	1	8	30
बंदगोभी	7	2	—	—	9
टमाटर	2	25	2	4	33
लौकी	—	—	—	4	4
करेला	—	—	3	5	8
खीरा	12	7	—	—	19
कद्दू	—	—	—	1	1
कुल	34	94	14	28	170

- निरीक्षण दल द्वारा किए गए मुख्य पर्यवेक्षण इस प्रकार हैं :
 - **कद्दू** : कृषक किस्म नामतः कोहरा नं.1 में फल नहीं लगे।
 - **लौकी** : साधेर लाउ तथा सृजना लौकी किस्मों के बीच अंकुरित नहीं हुए जबकि लौकी चित्तीदार में फल नहीं लगे। गोला किस्म की समष्टि समरूप नहीं थी।
 - **करेला** : देशी-बी और छोटू करेला किस्म के बीज अंकुरित नहीं हुए जबकि देशी-2 में फल नहीं लगे।
 - **फूलगोभी** : सुमन, जलधर, जलधर-3 और बाकलसा-सी किस्मों के बीज अंकुरित नहीं हुए। था एनिमाखई चाबी और अजितगढ़ सलेक्शन किस्मों की समष्टि समरूप नहीं थी।
 - **बैंगन** : गोल कांटा मकरा किस्म के बीज अंकुरित नहीं हुए जबकि कांटा बैंगन किस्म की समष्टि समरूप नहीं थी।

फसल	संदर्भ किस्म की संख्या	आकृतिविज्ञानी परीक्षणों की संख्या
टमाटर	97	46
बैंगन	86	47
भिण्डी	42	31
फूलगोभी	04	28
बंदगोभी	03	28
सब्जी मटर	41	21
सेम की फली	25	22
खीरा	25	34
करेला	26	31

लौकी	31	31
कद्दू	25	30
कुल	405	

अनुरक्षण/लक्षण-वर्णन के अधीन किस्में

टमाटर, भिण्डी, बैंगन, फूलगोभी, बंदगोभी, सब्जी मटर, सेम, लौकी, करेला, कद्दू, खीरा और परवल की संदर्भ किस्में भा.कृ.अ.प. के विभिन्न संस्थानों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से एकत्रित की गई। इन फसलों की सभी किस्मों को 3 प्रतिकृतियों में बेतरतीब ब्लॉक डिजाइन (आरबीडी) में बोया गया तथा इनका सहोदरकरण/स्वनिषेचन के माध्यम से अनुरक्षण किया जा रहा है। इन फसलों की अनेक किस्में अनुरक्षित की गई तथा उनके आकृतिविज्ञानी विवरणों को देखा जा रहा है जिन्हें सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

टमाटर : भा.कृ.अ.प.— भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी में टमाटर की 97 किस्में अनुरक्षित की गई। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों नामतः भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली; भा.कृ.अ.सं., क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई; आईआईवीआर, वाराणसी; बीसीकेवी, कल्याणी; सीएसएयूए और टी, कानपुर; डीएआरआई, पितौरागढ़; जीबीपीयूए और टी, पंतनगर; एचएयू, हिसार; एचएआरपी, रांची.; आईआईएचआर, बंगलुरु; जेएयू, जूनागढ़; केएयू, वेल्लानिकारा; एनडीयूए और टी, फैजाबाद; ओयूए और टी, भुवनेश्वर; पीएयू, लुधियाना; टीएनएयू, कोयम्बतूर; वाईएसपीयूएचएफ, सोलन; एमपीकेवी, राहुड़ी और एसकेयूएस और टी, जम्मू से एकत्र की गई थीं।

इन किस्मों को उचित अनुरक्षण कार्यक्रम के साथ वर्ष 2016-17 के खरीफ-रबी मौसम के दौरान अनुशंसित सस्यविज्ञानी विधियों का उपयोग करके उगाया गया। बेमेल पौधों की छंटाई की गई तथा केवल सच्चे पौधों का स्वनिषेचन कराया गया तथा अनुरक्षण के लिए उनके बीज निकाले गए।

बैंगन : विभिन्न केन्द्रों से एकत्र की गई बैंगन की 86 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों अर्थात् आईएआरआई, नई दिल्ली (10), आईआईवीआर वाराणसी (7), अंगारू, हैदराबाद (2), सीएसएयूए और टी, कानपुर (7), जेएयू, जूनागढ़ (3), जीबीपीयूए और टी, पंतनगर (1), एचएआरपी, रांची (8), आईआईएचआर, बंगलुरु (9), जेएनकेवी, जबलपुर (10), केएयू, वेल्लानिकारा (3), ओयूए और टी, भुवनेश्वर (5), पीएयू, लुधियाना (4), पीडीकेवी, अकोला (1), आरएयू, समस्तीपुर (1), टीएनएयू, कोयम्बतूर (7), बीसीकेवी कल्याणी पश्चिम बंगाल (1), सीएचईएस, भुवनेश्वर (1), एचएयू, हिसार (1), नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद, नेपाल (1), बंगलादेश (1), एमपीकेवी, राहुड़ी (2), एनईएच बड़ापानी (1) से एकत्र की गई थी।



किस्में		
अन्नामलई	जीओबी-1	पूसा अंकुर
अर्का केशव	ग्रीन लॉग क्लस्टर	पूसा अरूप
अर्का क्रांति	गुलाबी	पूसा बिंदु
अर्का कुशमाकर	हिसार श्यामल	पूसा क्रांति
अर्का निधि	आईबीएल- 116-135	पूसा पर्पल क्लस्टर
अर्का नीलकंठ	जेबी-15	पूसा पर्पल लॉग
अर्का शील	जेबी-6	पूसा श्री

अर्का श्रीष	जेबी-65	पूसा श्यामल
अर्का श्री	जेबी-67	राजेन्द्र बैंगान-2
अरुणा	जेबी-80	राम नगर जाइंट (ओ)
औसरे	जेबीजीआर-1	राम नगर जाइंट (ओ)
आजाद ब्रिजल-1	जेबीएल-01	आरसीएमबीएल-1
आजाद ब्रिजल-2	जेबीएल-03-04	रुचिरा
आजाद ब्रिजल-3	जेबीएल-116, 113	एसबी-1
आजाद ब्रिजल-4	काशी तारु	स्वर्ण प्रतिभा
बीसीबी-30	मंजरी गोला	स्वर्ण श्यामली
भाग्यमति	एमडीयू-1	स्वर्ण सोभा
बीआर-14	नुर्की	स्वर्णमणी
सीएच-1045	पंत रितुराज	स्वेता
सीएचबीआर-2	पीएलआर-1	टीआरबी-9
सीओ-1	पीआर-5	उत्कल ज्योति
सीओ-2	प्रगति	उत्कल केशरी
डीबीआर-3	पंजाब बरसाती	उत्कल माधुरी
डीबीआर-31	पंजाब मोती	उत्कल तरिणी
डीबीआर-8	पंजाब नगीना	उत्तरा
डीआरकेएनवी- 29	पंजाब सदाबार	
जीजेबी-2	सूर्या	
कल्याणपुर टी-3	स्वर्ण अबिलम्ब	
काशी प्रकाश	स्वर्ण अजय	

फसल उचित अनुरक्षण तथा स्वनिषेचन कार्यक्रम के साथ वर्ष 2016-17 के खरीफ-रबी मौसम के दौरान अनुशासित सस्यविज्ञानी विधियों का उपयोग करके उगाई गई। बेमेल पौधों की छंटाई की गई और केवल सच्चे पौधों का स्वनिषेचन कराया गया तथा बीज निकालने के लिए उनका अनुरक्षण किया गया।

भिण्डी : डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के रूप में विभिन्न केन्द्रों से भिण्डी की 42 किस्में एकत्र की गई तथा उनका अनुरक्षण किया गया। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों से एकत्र की गई थीं जैसे आईएआरआई, नई दिल्ली (3), आईआईवीआर, वाराणसी (13), जेएयू जूनागढ़ (4), एचएयू हिसार (5), एमपीकेवी, राहुड़ी (2), पीएयू लुधियाना (2), सीएसएयू और टी, कानपुर (5), बीएयू साबौर (1), आईआईएचआर, बंगलुरु (2), केएयू वेल्लानिकारा (1), ओयू और टी, भुवनेश्वर (3), टीएनएयू कोयम्बतूर (1), एनडीयू और टी, फैजाबाद (1)।



किस्में		
अर्का अभय (आईआईएचआर-एसईएल-4)	एचआरबी-55	पूसा मखमली
अर्का अनामिका (आईआईएचआर-10)	जेबीएस-2	पूसा स्वानी
आजाद भिंडी-1	काशी लालिमा	एसबी-2
आजाद भिंडी-2	काशी लीला (आईआईवीआर-11)	एसबी-8
आजाद भिंडी-3	काशी सतधारी	सुश्रीरा (ईई-286-1)
आजाद भिंडी-4	काशी वरदान	उत्कल गौरव (बीओ-2)

बीओ-2	केएस- 442	वर्षा उपहार
बीओ-13	एनडीटी-10	वीआरओ-3 (काशी मोहिनी)
सीओ-2	एनओ-136	वीआरओ-4 (काशी मंगली)
डी-1-87-5	एनओ 315	वीआरओ-5 (काशी विभुति)
जीजेओ-3	पंत ए-4	वीआरआ-6 (काशी प्रगति)
जीओ-3 (जेएनडीओएल-3-1)	फुले उत्कर्ष (जीके-आईवी-3-3-3)	
हिसार नवीन (एचआरबी-107-4)	पंजाब पदमिनी	
एचआरबी-231	पंजाब-8	

फसल को उचित अनुरक्षण तथा स्वनिषेचन कार्यक्रम के साथ 2016 के खरीफ मौसम के दौरान सिफारिश की गई सस्यविज्ञानी विधियों का उपयोग करके उगाया गया। बेमेल पौधों की छटाई की गई और केवल सच्चे पौधों का स्वनिषेचन कराते हुए अनुरक्षण के लिए बीज निकाले गए।

फूलगोभी : फूलगोभी की चार किस्मों (पूसा पौषजा, व्हाइट डायमंड, पूसा शुक्ति और पूसा शरद) को डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के रूप में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (सब्जी फसलें) से एकत्र किया गया। ये किस्में आईएआरआई, नई दिल्ली (2) और आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई (2) से एकत्र की गई थी।

फसल वर्ष 2016-17 के दौरान सर्दियों के मौसम में सिफारिश की गई सस्यविज्ञानी विधियों का उपयोग करके उगाई गई। आंकड़े डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए।

बंदगोभी : बंदगोभी की तीन किस्में नामतः पूसा अगेती, पूसा अगेती (उष्ण कटिबंधी) तथा किन्नेर रेड आईएआरआई क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई से एकत्र की गई। इसकी फसल वर्ष 2016-17 के सर्दियों के मौसम के दौरान अनुशंसित सस्यविज्ञानी विधियों का उपयोग करके उगाई गई। डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़े एकत्रित किए गए।



सब्जी मटर : डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के रूप में विभिन्न केन्द्रों से सब्जी मटर की 41 किस्में एकत्र की गईं और उनका रखरखाव किया गया। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों नामतः आईएआरआई (क्षेत्रीय केन्द्र) कटराई (3), आईआईवीआर, वाराणसी (6), आईआईएचआर, बंगलुरु (3), डीएआरएल, पिथौरागढ़ (1), एनडीयूए और टी, फ़ैजाबाद (2), जीबीपीयूए और टी, पंतनगर (2), एचएयू, हिसार (2), एचएआरपी, रांची (2), पीएयू, लुधियाना (4), एमपीकेवी, राहुड़ी (1), डॉ. वाईएसपीएचयू और एफ, सोलन (1), वीपीकेएस, अल्मोड़ा (10), सीएसएयूए और टी, कानपुर (4) से एकत्र की गईं थी।

किस्में	
एपी-5	पीबी-88
अर्का अजीत	पीएच-1
अर्का कार्तिक	फुले प्रिया
अर्का सम्पूर्ण	सोलन निरोग
आर्केल	स्वर्णा अमर
आजाद-3	स्वर्णा मुक्ति
आजाद पी-1	विवेक मटर-10

बोन बिला	विवेक मटर-11
डीएनपीवी-10	विवेक मटर-7
हिसार हरित	विवेक मटर-8
आईपी-3	विवेक मटर-9
केएस 601	वीएल-8
लिनकन	वीएल 3
एमए-6	वीएल-अगेती मटर-7
मीठी फली	वीएल-मटर 6
एनडीवीपी-10	वीआरपी-22
एनडीवीपी-250	वीआरपी-6
पंत मटर-2	वीआरपी-7
पंत उपहार	वीआरपी-7
पीबी-89	पीआरपीएमआर-9
	पीआरपीएमआर-11

फसल वर्ष 2016-17 के रबी मौसम में सिफारिश की गई सस्यविज्ञानी विधियों का उपयोग करके उगाई गई। बेमेल पौधों की छंटाई की गई तथा केवल सच्चे पौधों का रखरखाव किया गया तथा बीज निकाले गए। प्रत्येक किस्म से बीजों को निकालकर उन्हें सुखाने व उनका उपचार करने के पश्चात् भंडारित किया गया।



सेम : डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के रूप में सेम की 25 किस्मों का रखरखाव किया गया। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों अर्थात् आईएआरआई, नई दिल्ली (2), आईएआरआई क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई (3), आईआईवीआर, वाराणसी (2), डॉ. वाईएसपीएच और एफ, सोलन (4), एमपीकेवी, राहुड़ी (1), बीएचयू, वाराणसी (2), सीएसएयूए और टी, कानपुर (1), सीएचईएस, रांची (3), वीपीकेएस, अल्मोड़ा (3), आईआईएचआर, बंगलुरु (3) और आईआईपीआर, कानपुर (1) से एकत्र की गई थीं।

किस्में (झाड़ी प्रकार)	किस्में (बेल प्रकार)
अर्का अनूप	एचएएफबी-2
अर्का बोल्लड	एचएएफबी-3
अर्का सुविधा	केंदुकी वंडर
आजाद राजमा-1	लक्ष्मी
कटेंडर	फुले सुयश
एचयूआर-137	पूसा हेमलता
एचयूआर 15	पूसा हिमालय
आईपीआर-96-4	आरसीएमएफबी-1
काशी परम	एसवीएम-1
पीडीआर-14	स्वर्ण लता
पूसा पर्वती	यूएचएफबी-30
स्वर्ण प्रिया	
वीएल बीन-2	
वीएल बौनी बीन-1	

फसल उचित रखरखाव के साथ वर्ष 2016-17 के रबी मौसम के दौरान सिफारिश की गई सस्यविज्ञानी विधियों का उपयो करके उगाई गई। बेमेल पौधों की छंटाई गई तथा केवल सच्चे पौधों का रखरखाव किया गया तथा आगे रखरखाव के लिए बीज निकाले गए।

कद्दू : कद्दू की 25 किस्में विभिन्न केन्द्रों से एकत्र की गई तथा उनका संदर्भ किस्मों के रूप में रखरखाव किया गया। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों, नामतः आईएआरआई, नई दिल्ली, आईआईएचआर, बंगलुरु, आईआईवीआर, वाराणसी, एएयू, आनंद; सीएसएयूए और टी, कानपुर; एचएआरपी, रांची; पीएयू, लुधियाना; एनडीयूए और टी, फैजाबाद; केएयू, केरल; और टीएनएयू, कोयम्बतूर से एकत्र की गई।

वर्ष 2016 के दौरान निम्न किस्में उगाई गई :

किस्में	
बीएस-13-01	सीओ-01
स्वर्णा अमृत	पूसा विकास
वीआरपीके-222-2-1	नरेन्द्र उपकार
नरेन्द्र अग्रिम	पंजाब सम्राट
पीआरपीके-05-01	वीआर खोरा
आनंद पम्पकिन	वीआरपीके 09-01
पूसा विश्वास	पीआरपीके-07-01
केपीएस- 1	सीएम-350
सीओ-2	वीआरपीके-62
नरेन्द्र अमृत	काशी हरित
एचएआरपी-04	अर्का चंदन
आजाद कद्दू	सीएम-71
एचएआरपी-10	

फसल उचित अनुरक्षण तथा स्वनिषेचन कार्यक्रम के साथ ग्रीष्म, 2016 के दौरान सिफारिश की गई सस्यविज्ञानी विधियों का उपयोग करके उगाई गई। बेमेल पौधों की छंटाई की गई और सच्चे प्रकार के पौधों का रखरखाव किया गया।

लौकी : डीयूएस परीक्षण के लिए लौकी की 31 किस्में विभिन्न केन्द्रों से एकत्र की गई तथा उनका संदर्भ किस्मों के रूप में रखरखाव किया गया। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों जैसे आईएआरआई, नई दिल्ली (4), आईआईवीआर, वाराणसी (6), आईआईएचआर, बंगलुरु (1), एएयू, आनंद (1), बीसीकेवी, कल्याणी, पश्चिम बंगाल (1), सीएसएयूए और टी, कानपुर (2), एसकेयूए और टी, जम्मू (2), एचएयू, हिसार (1), पीएयू, लुधियाना (2), जीबीपीयूए और टी, पंतनगर (2), एनडीयूए और टी, फैजाबाद (6), एमपीकेवी, राहुड़ी (1), आरएयू, समस्तीपुर (1) और टीएनएयू, कोयम्बतूर (1) से एकत्र की गई थी।

वर्ष 2016 के दौरान निम्न किस्में उगाई गई :

किस्में		
एबीजी-11	एनडीबीजी-132	वीआर-1
अर्का बहार	एनडीबीजी-619	वीआर-2
सीओ-1	पंत लौकी-1	वीआरबीजी-136
जीएच-22	पंत लौकी-3	वीआरबीजी-6

जोरा बोट्टा	पंजाब कोमल	वीआरबीजी-7
कल्याणपुर लौंग ग्रीन	पंजाब लौंग	सम्राट
काशी गंगा	पूसा नवीन	जेबीजी-50
केबीजीआर-12	पूसा समृद्धि	जेबीजी-51
नरेन्द्र धारीदार	पूसा संदेश	एनडीबीजी-10
नरेन्द्र ज्योति	पूसा संतुष्टि	
नरेन्द्र रश्मि	राजेन्द्र चमत्कार	

फसल उचित अनुरक्षण तथा स्वनिषेचन कार्यक्रम के साथ ग्रीष्म, 2016 के दौरान सिफारिश की गई सस्यविज्ञानी विधियों का उपयोग करके उगाई गई। बेमेल पौधों की छंटाई की गई और सच्चे प्रकार के पौधों का रखरखाव किया गया।

करेला : डीयूएस परीक्षण के लिए करेले की 25 किस्में विभिन्न केन्द्रों से एकत्र की गई तथा उनका रखरखाव किया गया। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों जैसे आईएआरआई, नई दिल्ली (3), आईआईवीआर, वाराणसी (1), आईआईएचआर, बंगलुरु (1), बीसीकेवी, कल्याणी, पश्चिम बंगाल (1), सीएसएयूए और टी, कानपुर (2), केएयू, वेल्लानिकारा (1), एनडीयूए और टी, फैजाबाद (2), एमपीकेवी, राहुड़ी (3), पीएयू, लुधियाना (1), डॉ. वाईएसपीएच और एफ, सोलन (1), टीएनएयू, कोयम्बतूर (1), एचएआरपी, रांची (2), जीबीपीयूए और टी, पंतनगर (2) से एकत्र की गई थी। ग्रीष्म, 2016 के दौरान निम्न किस्में उगाई गई :

किस्में		
अर्का हरित	अर्का उर्वशी	पंजाब-14
बीबीजीएस-09-01	मेघना-2	पूसा-दो-मौसमी
सीओ-1	एनडीबीटी-7	पूसा विशेष
डीएआरएल-43	एनडीबीटी-9	सैल-1
डीबीजीएस-37	पंत करेला-1	सैल-5
एचएबीजी-21	पीबीआईजी-02	सोलन हरा
एचएबीजी-22	फुले ग्रीन गोल्ड	वीआर-333
हिरकानी	फुले उज्ज्वला	
कल्याणपुर बारहमासी	प्रीति (एमसी-84)	

फसल उचित अनुरक्षण तथा स्वनिषेचन कार्यक्रम के साथ ग्रीष्म, 2016 के दौरान सिफारिश की गई सस्यविज्ञानी विधियों का उपयोग करके उगाई गई। बेमेल पौधों की छंटाई की गई और सच्चे प्रकार के पौधों का रखरखाव किया गया।

खीरा : खीरा की 26 किस्मों को डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के रूप में विभिन्न केन्द्रों से एकत्र किया गया तथा उनका रखरखाव किया गया। ये किस्में विभिन्न केन्द्रों अर्थात् आईएआरआई, नई दिल्ली (5), एचएआरपी, रांची (3), बीसीकेवी, कल्याणी (2), जीबीपीयूए और टी, पंतनगर (4), एमपीकेवी, राहुड़ी (2), पीएयू, लुधियाना (1), डॉ. वाईएसपीएच और एफ, सोलन (2), एसकेयूए और टी, जम्मू (1), आईआईवीआर, वाराणसी (3), सीएसएयूए और टी, कानपुर (2) तथा एएयू, गुजरात (1) से एकत्र की गई।



वर्ष 2016 के दौरान निम्न किस्में उगाई गई :

किस्म		
फुले शुभांगी	जेएलजी (कबीरा)	डीसी-54
पंजाब नवीन	पंत खीरा-1	डीसी-78
स्वर्णा अगेती	कुकुम्बर लॉग ग्रीन	सेवन स्टार
स्वर्ण पूर्णा	पीसीयूसी-09	देव कमल
स्वर्णा शीतल	पीसीयूसी-10	गोआ लोकल
हिमांगी	केटीसीएस-07	गुजरात कुकुम्बर लॉग
के-75	नं. 374	जीसीयू 1
के-90	वीआरसी-26	पूसा उदय
कल्याणपुर ग्रीन	वीआर-101	

फसल उचित अनुरक्षण तथा स्वनिषेचन कार्यक्रम के साथ ग्रीष्म, 2016 के दौरान सिफारिश की गई सस्यविज्ञानी विधियों का उपयोग करके उगाई गई। बेमेल पौधों की छंटाई की गई और सच्चे प्रकार के पौधों का रखरखाव किया गया।

केन्द्र में किसानों व छात्रों तथा एक स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों व स्टाफ के लाभ के लिए 25 मार्च 2017 को प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 125 लोगों ने भाग लिया और डॉ. बी. सिंह, निदेशक (आईआईवीआर), डॉ. ए.बी. राय (अध्यक्ष, फसलोत्पादन), डॉ. सुधाकर पाण्डे (प्रधान वैज्ञानिक), डॉ. टी. चौबे (प्रधान वैज्ञानिक), डॉ. शैलेश कुमार तिवारी (वैज्ञानिक) द्वारा व्याख्यान दिए गए।

3.24.2 वर्ष 2016-17 के दौरान दाखिल किए गए आवेदन

फसलें	किस्म का नाम
सब्जी मटर	काशी अगेती (वीआरपीई-25)
भिण्डी	काशी वर्धन (वीआरओ-25)
मिर्च	काशी सुर्ख (सीसीएच-2), काशी अनमोल (केए-2), काशी गौरव (वीआर-338)
पैपरिका	काशी सिंदूरी (आईवीपीबीसी-535)
कद्दू	काशी हरित (आईवीपीके-226)
खरबूजा	काशी मधु (आईवीएमएम-03)
टमाटर	हाशी विशेष (एच-86), काशी अमृत (डीवीआरटी-1), काशी अनुपम (डीवीआरटी-2), काशी हेमंत (आईआईवीआर सैल-1), काशी शरद (आईआईवीआर-सैल-2)
बैंगन	काशी संदेश (वीआरबीएचआर-1), काशी तारु (आईवीबीएल-9)
लौकी	काशी बहार (वीआरएच-1), काशी गंगा (डीबीबीजी-1)

3.1.25 भ.कृ.अनु.प. – भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु

भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अनु.प.) का सब्जी विज्ञान विभाग सब्जी फसलों नामतः सब्जी चौलाई, पालक, तोरई, टमाटर, बैंगन, भिण्डी, लौकी, केरला, कद्दू और खीरा का तब से सह नोडल केन्द्र है जब से इन फसल प्रजातियों को अधिसूचित किया गया था।

3.1.25.1 सब्जी चौलाई, पालक और तोरई

वर्ष 2016-17 के दौरान तोरई की एक प्रविष्टि की डीयूएस लक्षण-वर्णन के लिए बुवाई की गई तथा डीयूएस निगरानी फरवरी 2017 में की गई।

अनुरक्षण अधीन संदर्भ किस्मों की सूची

फसलें	किस्मों की संख्या	वर्ष 2016-17 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत संदर्भ किस्मों का नाम
चौलाई (एमरेंथस ट्राइकलर)	19	अर्का सुगना, अर्का समरक्षा, अर्का वर्णा, अर्का अरुणिमा, आईआईएचआर-109-1, आईसी-51606, आईसी-551607, आईसी-551608, पूसा कीर्ति, पूसा किरन, पूसा लाल चौलाई, रेणुश्री, कैनरा लोकल, सीओ-1, सीओ-2, सीओ-3, सीओ-4, सीओ-5, आरएनए-1
पालक (बीटा वल्गेरिस किस्म बैंगालेंसिस)	5	अर्का अनुपमा, एचएस-23, पूसा भारती, आल ग्रीन, सीओ-1
तोरई (लुफा एक्वटेंगुला)	9	अर्का सुजत, अर्का सुमीत, जयपुर लॉग, पूसा नसदार, पूसा नूतन, सीओ-1, फुले सुचेता, जीएआरजी-1, दीप्ति

अर्का सुगना और अर्का अनुपमा के लिए पौधा किस्म सुरक्षा मांगते हुए केन्द्र ने आवेदन दाखिल किए।

3.1.25.2 टमाटर, बैंगन, भिण्डी, लौकी, करेला, कद्दू और खीरा

वर्ष 2016-17 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण इस प्रकार है :

फसलें	नई		वीसीके	एफवी
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
टमाटर	02	25	02	04
बैंगन	07	21	02	05
भिण्डी	02	31	06	—
खीरा	03	19	12	—
करेला	—	—	03	—

टमाटर : चार कृषक किस्मों तथा 06 संदर्भ किस्मों सहित टमाटर की 39 किस्मों को वर्ष 2016-17 के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 47 आकृतिविज्ञानी गुणों के लिए डीयूएस परीक्षण करने हेतु उगाया गया। इन सभी प्रविष्टियों का डीयूएस परीक्षणों के लिए लक्षण-वर्णन किया गया तथा डीयूएस प्रविष्टियों की निगरानी डॉ. एन.मोहन, सेवानिवृत्त प्रधान वैज्ञानिक, सब्जी फसलें प्रभाग, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु की अध्यक्षता में दिनांक 13.01.2017 को की गई। जिन बीज कंपनियों ने पीपीवी और एफआरए में अपनी प्रविष्टियों को डीयूएस परीक्षण हेतु पंजीकृत किया था उनके प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

बैंगन : पांच कृषक किस्मों व 13 संदर्भ किस्मों सहित कुल 48 किस्मों पर वर्ष 2016-17 के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 47 आकृतिविज्ञानी गुणों के लिए डीयूएस परीक्षण किया गया। डीयूएस प्रविष्टियों की निगरानी डॉ. एन.मोहन, सेवानिवृत्त प्रधान वैज्ञानिक, सब्जी फसलें प्रभाग, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु की अध्यक्षता में दिनांक 13.01.2017 को की गई। जिन बीज कंपनियों ने पीपीवी और



एफआरए में अपनी प्रविष्टियों को डीयूएस परीक्षण हेतु पंजीकृत किया था उनके प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में भाग लिया। :



भिण्डी : भिण्डी की 49 प्रविष्टियों का डीयूएस परीक्षणों के लिए लक्षण-वर्णन किया गया तथा डीयूएस प्रविष्टियों की निगरानी डॉ. ओ.पी. दत्ता, पूर्व अध्यक्ष, सब्जी फसलें प्रभाग, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु की अध्यक्षता में दिनांक 02.11.2016 को की गई। छह कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में भाग

लिया। :

खीरा : खीरा की 34 प्रविष्टियों का डीयूएस परीक्षणों के लिए लक्षण-वर्णन किया गया तथा डीयूएस प्रविष्टियों की निगरानी डॉ. ए.टी. सदाशिवा, अध्यक्ष एवं प्रधान वैज्ञानिक, सब्जी फसलें प्रभाग, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु की अध्यक्षता में दिनांक 17.05.2016 को की गई। दो कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में भाग लिया। :

करेला : करेले की 3 प्रविष्टियों का डीयूएस परीक्षणों के लिए लक्षण-वर्णन किया गया तथा डीयूएस प्रविष्टियों की निगरानी डॉ. ओ.पी. दत्ता, पूर्व अध्यक्ष, सब्जी फसलें प्रभाग, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु तथा प्रतिष्ठित खीरा प्रजनक की अध्यक्षता में दिनांक 28.04.2016 को की गई।



निजी कंपनियां फसल तथा डीयूएस निगरानी के निष्पादन से संतुष्ट थीं तथा उन्होंने सुझाव दिया कि जहां सभी पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए जाने हों, वहां डीयूएस विवरणों को पैमाने के साथ विस्तार से वर्णन करते हुए उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि विभिन्न लोगों के द्वारा रिकॉर्ड किए गए पर्यवेक्षणों में एकरूपता हो।

अनुरक्षण/लक्षण-वर्णन के अधीन किस्में

फसलें	वर्ष 2016-17 के दौरान अनुरक्षण प्रजनन के अधीन किस्मों की संख्या
टमाटर	28 (आईआईएचआर जारी-8, भा.कृ.अ.प.-9 और एसएयू-11)
बैंगन	34 (आईआईएचआर जारी-7, भा.कृ.अ.प.-19 और एसएयू-15)
भिण्डी	19 (आईआईएचआर जारी-2, 17- अन्य (भा.कृ.अ.प.+एसएयू)
खीरा	12 अन्य (भा.कृ.अ.प.+एसएयू)
कद्दू	11 (आईआईएचआर जारी-1, 10-अन्य (भा.कृ.अ.प.+एसएयू)
घीया	18 (आईआईएचआर जारी-1, 17-अन्य (भा.कृ.अ.प.-6+एसएयू-11)
करेला	16 (आईआईएचआर जारी-1, 15-अन्य (भा.कृ.अ.प.-4 + एसएयू-11)

फसलें	वर्ष 1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	वर्ष 1999 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	फाइल किए गए आवेदनों की सं.		
			ईएनवी	नई	वीसीके
टमाटर	1	6	-	1	-
बैंगन	4	3	-	.	.

भिण्डी	—	2	—	—	—
कद्दू	1	—	—	—	—
लौकी	1	—	—	—	—
करेला	1	—	—	—	—

3.1.25.3 मिर्च, शिमला मिर्च और पैपरिका (कैप्सिकम एनम एल.)

भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का सब्जी विज्ञान प्रभाग अनेक कैप्सिकम प्रजातियों के लिए डीयूएस केन्द्र है और यहां जिन अनुरक्षण प्रजननों/लक्षण-वर्णनों का कार्य सम्पन्न किया गया है वे निम्नानुसार हैं :

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत (स्वयं जारी की गई/भा.कृ.अ.प./रा.कृ.वि.)
कैप्सिकम एनम एल.	95	आईआईएचआर द्वारा जारी, भा.कृ.अ.प./रा.कृ.वि.

वित्त वर्ष 2016-17 में डीयूएस परीक्षण किए जाने वाली किस्मों की संख्या

फसलें	नई		वीसीके	एफवी	कुल
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष			
मिर्च	47	—	62	4	113

- 47 नई और 62 वीसीके विद्यमान किस्मों सहित 113 उन प्रत्याशी किस्मों का 55 गुणों के लिए आकृतिविज्ञानी लक्षण-वर्णन किया गया जो सभी निजी उद्योगों से प्राप्त हुई थीं। इनके साथ ही इस अवधि के दौरान 22 संदर्भ किस्मों का भी परीक्षण किया गया।
- मिर्च, शिमला मिर्च और पैपरिका की 95 संदर्भ किस्में अनुरक्षित की गईं।
- फैंडरल प्लांट वेरायटी ऑफिस से आए जर्मन प्रतिनिधि मंडल ने मई 2016 में पीपीवी और एफआरए के अधिकारियों के साथ परीक्षण प्लॉटों का दौरा किया।
- फसल की निगरानी डॉ. ओ.पी. दत्ता, पूर्व अध्यक्ष, सब्जी विज्ञान प्रभाग, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान की अध्यक्षता में दिनांक 21 और 22 अक्टूबर, 2017 को की गईं।
- इस प्रकार एकत्र किए गए आंकड़ों को पीपीवी और एफआरए द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वरूप के अनुसार सारणीबद्ध किया जा रहा है।
- इस अवधि के दौरान चार नई और चार वीसीके किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल किए गए हैं।



नई/वीसीके/विद्यमान अधिसूचित/कृषक किस्में

फसलें	बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित किस्में	वे किस्में जिनके पंजीकरण के आवेदन दाखिल किए गए
मिर्च	अर्का सुफल, अर्का लोहित, अर्का मेघना, अर्का हरिता	अर्का सुफल, अर्का लोहित, अर्का मेघना, अर्का हरिता
	—	आईआईएचआर 3287 (ए और बी वंशक्रम), आईएचआर 3289, अर्का स्वेता, आईएचआर 3285 (ए और बी वंशक्रम)

3.1.26 भा.कृ.अनु.प. – भा.कृ.अ.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई

यह केन्द्र मध्य पछेती समूह के अंतर्गत फूलगोभी तथा बंदगोभी के डीयूएस परीक्षण के लिए सह-नोडल केन्द्र है। वर्ष 2016-17 के दौरान बंदगोभी की दो किस्मों नामतः चार्ली और चेकमेट का 3 संदर्भ किस्मों नामतः गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता और पूसा कैबेज 1 (केजीएमआर-1) के साथ अगस्त के महीने में उनके परीक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान डीयूएस परीक्षण किया गया। डीयूएस निगरानी दिसम्बर 2016 में की गई। इसके अतिरिक्त अन्य अधिसूचित किस्मों नामतः पूसा ड्रम हैड, पूसा अगेती, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ एशिया, एमआर-1, रेड रॉक मैमथ, 83-1, किन्नेर रैड, 6ए और सी-121 का रखरखाव करते हुए उनके बीजों को प्रगुणित किया गया।

फूलगोभी की अधिसूचित किस्में नामतः पूसा स्नोबाल-1, पूसा स्नोबाल के-1, पूसा स्नोबाल के-25, स्नोबाल-16 और पूसा हिमज्योति को शुद्ध करते हुए अनुरक्षित किया गया।

• पीपीवी और एफआरए में दाखिल किए गए आवेदनों का विवरण

फसलें	वर्ष 1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	वर्ष 2001 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या			जारी किए गए प्रमाण-पत्र
			विद्यमान अधिसूचित	नई	वीसीके	
बंदगोभी	4	1	1	—	—	1
फूलगोभी	5	1	1	—	—	—
टमाटर	5	—				
बैंगन	2	—				
खीरा	1	—				
शिमला मिर्च और पैपरिका	4	—				
प्याज	1	—				
भिण्डी	2	—				
तरबूज	1	—				
सेम	4	—				

3.1.27 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (पुष्पविज्ञान) इकाई, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, कृषि महाविद्यालय परिसर, गणेशखिंड, पुणे

• वर्ष 2016-17 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसल	नई		वीसीके	एफवी
	प्रथम वर्ष			
गुलाब	2 (निजी क्षेत्र की किस्म)		2 (निजी क्षेत्र की किस्म)	—
चाइना एस्टर	शून्य		शून्य	—

• अनुरक्षण/लक्षण-वर्णन के अधीन किस्में

फसलें	अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों का नाम या उनकी संख्या
गुलाब	संदर्भ किस्म : फर्स्ट रोज, बोनेर, ताजमहल, भागती
चाइना एस्टर	संदर्भ किस्म : आईआईएचआर से 4 किस्में + एनएआरपी, पुणे से 4 किस्में

3.1.28 भा.कृ.अनु.प. – राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, पाकयांग, सिक्किम

भा.कृ.अनु.प. – राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र अधिसूचित प्रजातियों नामतः *कैम्ब्रिडियम*, *डेंड्रोबियम*, *वाण्डा*, *फैलीनॉप्सिस*, *कैटेलिया*, *ऑन्सिडियम*, *पैफियोपेडिलम* और *मोकारा* के लिए नोडल केन्द्र है। इसके केन्द्र ने प्रजाति स्तर पर ऑर्किड के समरूप तथा अनोखे दिशानिर्देश विकसित किए हैं तथा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों में महत्वपूर्ण गुणों के रंगीन फोटोग्राफ शामिल किए हैं।

फसलें	अनुरक्षित की जा रही किस्मों/अंतःप्रजातीय संकरों की संख्या
<i>कैम्ब्रिडियम</i>	25
<i>डेंड्रोबियम</i>	12
<i>वाण्डा</i>	15
<i>फैलीनॉप्सिस</i>	30
<i>कैटेलिया</i>	9
<i>ओन्सीडियम</i>	30
<i>पैफियोपेडिलम</i>	10
<i>मोकारा</i>	7

भा.कृ.अनु.प.– राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, पाकयांग, सिक्किम के सम्मेलन कक्ष में 11 मार्च 2017 को डीयूएस परियोजना के अंतर्गत 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम' पर एक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम भा.कृ.अ.प.–एनआरसीओ 'किसान मेला 2017' के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 25 प्रतिनिधियों, 50 किसानों तथा 25 विज्ञान के छात्रों सहित कुल 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- पीपीवी और एफआरए में दाखिल किए गए आवेदन

फसलें	दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या		
	ईएनवी	नई	वीसीक
ऑर्किड	लागू नहीं	लागू नहीं	6

वर्ष 2017–18 के लिए योजना

- कैम्ब्रिडियम, डेंड्रोबियम, वाण्डा, फैलीनॉप्सिस, कैटेलिया, ऑन्सिडियम, पैफियोपेडिलम और मोकारा की सदंर्भ किस्मों का रखरखाव और प्रगुणन।
- मोकारा ऑर्किड के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास
- अधिसूचित प्रजातियों (*कैम्ब्रिडियम*, *डेंड्रोबियम*, *वाण्डा*, *फैलीनॉप्सिस*, *कैटेलिया*, *ऑन्सिडियम*, *पैफियोपेडिलम* और *मोकारा*) की पादप सामग्री प्राप्त होने पर प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस परीक्षण।

3.1.29 भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर

भा.कृ.अनु.प.– केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर पोम तथा गुठलीदार फलों नामतः अखरोट, बादाम, सेब, नाशपाती, आड़ू, आलूबुखारा, खुबानी, चेरी तथा स्ट्राबेरी के लिए नोडल केन्द्र है।

फसलें	अनुरक्षण प्रजनन के अधीन किस्मों की संख्या
अखरोट	92
बादाम	28
सेब	80
नाशपाती	21

आड़ू	30
आलूबुखारा	25
खुबानी	17
चेरी	10
स्ट्राबेरी	107

भा.कृ.अनु.प.- केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर में अनुरक्षित किस्मों/जीनप्ररूपों की सूची

सेब की संदर्भ किस्में			
कोए रेड फ्यूजी	ईसी-539451	टोप रेड	ईसी-539452
ग्रैनी स्मिथ	किंग हैसिकस	टाइडमेंस अर्ली वर्ससेस्टर	वेलथी एप्पल
स्पार्टन	एएएस/जीपी/बीएसपी/13	बेनोमी	इंडो
विस्टा बेला	एएएस/जीपी/बीएसपी/09	पिंक लेडी	केसरी
फ्यूजी	चनपोरा सलेक्शन	हर्दीमैन	ईसी-38735
स्टारक्रिम्सन	ईसी-83683	लैक्सटोन फोरच्यून	एमसी-स्पर
मोलिस डिलेसियस	ईसी-539449	प्राइमा	फ्लोरिना
कूपर-IV	एएएस/जीपी/बीएसपी/04	सुमेररेड	अन्ना
अमेरिकन एपिरॉग	ईसी-539457	रिच-ए-रैड	माई गोल्ड-एच 15
सिल्वर स्पर	स्टार क्रिम्सन गोल्ड	स्कारलेट गाला	विल्सन रेड जून
गोल्डन डेलिसियस	जोनिका	मिकाल	वांस डेलिसियस
फिरदौस	अर्ली एमसी-इंटोश	जून इटिंग	एंटोनोव्का
रेड फ्यूजी	ईसी-539446	रेड बैरोन	एम. फ्लोरीबंडा
गोल्ड स्पर	मायान	लाल अम्ब्री	ईसी-239451
रेड चीफ	ईसी-539450	अम्ब्री	जोनाथन
सीरीन	टेलीसेरे	विंटर कामर्सियल	ईसी-539447
ओरेगॉन स्पर	लैमन गार्ड	स्काइलॉन सुप्रीम	ईसी 539448
रॉयल डेलिसियस	ब्लैक बैन डेविस	ग्रीन स्लीक्स	ईसी-539453
रेड गोल्ड	स्टार समर गोल्ड	रोम ब्यूटी	मैलस बकाटा
रेड डेलिसियस	स्टारकिंग डेलिसियस	वैल स्पर	एम. फ्लोरीबंडा

नाशपाती की संदर्भ किस्में	
बटीरा गिफार्ड	मैक्स रेड बार्टलेट
प्यासुआ बेहापा	सेवेरेंटा
डोयेने-डू-कोमाइस	कोसिया-सी
सांत्या ब्रास्केज	कोसिया-एफ
रेड बार्टेट	बिहे
हैवर्ड	रेड मैक्स
गैंट ड्राउआर्ड	मैक्स रैड
विलियम बार्टलेट	बेउरे हार्डी
स्टारक्रिम्शन	काफ्रेंस
जैड एच कोपोसीसी	जागॉनेले
कश्मीरी नाख	-

आड़ू/नेट्राइन की संदर्भ किस्में		
पेशावरी	पेराडीलक्स	साउथ लेंड
क्वेटा	अर्ली रेड जून	एनजी-2
फ्लोरडेसम	कांटो-5	जुलाई एल्बर्टा
फर्टेलिया	ग्लोहैवन	शान-ए-पंजाब

वांस मसूरी	क्रेस्टहैवन	स्नो क्रेस्ट
सिल्वर किंग	रेड ग्लोब	वांस मार्बल
अर्ली ग्रांडे	फंटेसिया	सीआईटीएच सैल-3
सीआईटीएच सैल-2	स्नोक्वीन	मेफेयर
सीआईटीएच सैल-1	एल्बर्टा	फायर प्रिंस
सनक्रस्ट	के-27791	एनजी-1

आलूबुखारा की संदर्भ किस्में		
क्वीन इन	बरबैंक	रेड प्लम
कुबियो प्लम	ब्लैक एम्बर	मोनार्क
मिथली	ब्लैक प्लम	कुबियो-26
क्रैसिविका	ग्रैंड ड्यूक	सांता रोजा
प्रून	ब्यूटी	ब्लैक ब्यूट
कांटो-5	मैरिपोसा	प्रेसिडेंट प्लम
एयू-रोजा	टारोल	इटैलियन प्लम
ग्रीनगेज	रेड ब्यूट	
एयू-चेरी	फ्रंटियर	

चेरी की किस्में	
बिगारीन नैपोलियन	स्टेला
बिगारीन-नॉयल ग्रेसो	मखमली
बिंग	लैपिनस
अव्वल नम्बर	स्वीट हार्ट
लैम्बर्ट	वैन

खुबानी की संदर्भ किस्में		
बालकोटा	चाइनीज़ एप्रिकॉट	फेयरमेडसेस्टर
हर्कोट	टिल्टन एप्रिकोट	वाइवा गोल्ड
इरानी	टोकपापा निमू	अफगानी
न्यू कास्ले	आस्ट्रेलियन	कम्युनिस होली
टकी	नारी	कम्युनिस
हर्टली	रीवल एप्रिकॉट	

बादाम की संदर्भ किस्में	
आईएक्सएल	सीआईटीएच-आलमोंड-9
मर्सेड	सीआईटीएच-आलमोंड-10
नॉन-पेरिल	सीआईटीएच-आलमोंड-11
प्राइमरोस्कीज़	सीआईटीएच-आलमोंड-12
प्रयांज	सीआईटीएच-आलमोंड-13
कैलिफोर्निया पेपर शैल	सीआईटीएच-आलमोंड-14
ड्रेक	सीआईटीएच-आलमोंड-15
वारिस	सीआईटीएच-आलमोंड-16

मखदूम	सीआईटीएच-आलमोंड-17
शालीमार	सीआईटीएच-आलमोंड-18
सीआईटीएच-आलमोंड-1	सीआईटीएच-आलमोंड-5
सीआईटीएच-आलमोंड-2	सीआईटीएच-आलमोंड-6
सीआईटीएच-आलमोंड-3	सीआईटीएच-आलमोंड-7
सीआईटीएच-आलमोंड-4	सीआईटीएच-आलमोंड-8

अखरोट की संदर्भ किस्में			
ओपेक्स कौलचेरी	सीआईटीएच-डब्ल्यू-55	सीआईटीएच-डब्ल्यू-17	सीआईटीएच-डब्ल्यू-78
चेइनोवो	सीआईटीएच-डब्ल्यू-56	सीआईटीएच-डब्ल्यू-18	सीआईटीएच-डब्ल्यू-79
टटेल	सीआईटीएच-डब्ल्यू-57	सीआईटीएच-डब्ल्यू-19	सीआईटीएच-डब्ल्यू-80
फ्रैंक्वीटे	सीआईटीएच-डब्ल्यू-58	सीआईटीएच-डब्ल्यू-22	सीआईटीएच-डब्ल्यू-81
नुगेट	सीआईटीएच-डब्ल्यू-59	सीआईटीएच-डब्ल्यू-23	सीआईटीएच-डब्ल्यू-82
हैम्डेन	सीआईटीएच-डब्ल्यू-60	सीआईटीएच-डब्ल्यू-24	सीआईटीएच-डब्ल्यू-83
सुलेईमैन	सीआईटीएच-डब्ल्यू-61	सीआईटीएच-डब्ल्यू-25	सीआईटीएच-डब्ल्यू-84
सीआईटीएच-डब्ल्यू-1	सीआईटीएच-डब्ल्यू-62	सीआईटीएच-डब्ल्यू-26	सीआईटीएच-डब्ल्यू-85
सीआईटीएच-डब्ल्यू-2	सीआईटीएच-डब्ल्यू-63	सीआईटीएच-डब्ल्यू-27	सीआईटीएच-डब्ल्यू-86
सीआईटीएच-डब्ल्यू-3	सीआईटीएच-डब्ल्यू-64	सीआईटीएच-डब्ल्यू-28	सीआईटीएच-डब्ल्यू-87
सीआईटीएच-डब्ल्यू-4	सीआईटीएच-डब्ल्यू-65	सीआईटीएच-डब्ल्यू-31	सीआईटीएच-डब्ल्यू-48
सीआईटीएच-डब्ल्यू-5	सीआईटीएच-डब्ल्यू-66	सीआईटीएच-डब्ल्यू-32	सीआईटीएच-डब्ल्यू-49
सीआईटीएच-डब्ल्यू-6	सीआईटीएच-डब्ल्यू-67	सीआईटीएच-डब्ल्यू-33	सीआईटीएच-डब्ल्यू-50
सीआईटीएच-डब्ल्यू-7	सीआईटीएच-डब्ल्यू-68	सीआईटीएच-डब्ल्यू-34	सीआईटीएच-डब्ल्यू-51
सीआईटीएच-डब्ल्यू-8	सीआईटीएच-डब्ल्यू-69	सीआईटीएच-डब्ल्यू-35	सीआईटीएच-डब्ल्यू-52
सीआईटीएच-डब्ल्यू-9	सीआईटीएच-डब्ल्यू-70	सीआईटीएच-डब्ल्यू-40	सीआईटीएच-डब्ल्यू-53
सीआईटीएच-डब्ल्यू-10	सीआईटीएच-डब्ल्यू-71	सीआईटीएच-डब्ल्यू-41	सीआईटीएच-डब्ल्यू-45
सीआईटीएच-डब्ल्यू-11	सीआईटीएच-डब्ल्यू-72	सीआईटीएच-डब्ल्यू-42	सीआईटीएच-डब्ल्यू-46
सीआईटीएच-डब्ल्यू-12	सीआईटीएच-डब्ल्यू-73	सीआईटीएच-डब्ल्यू-43	सीआईटीएच-डब्ल्यू-47
सीआईटीएच-डब्ल्यू-13	सीआईटीएच-डब्ल्यू-74	सीआईटीएच-डब्ल्यू-44	सीआईटीएच-डब्ल्यू-54
सीआईटीएच-डब्ल्यू-14	सीआईटीएच-डब्ल्यू-75	सीआईटीएच-डब्ल्यू-16	सीआईटीएच-डब्ल्यू-77
सीआईटीएच-डब्ल्यू-15	सीआईटीएच-डब्ल्यू-76	--	--

स्ट्राबेरी की संदर्भ किस्में			
दिल पसंद	सीएच-40	ईसी-439587	आईसी-319137
रेड क्रॉस	सेलेक्सन-नं.-5	ईसी-362601	आईसी-319117
लार्सन	आईसी-319133	आईसी-319139	ईसी-571812
कामा रोज़ा	स्वीस-2	स्वीट हार्ट	आईसी-319147
एलस्टा	आईसी-19096	आईसी-319143	आईसी-319123
एंथी	आईसी319098	तियोगा	कैफरा
फियाना	आईसी319101	आईसी319107	स्वीट चैलिट
बंगलौरा	आईसी319105	मोस्टोडैम	काउफेक्यूटा
डोगलस	लुकुंडा	आईसी319153	
मेजेस्टिक	आईसी319115	आईसी318915	
फिनोमेनल	आईसी319113	रियर गाउर्ड	
शास्टा	आईसी318915	आईसी340594	
ब्लैक मोर	शीट मास्टर	आईसी340596	
हीरा	जुलिकोट लोकल	टीसी- ईसी	
ब्राइटन	आईसी319135	ईसी-102642	
हावर्ड	आईसी319138	ईसी-571813	
मिशनरी	ईसी431388	आईसी 319131	

किम्बर्ले	ईसी-362602	ईसी- 319105
तिलमोक	आईसी-.319132	सीएच 111
बैलरुबी	ईसी-362589	आईसी 319141
रैड गाउर्ड	सीएच-32	रेड कोट
दाना	जेएफ- 2	नॉर्थ वेस्ट
लैसन	पेरिनियल	आईसी 319147
रियर गाउर्ड-52	आईसी319103	आईसी 319149
स्विस	आईसी319107	वाइल्ड
रोयल राउंड	आईसी319111	वाइल्ड लोकल
टोरी	आईसी319117	आईसी 319174
रेड ग्राउंड	आईसी318916	केटास्कैल
कटरैन स्वीट	आईसी318936	फ्लोरिडा
चांडलेर	एडी	ईसी-439586
संगा संगाना	मेकवांज	जुलीकोट लोकल
	आईसी319136	ईसी- 22355
	ईसी-439590	ईसी-971812
		ईसी- 439591

पीपीवी और एफआरए में दाखिल किए गए आवेदन

फसलें	दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या
अखरोट	05
सेब	01

वर्ष 2017-18 के लिए योजना

- नई प्रविष्टियों (प्रत्याशी किस्मों) का डीयूएस परीक्षण
- अखरोट, चेरी, खुबानी की किस्मों के पंजीकरण हेतु पीपीवी और एफआरए में आवेदन दाखिल करना
- भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर में राष्ट्रीय जीन बैंक में संदर्भ किस्मों का रखरखाव करना।
- गुणों के स्थायित्व की जांच के लिए संदर्भ किस्मों का लक्षण-वर्णन करना।
- किसानों को कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु पीपीवी और एफआरए में जागरूकता एवं प्रशिक्षण
- मोनोग्राम का प्रकाशन

3.1.30 भा.कृ.अ.प. - राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, पुणे

- संदर्भ किस्मों का रखरखाव

Y ट्रेलाइस पर साधे गए डॉगरिच मूलवृत्त पर कुल 61 संदर्भ किस्मों की कलम लगाई गई। इनमें से 14 किस्मों में वर्ष 2016-17 के दौरान फल लगने की अवस्था आ गई। इन सभी किस्मों को वानस्पतिक गुणों के लिए परखा गया। संदर्भ किस्मों की सूची नीचे दी गई है : अम्बे सीडलेस, अंगूर कलां, अर्का कंचन, अर्का स्वेता, अर्कावती, बी 69, ब्यूटी सीडलेस, ब्लैक चम्पा, ब्लैक राउंड, कोबर्नेट साउविग्नॉन, कटावबा, सेंटीनियल, चम्पानेल, कार्डोने, चेसलास ब्लांक (सफेद मीठा), चीना साहेबी, क्रिसमस रोज, सिन्सॉट, काउंकोट, कान्वेंट लॉर्ज ब्लैक,

क्रिमसन सीडलैस, डिलाइट, डायमंड जुबली, फंटासी सीडलैस, फ्लेम सीडलैस, गोल्डर क्वीन, ग्रेनाके नॉयर, गुलाबी, एसाबेला, इटेलिया, जाओस बेलीई, कट्टा कुरगन, किशमिश चेर्नीई, किशमिश रोजोविश, मंजरी नवीन, मोरो सीडलैस, मार्बेइन सीडलैस, माउरवेद्रे, एनआरसीजी-ए8-3, पर्ल और कसावा, पर्लेट, पिनाॅट नॉयर, पूसा उर्वशी, रेड ग्लोब, रेड मस्कट, रेड प्रिंस, रेइसलिंग, आर.आर. सीडलैस, रूबिरेड, सुविग्नॉन ब्लॉक, शरद सीडलैस, शिराज, सिरियस, सोनाका, स्पिन साहेबी, सुपीरियर सीडलैस, थॉम्पसन सीडलैस, उगनी ब्लांक, *विटिस फ्लेक्साउसास* और वाल्थम क्रॉस।

- मूल वृंत पौधों का रखरखाव

रोपे गए मूल वृंतों को नियमित सस्यविज्ञानी विधियों जैसे उर्वरक देना, सिंचाई करना, निराई-गुड़ाई-सधाई आदि को अपनाते हुए उगाया गया। मूल वृंतों को कांट-छांटकर उनमें डीयूएस परीक्षण के लिए प्रत्याशी किस्म की स्वस्थाने कलम लगाने के लिए केवल 2 स्वस्थ प्ररोह बने रहने दिए गए।

भा.कृ.अ.प.-राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, पुणे में डॉ. एस.डी. सावंत, निदेशक, भा.कृ.अ.प.-राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, पुणे के निदेशक की अध्यक्षता में 26 अक्टूबर 2016 को 'अंगूर में डीयूएस परीक्षण के लिए दिशानिर्देश व किस्मों का पंजीकरण' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें अंगूर उगाने वाले किसानों, वैज्ञानिकों, अनुसंधान अध्येताओं आदि सहित लगभग 26 व्यक्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान किस्म के पंजीकरण के बारे में तकनीकी विवरणों के महत्व, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण, पंजीकरण प्रक्रियाओं, डीयूएस के महत्व व डीयूएस परीक्षण के लिए दिशानिर्देशों के तकनीकी विवरणों से युक्त प्रपत्र स्थानीय भाषा (मराठी) में अंगूर उगाने वालों के बीच बांटे गए, ताकि वे अंगूर की किस्मों के पंजीकरण के बारे में समझ सकें तथा किस्म की पंजीकरण प्रक्रिया से परिचित हो सकें।

3.1.31 भा.कृ.अ.प.- केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर (तरबूज एवं खरबूज)

वर्ष 2016 के गर्मी के मौसम के दौरान भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर में तरबूज की 06 वीसीके का डीयूएस परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त तरबूज की 08 संदर्भ किस्मों तथा खरबूजे की 13 किस्मों की किस्मों का रखरखाव भी किया गया।

- डीयूएस परीक्षण की गई तरबूज की किस्में

किस्में	वीसीके
एनडब्ल्यूएच-801, एनडब्ल्यूएच-802, एनएफएस-606, एनएफएस-607, एनएफएस-608, एनएफएस-609	06

- वर्ष 2016-17 के दौरान अनुरक्षित किस्में

फसलें	अनुरक्षित किस्मों के नाम
तरबूज (<i>सिट्रलस लेनेटस</i> (थन्ब.) मांसफ.)	चार्ल्सटन ग्रे, असाही यमातो, अर्का माणिक, सुगर बेबी, दुर्गापुरा लाल, दुर्गापुरा केसर, एएचडब्ल्यू-90, एएचडब्ल्यू-65 और थार मानक
खरबूजा (<i>क्यूक्यूमिस मैलो</i> एल.)	अर्का जीत, अर्का राजहंस, एमएचवाई-3, एमएचवाई-5, आरएम-43, आरएम-50, दुर्गापुरा मधु, काशी मधु, पूसा मधुरस, जीएमएम-3, पंजाब सुनहरी और हरा मधु

अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों का नाम व उनकी संख्या

लक्षण वर्णन अधीन किस्में : संख्या 8 : जोधपुर 1 से जोधपुर 8

संख्या 25 : बनारसी कड़का, बनारसी पेवांडी, छुहारा, छुहारा बावल, धार्की नं.1, गोला, गुलारवासी, इलायची, जोगिया, कैथाली, काला गोला, काठा फल, किशमिश, लाखन, महरून, मुंडिया, नरमा, रेशमी, सफेदा रोहतक, सफेदा सलेक्शन, सानौर-5, सैब, टिकाडी, उमरान, जैडजी-3 (अनुबंध-II)



3.1.32 भा.कृ.अ.प. – केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर (बेर)

भा.कृ.अ.प.– केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर भारतीय बेर के डीयूएस परीक्षण का भी सह-नोडल केन्द्र है।

- अनुरक्षण/लक्षण-वर्णन के अधीन किस्में



किस्मों का नाम	रोपण सामग्री स्रोत
छुहारा	काजरी, जोधपुर
बनारसी कड़क	काजरी, जोधपुर
बनारसी पावंडी	काजरी, जोधपुर
छुहारा बावल	आईएआरआई, नई दिल्ली
धार्की नं. 1	एमपीकेवी, राहुड़ी
गोला	काजरी, जोधपुर
गुलारवासी	काजरी, जोधपुर
इलायची	काजरी, जोधपुर
जोगिया	काजरी, जोधपुर
कैथाली	एफआरएस, बहादुरगढ़

काला गोला	सीसीएसएचएयू, हिसार
काठा फल	एफआरएस, बहादुरगढ़
किशमिश	आईएआरआई, नई दिल्ली
लाखन	आईएआरआई, नई दिल्ली
मेहरून	एमपीकेवी, राहुड़ी
मुंडिया	काजरी, जोधपुर
नरमा	सीसीएसएचएयू, हिसार
रेशमी	काजरी, जोधपुर
सफेदा रोहतक	सीसीएसएचएयू, हिसार
सफेदा सलेक्शन	सीसीएसएचएयू, हिसार
सानुर-5	काजरी, जोधपुर
सेव	काजरी, जोधपुर
तिकाडी	काजरी, जोधपुर
उमरान	काजरी, जोधपुर
जैडजी-3	काजरी, जोधपुर

बेर की किस्मों की विविधता

क्र. सं.	किस्म	वृद्धि स्वभाव	पत्ती की आकृति	आधार पत्ती की प्रकृति	पत्ती की लंबाई (सें.मी.)	शाखा का कटीलापन	फल की आकृति	गूदा : टीएसएस : अम्ल अनुपात
1	जोधपुर-1	अर्ध सीधा	प्रतिअंडाकार	नुकीला	8.9	मध्यम	गोल	31.60
2	जोधपुर-2	अर्ध सीधा	अंडाकार	मुथरा	9.8	मध्यम	गोल	36.19
3	जोधपुर-3	सीधा	प्रतिअंडाकार	नुकीला	8.1	उच्च	गोल	28.24
4	जोधपुर-4	सीधा	प्रतिअंडाकार	नुकीला	11	उच्च	गोल	29.02
5	जोधपुर-5	अर्ध सीधा	अंडाकार	मुथरा	8.5	मध्यम	अंडाकार	35.65
6	जोधपुर-6	अर्ध सीधा	अंडाकार	गोल	9.2	मध्यम	अंडाकार	30.37
7	जोधपुर-7	अर्ध सीधा	प्रतिअंडाकार	नुकीला	9.6	मध्यम	अंडाकार	29.06
8	जोधपुर-8	अर्ध सीधा	अंडाकार	मुथरा	7.9	मध्यम	अंडाकार	38.18

बेर की किस्मों की पत्ती के गुण

क्र. सं.	किस्म	पत्ती के गुण						
		पत्ती की नोक की प्रकृति	पत्ती के आधार की पत्ती	पत्ती की लंबाई (सें.मी.)	पत्ती की चौड़ाई (सें.मी.)	पत्ती का घुमाव	पत्ती की आकृति	पत्ती की निचली सतह पर रोमिलता का घनत्व
1	छुहारा	मुथरी	चौड़ी	7.21	7.56	उपस्थित	अंडाकार	सघन रोमिल
2	गोला	मुथरी	चौड़ी	7.85	7.54	उपस्थित	अंडाकार	सघन रोमिल
3	इलायची	मुथरी	चौड़ी	6.97	6.88	उपस्थित	अंडाकार	विरल रोमिल
4	जोगिया	नुकीली	चौड़ी	7.40	6.97	अनुपस्थित	हृदयाकार	विरल रोमिल
5	मेहरून	नुकीली	चौड़ी	5.73	5.25	उपस्थित	हृदयाकार	सघन रोमिल
6	उमरान	मुथरी	चौड़ी	8.82	7.76	उपस्थित	अंडाकार	विरल रोमिल
7	छुहारा बावल	नुकीली	चौड़ी	8.81	8.39	उपस्थित	हृदयाकार	विरल रोमिल
8	बनारसी कड़क	मुथरी	चौड़ी	9.52	6.49	उपस्थित	अंडाकार	विरल रोमिल

9	बनारसी पावंडी	मुथरी	चौड़ी	8.79	7.16	उपस्थित	अंडाकार	सघन रोमिल
10	धार्की नं. 1	नुकीली	चौड़ी	6.86	5.57	अनुपस्थित	अंडाकार	सघन रोमिल
11	गुलारवासी	मुथरी	चौड़ी	9.25	6.78	उपस्थित	अंडाकार	विरल रोमिल
12	कैथली	मुथरी	चौड़ी	10.31	7.49	उपस्थित	हृदयाकार	सघन रोमिल
13	काला गोला	मुथरी	चौड़ी	5.44	6.11	अनुपस्थित	हृदयाकार	सघन रोमिल
14	काठा फल	मुथरी	चौड़ी	8.88	7.62	उपस्थित	हृदयाकार	सघन रोमिल
15	किशमिश	चौड़ी	नुकीली	8.83	5.45	अनुपस्थित	प्रतिअंडाकार	सघन रोमिल
16	लाखन	मुथरी	चौड़ी	7.37	7.96	अनुपस्थित	अंडाकार	विरल रोमिल
17	मुडिया	मुथरी	चौड़ी	9.34	7.57	उपस्थित	अंडाकार	सघन रोमिल
18	नरमा	मुथरी	चौड़ी	8.46	7.12	उपस्थित	अंडाकार	विरल रोमिल
19	रेशमी	मुथरी	चौड़ी	8.25	6.01	उपस्थित	अंडाकार	विरल रोमिल
20	सफेदा रोहतक	मुथरी	चौड़ी	5.97	5.07	अनुपस्थित	अंडाकार	सघन रोमिल
21	सफेदा सलेक्शन	मुथरी	चौड़ी	8.17	5.83	अनुपस्थित	अंडाकार	सघन रोमिल
22	सानुर 5	मुथरी	चौड़ी	6.96	5.62	अनुपस्थित	हृदयाकार	विरल रोमिल
23	सेव	नुकीली	चौड़ी	7.06	6.77	अनुपस्थित	हृदयाकार	सघन रोमिल
24	टिकडी	मुथरी	चौड़ी	6.85	5.81	अनुपस्थित	हृदयाकार	चिकना
25	जैडजी-3	मुथरी	चौड़ी	6.76	6.29	अनुपस्थित	अंडाकार	विरल रोमिल

3.1.33 केन्द्रीय औषधीय एवं सगंधीय पौधा संस्थान, लखनऊ

सीएसआईआर- केन्द्रीय औषधीय एवं सगंधीय पौधा संस्थान, लखनऊ चार अधिसूचित फसलों नामतः मेंथाल पुदीना (मेंथा आर्वेन्सिस), सदाबहार (कैथेरेंथस रोजियस), दमस्क गुलाब (रोज़ा दमासेना) और ब्रह्मी (बाकोपा मोनिएरी) का डीयूएस केन्द्र है।

• वर्ष 2016-17 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसलें	नई	
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां
मेंथा आर्वेन्सिस	—	एक (सीआईएम- क्रांति)

• अनुरक्षण/लक्षण-वर्णन अधीन किस्में

फसलें	अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों की संख्या और नाम	
	संख्या	नाम
मेंथाल पुदीना (मेंथा आर्वेन्सिस)	10	कोसी, एमएएस-1, कालका, शिवालिक, गोमती, हिमालय, सक्षम, कुशल, सीआईएमएपी सरयू, सीआईएम क्रांति
सदाबहार (कैथेरेंथस रोजियस)	3	धवल, निर्मल, प्रबल
दमस्क गुलाब (रोज़ा दमासेना)	4	रानी साहिबा, नूरजहां, अलीगढ़, कन्नौज

ब्रह्मी (बैकोपा मोनिएरी)	2	सीआईएम-जागृति, सुबोधक
--------------------------	---	-----------------------

पीपीवी और एफआरए में दाखिल किए गए आवेदन

फसलें	वर्ष 1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	वर्ष 2001 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या		
			ईएनवी	नई	वीसीके
मेंथाल पुदीना (मेथा आर्वेन्सिस)	11	5	1 (सीआईएम – क्रांति)	–	–
सदाबहार (कार्थेमस रोजियस)	3	3	–	–	–
दमस्क गुलाब (रोज़ा दमासेना)	2	2	–	–	–
ब्रह्मी (बैकोपा मोनिएरी)	2	2	–	–	–

मेंथाल पुदीने की सीआईएम-क्रांति किस्म के दो स्थानों नामतः सीएसआईआर-सीआईएमएपी, लखनऊ तथा सीआईएमएपी अनुसंधान केन्द्र, पंतनगर में डीयूएस परीक्षण किए गए हैं।

3.1.34 भा.कृ.अनु.प.- केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कैसरगोड

भा.कृ.अनु.प.- केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कैसरगोड नारियल (कोकस न्यूसीफेरा एल.) के लिए नोडल केन्द्र है।

• अनुरक्षण प्रजनन की गई किस्मों की संख्या

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत (स्वयं जारी की गई/भा.कृ.अ.प./एसएयू)
नारियल	11	भा.कृ.अ.प. – सीपीसीआरआई

संदर्भ/जारी की गई/विद्यमान किस्मों नामतः चौघाट ओरेंज ड्वार्फ, वेस्ट कोस्ट टाल, चौघाट ग्रीन ड्वार्फ, मलायन येलो ड्वार्फ, मलायन ओरेंज ड्वार्फ, गंगाबोंडम ग्रीन ड्वार्फ, कल्परक्षा, कल्प धेनु, कल्प प्रतिभा, कल्प मित्रा, चन्द्र कल्प, केरा चन्द्र, कल्प तरु की लगभग 20 बीज गिरियां डीयूएस परीक्षण हेतु पौध तैयार करने के लिए पॉलीबैग में उगाई गई। अंकुरण का समय नोट किया गया तथा पौध की वृद्धि संबंधी गुण रिकॉर्ड किए गए।

वर्ष 2013 के दौरान विभिन्न अंतरालों (4 मी. x 4 मी. और 6 मी. x 6 मी.) पर रोपी गई जननद्रव्य प्रविष्टियां तथा जारी की गई किस्में डीयूएस विवरण आंकड़े तैयार करने व लक्षण-वर्णन के लिए वृद्धि संबंधी गुणों की रिकॉर्डिंग हेतु अनुरक्षित की गई। शैशव काल के वृद्धि संबंधी गुण (ताड़ की ऊंचाई, मोटाई, पत्ती की कुल लंबाई, पर्णवृत्त की लंबाई, पौधे पर वृक्ष लगने वाले भाग की लंबाई, उप पत्तियों की गणना, उप पत्तियों की लंबाई, उप पत्तियों की चौड़ाई तथा वर्ष के दौरान उत्पन्न हुई पत्तियों की संख्या) रिकॉर्ड किए गए। कुछ गुणों के लिए उपचारों के बीच उल्लेखनीय अंतर विश्लेषण के दौरान नोट किए गए। ताड़ की ऊंचाई, पर्णवृत्त की लंबाई, पौधे के पत्ती लगने वाले भाग की लंबाई तथा कुल लंबाई कल्प मित्र में उल्लेखनीय रूप से उच्चतर थे, जबकि चौघाट ओरेंज ड्वार्फ में ये निम्न थे। चन्द्र कल्प में अधिक उप पत्तियां पाई गईं और इन उप पत्तियों की

लंबाई भी अध्ययन की गई अन्य किस्मों की तुलना में अधिक थी, जबकि कल्प धेनु में उल्लेखनीय रूप से चौड़ी उप पत्तियां रिकॉर्ड की गईं। एक वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली पत्तियों की संख्या में भी काफी भिन्नता देखी गई। चौघाट ओरेंज ड्वार्फ में अधिक पत्तियां उत्पन्न हुईं जबकि वेस्ट कोस्ट टाल में पत्तियों का उत्पादन उल्लेखनीय रूप से कम था। 4 मी. x 4 मी. की नजदीक कतारों में लगे पौधों में पत्ती की लंबाई व पौधे की ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक थी, जबकि दो अंतरालों में वृद्धि संबंधी गुणों में पर्याप्त भिन्नता देखी गई। इसी प्रकार, 6 मी. x 6 मी. की कतारों में लगे पौधों में पत्ती उत्पादन व उप पत्ती की चौड़ाई उच्चतर थे। वर्तमान वर्ष के दौरान कल्परक्षा, कल्प प्रतिभा, कल्प मित्रा, चन्द्र कल्प, केरा चन्द्रा, केरा संकरा और कल्प तरु में पुष्प लगने शुरू हो गए (रोपाई के 36–39 माह बाद)।

आंकड़ों के विकास की दृष्टि से सात संदर्भ किस्मों में पुष्पक्रम व फलों के गुणों के संबंध में डीयूएस गुण रिकॉर्ड किए गए। ग्यारह किस्मों में पौधे के स्कंध की मोटाई 10.5 सें.मी. (डब्ल्यूसीटी) से 16 सें.मी. (केरा चन्द्रा) के बीच भिन्न-भिन्न थी लेकिन इंगित किए गए समूह नारियल पर डीयूएस परीक्षण करने के लिए निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार इस प्रकार थे : निम्न (<8), मध्यम (8–12) और उच्च (>12)। इससे पुरानी अवस्थाओं के पुनः वर्गीकरण की आवश्यकता तथा इस गुण के लिए उदाहरण किस्मों में इसे नोट किए जाने का संकेत मिलता है।

● पंजीकरण के लिए दर्ज किए गए आवेदन

फसल	श्रेणी	स्थिति
नारियल	विद्यमान अधिसूचित	6- जारी किए गए प्रमाण पत्र
नारियल	कृषक	10 - लम्बित
नारियल	विद्यमान वीसीके	5. - स्थल पर परीक्षण के लिए अनुशंसित 2 - लम्बित
नारियल	नई	1 - लम्बित
नारियल	विद्यमान	2 - लम्बित

● नई / वीसीके / विद्यमान अधिसूचित / कृषक किस्में :

फसलें	बीज अधिनियम 1966 (1992 से) के अंतर्गत अधिसूचित किस्म	पंजीकरण के लिए दर्ज किए गए आवेदन	जारी किए गए प्रमाण-पत्र
कल्प संकारा	हां	हां	जारी किए गए
कल्प मित्रा	हां	हां	जारी किए गए
कल्प धेनु	हां	हां	जारी किए गए
कल्प श्री	हां	हां	जारी किए गए
कल्प रक्षा	हां	हां	जारी किए गए
कल्प प्रतिभा	हां	हां	जारी किए गए
एथामोझी टेल कोकोनट	नहीं	हां	नहीं
नानिरांग मैमी	नहीं	हां	नहीं

नारिकोल	नहीं	हां	नहीं
डीजय येलो ड्वार्फ	नहीं	हां	नहीं
सिंदुरी	नहीं	हां	नहीं
माघी	नहीं	हां	नहीं
कल्प हरिता	नहीं	हां	नहीं
कल्प सूर्या	नहीं	हां	नहीं
कल्प ज्योथी	नहीं	हां	नहीं
केराचन्द्रा	नहीं	हां	नहीं
कल्प समृद्धि	नहीं	हां	नहीं
इडावा लॉग फाइबर कोकोनट	नहीं	हां	नहीं
टी x डी (महुआ)	नहीं	हां	नहीं
बनावली	नहीं	हां	नहीं
प्रताप	नहीं	हां	नहीं
कोंकण भाटये कोकोनट हाइब्रिड-1	नहीं	हां	नहीं
देशी	नहीं	हां	नहीं
रामगंगा	नहीं	हां	नहीं
नारियल	नहीं	हां	नहीं

3.1.35 आईएफजीटीबी- आईसीएफआरई, कोयम्बतूर

● गतिविधियां

- पहले से स्थापित जननद्रव्य बैंक का रखरखाव करना
- जननद्रव्य बैंक का पर्यवेक्षण
- डीयूएस केन्द्र में जननद्रव्य बैंक की स्थापना के लिए भूमि की पहचान करना
- डीयूएस केन्द्र पर उदाहरण किस्मों का संकलन, प्रवर्धन और जननद्रव्य बैंक की स्थापना
- डीयूएस परीक्षण के लिए योजना बनाना
- क्लोन x डीयूएस गुणों की मैट्रिक्स का विकास

गतिविधि	समय-सीमा
पहले से स्थापित जननद्रव्य बैंक का अनुरक्षण	अनवरत
तुवाराकुरुची, सेलम, कोयम्बतूर और अरियालुर में जननद्रव्य बैंक में पर्यवेक्षण	जनवरी-मार्च 2018
डीयूएस केन्द्र पर उदाहरण किस्मों का संकलन, प्रवर्धन और जननद्रव्य बैंक की	अनवरत

स्थापना	
जननद्रव्य बैंक में डीयूएस गुणों का पर्यवेक्षण	प्रत्येक एकांतरिक माह में
क्लोन x डीयूएस गुणों के मैट्रिक्स का विकास	मार्च 2018

यूकेलिप्टस के लिए डीयूएस केन्द्र : कोयम्बतूर तथा तुवाराकुरुची में स्थापित किए गए जननद्रव्य बैंकों का रखरखाव किया गया है। कोयम्बतूर में लगभग 20 क्लोनों और तुवाराकुरुची में 33 क्लोनों को रोपा जा चुका है। तीन प्रतिकृतियों में 6 वृक्षों के साथ जननद्रव्य को डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार बनाया गया है। सभी संदर्भ संकलनों से डीयूएस गुण रिकॉर्ड किए गए हैं। सेलम, तमिल नाडु में स्थापित क्लोन संकलनों में भी डीयूएस गुण रिकॉर्ड किए गए हैं।

यूकेलिप्टस की संदर्भ किस्मों को जब भी डीयूएस परीक्षण किया जाना हो, तब तत्काल प्रगुणन के लिए आईएफजीटीबी प्रवर्धन परिसर में स्वःस्थाने वानस्पतिक प्रगुणन उद्यान (वीएमजी) में रोपा गया है। आईएफजीटीबी-ईसी6 के पंजीकरण के लिए वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त किस्म के पंजीकरण के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

कैसुआरीना डीयूएस केन्द्र : वन परिसर, कोयम्बतूर में *कैसुआरीना इक्सीसेटीफोलिया*, *सी. जंघुहिनियाना* और उनके संकरों के लगभग 100 क्लोन तैयार किए गए हैं जो कैसुआरीना के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित करने हेतु इस्तेमाल किए गए उदाहरण क्लोन हैं। यह संदर्भ जननद्रव्य संकलन दिशानिर्देशों के विवरणों के रूप में सभी उल्लिखित गुणों की अभिव्यक्ति के लिए समय-समय पर अनुरक्षित किया जा रहा है। गुणों का मूल्यांकन कम से कम क्लोन के चार वृक्षों पर प्रतिवर्ष किया जा रहा है ताकि क्लोन बनाम डीयूएस गुण मैट्रिक्स विकसित किया जा सके। क्लोन आईएफजीटीबी-सीजे-9 के लिए 25 वृक्षों का एक अलग ब्लॉक स्थापित किया गया है जिसका समय-समय पर मूल्यांकन किया जा रहा है। इस किस्म के पंजीकरण के लिए आवेदन भी दाखिल किया जा चुका है।



● नई किस्मों का पंजीकरण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर द्वारा किस्मों के पंजीकरण हेतु पांच आवेदन दाखिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त डीयूएस परीक्षण के लिए 2015 में प्रस्तुत किए गए एक आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है। डीयूएस गुणों का स्थल पर मूल्यांकन पुष्पन मौसम के दौरान छह आवेदनों के लिए किया जाएगा ताकि वानस्पतिक तथा जनन, दोनों गुणों का मूल्यांकन किया जा सके।

3.1.36 भा.कृ.अनु.प. – गन्ना प्रजनन संस्थान (एसबीआई), कोयम्बतूर

● अनुरक्षण प्रजनन

डीयूएस केन्द्र में उष्णकटिबंधी गन्ना की किस्मों के 186 संदर्भ संकलन मार्च 2016 के दौरान रोपे गए। प्रत्येक प्रविष्टि को 6 मी. लंबी एकल कतार में रोपा गया तथा कतार से कतार के बीच 0.9 मी. की दूरी रखी गई। इसके अतिरिक्त वीएसआई, पुणे से प्राप्त की गई सीओवीएसआई 9805 किस्म, कृषक किस्मों (एफवी) नामतः

डीईएसआई-I, डीईएसआई-II कुदरत का करिश्मा और कप्तान बस्ती जो एसबीआई-क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल से प्राप्त की गई थी, उन्हें पॉलीबैग में उगाया गया तथा बाद में रखरखाव के लिए खेत में रोपा गया। सभी किस्में नाशकजीवों और रोगों से मुक्त रखी गई। डीयूएस संदर्भ किस्में (189) फरवरी 2017 के दूसरे सप्ताह के दौरान रोपी गई ताकि उनका वर्ष 2017-18 के दौरान रखरखाव किया जा सके।

अनुरक्षण प्रजनन/लक्षण-वर्णन की गई किस्मों की संख्या

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत (स्वयं जारी की गई/भा.कृ.अ.प./रा.कृ.वि.)
गन्ना	186	स्वयं जारी की गई/भा.कृ.अ.प./रा.कृ.वि.

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान डीयूएस परीक्षण की गई किस्मों की संख्या

फसलें	नई		कुल
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	
	—	3	3
कुल	—	3	3

वर्ष 2016-17 के दौरान, तीन परीक्षण किस्मों नामतः सीओ 0403, सीओ 06030 और सीओ 06027 तथा संदर्भ किस्मों नामतः सीओए 7602, सीओए 90081, सीओसी 671, सीओएम 6806, सीओ 94008, सीओ 85004 और सीओ 86032 के लिए गन्ना की 240, 300 और 360 दिनों की आयु पर (प्रत्येक में 20 गन्ने) 27 आकृतिविज्ञानी गुणों के आधार पर डीयूएस परीक्षण का दूसरा वर्ष पूरा हुआ। पर्यवेक्षणों से यह संकेत मिला कि प्रत्याशी किस्में एक दूसरे से अलग थीं तथा ये विद्यमान संदर्भ किस्मों से भी अलग थीं और इन किस्मों की समष्टि समरूप थी।

3.1.37 भा.कृ.अनु.प. – गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, अगाली

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण :

फसलें	नई		एफवी	निगरानी की तिथि
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
गन्ना (सैकरम एल.)	शून्य	सीओ 06027, सीओ 06030, सीओ 0403	सिद्धगिरि- 1234 ध्यानेश्वर- 16	16.3.2016

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान हुई प्रगति

- **अनुरक्षण प्रजनन** : भा.कृ.अनु.प.- गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, अगाली में खेत में गन्ना की 189 उष्णकटिबंधी किस्मों का रखरखाव किया गया।
- **कृषक किस्म तथा नई किस्म के लिए डीयूएस परीक्षण करना** : तीन प्रत्याशी किस्मों (सीओ 0403, सीओ 06027, सीओ 06030) तथा दो कृषक किस्मों (ध्यानेश्वर-16 और सिद्धगिरि-1234) के लिए दूसरे वर्ष डीयूएस परीक्षण किए गए। नई किस्में सीओ 0403, सीओ 06027 और सीओ 06030 विद्यमान संदर्भ किस्मों से अलग थीं, जबकि कृषक किस्में पहले से जारी की गई/विद्यमान किस्मों नामतः सिद्धगिरि-1234 से अलग नहीं थीं जिन्हें आगे चलकर सीओ 92005 के रूप में बनाया गया जबकि ध्यानेश्वर-16 को सीओ 86032 में पुनः संयोजित किया गया।

पीपीवी और एफआरए में दाखिल किए गए आवेदन

फसलें	वर्ष 1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की सूची	वर्ष 2001 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की सूची	भा.कृ.अ.प.–एसबीआई, कोयम्बतूर द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों की सं. विद्यमान अधिसूचित नई वीसीके			जारी किए गए प्रमाण-पत्र
गन्ना	73	54	22	6	—	25

वर्ष 2017-18 के लिए कार्य योजना

- अगले वर्ष डीयूएस परीक्षण के लिए मई 2017 के दौरान मणिपुर से प्राप्त की गई 2 कृषक किस्मों के बीज वाले गन्ने प्रगुणित करना।
- मार्च 2017 के दौरान डीयूएस परीक्षण के लिए प्राप्त की गई गन्ना की 3 किस्मों (कृषक किस्मों) के डीयूएस परीक्षण करना।
- खेत में रोगमुक्त दशाओं के अंतर्गत गन्ना की 189 उष्णकटिबंधी किस्मों (संदर्भ संकलन) का रखरखाव करना और उन्हें प्रगुणित करना।
- संदर्भ किस्मों के डीयूएस गुणों का सत्यापन करना तथा गन्ना के संदर्भ संकलनों के इंडस डेटाबेस को अद्यतन करना।

भा.कृ.अ.प.–गन्ना प्रजनन संस्थान अनुसंधान केन्द्र, अगाली में अनुरक्षित संदर्भ किस्मों के नाम व उनकी संख्या

किस्म श्रृंखला	किस्म की संख्या	संदर्भ किस्म का नाम
सीओ किस्में	99	सीओ 243, सीओ 244, सीओ 281, सीओ 285, सीओ 290, सीओ 301, सीओ 313, सीओ 331, सीओ 356, सीओ 385, सीओ 393, सीओ 395, सीओ 419, सीओ 449, सीओ 453, सीओ 475, सीओ 508, सीओ 513, सीओ 527, सीओ 617, सीओ 622, सीओ 658, सीओ 678, सीओ 740, सीओ 775, सीओ 785, सीओ 798, सीओ 853, सीओ 951, सीओ 975, सीओ 997, सीओ 1007, सीओ 1101, सीओ 1148, सीओ 1169, सीओ 1253, सीओ 1305, सीओ 1307, सीओ 62033, सीओ 62175, सीओ 62197, सीओ 62198, सीओ 6304, सीओ 6415, सीओ 6806, सीओ 6907, सीओ 7201, सीओ 7202, सीओ 7204, सीओ 7218, सीओ 7219, सीओ 7224, सीओ 7314, सीओ 7318, सीओ 7508, सीओ 7527, सीओ 7704, सीओ 7706, सीओ 7717, सीओ 7805, सीओ 7807, सीओ 8011, सीओ 8013, सीओ 8014, सीओ 8021, सीओ 8208, सीओ 8304, सीओ 8338, सीओ 8347, सीओ 8371, सीओ 85002, सीओ 85004, सीओ 85019, सीओ 86010, सीओ 86011, सीओ 86032, सीओ 86249, सीओ 87025, सीओ 87044, सीओ 87263, सीओ 87268, सीओ 87271, सीओ 89029, सीओ 91002, सीओ 91010, सीओ 92005, सीओ 92020, सीओ 94008, सीओ 94012, सीओ 97009, सीओ 97015, सीओ 99004, सीओ 99006, सीओ 2001-13, सीओ 2001-15, सीओ 0218, सीओ 0403, सीओ 06027 और सीओ 06030
सीओए किस्में	23	सीओए 7602, सीओए 7701, सीओए 8013, सीओए 8201, सीओए 8401, सीओए 8402, सीओए 88081 (84 125), सीओए 89081 (81 99), सीओए 89082 (83ए30), सीओए 89085 (85ए261), सीओए 90081 (87ए380), सीओए 92081 (87ए298), सीओए 92082 (86ए146), सीओए 93081 (88ए189), सीओए 93082 (88ए162),

		सीओए 94081 (87ए397), सीओए 95081 (90ए272), सीओए 96081 (92ए123), सीओए 99082 (93ए145), सीओए 01082, सीओए 03081, सीओए 04081 और 93ए21
सीओसी किस्में	14	सीओसी 671, सीओसी 771, सीओसी 772, सीओसी 773, सीओसी 8001, सीओसी 8201, सीओसी 85061, सीओसी 86062, सीओसी 90063, सीओसी 92061, सीओसी 98061, सीओसी 99061, सीओसी 01061 और सीओसी (एससी) 22
सीओजी किस्में	2	सीओजी 93076 और सीओजी (एससी) 5
कोजवा किस्में	3	कोजवा 70, कोजवा 270 और कोजवा 86141
सीओएम किस्में	5	सीओएम 6806, सीओएम 7219, सीओएम 7712, सीओएम 88121, सीओएम 0265
सीओएन किस्में	6	सीओएन 85134, सीओएन 91132, सीओएन 95132, सीओएन 03131, सीओएन 05071, सीओएन 05072
सीओआर किस्में	8	सीओआर 8001, सीओआर 9301 (85आर186), 83आर 23, 97 आर129, 97आर383, 97आर401, 98आर 272, 98आर 278
सीओएसआई किस्में	3	सीओएसआई 776, सीओएसआई (एससी) 6, सीओएसआई 86071
सीओएसएनके किस्में	4	सीओएसएनके 0344, सीओएसएनके 0361, सीओएसएनके 03754, सीओएसएनके 05103
सीओटी किस्में	5	सीओटी 8201, मधुमती, माधुरी, मधुरिमा, तीरू मधुरम
सीओवी किस्में	16	सीओवी 89101 (81वी48), सीओवी 92101 (82वी12), सीओवी 92102 (83वी15), सीओवी 92103 (83वी288), सीओवी 94101 (86वी96), सीओवी 94102 (89वी74), सीओवी 95101 (91वी83), सीओवी 03101, सीओवी 03102, सीओवी 05356, 93वी 297, 97वी 97, 2000वी 59, 2000वी160, 2002वी 48, 2003वी46
अन्य	1	पीओजे 2878

3.1.38 भा.कृ.अनु.प.— गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल

भा.कृ.अनु.प.— गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल उपोष्ण गन्ना के लिए सह-नोडल केन्द्रों में से एक है। यहां किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

- **दो प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस परीक्षण :** दो नई गन्ना की किस्मों नामतः सीओ 05011 और सीओ 0237 का आठ संदर्भ किस्मों (सीओ 6425, सीओ 1158, सीओएस 767, सीओएस 91230, सीओएस 443, सीओएस 93259, सीओएस 95255 और सीओएसई 95436) के साथ भा.कृ.अ.प.—गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल में दूसरे वर्ष के लिए परीक्षण किया गया। प्रत्येक किस्म के एकल कलिका सैटों से व्युत्पन्न 160 उप सैटों को दिनांक 03.05.2016 को खेत में डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत दो प्रतिकृतियों में आरबीडी डिज़ाइन में रोपा गया। प्लॉट का आकार 4 कतार x 6 मी. लंबाई x 0.9 मी. कतार से कतार दूरी रखकर निर्धारित किया गया। प्रत्याशी तथा संदर्भ, दोनों किस्मों से 21 आकृतिविज्ञानी गुणों के लिए परिरक्षण किया गया। द्वितीय वर्ष के परीक्षण के परिणामों से यह प्रदर्शित हुआ कि प्रत्याशी किस्में अर्थात् सीओ 05011 और सीओ 0237 एक दूसरे से अलग थीं तथा ये संदर्भ किस्मों से भी भिन्न थीं। इन किस्मों की समष्टि दोनों वर्षों के समरूप थीं। इन प्रविष्टियों से रिकॉर्ड किए गए दावा किए गए/अनिवार्य गुणों के संदर्भ में दूसरे वर्ष भी स्थिर निष्पादन देखा गया।

- **कृषक किस्मों के लिए डीयूएस परीक्षण**

देसी-I : पॉली बैग में उगाई गई उप सैटों को दो प्लाटों में 0.9 मी. x 6 मी. x 4 कतारों में रोपा गया। किस्म से सभी 27 डीयूएस विवरणों को रिकॉर्ड किया गया। इस किस्म का डीयूएस परीक्षण तब किया जाएगा जब संदर्भ किस्मों के बारे में निर्णय लिया जा सकेगा।

देसी-II: पॉली बैग में उगाई गई उप सैटों को 0.9 मी. x 6 मी. x 4 कतारों में दो प्लाटों में रोपा गया। करनाल केन्द्र में किए गए पर्यवेक्षणों से यह स्पष्ट हुआ कि यह क्लोन उष्णकटिबंधी प्रकृति का है। अतः पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के परामर्श से देसी II की प्रगुणित की गई बीज सामग्री को उष्णकटिबंधी दशाओं में परीक्षण हेतु भा.कृ.अ.प.–गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर को भेजा गया।

केकेके (कुदरत का करिश्मा) : पॉली बैग में उगाई गई उप सैटों को 0.9 मी. x 6 मी. x 4 कतारों में रोपा गया। अन्य किस्मों में एक गांठ पर एक कली के विपरीत इस क्लोन में प्रत्येक गांठ पर तीन कलियां लगीं। यह गुण (3 कलियों वाला) बाद में वानस्पतिक प्रवर्धन के दौरान भी बना हुआ पाया गया। तथापि, जैसा कि प्राधिकरण ने सुझाव दिया था इस किस्म का इस केन्द्र पर प्रजनित बीज गन्ना किस्म की विशिष्टता के और पुष्टिकरण के लिए भा.कृ.अ.प.–गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर को भेजा गया।

कप्तान बस्ती : इस किस्म की सामग्री दिनांक 26.04.2016 को प्राप्त हुई। सैटों को पॉलीबैक में रोपा गया। चार संदर्भ किस्मों नामतः बीओ130, सीओएस 94270, सीओएस 96258, सीओ पंत 96219 के बीज गन्ने प्रगुणन के लिए पाली बैग में रोपे गए। इस किस्म के डीयूएस परीक्षण वर्ष 2017–18 के गन्ना मौसम में किए जाएंगे।

- **गन्ना की किस्मों के संदर्भ संकलन का रखरखाव** : भा.कृ.अ.प.–गन्ना प्रजनन संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल में गन्ना की 126 उपोष्ण किस्मों को रोगमुक्त दशाओं में दो कतारों के प्लाट में अनुरक्षित किया गया। डीयूएस संदर्भ किस्मों के अंकीकरण के एक अंग के रूप में संदर्भ किस्मों के फोटोग्राफ लिए गए।

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत (स्वयं जारी की गई/भा.कृ.अ.प./रा.कृ.वि.)
सैकरम संकर (गन्ना)	126	राज्य कृषि विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्रों द्वारा जारी किए गए : बीओ श्रृंखला-17 किस्में, सीओपी श्रृंखला-5; सीओबी श्रृंखला-1; सीओबीएलएन श्रृंखला-9; सीओएच श्रृंखला 8; सीओजे श्रृंखला 5; सीओपीवी श्रृंखला 1; सीओएलके श्रृंखला 3; सीओ पंत श्रृंखला 8; सीओएस श्रृंखला 36; सीओएसई श्रृंखला 9; यूपी श्रृंखला 4 किस्में। भा.कृ.अ.प. तथा स्वयं जारी की गई : सीओ श्रृंखला-21 किस्में

3.1.39 भा.कृ.अनु.प. – भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

- **गन्ना की किस्मों की संदर्भ किस्मों का रखरखाव**

वर्ष 2016–17 के दौरान डीयूएस खेत में गन्ना की 144 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया। इस संदर्भ संकलन में सीवीआरसी से पहचानी गई, जारी की गई व अधिसूचित सभी किस्में; एआईसीआरपी (एस) के प्रगत किस्मगत परीक्षणों की अवस्थाओं



से जारी की गई किस्में एवं क्लोन को शामिल किया गया। गुणों को डीयूएस परीक्षण दिशा-निर्देशों के अनुसार संदर्भ संकलन में नए रूप में शामिल करने के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। संदर्भ संकलन की नई फसल फसल मौसम 2017-18 के दौरान रखरखाव के लिए खेत में रोपी गई है।

● **डीयूएस परीक्षण :**

दूसरे वर्ष के लिए मार्च 2016 के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अपनाते हुए दो क्लोनों सीओ 0237 और सीओ 05011 को 7 सर्वाधिक समान किस्मों जो संदर्भ संकलन (सीओ 1158, सीओ 6425, सीओएस 443, सीओएस 95255, सीओएस 767, सीओएसई 95436 और सीओएस 93259) से ली गई थी, को दूसरे वर्ष के लिए मार्च 2016 के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश अपनाते हुए रोपा गया। सिफारिश की गई सस्यविज्ञानी विधियों को अपनाया गया। दिशानिर्देशों के अनुसार पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। दोनों केन्द्रों पर आंकड़े संकलित किए जाएंगे तथा यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाएंगे। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष तथा डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार, पीपीवी और एफआरए ने डीयूएस परीक्षण की निगरानी की।

- नई प्रत्याशी किस्में: गन्ना की दो किस्में नामतः सीओएन 05071 और सीओएन 07072 नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात से प्राप्त हुई तथापि ये क्लोन उष्ण कटिबंधी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संबंधित केन्द्र को इन किस्मों का बीज डीयूएस परीक्षण के लिए गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर को भेजने का सुझाव दिया गया।
- कृषक किस्मों का परीक्षण : गन्ना के दो कृषक क्लोन देसी नं.1 और देसी नं.2 वर्ष 2014 के दौरान प्राप्त हुई थीं। पॉलीबैग में उगाई गई पौधों को दो प्लाटों में 0.9 मी. x 6 मी. प्रत्येक प्लॉट आकार में 4 कतारों में रोपा गया। पौध को बाद में 60 सें.मी. की दूरी पर रोपा गया। सिफारिश की गई सस्यविज्ञानी विधियों का पैकेज अपनाया गया। सभी संभव देखभाल के बाद देसी नं.2 की वृद्धि वांछित स्तर की नहीं थी, गन्ना का निर्माण उचित रूप से नहीं हुआ (गन्ना केवल 100 सें.मी. तक उगा) तथा बाद की अवस्था में फसल मुझान रोग से प्रभावित दिखाई पड़ी। धीरे-धीरे पूरी फसल मुरझा/सूख गई। देसी नं. 2 का निष्पादन अपेक्षाकृत बेहतर था। प्राथमिक पर्यवेक्षणों से यह सुझाव मिलता है कि यह क्लोन उष्णकटिबंधी मूल के कुछ एस. ऑक्सिनेरम क्लोनों से काफी मिलता-जुलता है।

- फ्यूसेन : वर्ष के दौरान एक अन्य क्लोन फ्यूसेन प्राप्त हुआ जिसकी पौध पॉलीबैग में उगाई गई। प्राप्त की गई 128 एकल कलिकाओं में से केवल 12 कलिकाएं अंकुरित हुईं। पॉली बैग में लगाई गई पौध को खेत में रोपा गया। अधिकांश पौधे वृहत वृद्धि की प्रावस्था के दौरान सूख गए। इस क्लोन को इस वर्ष भी प्रगुणित किया गया है तथा खेत में रोपा गया है।



- कुदरत का करिश्मा : यह क्लोन मार्च 2017 में गन्ना प्रजनन संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल से प्राप्त हुआ था। पॉलीबैग में उगाई गई पौध को प्रगुणन और मूल्यांकन के लिए खेत में रोपा गया।

- कप्तान बस्ती : क्लोन की रोपण सामग्री अप्रैल 2017 में प्राप्त हुई। इस क्लोन को प्रगुणित किया गया है तथा वर्ष 2017–18 के दौरान इसका परीक्षण/लक्षण-वर्णन किया जाएगा।

3.1.40 गौण मोटे अनाजों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (भा.कृ.अनु.प.), जीकेवीके, बंगलुरु

गौण मोटे अनाजों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, (भा.कृ.अ.प.), जीकेवीके, बंगलुरु गौण मोटे अनाजों की 4 फसल प्रजातियों नामतः कंगनी/रागी/लिटिल/बार्नयार्ड मिलेट के डीयूएस परीक्षण के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 2016–17 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षणों का विवरण

फसलें	एफवी
कंगनी	2
रागी	7

खरीफ 2016 के दौरान केन्द्र को कंगनी की दो तथा रागी की 7 परीक्षण प्रविष्टियां डीयूएस लक्षण-वर्णन हेतु प्राप्त हुईं। कंगनी के मामले में केन्द्र में दो प्रविष्टियां नामतः झिब्रा और अमृत प्राप्त हुई थीं। इन प्रविष्टियों को कंगनी की 77 संदर्भ प्रविष्टियों के साथ आरसीबीडी में 3 प्रतिकृतियों में बोया गया। गुणात्मक एवं मात्रात्मक गुणों पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। अमृत प्रविष्टि में चित्तीदार व चित्तीदार पुष्पगुच्छ, दोनों प्रकार के, खुले प्रकार की तथा अर्ध ठोस प्रकार के पुष्पगुच्छ झिब्रा प्रविष्टि में पाए गए। इसलिए केन्द्र में दोनों प्रविष्टियों के बीच अलग से एकत्र किए गए तथा चार प्रविष्टियां तैयार कीं जिन्हें मूल्यांकन हेतु ग्रीष्म 2017 के मौसम में आरसीबीडी में 3 प्रतिकृतियों में बोया गया।

रागी के मामले में इसकी 7 प्रविष्टियां नामतः छामर, छाहर, पंचमी, के-15, सेफुक, जुनेशे और शयम लक्षण-वर्णन के लिए प्राप्त हुई थीं। ये किस्में रागी की 29 प्रविष्टियों सहित आरसीबीडी में लक्षण-वर्णन हेतु 3 प्रतिकृतियों में बोई गईं। इनमें से केवल एक प्रविष्टि नामतः के-15 अंकुरित नहीं हुई और शेष प्रविष्टियां अंकुरित हुईं लेकिन इन पर प्ररोह मक्खी का आक्रमण हुआ और इस प्रकार परीक्षण उचित रूप से नहीं किए जा सके। तथापि केन्द्र में इन प्रविष्टियों के बीज कटाई उपरांत एकत्र किए गए हैं तथा इन्हें खरीफ 2017 में मूल्यांकन हेतु ग्रीष्म 2017 में फिर से बोया जाएगा, ताकि इनका प्रगुणन किया जा सके।

अनुरक्षण/लक्षण-वर्णन अधीन किस्में

फसलें	अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों की संख्या
कंगनी	77 संदर्भ किस्में
रागी	29 संदर्भ किस्में

वर्ष 2017-18 के लिए योजना

1. कंगनी और रागी की क्रमशः 2 और 7 कृषक किस्मों का मूल्यांकन
2. कंगनी और रागी की क्रमशः 77 और 29 प्रविष्टियों का संदर्भ किस्मों के साथ रखरखाव
3. कंगनी की एक तथा रागी की उन दो किस्मों का लक्षण-वर्णन जो परियोजना के प्रगत किस्म परीक्षणों में अपनाई जा रही हैं।

वर्ष 2017-18 से कंगनी और रागी के लिए डीयूएस परीक्षण परियोजना के बंगलुरु तथा अर्थेंडल केन्द्रों में किया जाएगा। यह इस वर्ष होगा तथा अगले वर्ष से सभी 6 फसलों में डीयूएस परीक्षण किया जाएगा।

3.1.41 भा.कृ.अनु.प.— केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला

आलू डीयूएस परीक्षण : आलू की नौ विदेशी किस्मों नामतः कोलाम्बा, हेराक्ली, नेवीगेटर, फरीदा, आईवरी रसेट (महेन्द्र लिमिटेड) और एफएल3137, एफएल2108, एफएल2221, एफएल2215 (पैप्सिको लिमिटेड) तथा बादामी आलू, पकरी आलू और अबेर चैबी (कृषक किस्म) का लक्षण-वर्णन संबंधित संदर्भ किस्मों नामतः कुफरी पुखराज, कुफरी ज्योति, लेडी रोसेटा, एटलांटिक, सेंटाना और कुफरी चिपसोना-3 के साथ इनके पुष्पीय, वानस्पतिक तथा कंद संबंधी गुणों के लिए केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला, सीपीआरएस, जालंधर और सीपीआरआईसी, मोदीपुरम में किया गया।

नई (प्रथम वर्ष का परीक्षण)	वीसीके	एफवी
कोलाम्बा, हेराक्ली, नेवीगेटर, फरीदा, महेन्द्रा लिमिटेड की ओवरी रसेट	एफएल3137, एफएल2108, एफएल2221, पैप्सिको की एफएल2215	अबेर चैबी, बादामी आलू, पाकरी आलू

डीयूएस परीक्षण रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण तथा सुरक्षा का पदानीकरण : 9 विदेशी किस्मों नामतः कास्टेली, पेनामेरा, ल्यूसिंडा, ताउरस, सीआरआईएसपीएस4एएलएल, सैगिता, मैम्फिस, एवोरा तथा महेन्द्र लिमिटेड की एचजैडडी 01-58 और केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की दो किस्मों नामतः कुफरी गरिमा और कुफरी गौरव के डीयूएस परीक्षण पर दो वर्ष के आंकड़े तैयार किए गए तथा इन्हें नई किस्म के रूप में पंजीकरण हेतु पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जा चुका है और कुफरी गरिमा और कुफरी गौरव के पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

अनुरक्षण/लक्षण-वर्णन की गई किस्में

संदर्भ जननद्रव्य का रखरखाव : 213 प्रविष्टियां नामतः सीपीआरआई की 49 किस्में, उपोव की 29 किस्में, बीस विदेशी किस्में, 8 राज्य किस्में तथा 107 देसी संकलन केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला के जननद्रव्य भंडारागार में स्वपात्रे अनुरक्षित किए जा रहे हैं। केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर, मोदीपुरम में संस्थान द्वारा जारी की गई आलू की 49 किस्में तथा 62 संदर्भ किस्में खेत में कंद के रूप में अनुरक्षित की जा रही हैं।

वर्ष 2017-18 के लिए योजना

- क) पांच विदेशी किस्मों नामतः कोलाम्बा, हेराक्ली, नेवीगेटर, फरीदा और महेन्द्र लिमिटेड की आईवोरी रसेट के पुष्पीय, वानस्पतिक और कंद संबंधी गुणों के द्वितीय वर्ष के परीक्षण खेत में नए समूह की सुरक्षा की दृष्टि से किए गए।
- ख) पैक्सिको की चार विदेशी किस्मों (एफएल3137, एफएल2108, एफएल2221 और एफएल2215) के प्रथम वर्ष के परीक्षण पुष्पीय गुणों के लिए वीसीके श्रेणी के अंतर्गत सुरक्षा हेतु किए गए।
- ग) एफवी अबर चैबी का ग्री आउट परीक्षण किया गया।

3.1.42 भा.कृ.अनु.प. – जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर

जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय बाजरा अनुसंधान केन्द्र, जामनगर अरण्ड के लिए डीयूएस केन्द्र है तथा डीयूएस परीक्षण के लिए अरण्ड (*रिसीनस क्यूम्यूनिस* एल.) हेतु सह नोडल केन्द्र भी है। वर्ष 2016-17 के दौरान प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण निम्नानुसार है :

डॉ. के.के. धेधी ने कृषि विज्ञान केन्द्र, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर में 01 मार्च 2016 को 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 110 प्रशिक्षार्थियों को 'पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा की भूमिका' पर एक व्याख्यान दिया। यह केन्द्र पीपीवी और एफआरए से संबंधित अनेक लेख और शोध पत्र भी प्रकाशित करता है तथा यहां से पौधा किस्म सुरक्षा मांगते हुए आवेदन भी दाखिल किए गए हैं। पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किस्मों की सूची निम्नानुसार है :

फसलें	वर्ष 1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	वर्ष 1999 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	दाखिल किए गए आवेदन			जारी किए गए प्रमाण-पत्र
			विद्यमान अधिसूचित	नई	वीसीके	
बाजरा	22	12	11	—	—	10

3.1.43 भा.कृ.अनु.प. – भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर (मुलार्प पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना)

मुलार्प, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर में अधिदेशित चार फसल प्रजातियों नामतः मूंग, उड़द, मसूर, राजमा और मटर पर डीयूएस परीक्षण किया जाता है। वर्ष 2016-17 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षणों का विवरण इस प्रकार है :

पौधा किस्म सुरक्षा के लिए दाखिल किए गए आवेदनों की सूची

फसलें	एफवी
अरण्ड	देहाती, देहाती-2

मुलार्प में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों की सूची

क्र. सं.	आईआईएचआर प्रविष्टि सं.	स्थानीय / सामान्य नाम	क्र. सं.	आईआईएचआर प्रविष्टि सं.	स्थानीय / सामान्य नाम
1	आईआईएचआर बीवी 10	सांगली कपूरी	21	आईआईएचआर बीवी 46	कलकत्ता बंगला

2	आईआईएचआर बीवी 23	बन्नावल्ली	22	आईआईएचआर बीवी 47	स्वर्णा कपूरी
3	आईआईएचआर बीवी 24	हलिशहर सांची	23	आईआईएचआर बीवी 48	मघई
4	आईआईएचआर बीवी 25	कारापाकू	24	आईआईएचआर बीवी 49	बंगला गनमाला
5	आईआईएचआर बीवी 26	बंगला (एमपी)	25	आईआईएचआर बीवी 52	हिरेहल्ली लोकल
6	आईआईएचआर बीवी 27	घानागेट्टे	26	आईआईएचआर बीवी 53	मैसूर लोकल
7	आईआईएचआर बीवी 28	गाजीपान	27	आईआईएचआर बीवी 54	हरीशपुर बंगला
8	आईआईएचआर बीवी 30	रामटेक बंगला	28	आईआईएचआर बीवी 55	बिरकोली
9	आईआईएचआर बीवी 32	बंगला नगरम	29	आईआईएचआर बीवी 56	बालीपान
10	आईआईएचआर बीवी 33	गोदी बंगला	30	आईआईएचआर बीवी 58	कारी-6
11	आईआईएचआर बीवी 34	नव बंगला	31	आईआईएचआर बीवी 59	कारी-2
12	आईआईएचआर बीवी 35	बंगला (यूपी)	32	आईआईएचआर बीवी 63	देसी पान
13	आईआईएचआर बीवी 36	ब्लैक लीफ	33	आईआईएचआर बीवी 65	धोबा बंगला
14	आईआईएचआर बीवी 37	सीरुगमनी	34	आईआईएचआर बीवी 67	अंडमान-1
15	आईआईएचआर बीवी 40	मालवी (एमपी)	35	आईआईएचआर बीवी 68	अंडमान-2
16	आईआईएचआर बीवी 41	बंगला मंदसौर	36	आईआईएचआर बीवी 71	वेल्लेकोदी
17	आईआईएचआर बीवी 42	सिमुराली बाबना	37	आईआईएचआर बीवी 76	—
18	आईआईएचआर बीवी 43	सिमुराली बाबना लोकल	38	आईआईएचआर बीवी 95	गुजरात लोकल
19	आईआईएचआर बीवी 44	काली बंगला	39	आईआईएचआर बीवी 96	
20	आईआईएचआर बीवी 45	खासी पान	40	आईआईएचआर बीवी 96.1	

फसल प्रजाति	किस्मों का नाम
मूंग (विग्ना रेडिएटा (एल. विल्कजैक)	संदर्भ किस्मों की कुल संख्या: 67 पीडीएम 54, पीडीएम 139, पंत एम 1, पंत एम 2, पंत एम4, पूसा105, ओबीजीजी 52, पूसा 9531, पूसा बैशाखी, पीएस 16, पूसा 9072, पूसा रत्ना, प्रताप, आरएमजी 62, आरएमजी 268, आरएमजी 344, सुजाता, शालीमार एम 1, सोना, एसएमएल 32, एसएमएल 134, एसएमएल 668, टीएआरएम 1, टीएआरएम 2, टीएआरएम 18, टी 44, वाम्बन 1, आशा, एकेएम 8803, एकेएम 9911, बीएम 4, बीपीएमआर 145, बीडीएन 2, सीओ 4, ओयूएम 11.5, धुली, गंगा 1, जीएम 3, जीएम 4, एचयूएम 1, एचयूएम 2, एचयूएम 6, एचयूएम 12, आईपीएम 99-125, जेएम 721, के 851, लाम एम 2, एलजीजी 407, एलजीजी 450, एमएल 5, एमएल 131, एमएल 267, एमएल 613, एमएल 818, एनजीजी 295, एमएच 96.1, एमयूएच 2, एनडीएम 1, आईपीएम 02-3, केएम 2, एचयूएम 16, केपीवीएकेएम 4, पैरी मूंग, बीएम 2002-1, बीएम 2003-1
उड़द (विग्ना मुंगो (एल) हैप्पर)	संदर्भ किस्मों की कुल संख्या 28 आजादी यू 2, एलबीजी 645, एलबीजी 685, माणिक्य, माश 1, नवीन, एनडीयू 1, पंत यू 30, शेखर यू 1, शेखर यू 2, शेखर यू 3, सरला, टीयू 94.2, टीपीयू 4, उत्तरा (आईपीयू 94-1), डब्ल्यूबीयू 108, यूजी 338, एलबीजी 20, माश 414, यूजी 1008, पंत यू 40, आईपीयू 2-43, यूजी 1, आरयूजी-10, यूजी 218, माश 4-4, एनयूएल-7, पंत यू 19, एलबीजी-623, टी 9, एलबीजी 123, इंदिरा 1, केयू 96-7, हिम माश 1, केयूजी 479, पीडीयू 1, एलबीजी 709, टीएयू 1, एलबीजी 752, वाम्बन 7, एलबीजी 787, पीयू 31
मसूर (लैस क्यूलीनेरिस)	संदर्भ किस्मों की कुल संख्या 36 डीपीएल 62, डीपीएल 15, आईपीएल 81, आईपीएल 315, आईपीएल 406, एनडीएल 1, पीएल 4, पीएल 5, पीएल 24, पीएल 63, पीएल 234, च पीएल 406, पीएल 639, पीएल 77-12, एल 4076, एलएल 56, एलएल 147, एलएल 699, एल 4147, एलएच 84.8, वीएल 1, वीएल 4, वीएल 103, वीएल 126, वीएल 507, डब्ल्यूबीएल 77, जेएल 1, जेएल 3, के 75, केएलएस 218, एचयूएल 7, आशा, रंजन, सुब्रिता, बाराभिया लोकल (रतुआ प्रतिरोधी), एस.एसआईएस
मटर (पाइसम सेटाइवम)	संदर्भ किस्मों की कुल संख्या 54 आर्केल, आजाद पी-1, आजाद पी-2, आजाद पी-3, आजाद पी-4, आजाद पी-5, आजाद पी-31, अगेता 6, डीडीआर 23, डीडीआर 27, वीआरपी 3, वीआरपी 5, वीआरपी 6, वीआरपी 7, वीआरपी 22, डीडीआर 44, एचयूडीपी15, एचएफपी 4, एचएफपी 529, एचएफपी 8909, आईपीएफडी-99-13, आईपीएफडी-1-10, आईपीएफडी-6-3, जे अयन्ती, केपीएमआर 144-1, केपीएमआर-400, केपीएमआर-522, आईएफपी-48, पीजी-3, पंत पी-14, स्वाति, वीएल-3, बी 22, डीएमआर 7, एचयूपी 2, आईएम 9101, आईपीएफ 99-25, आईपीएफ 4-9, आईपीएफ 5-19, आईपीएफ 4-26, जेएम 6, जेपी 885, केएफपी 103, पंत पी 5, रचना, टीआरसीपी 8, वीएल 1, वीएल 42, वीएल 45, वीएल 46, एचएफपी 9426, एचएफपी 9907
राजमा (फैसियोलस वल्गेरिस)	संदर्भ किस्मों की कुल संख्या : 13 एचयूआर 15, अर्का कोमल, पीडीआर 14, आईपीआर 98-5, श्रद्धा, अर्का अनूप, पीआर 98-3-1, हूर 137, आईवीएफबी 1, हूर 203, अर्का बोल्ड, एचपीआर 35, गुजरात राजमा

भा.कृ.अनु.प. – भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु (पान)

यह केन्द्र डीयूएस परियोजना पान (पाइपर बीटेल एल.) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को तैयार करने तथा उनके सत्यापन पर एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है तथा यहां प्रजातियों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं। यहां 80 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त डीयूएस गुणों की पहचान की गई है तथा वंशक्रमों के उचित वर्गीकरण के लिए इनमें अनिवार्य तेल के अंश तथा इनके आकृतिविज्ञानी गुणों का मूल्यांकन करना आवश्यक है।

टुंकुर जिले में किसानों के बगीचे में दो कृषक किस्मों नामतः हिरेहेल्ली (बगीचा 1) तथा देवरासाहल्ली (बगीचा 2) के डीयूएस गुण खेती की खुली प्रणाली के अंतर्गत आजमाए गए। खेती की खुली प्रणाली के अंतर्गत डीयूएस दिशा-निर्देशों के अनुसार कुल सत्रह गुण प्रस्तावित किए गए। ये गुण हीरेहल्ली में स्थानीय प्रविष्टियों के मामले में अनुसंधान केन्द्र तथा किसानों के बगीचों में, दोनों जगह रिकॉर्ड किए गए।

गुणों को प्रायोगिक केन्द्र में मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार और किसानों के खेतों में स्थल पर ही रिकॉर्ड किया गया। किसानों के बगीचों में पान को सुपारी की बेल के नीचे 2.7/2.7 मी. के अंतराल पर उगाया गया तथा किसानों के बगीचे में रिकॉर्ड किए गए गुणों को तालिकाबद्ध किया गया। अधिकांश गुणों से संबंधित आंकड़ों को किसानों के बगीच में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। अपवाद केवल पुष्प संबंधी पांच गुण थे जो हैं : पुष्पक्रम की लंबाई (सें.मी.) तथा पुष्पक्रम/प्लैगियोट्रॉफिक प्ररोहों की संख्या, पुष्पक्रम की लंबाई। इन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जा सका क्योंकि आंकड़ों की रिकॉर्डिंग के लिए अनेक पुष्पक्रम उपलब्ध नहीं थे, अतः इसके लिए पुष्पन मौसम के दौरान किसानों के खेतों में बार-बार दौरे करने की आवश्यकता है। अध्ययन अधीन बगीचों में किए गए अध्ययनों से यह प्रदर्शित हुआ कि प्रायोगिक केन्द्र में प्रस्तावित व रिकॉर्ड किए गए डीयूएस गुण सुपारी के सहारे से खुली दशाओं के अंतर्गत स्थल पर रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों से मेल खाते हैं। पुष्पन संबंधी गुणों पर आंकड़े एक बार के दौरे में रिकॉर्ड नहीं किए जा सके तथा पुष्पन की जांच करने तथा पुष्प संबंधी गुणों के आंकड़ों को रिकॉर्ड करने के लिए पान के बगीचों का जल्दी-जल्दी व बार-बार भ्रमण करना होगा। तथापि, प्राथमिक अध्ययन के उपरोक्त निष्कर्षों को सुपारी तथा सेस्बेनिया के सहारे के अंतर्गत स्थल पर अनेक बगीचों में पुष्ट किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार के अध्ययन, बंद दशाओं में भी किए जाने चाहिए।

3.1.44 सब्जी विज्ञान प्रभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली

यह संस्थान लौकी, करेले, कद्दू, खीरा और तोरई के डीयूएस परीक्षण का एक सह नोडल केन्द्र है। संक्षिप्त तकनीकी प्रगति निम्नानुसार है :

फसलें	नई		वीसीके	एफवी
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
लौकी	1 (एफवी)	1 (वीसीके) 8 (एफवी)	एनबीबीएच-48	गणेश लौकी, लावा, श्यामली, सम्भारी, लौकी-एलओ, शी, वालिक लाउ, घोटी लाउ, स्पैम लौकी
करेला	2 (एफवी)	2 (एफवी)	—	राम करेला, पालकी करेला, मेथा करेला, अचकाबा
कद्दू	5 (एफवी)	6 (एफवी)	—	गोल कुम्हड़ा ठाकुर, कवारे कुम्हड़ा,

				राखिया कुम्हड़ा, लक्ष्मी कुम्हड़ा, पालकी कुम्हड़ा, गाच मीठू, बीबी कुमराओ, कोहरा, विल्की कुमराव, फाल्गुनी, भाद्रि
खीरा	शून्य	8 (एफवी)	—	पुष्पा, बर्सा हुगली, हाइमोंट्री हुगली, पापिया, बारोपाटा, देशी ग्रीन, कुमार *, राम गोपाल*
तोरई	शून्य	1 (वीसीके)	एनबीबीएच-744	—

* खेत मूल्यांकन के आधार पर इन्हें फूट की किस्मों के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

अनुरक्षण/लक्षण-वर्णन अधीन किस्में

फसलें	वर्ष 2016-17 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों के नाम और उनकी संख्या
लौकी	एबीजी-1, अर्का बहार, जेबीजी-51, कल्याणपुर लोंगे ग्रीन, काशी गंगा, केबीजीआर-12, नरेन्द्र धारीदार, नरेन्द्र ज्योति, नरेन्द्र रश्मि, एनडीबीजी-132, एनडीबीजी-619, पंत लौकी-1, पंत लौकी-4, पंजाब कोमल, पंजाब लोंग, पूसा नवीन, पूसा समृद्धि, पूसा संदेश, वीआरबीजी-136, वीआरबीजी-7
करेला	अर्का हरित, सीओ-1, एचएबीजी-21, एचएबीजी-22, हिरकानी, कल्याण बारहमासी, काशी उर्वशी, मेघना 2, एनडीबीटी-7, एनडीबीटी-9, पंत करेला-1, फुले ग्रीन गोल्ड, फुले उज्ज्वल, प्रीति, पंजाब-14, पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष, सलेक्शन-5, सलेक्शन-1
खीरा	हिमांगी, कल्याणपुर ग्रीन, पंत खीरा-1, फुले शुभांगी, पंजाब नवीन, स्वर्ण अगेती, स्वर्णपूर्णा, वीआर-101, पूसा बरखा, स्वर्ण शीतल
कद्दू	अर्का चंदन, सीओ-2, काशी हरित, केपीएस-1, नरेन्द्र अग्रिम, नरेन्द्र अमृत, पंजाब सम्राट, पूसा विकास, पूसा विश्वास, सूरज, वीआरपीके-222-2-1
तोरई	अर्का सूजत, अर्का सुमीत, सीओ-1, गर्ग-1, जयपुर लोंग, फुले सुचेता, पूसा नसदार, पूसा नूतन

3.1.45 भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली (बोगेनवीलिया)

बोगेनवीलिया पर डीयूएस केन्द्र पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण प्रभाग, भा. कृ.अ.सं., नई दिल्ली में सह-नोडल केन्द्र है। बोगेनवीलिया की 3 किस्में नामतः डॉ. पी.वी. साने, लीह नागपाल और ज्योफरी नागपाल को 2015 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के भंडारागार में पहचाना गया। इन किस्मों में विवरणों के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया निम्नानुसार है :











इन किस्मों के कुछ प्रमुख गुण निम्नानुसार हैं :


संक्षिप्त विवरण			
नाम	डॉ. पी.वी. साने	जैफरी नागपाल	लीह नागपाल
खेती आरंभ होने का वर्ष	2015	2015	2015
मूल/पूर्वज	डॉ. आर.आर. पाल का कलिका स्पॉर्ट	मनिला हाइब्रिड का कलिका स्पॉर्ट	वर्ना नागपाल की पौध
मुख्य गुण			
पौधे का स्वभाव	सीधा	सीधा	सीधा

कंटक प्रकार	सीधा	सीधा	छोटा और सीधा
पत्तियां	चिन्तीदार	चमकदार आभा के साथ हल्की हरी व चौड़ी पत्तियां	चमकदार आभा, दीर्घ वृत्ताकार आकृति वाली हल्के हरे रंग की छोटी पत्तियां
सहपत्र	अंडाकार	बड़ा	अंडाकार
अनुशासित (उपयोग की दृष्टि से)	गमले में उगाना तथा मानक	झाड़ी तथा गमलों में उगाना	गमलों में उगाना तथा झाड़ियां

3.1.46 भा.कृ.अनु.प. – मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़

पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली से प्राप्त की गई मूंगफली की छह प्रत्याशी किस्मों के परीक्षण के लिए डीयूएस परियोजना के अंतर्गत 2016 के खरीफ मौसम में परीक्षण किए गए। ये किस्में थीं वेस्टर्न वरदान, देसी मूंगफली-2, हरा मूंगफली, देसी मूंगफली लाल, देसी लाल, देसी चीनिया। सभी छह प्रत्याशी किस्में नामतः वेस्टर्न वरदान, देसी मूंगफली-2, हरा मूंगफली, देसी मूंगफली लाल, देसी लाल, देसी चीनिया। पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली से विभिन्न पंजीकरण संख्याओं के अंतर्गत प्राप्त हुई थीं जिन्हें डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार वर्जीनिया प्रकार के मामले में 45 सें.मी. x 15 सें.मी. तथा स्पैनिश बंच और वेलेंसिया प्रकारों के मामले में 45 x 10 सें.मी. की कतारों में खरीफ मौसम में 3 प्रतिकृतियों में आठ संदर्भ किस्मों के साथ डीयूएस परियोजना के अंतर्गत बोया गया।

बुद्धराम बादाम-1	गुलाबी	बुद्धराम बादाम-1	गुलाबी
			
बुद्धराम बादाम-1	गुलाबी	बुद्धराम बादाम-1	गुलाबी
			
बुद्धराम बादाम-1	गुलाबी	सोमनाथ (वीआर)	एमएच 4 (वीएएएल)



प्रत्याशी किस्मों में देसी चीनिया (115 ग्रा. फली; 215 दाने); देसी लाल (140 ग्रा. फली; 335 दाने); हरा मूंगफली (335 ग्रा. फली; 620 दाने); और वेस्टर्न वरदान (300 ग्रा. फली; 690 दाने) के बीज निर्धारित मानदंड 720 बीजों की तुलना में कम थे। इन प्रत्याशी किस्मों के किस्मों की अंतिम पौध संख्या इस प्रकार थी; वेस्टर्न वरदान में 384, देसी मूंगफली-2 में 326; हरा मूंगफली में 490; देसी मूंगफली लाल में 12 देसी लाल में 197; और देसी चीनिया में 98 । यह भी अपेक्षाकृत बहुत कम थी। इस निदेशालय में किए गए डीयूएस परीक्षण प्रयोगात्मक परीक्षणों में निम्न संदर्भ किस्मों का उपयोग किया गया तथा उन्हीं संदर्भ किस्मों का एक सैट सह-नोडल केन्द्र अर्थात् यूएएस, धारवाड़ को आपूर्त किया गया : स्पैनिश बंच : जीजी 2 और एसजी 84 (प्रत्येक की 4 कतारें) : वैलेंसिया : कोपरगांव 3 और गंगापुरी (प्रत्येक की 4 कतारें); वर्जीनिया बंच : जीजी 20 और बीएयू 13 (प्रत्येक की 6 कतारें); वर्जीनिया रनर; पंजाब 1 और सोमनाथ (प्रत्येक की 6 कतारें)। सफल फसल उगाने के लिए सभी अनुशासित सस्यविज्ञानी विधियां अपनाई गईं। वृद्धि की उचित अवस्थाओं पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। इनमें 13 गुणात्मक और 5 मात्रात्मक विवरण गुण शामिल हैं। रिकॉर्ड किए गए सभी प्रतिकृत आंकड़ों को पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली द्वारा दिए गए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित फार्मेट में संकलित करने के लिए संसाधित किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त लगभग 5 डीयूएस संदर्भ किस्में भी बीज को बढ़ाने के लिए प्रगुणित की जा रही हैं।

3.1.47 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान – भा.कृ.अनु.प.

फल विज्ञान प्रभाग, भा.कृ.अनु.प. – भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान आम के डीयूएस परीक्षण के लिए सह-नोडल केन्द्र है। इसके मुख्य विवरण निम्नानुसार हैं :

फसलें	नई		कृषक किस्में
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	
आम	15	10	10
कुल	15	10	10

डीयूएस प्लाट, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हैसरगट्टा में कुल 30 जननद्रव्यों का रखरखाव किया जा रहा है। केन्द्र ने मालावल्ली (श्री मोहम्मद गनी खान) से आम की 12 किस्मों को एकत्र करके प्रगुणित किया है और इनका उपयोग करते हुए इन्हें मूल्यांकन हेतु डीयूएस प्लाट में रोपा गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पुष्पक्रम संबंधी गुण अर्थात् पुष्पन का समय, पुष्पक्रम की लंबाई, पुष्पक्रम का व्यास, पुष्पक्रम अनुपात और अक्ष व शाखाओं के एंथोसियानिन रंग को डीयूएस दिशा-निर्देशों के अनुसार 60 प्रविष्टियों के लिए रिकॉर्ड किया

गया। आकृतिविज्ञानी तथा फल के गुणों का मूल्यांकन आईआईएचआर जननद्रव्य में डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार 40 किस्मों पर किया गया।

3.1.48 भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय नींबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, नागपुर

भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय नींबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, नागपुर डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है। सिट्रस की तीन नई किस्मों (एनआरसीसी नागपुर मैडारिन सीडलैस 4, एनआरसीसी एसिड लाइम-7 और एनआरसीसी एसिड लाइम-8) का पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार में पंजीकरण के लिए प्रथम मौसम का स्थल पर डीयूएस परीक्षण पूरा हुआ। सभी किस्मों के डीयूएस गुण तुलनीय तथा सत्यापित किस्मों के साथ रिकॉर्ड किए गए। इसके लिए विशेषज्ञों ने समय-समय पर प्रक्षेत्र का दौरा किया। सभी किस्मों का पीपीवी और एफआरए द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किए गए डीयूएस गुणों के अनुसार लक्षण-वर्णन किया गया।

3.1.49 भा.कृ.अनु.प. – प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, पुणे

यह प्याज और लहसुन के लिए डीयूएस परीक्षण का नोडल केन्द्र है। वर्ष 2016-17 के दौरान निम्न प्रगति हुई :

डीयूएस परीक्षण	5 कृषक किस्में : निदवी लाकरा, किरन ओरियोन, कृष्णदेव, रामू लाल-21 परीक्षणाधीन थीं।	18 फरवरी तथा 18 मार्च 2017 को निगरानी की गई
अनुरक्षण प्रजनन	प्याज की 46 रबी और 10 खरीफ किस्में लहसुन की 20 किस्में	

केन्द्र ने पौधा किस्म सुरक्षा हेतु प्याज और लहसुन के आवेदन प्रस्तुत किए हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :

फसलें	अब तक केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	वर्ष 1999 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या			जारी किए गए प्रमाण-पत्र
			ईएनवी	नई	वीसीके	
प्याज	7	7	6	2	1	3
लहसुन	1	1	1	—	1	1

3.1.50 भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान – भा.कृ.अनु.प., इंदौर

भा.कृ.अनु.प.— भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर भा.कृ.अ.प. के संस्थानों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से जारी की गई व अधिसूचित सोयाबीन की 115 किस्मों का डीयूएस परीक्षण के लिए रखरखाव कर रहा है। यह केन्द्र नोडल केन्द्र होने के नाते कर रहा है। केन्द्र में तीन नई किस्मों नामतः ईगल 61, ईगल 71 और ईगल 81 किस्मों का जो प्राइवेट एजेंसी से प्राप्त हुई थीं तथा 3 कृषक किस्मों (अर्जुन, पंड्रीनाथ और बेकांग फैंसिंग) का खरीफ 2016 के दौरान परीक्षण किया है। सोयाबीन एक अत्यधिक प्रकाश एवं ताप संवेदी फसल है। खरीफ 2016 के मौसम के दौरान इंदौर में जलवायु बहुत अनुकूल थी तथा गुण उचित रूप से व्यक्ति हुए। इसके अतिरिक्त सोयाबीन के गुणों की अवस्था दिशा-निर्देशों में प्रकाशित अवस्थाओं के अनुरूप थी। इस दृष्टि से बीज हाइलम के रंग, पत्ती की आकृति और फली पर रोमिलता आदि जैसे डीयूएस गुणों की

अवस्थाओं में वृद्धि करने की अभी काफी संभावना है। पत्ती की आकृति को 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है जो हैं : नुकीली अंडाकार, गोल अंडाकार तथा लैंसाकार। लेकिन कुछ किस्मों में पत्ती की आकृति बिल्कुल लैंसाकार नहीं थी और ऐसी किस्मों को 'त्रिकोणीय पत्ती आकृति' के अंतर्गत समूहित किया जा सकता है जिसे उपोव में भी मान्यता प्रदान की गई है। फली पर रोमिलता को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है – फली रोमिलता : उपस्थित, फली रोमिलता, कम गहनता (रोमिलता) तथा फली रोमिलता : अनुपस्थित। बीज के हाइलम के रंग के मामले में चार अवस्थाएं हैं। हाइलम में भूरे रंग की गहनता हल्के भूरे से लेकर गहरे भूरे रंग तक भिन्न-भिन्न है। इसलिए बीज हाइलम के रंग को अर्थात् भूरे रंग को पुनः हल्के भूरे और गहरे भूरे रंग में वर्गीकृत किया जा सकता है।

वर्ष 2016-17 में डीयूएस परीक्षण के विवरण

फसलें	नई		वीसीके	एफवी	कुल
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष			
सोयाबीन	3		—	3	6

अनुरक्षण प्रजनन : वर्ष 2016-17 के दौरान सोयाबीन की कुल 115 किस्में अनुरक्षण प्रजनन के अधीन हैं।

पौधा किस्म पंजीकरण के लिए आवेदित किस्मों का विवरण

फसलें	वर्ष 1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	वर्ष 1999 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	विद्यमान अधिसूचित श्रेणी के अंतर्गत दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या	जारी किए गए प्रमाण-पत्र
सोयाबीन	5	2	2	2

3.1.51 औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, आनंद

औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, आनंद डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास संबंधी परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है तथा औषधीय, सगंधीय व बीज मसालों के मामले में प्रयोगशाला एवं प्रक्षेत्र सुविधाओं, अंकीकरण व प्रशिक्षण के लिए डीयूएस प्रशिक्षण केन्द्रों को सबल बना रहा है। कालमेघ (प्लैंटागो ओवाटा) की संदर्भ किस्मों के अनुरक्षण में हुई संक्षिप्त प्रगति इस प्रकार है : कालमेघ के डीयूएस परीक्षण के लिए प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं तथा ये भारतीय पौधा किस्म जरनल (खण्ड 10, अंक 01) में 15 जनवरी 2016 को प्रकाशित हो चुके हैं जिन प्रमुख गुणों को अंतिम रूप दिया गया है वे हैं : पत्ती का रंग (हल्का हरा, हरा या गहरा हरा), पत्ती पत्रदल की आकृति (लैंसाकार, दीर्घ वृत्ताकार, अंडाकार/अंडाकार लैंसाकार/दीर्घ



Plate 2

वृत्ताकार); पत्ती पत्रदल की लंबाई (छोटा, लंबा), पत्ती पत्रदल की चौड़ाई (संकरा, मझौला और चौड़ा); तना प्ररोह की नोक (नोक पर मुलायम पत्तियां समूहीकृत, नोक पर मुलायम पत्तियां समूहीकृत नहीं), पत्ती पत्रदल (अंदर की ओर बंद या बाहर की ओर मुड़ा हुआ); पत्ती पत्रदल की सतह (चिकनी, झुर्रीदार), तने का शाखन पैटर्न (सीधा, फैलावदार); परागोद्भव पैटर्न (अगेती, मध्यम और पछेती), कणिशिका का प्रकार (पुष्प कलिकाएं घनिष्ठ रूप से व्यवस्थित या सुदूर व्यवस्थित), पौधे के मुख्य अक्ष का वृद्धि स्वभाव (सीधा या फैलावदार), तने की अंतरगांठ की लंबाई (छोटी, लंबी), पादप वितान की आकृति (स्तंभाकार, झाड़ीदार/झाड़ीनुमा, पिरामिड के आकार का), पौधे की ऊंचाई, छोटा, मझौला, लंबा); पत्ती में एंड्रोग्रेफोलाइड अंश (कम, मध्यम, अधिक)। तदनुसार निम्न उदाहरण किस्मों की पहचान की गई :

उदाहरण किस्मे	गुण
डीएमएपीआर एपी 1	पत्ती : पत्रदल की आकृति : अंडाकार/अंडाकार – दीर्घ वृत्ताकार/अंडाकार – लैंसाकार; पत्ती : पत्रदल : चौड़ाई : चौड़ी; पत्ती : पत्रदल : लंबाई : लंबा; तना : प्ररोह की नोक पर मुलायम पत्तियां समूहीकृत नहीं (रोसेट)
डीएमएपीआर एपी 2	पत्ती : पत्रदल : चौड़ाई : मध्यम; तना : प्ररोह नोक की मुलायम पत्तियां नोक पर समूहीकृत नहीं (रोसेट); पत्ती पत्रदल : सतह : झुर्रीदार; पौधा : ऊंचाई : मध्यम (50–70 सें.मी.)
डीएमएपीआर एपी 3	पत्ती : पत्रदल : रंग : गहरा हरा (आरएचएस रंग चार्ट हरा समूह – 137एन ए, बी); पत्ती : पत्रदल की आकृति : लैंसाकार; पत्ती : पत्रदल : चौड़ाई : संकरा (चौड़ाई <1.5 सें.मी.); पौधा : मुख्य अक्ष का वृद्धि स्वभाव : फैलावदार
डीएमएपीआर एपी 4	पौधे का वितान : आकृति : झाड़ीदार/झाड़ीनुमा
डीएमएपीआर एपी 6	पत्ती : पत्रदल की आकृति : लैंसाकार; पत्ती : पत्रदल : लंबाई : छोटी; पत्ती : पत्रदल : चौड़ाई : संकरी (चौड़ाई <1.5 सें.मी.); परागोद्भव पैटर्न : मध्यम (परागोद्भव रोपाई के 70–100 दिनों बाद आरंभ हुआ); पुष्पक्रम (पुष्पगुच्छ) : रैकिस प्रकार (रैकिस पर पुष्प कलिकाओं की व्यवस्था) पुष्प कलिकाएं घनिष्ठ रूप से व्यवस्थित (सघन रैकिस); तना अंतर गांठ : लंबाई : छोटा (अंतरगांठ की लंबाई <3 सें.मी.)
डीएमएपीआर 10	पादप वितान : आकृति : पिरामिड के आकार का
डीएमएपीआर एपी 15	पत्ती : पत्रदल का घुमाव : भीतर की ओर मुड़ा हुआ (अंदर मुड़ा हुआ)
डीएमएपीआर एपी 16	पत्ती : पत्रदल का घुमाव : बाहर की ओर मुड़ा हुआ (बाहर फैला हुआ)
डीएमएपीआर एपी 19	पत्ती : रंग : हल्का हरा (आरएचएस रंग चार्ट पीला हरा समूह – 146 ए, बी); पत्ती : पत्रदल की आकृति : अंडाकार/अंडाकार– दीर्घ वृत्ताकार/ अंडाकार– लैंसाकार; तना : प्ररोह की नोक : नोक पर समूहीकृत मुलायम पत्तियां (रोसेट); तना : शाखन पैटर्न : सीधा; पौधा : मुख्य अक्ष का वृद्धि स्वभाव : सीधा; पादप वितान : आकृति : स्तंभाकार; पौधे की ऊंचाई : मझौला (50–70 सें.मी.); पत्ती : एंड्रोग्रेफोलाइड अंश प्रतिशत – शुष्क भार के आधार पर : उच्च
डीएमएपीआर एपी 21	पौधा : मुख्य अक्ष का वृद्धि स्वभाव : फैलावदार
डीएमएपीआर एपी 22	तना : शाखन पैटर्न : फैलावदार; तना अंतरगांठ : लंबाई : लंबा
डीएमएपीआर एपी 24	पत्ती : पत्रदल की आकृति : अंडाकार/अंडाकार – दीर्घ वृत्ताकार/ अंडाकार – लैंसाकार; पत्ती : पत्रदल : चौड़ाई : चौड़ी (>2.5 सें.मी.)

डीएमएपीआर एपी 27	पत्ती : पत्रदल : लंबाई : छोटी; पत्ती : पत्रदल : चौड़ाई : मझोली
डीएमएपीआर एपी 37	पत्ती : पत्रदल की सतह : चिकनी; परागोद्भव पैटर्न : अगेती (रोपाई के <70 दिनों में परागोद्भव शुरू) पुष्पक्रम (पुष्पगुच्छ) : रैकिस प्रकार (रैकिस पर पुष्प कलिकाओं की व्यवस्था); पुष्प कलिकाएं सुदूर व्यवस्थित (लंबा रैकिस)
डीएमएपीआर एपी 45	पत्ती : एंड्रोग्रेफोलाइड अंश प्रतिशत – शुष्क भार के आधार पर : कम
डीएमएपीआर एपी 46	पादप वितान : आकृति : पिरामिड के आकार का
डीएमएपीआर एपी 48	पत्ती : पत्रदल की आकृति : दीर्घ वृत्ताकार
डीएमएपीआर एपी 51	पौधा : ऊंचाई : लंबा (>70 सें.मी.)
डीएमएपीआर एपी 56	पौधा : ऊंचाई : छोटा (<50 सें.मी.)
डीएमएपीआर एपी 57	पौधे का वितान : आकृति : पिरामिड के आकार का
डीएमएपीआर एपी 61	पत्ती : पत्रदल : रंग : हरा (आरएचएस रंग चार्ट हरा समूह 137ए, बी); पौधे का वितान : झाड़ीदार/झाड़ीनुमान; परागोद्भव पैटर्न : पछेती (रोपाई के > 100 दिन बाद परागोद्भव शुरू)
डीएमएपीआर एपी 68	पत्ती : पत्रदल की आकृति : लैंसाकार; पत्ती : एंड्रोग्रेफोलाइड अंश प्रतिशत – शुष्क भार के आधार पर : मध्यम
एके 1	पौधा : ऊंचाई : लंबा (> 70 सें.मी.)

ईसबगोल (*प्लेंटेगो ओवाटा*) की संदर्भ किस्मों का रखरखाव

दिसम्बर 2016 में ईसबगोल (*प्लेंटेगो ओवाटा*) की 11 संदर्भ किस्मों नामतः डीएमएपीआर पीओ1, डीएमएपीआर पीओ2, डीएमएपीआर पीओ3, डीएमएपीआर पीओ4, डीएमएपीआर पीओ5, डीएमएपीआर पीओ6, डीएमएपीआर पीओ7, डीएमएपीआर पीओ8, डीएमएपीआर पीओ9, डीएमएपीआर पीओ10 और डीएमएपीआर पीओ11 रखरखाव के लिए बोई गईं।

3.1.52 वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान

यह केन्द्र रेड सैंडर्स (*टेरोकार्पस सैंटेलीनस* एल.एफ.) तथा भारतीय चंदन (*सैंटालम एल्बम* एल.) के लिए डीयूएस विवरणों के विकास का कार्य कर रहा है तथा इन प्रजातियों के संबंध में देसी (परंपरागत) ज्ञान का प्रलेखन भी कर रहा है।


मुख्य उद्देश्य

- देशभर में *टेरोकार्पस सैंटेलीनस* एल.एफ. तथा *सैंटालम एल्बम* एल. समष्टियों की प्राकृतिक समष्टियों में आकृतिविज्ञानी विविधता का प्रलेखन
- *टेरोकार्पस सैंटेलीनस* एल.एफ. तथा *सैंटालम एल्बम* एल. की किस्मों के डीयूएस परीक्षण व पंजीकरण के लिए स्थायी आकृतिविज्ञानी विवरणों की पहचान
- इन प्रजातियों के संबंध में देसी समुदायों के परंपरागत ज्ञान का प्रलेखन

- *टेरोकॉपर्स सेंटेलीनस* एल.एफ. तथा *संटालम एल्बम* एल. के स्थायी आकृतिविज्ञानी गुणों के प्रोटोटाइपों के फील्ड जीन बैंक की स्थापना।

प्रमुख उपलब्धियां (मात्रात्मक एवं गुणात्मक)

रेड सैंडर्स : श्री वैकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति, आंध्र प्रदेश और कोयम्बतूर स्थिति वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान (आईएफजीटीबी) में स्थित रेड सैंडर्स के दो उद्यानों का दौरा किया गया। यहां रेड सैंडर्स के वृक्षों पर पत्तियां खिलने की अवस्था में थीं तथा फल युवावस्था में पाए गए। अतः पत्ती की आकृतिविज्ञानी विविधताओं व छाल की आकृतिविज्ञानी विविधताओं को रिकॉर्ड किया गया। तिपतियां पत्तियों के नमूने इन उद्यानों में चुने गए प्रत्येक वृक्ष से एकत्र किए गए। छाया विश्लेषक (लेइका क्वांटीमेट 500+) का उपयोग करके पत्ती के विभिन्न आकृतिविज्ञानी गुण रिकॉर्ड किए गए। क्यूविन 2डी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पत्ती की सतह का क्षेत्र, लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा पहलू अनुपात नापे गए। नापे गए पत्ती के सभी आकृतिविज्ञानी गुणों में उल्लेखनीय भिन्नता थी। आंकड़ों के विश्लेषण से यह प्रदर्शित हुआ कि जब तिपतियां यौगिक पत्तियों को लेते हुए पत्ती का आकृतिविज्ञानी विश्लेषण किया गया तो सभी प्राचलों (गोलाई को छोड़कर) के लिए विभिन्न औसत समूहों में उल्लेखनीय रूप से अंतर था। जब पार्श्व पत्तियों और शीर्ष पत्तियों का अलग से विश्लेषण किया गया तो समूहों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। अतः पत्ती के आकृतिविज्ञानी विश्लेषण से यह पाया गया कि पार्श्व तथा शीर्ष पत्तियों को अलग-अलग लिया जाना चाहिए। तमिल नाडु में उथानगरेई के निकट विद्यमान विभिन्न आयु वर्ग (1 से 12 वर्ष) के रेड सैंडर्स के उद्यानों का भ्रमण किया गया तथा छिलके के रंग व बनावट, छाल के टुकड़ों के आकार में आकृतिविज्ञानी विविधता का अध्ययन किया गया। रेड सैंडर्स के 50 चुने हुए वृक्षों के बीच पौध उगाने के लिए नर्सरी में बोए गए हैं। फल के आकृतिविज्ञानी गुणों में विविधता का भी अध्ययन किया गया।



चंदन : कोयम्बतूर और बंगलुरु में *संटेलम एल्बम* की प्राकृतिक समष्टि का सर्वेक्षण किया गया और चुने गए 20 वृक्षों में बेतरतीब रूप से पत्ती, फलों, बीजों और छाल के गुणों का अध्ययन किया गया। नमूना लिए गए वृक्षों में बीज का औसत भार 0.14 ग्रा. से 0.24 ग्रा. के बीच अलग-अलग था। छाया विश्लेषक (लेइका क्वांटीमेट 500+) का उपयोग करके बीज के विभिन्न आकृतिविज्ञानी प्राचल रिकॉर्ड किए गए। बीज का औसत क्षेत्र 0.19 से 0.49 वर्ग मी. के बीच था, बीज की औसत लंबाई 0.36 से 0.89 सें.मी. के बीच थी, बीज की औसत चौड़ाई 0.30 से 0.75 सें.मी. के बीच भिन्न-भिन्न थी तथा बीज की औसत परिधि 1.12 से 2.77 सें.मी. के बीच भिन्न-भिन्न थी। अन्य प्राचलों जैसे पहलू अनुपात, घुमाव की लंबाई और चौड़ाई आदि भी रिकॉर्ड किए गए।

इसी प्रकार, इन वृक्षों से परिपक्व पत्तियां भी एकत्र की गईं ताकि छाया विश्लेषक का उपयोग करके पत्ती के आकृति विज्ञान में विविधता का अध्ययन किया जा सके।

भावी लक्ष्य (2017–18 के लिए)

- प्राकृतिक उगे हुए और रोपे गए रेड सैंडर्स तथा चंदन की समष्टियों का दौरा करना
- रेड सैंडर्स और चंदन में आकृतिविज्ञानी विविधता का प्रलेखन करना
- देसी ज्ञान का प्रलेखन करना
- विभिन्न समष्टियों से एकत्र किए गए बीजों से रेड सैंडर्स तथा चंदन की पौध उगाना
- चंदन और रेड सैंडर्स को खेतों में रोपना

3.2 फील्ड जीन बैंक

3.2.1 शीतोष्ण फलों के फील्ड जीन बैंक की स्थापना जो एक परियोजना/फील्ड जीन बैंक है, को डॉ. वाई. एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, मशोबरा, शिमला (हिमाचल प्रदेश) के क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके मुख्य उद्देश्य संक्षेप में इस प्रकार है :

- शीतोष्ण फलों – सेब, नाशपाती और मीठी चेरी के प्रजनन ब्लॉकों के अनुरक्षण के साथ-साथ किस्म संकलन का रखरखाव।
- डीयूएस की दृष्टि से किस्मों का आकृतिविज्ञानी लक्षण-वर्णन
- प्रमुख कृषक किस्मों का संकलन

केन्द्र में जिन किस्मों का अनुरक्षण किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :

फसल	अनुरक्षण प्रजनन ब्लॉकों में किस्मों की संख्या	किस्म संकलन ब्लॉकों में किस्मों की संख्या
सेब	266	114
नाशपाती	77	31
चेरी	46	21

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान केन्द्र में निम्नलिखित किस्मों और लाई गई :

अनुरक्षण प्रजनन ब्लॉक

फसल	किस्म का नाम	स्रोत
सेब	वाइनसेप वर्जिनिया	आरएचआर और टीएस, मशोबरा
	स्टार्क स्पर गोल्डन	आरएचआर और टीएस, मशोबरा
	रेस सीआर	आरएचआर और टीएस, मशोबरा
	न्यू फैन	आरएचआर और टीएस, मशोबरा
	फ्यूजी	आरएचआर और टीएस, मशोबरा
	डोसैट गोल्डन	वाईएसपीयूएच और एफ, नौनी
नाशपाती	पैकमैस ट्रायम्फ	निजी बाग, रोहू
	बेउरे बॉस्क	निजी बाग, रोहू

किस्म संकलन ब्लॉक

फसल	किस्म का नाम	स्रोत
सेब	रैंड वेलॉक्स	वीटा फ्रूट, इटली
	रेडलम गाला	वीटा फ्रूट, इटली
	चैलेंजर	वाईएसपीयूएच और एफ, नौनी, सोलन
	वैली स्पर	वाईएसपीयूएच और एफ, नौनी, सोलन
	फुलफोर्ड गाला	वाईएसपीयूएच और एफ, नौनी, सोलन
	एस स्पर	वाईएसपीयूएच और एफ, नौनी, सोलन
नाशपाती	स्टार्क विंटर बार्लेट	निजी बाग, कोटखै, शिमला
	पैकहैम्स ट्रैम्फ	निजी बाग, रोहरू, शिमला
		टीएचआरएस, कोटखै, शिमला
		निजी बाग, शीतलघाट, शिमला
	कांफ्रेंस	निजी बाग, कोटखै, शिमला
		निजी बाग, शीतलघाट, शिमला
		जीबीपीयूए और टी, पर्वतीय परिसर, रानीचौरी
	कोनकोर्ड	जीबीपीयूए और टी, पर्वतीय परिसर, रानीचौरी
		निजी बाग, कोटखै, शिमला
		निजी बाग, कोटखै, शिमला
	रेड सेंसेशन	आरएचआरएस, बजौरा, कुल्लू
	एबाटे, फेटेल	निजी बाग, कोटखै, शिमला
		एसकेएयूएसटी, श्रीनगर
	बेउरे बॉस्क	निजी बाग, कोटखै, रोहरू, शिमला
कार्मेन	एसकेएयूएसटी, श्रीनगर	
कैनाल रेड	निजी बाग, कोटखै, शिमला	

वानस्पतिक तथा फल संबंधी गुणों के लिए सेब, नाशपाती और चेरी का लक्षण-वर्णन

वर्ष (2016) के दौरान वानस्पतिक प्राचलों (एक वर्ष पुराना प्ररोह : मोटाई, एक वर्ष पुराना प्ररोह : अंतरगांठ की लंबाई, एक वर्ष पुराना प्ररोह : लैटीसैल की संख्या, एक वर्ष पुराना प्ररोह : धूप की तरफ वाला रंग तथा एक वर्ष पुराना प्ररोह : प्ररोह पर रोमिलता, पत्रदल : लंबाई : पत्रदल : चौड़ाई, पत्रदल : लंबाई/चौड़ाई का अनुपात) को रिकॉर्ड किया गया।

नाशपाती में वानस्पतिक प्राचल (वृक्ष : पुष्टता, वृक्ष : शाखन : वृक्ष : स्वभाव, एक वर्ष पुराना प्ररोह : वृद्धि, एक वर्ष पुराना प्ररोह : अंतरगांठों की लंबाई) तथा चेरी में डेटा रिकॉर्ड किए गए। ये आंकड़े थे : वृक्ष : पुष्टता, वृक्ष : स्वभाव, वृक्ष : शाखन, एक वर्ष पुराना प्ररोह : लंबाई तथा एक वर्ष पुराना प्ररोह : मोटाई।



3.2.2 बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची 'पूर्वी भारत की पारिस्थितिक प्रणाली में स्व स्थाने संकलन के अंतर्गत फलदार वृक्षों व औषधीय पौधों की किस्मों के सजीव भंडारागार का अनुरक्षण' पर एक फील्ड जीन बैंक परियोजना को लागू कर रहा है। इस फील्ड जीन बैंक में आम की 43 किस्मों का अनुरक्षण किया जा

रहा है। सिट्रस, खट्टा, मौसम्बी और नागपुर संतरे राष्ट्रीय नींबूवर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र, नागपुर से एकत्र किए गए हैं तथा खासी संतरा भा.कृ.अ.प. – बड़ापानी, शिलांग से एकत्र किया गया है।

प्रविष्टि का नाम (सिट्रस)	संकलन का स्रोत
खासी मेंडारिन	भा.कृ.अनु.प. – उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बड़ापानी, शिलांग
नागपुर संतरा	भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय नींबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, नागपुर
नारंगी	
खट्टा	
खट्टा	
नागपुर संतरा	
नागपुर मौसम्बी	
कागज़ी कलां	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची

किस्म का नाम	उद्भव	संकलन का स्रोत (स्क्रियॉन)		
		भा.कृ.अ.प.	बीएयू	अन्य
आम्रपाली	भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	करनाल	जैडआरएस चियांकी, बागवानी विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, धनबाद	–
मल्लिका	भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	करनाल	जैडआरएस चियांकी, बागवानी विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, धनबाद	–
लंगड़ा	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	–	बागवानी विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, धनबाद	बीएसी साबौर
दशहरी	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	–	जैडआरएस, चियांकी, कृषि विज्ञान केन्द्र, धनबाद	–
हिमसागर	बीसीकेवी, पश्चिम बंगाल	–	जैडआरएस, चियांकी	बीएसी साबौर
फजली	साबौर, बिहार, पश्चिम बंगाल	–	जैडआरएस, चियांकी, बागवानी विभाग	–
सुंदर लंगड़ा	साबौर, बिहार	–	जैडआरएस, चियांकी	बीएसी साबौर
प्रभाशंकर	साबौर, बिहार	–	बागवानी विभाग, जैडआरएस, चियांकी	–
महमूद बहार	साबौर, बिहार	–	जैडआरएस, चियांकी	–
अलफजली	साबौर, बिहार	एचएआरपी प्लांटु	–	–
चौसा	आरआरएस, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	–	जैडआरएस, चियांकी	बीएसी साबौर
जर्दालु	मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल	–	बागवानी विभाग	बीएसी साबौर
किशनभोग	साबौर, भागलपुर, बिहार	–	–	बीएसी साबौर
मिडुआ	साबौर, भागलपुर, बिहार	–	–	बीएसी साबौर
सेपिया	साबौर, भागलपुर, बिहार	–	जैडआरएस, चियांकी, बागवानी विभाग	–
सुकुल	साबौर, बिहार	एचएआरपी, प्लांटु	–	–

लखनऊ सफेदा	सीआईएसएच, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	एचएआरपी, प्लांडु	—	—
बनराज	बड़ौदा, गुजरात	एचएआरपी, प्लांडु	—	—
गौरजीत	शोहरातवरह, बस्ती उत्तर प्रदेश	एचएआरपी, प्लांडु	—	—
तोतापरी	दक्षिण भारत (आंध्र प्रदेश)	एचएआरपी, प्लांडु	—	बीएसी साबौर
सफेद मलिहाबाद	सीआईएसएच, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	एचएआरपी, प्लांडु	—	—
अल्फांसो	रत्नगिरी (महाराष्ट्र)	—	जैडआरएस, चियांकी, बागवानी विभाग	—
रॉयल स्पेशल	आईआईएचआर, बंगलुरु		जैडआरएस, चियांकी	
जाम्बर			जैडआरएस, चियांकी	
रानी पसंद			जैडआरएस, चियांकी	
लंगड़ा मालदाह			जैडआरएस, चियांकी	
अर्का नीलकिरण			बागवानी विभाग	
सनवारी			जैडआरएस, चियांकी	
केतकी		एचएआरपी, प्लांडु	डद्यान विभाग	
इलायची		एचएआरपी, प्लांडु	—	—
बेनजीर	सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	एचएआरपी, प्लांडु	—	—
रत्ना		एचएआरपी, प्लांडु	—	—
रुमानी	दक्षिण भारत	एचएआरपी, प्लांडु	—	—
ताईमुरिया	उत्तर प्रदेश	एचएआरपी, प्लांडु	—	—
दुधिया मालदा		—	जैडआरएस, चियांकी	—
दुधिया		—	—	बीएसी साबौर
पूसा सूर्या	भा.कृ.अ.स., नई दिल्ली	भा.कृ.अ.स.	—	—
अर्का नील किरण	आईआईएचआर, बंगलुरु	एचएआरपी, प्लांडु	—	—
पैरी	रत्नगिरि (महाराष्ट्र)	एचएआरपी, प्लांडु	—	—
मुम्बई		एचएआरपी, प्लांडु	जैडआरएस, चियांकी	—
गुलाब खास		—	बागवानी विभाग, जैडआरएस, चियांकी	—
कुमार पहाड़		—	जैडआरएस, चियांकी	बीएसी साबौर
चित्तरंजन			क्षेत्रीय कार्यालय (23.02.2013) पीपीवी एवं एफआर रांची	

^'JS'hi'VK

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का राष्ट्रीय जीन बैंक राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर), पूसा, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण मध्य अवधि के भंडारण के अंतर्गत सुरक्षित रखने की सुविधा की व्यवस्था करता है। मध्यम अवधि की सुविधा के कार्यों में निगरानी एनबीपीजीआर के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। मध्यम अवधि के भंडारण के दौरान तापमान $\pm 4^{\circ}$ से. तथा सापेक्ष आर्द्रता 35 प्रतिशत रखी जाती है। मध्यावधि भंडारण (एमटीएस) माइयूल के सापेक्ष आर्द्रता व तापमान व डीयूएस परीक्षण रिपोजिटरी को इलेक्ट्रीशियन द्वारा प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है और यदि कोई समस्या आती है तो उसे एनबीपीजीआर के तकनीकी कार्मिक के समक्ष ध्यान देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। समय-समय पर डीयूएस परीक्षण के लिए किस्मों के नमूने को पैक बंद करने, सीलबंद करने और संसाधित करने के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी तकनीकी सहायता प्रदान की है। मध्यावधि भंडारण की दशाओं के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के सच्चे (रूढ़) बीजों तथा डीयूएस परीक्षण/गोआउट परीक्षण के अंतर्गत आने वाली किस्मों के बीज नमूने यहां भंडारित किए जाते हैं। पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 27 में राष्ट्रीय जीन बैंक के लिए प्रावधान है और यह कहा गया है कि प्रजनक बीजों अथवा प्रवर्धित सामग्री जिसमें राष्ट्रीय जीन बैंक में पंजीकृत किस्म के पूर्वज वंशक्रम के बीज भी शामिल हैं, की वांछित मात्रा जीन बैंक में जमा कराएगा। इसके अतिरिक्त पीपीवी और एफआर नियमावली 2003 के अनुसार बीजों के नमूने तथा उनके प्रोपेलॉग आनुवंशिक शुद्धता, समरूपता और अंकुरण, स्वच्छता और पादप स्वच्छता के मानकों को बनाए रखते हुए प्रस्तुत किए जाएंगे। इसकी अधिदेशित गतिविधियां किसी भी बहिःस्थाने जननद्रव्य बैंक की तुलना में पर्याप्त भिन्न हैं जैसे मध्यावधि भंडारण, बीजों की साज-संभाल, उन्हें पैक बंद करने व डीयूएस परीक्षण केन्द्रों पर खेत परीक्षण के लिए भेजने के लिए पादप किस्म सुरक्षा की आवश्यकता होती है और साथ ही बीज की गुणवत्ता के प्राचलों आदि का भी मूल्यांकन करना होता है और इसके लिए वैधानिक प्रक्रियाओं व अपेक्षाओं का पालन किया जाता है। पंजीकृत किस्मों के भंडारित बीजों का उपयोग विभिन्न विवादों को हल करने, अनिवार्य लाइसेंस देने तथा ऐसे ही अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए किया जाता है जो अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं।

पंजीकृत किस्मों के बीजों का मध्यावधि भंडारण

बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित 900 विद्यमान किस्मों, 297 नई किस्मों तथा 781 कृषक किस्मों के बीज नमूने बीज भंडारण के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए बीज कैबिनेटों में रखे जा रहे हैं। इन्हें 4° से. तापमान और 30 ± 5 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता की नियंत्रित जलवायु वाली दशाओं के अंतर्गत रखा जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लंबी अवधि में बीज नमूने कार्याकी रूप से जीवनक्षम बने रहें। पंजीकृत किस्मों के बीज नमूने सुरक्षा की अवधि तक भंडारित किए जाते हैं और इनकी जीवन क्षमता की जांच फसल विशिष्ट मानकों और अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित अंतराल पर की जाती है। पंजीकृत किस्मों के बीज पीपीवी और एफआर के राष्ट्रीय जीन बैंक में मध्यम अवधि के भंडारण में रखे गए हैं तथा उनका परीक्षण उनके भंडारण के पांच वर्ष बाद किया गया है।

फलों, रोपण फसलों तथा वृक्ष प्रजातियों के फील्ड जीन बैंक

परियोजना का शीर्षक : सजीव रिपोजिटरी के माध्यम से फलों, रोपण फसलों और वृक्ष प्रजातियों का संकलन,

अनुरक्षण, मूल्यांकन तथा विवरणों का विकास

संस्थान : बीबीएसकेकेवी, दपोली, महाराष्ट्र

वृक्ष : आम, नींबूवर्गीय फल, ईमली, केला, काली मिर्च, इलायची, कटहल और जायफल।

परियोजना का विवरण

अनुरक्षण/लक्षण-वर्णन अधीन किस्में

फसल	अनुरक्षण अधीन किस्मों/इकोटाईप की संख्या	फसल	अनुरक्षण अधीन फसलों/इकोटाईप की संख्या
आम	36	केला	30+8
हल्दी	13 इकोटाईप	जायफल	1 किस्म (3 पौधे)
	31 किस्में	कटहल	2 किस्में (14 पौधे)
इलायची	5	कृषक किस्में	160
नींबूवर्गीय फल	4 प्रजातियां	काली मिर्च	6
कचई नींबू	1		



फील्ड जीन बैंक में निम्नलिखित सामग्री संकलित करके संरक्षित की गई है

प्रजाति का नाम	एकत्र किए गए जनद्रव्य की संख्या	स्रोत
आम	20 किस्में	आरएफआरएस आम अनुसंधान केन्द्र, वेनगुरला, बागवानी विभाग, धपोली; सीईएस वाकवाली, श्री भूष्ण पद्माकर, नबार, मैत, वैंगुर्ले
आम	280 पौधे	सीईएस, वकावी
केला	30 किस्में	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, तमिल नाडु
सिट्रस	3 किस्में	राष्ट्रीय नींबूवर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र, नागपुर
इलायची	9 किस्में	इलायची अनुसंधान केन्द्र, अप्पनगाला और भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, म्यालादुमपारा
हल्दी	38 किस्में	डॉ. अशोक चिवाटे, कृषि अनुसंधान केन्द्र, डिगरास, सांगली; भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान फार्म, पेरुवन्नामुझी, श्री संजय जाधव, बदलापुर, महाराष्ट्र
अदरक	4 किस्में	डॉ. अशोक चिवाटे, कोरेगांव, महाराष्ट्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, डिगरास, सांगली; श्री श्रीपद् डिगामाने, सांगली और श्री संतोष डारेकर, बोरगांव, सतारा
काली मिर्च	15 किस्में	काली मिर्च अनुसंधान केन्द्र, पेनियूर और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान फार्म, पेरुवानामुझी

फील्ड जीन बैंक में निम्नलिखित सामग्री प्राप्त की गई व उसका संरक्षण किया गया

प्रजाति का नाम	प्राप्त जननद्रव्यों की संख्या	स्रोत
केला	8 किस्में	श्री विजयन, अध्यक्ष, चेंगलीकोंदन, बनाना, ग्रोवर्स एसोसिएशन, इरुमाप्रटी, त्रिचुर, केरल
कचई नींबू	10 पौधे	मणिपुर केन्द्र, इम्फाल
कटहल	2 किस्में	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली
मिर्च	15 ग्राम	केन्द्रीय तटवर्ती कृषि अनुसंधान संस्थान, गोआ
हल्दी	2 किस्में	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
रोपण सामग्री	160 पौधे	आईपीआर कोष्ठ, केरल विश्वविद्यालय, केरल
जीमीकंद	5 किस्में	शाजी, एन.एम. अरात्तूथारा, वायनाड, केरल

फील्ड जीन बैंक में पंजीकरण हेतु अनुरक्षित नामित किस्में

प्रजाति का नाम	नामित नाम	स्रोत
चावल	सारवत	श्री परशुराम रामजी लाम्बे, वादी जैतपुर, खेड, रत्नगिरि
चावल	तिचिन	श्री बालकृष्ण कानु दाउल, धपोली, रत्नगिरि
चावल	वादा कोलम	श्री संजीव प्रभाकर सामेल, पानवेल, रायगढ़
चावल	थोम्बे	श्री दत्ता राम तुका राम येलामकर, धपोली, रत्नगिरि
नारियल	कोंकण भात्ये कोकोनट हाइब्रिड-1	क्षेत्रीय नारियल अनुसंधान केन्द्र, भात्ये, रत्नगिरि

शीतोष्ण फलों का जीन बैंक

संस्थान : आरएचआरएस (डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय), मशोबरा, शिमला

- शीतोष्ण फलों जैसे सेब, नाशपाती और स्वीट चेरी की किस्मों के संकलन का रखरखाव तथा प्रजनन ब्लॉकों का रखरखाव
- डीयूएस की दृष्टि से किस्मों के आकृतिविज्ञानी गुणों का लक्षण-वर्णन
- प्रमुख कृषक किस्मों का संकलन


वर्ष 2016-17 के दौरान कार्य में हुई प्रगति

- सेब की छह किस्में नामतः वाईनसैप वर्जिनिया, स्टार्क स्पर गोल्डन, रेस सीआर, न्यू फैन, फ्यूजी, डोर्सेट गोल्डन जो विभिन्न स्रोतों से ली गई थीं, को प्रजनन ब्लॉक में अनुरक्षित किया जा रहा है तथा नाशपाती की दो किस्में नामतः पैकहेम्स ट्रायम्फ और ब्युरे बॉस्क निजी बगीचों से प्राप्त करके जीन बैंक में शामिल की गई हैं।
- किस्म संकलन ब्लॉक में सेब की छह किस्में नामतः रेड वेलॉक्स और रेडलम गाला को वीटा फ्रूट नर्सरी, इटली से प्राप्त करके; तथा चैलेंजर, वैली स्पर, फुलफोर्ड गाला और ऐस स्पर को वाईएसपीयूएच और एफ, नौनी, सोलन से प्राप्त करके किस्म संकलन ब्लॉक में उगाया गया। नाशपाती के संदर्भ ब्लॉक में नौ किस्में

नामत: स्टार्क विंटर बाल्ट, पैकहैम्स ट्राइम्फ, कांफ्रेंस, कोनकार्ड, रेड सेंसेशन, एबेटे फेटल, बेयूरे बॉस्क, कार्मेन और केनाल रेड को सात विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करके जीन बैंक में शामिल किया गया।

- सेब : वर्ष के दौरान वानस्पतिक प्राचलों (एक वर्ष पुराने प्ररोह : मोटाई, एक वर्ष पुराने प्ररोह : अंतरगांठ की लंबाई, एक वर्ष पुराने प्ररोह : लेंटीसेल की संख्या, एक वर्ष पुराने प्ररोह : धूप के छोर वाले भाग का रंग तथा एक वर्ष पुराने प्ररोह : प्ररोह की रोमिलता) संबंधी आंकड़े सेब के संदर्भ ब्लॉक में रिकॉर्ड किए गए जबकि फल के गुणों संबंधी आंकड़े नामतः फल का भार, फल का आकार (लंबाई और चौड़ाई), लंबाई/व्यास का अनुपात, आकृति, धारियां, अंखुड़ी की लंबाई, अंखुड़ी के छोर पर क्राउनिंग, छिलके की चमक, चिकनाई, सतह का रंग, रंग वाला क्षेत्र, रंग की गहनता, रंग एवं आभा, रंग के पैटर्न, डंठल के जुड़ाव के आस-पास रसेट का क्षेत्र, तुलनीय किस्म पर रसेट का क्षेत्र, अखुवा के थाले के चारों ओर रसेट का क्षेत्र, लेंटीसेल की संख्या, डंठल की लंबाई, डंठल की मोटाई, डंठल की गहराई, डंठल गुहा की चौड़ाई, अखुवे का आकार, अखुवा गुहा की गहराई, गूदे का रंग तथा बीज कोष्ठों के छिद्र आदि पर पर्यवेक्षण इस केन्द्र के जननद्रव्य ब्लॉक से एकत्र किए गए नमूनों पर किया गया।

बैलून अवस्था पर सेब के पुष्प का रंग



Northern Sinap: Yellowish Pink

Ruby John: Light Pink

Shreen: White

नॉर्डन सिनेप : हल्का पीलापन युक्त गुलाबी

रूबी जौन : हल्का गुलाबी

श्रीन : सफेद

- **नाशपाती** : वानस्पतिक प्राचलों (वृक्ष : पुष्टता, वृक्ष : शाखन, वृक्ष : स्वभाव, एक वर्ष आयु का प्ररोह : वृद्धि, एक वर्ष आयु का प्ररोह : अंतरगांठ की लंबाई) तथा चेरी में वृक्ष : पुष्टता, वृक्ष : स्वभाव, वृक्ष : शाखन, एक वर्ष पुराना प्ररोह, लंबाई और एक वर्ष पुराना प्ररोह : मोटाई संबंधी आंकड़े रिकॉर्ड किए गए।

अध्याय 4 : डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास और जननद्रव्य बैंकों की स्थापना

4. डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास

4.1 डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास पर कार्य बल

प्राधिकरण ने अपने पंजीकरण का क्षेत्र बढ़ाने के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने हेतु अनेक कार्यबल समितियों की स्थापना की है। इसके अंतर्गत आने वाली फसलें हैं : गौण मोटे अनाज, शंक्व फसलें, शहतूत, रत्नजोत, कसावा, शकरकंद, काजू और सुपारी।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए अनेक कार्य बल बैठकें आयोजित हुईं जिनका विवरण इस प्रकार है :

- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के कार्यालय में 6 मई, 2016 को गौण मोटे अनाजों के डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए कार्य बल की बैठक
- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के कार्यालय में 3 जून, 2016 को शंक्व फसलों के डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए कार्य बल की बैठक
- केन्द्रीय रेशम पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर में 14 जून 2016 को 'शहतूत के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों का सत्यापन' पर कार्यबल की बैठक
- दिनांक 14 से 15 सितम्बर 2016 तक रत्नजोत के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के मूल्यांकन व उन्हें अंतिम रूप देने के लिए कार्य बल की बैठक आयोजित की गई।
- कसावा और शकरकंद के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का मूल्यांकन करने व उन्हें अंतिम रूप देने के लिए कार्य बल की बैठक आयोजित की गई।
- पुत्तूर, कर्नाटक में 18 मार्च 2017 को काजू और सुपारी के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए कार्य बल की बैठक का आयोजन हुआ।

4.2 परियोजना मूल्यांकन समिति

वित्तीय सहायता स्वीकृत किए जाने हेतु पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा के लिए दिनांक 26 जनवरी 2017 को डॉ. जे.एस. चौहान, उप महानिदेशक (बीज), भा.कृ.अ.प., कृषि भवन, नई दिल्ली की अध्यक्षता में परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। डॉ. एम. बी. चेट्टी, सहायक महानिदेशक (मानव संसाधन विकास), शिक्षा प्रभाग, भा.कृ.अ.प., पूसा, नई दिल्ली; डॉ. दिनेश कुमार, प्रधान वैज्ञानिक (एफएफसी), भा.कृ.अ.प., कृषि भवन, नई दिल्ली तथा डॉ. आई.यू. धुज, अनुसंधान एसोसिएट निदेशक, जेएयू, जूनागढ़, गुजरात इस समिति के सदस्य थे और ये भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में 14 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। चूंकि ये परियोजनाएं फसल विशिष्ट गतिविधियों में संस्थानों की अनुसंधान क्षमता तथा फसलों के महत्व के आधार पर प्रदान की गई थीं, अतः समिति ने निम्न परियोजनाओं को कार्योंत्तर स्वीकृति के लिए अनुशंसित किया :

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक	भा.कृ.अ.प., राज्य कृषि विश्वविद्यालय, संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के नाम	अवधि तथा स्वीकृत बजट (रुपये लाख में)
1.	रोसले और मेस्ता (<i>हिबिस्करस सेबादरिफा</i> एल.) के विविध जननद्रव्य, जारी की गई किस्मों और भूजातियों का उपयोग करके डीयूएस लक्षण-वर्णन	डॉ. एस.के. देसाइ प्राध्यापक (आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन) आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, कृषि महाविद्यालय, यूएएस, धारवाड़-58005 सह प्रधान अन्वेषक : डॉ. एस.के. देशपाण्डे सह नोडल केन्द्र : सीआरआईजेएएफ, बैरकपुर	2 वर्ष 18.00 2 वर्ष 18.00
2.	कुकरबिट नामतः चाउ-चाउ, पेठा, चिचिंडा और आइवी गाउर्ड के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का सत्यापन	डॉ. एस.पी. कनौजिया, प्रधान अन्वेषक, एसोसिएट प्राध्यापक, बागवानी विभाग, एसएएसआरडी, नागालैंड विश्वविद्यालय, मेदजीफेमा - 797106	2 वर्ष 18.00
3.	एफसीवी (फ्लू कल्ड वर्जिनिया) तथा बीडी तम्बाकू के लिए विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व (डीयूएस) दिशानिर्देशों का विकास	डॉ. के. सरला, प्रधान अन्वेषक, फसल सुधार प्रभाग, भा.कृ.अ.प., केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजा मुंदरी	2 वर्ष 18.00
4.	सह-नोडल केन्द्र नींबू (<i>सिट्रस लिमेओन</i> (एल.) बुर्म) और चकोतरा (<i>सिट्रस ग्रैंडिस</i>) के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश तैयार करना व उनका सत्यापन	डॉ. एन.ए. देशमुख, वैज्ञानिक (फल विज्ञान), बागवानी विभाग, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. परिसर, उमियम- 793013, मेघालय सह-प्रधान अन्वेषक : डॉ. एच. रैम्बई	3 वर्ष 27.00
5.	नोडल केन्द्र अनाज के लिए लोबिया (<i>विग्ना अंगुइक्यूलेटा</i> (एल.) वाउप) के विविध जननद्रव्य, जारी की गई किस्मों तथा भू प्रजातियों का उपयोग करके डीयूएस लक्षण-वर्णन	डॉ. एस.के. देशपाण्डे, प्राध्यापक (आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन) आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, कृषि महाविद्यालय, यूएएस, धारवाड़ - 580005 सह नोडल केन्द्र : भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश	2 वर्ष 18.00 2 वर्ष 18.00
6.	सह नोडल केन्द्र कटहल के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास	उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ. प. अनुसंधान परिसर, उमियम- 703013, मेघालय	2 वर्ष 18.00
7.	कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में सामुदायिक जीन बैंक की स्थापना तथा रबी ज्वार, गेहूं व अरहर की कृषक किस्मों का संरक्षण	डॉ. एन.के. बिरादर पाटिल, अधिष्ठाता (कृषि), कृषि महाविद्यालय, विजयापुर	2 वर्ष 10.00
8.	भागीदारीपूर्ण बीजोत्पादन तथा सामुदायिक जीन बैंकों की स्थापना के माध्यम से कृषक किस्मों को मुख्य धारा में लाना	डॉ. जे.एस. हिल्ली, प्राध्यापक, बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं अध्यक्ष, डिप्लोमा महाविद्यालय, यूएएस, धारवाड़, कर्नाटक	2 वर्ष 10.00
9.	महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से दलहनों, सब्जियों व अनाजों की कृषक किस्मों का सर्वेक्षण, संकलन, लक्षण-वर्णन और पंजीकरण	डॉ. पी.एम. हल्दानकर प्रधान अन्वेषक एवं अध्यक्ष, बागवानी विभाग, धपोली; डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, धपोली-	2 वर्ष 18.00

		515712, जिला रत्नगिरि (महाराष्ट्र)	
10.	पूर्वी उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की मक्का, मोटे अनाज, दलहनों व सब्जियों की कृषक किस्मों की पहचान, संकलन व उनका प्रलेखन (पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत)	प्रो. (डॉ.) शैलेश मार्कर, एसएचआईएटीएस, इलाहाबाद— 211007, उत्तर प्रदेश	2 वर्ष 18.00
11.	काश्मीर घाटी से मक्का की भूप्रजातियों की कृषक किस्मों का संकलन, लक्षण-वर्णन, उपयोग व उनका पंजीकरण	डॉ. जैड.ए. डार एसोसिएट प्राध्यापक, डीएआरएस, पो.बा. 905, जीपीओ, श्रीनगर, काश्मीर—190001	2 वर्ष 18.00
12.	अनाजों, दलहनों और सब्जियों की कृषक किस्मों का संकलन, प्रलेखन व पंजीकरण व पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत उनका संरक्षण	डॉ. चंदन रॉय, सहायक प्राध्यापक व कनिष्ठ वैज्ञानिक, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, भागलपुर	3 वर्ष 18.00
13.	कॉफी के डीयूएस केन्द्र की स्थापना के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों का विकास	केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, कॉफी अनुसंधान केन्द्र, चिकमंगलूर, कर्नाटक	1 वर्ष 9.00
14.	किसानों के खेतों में उगाए गए गौण बीज मसालों का संकलन, लक्षण-वर्णन, मूल्यांकन, अनुरक्षण और पंजीकरण	डॉ. वी.पी. पाण्डे, सब्जी विज्ञान विभाग, एनडीयू और टी, कुमारगंज, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	1 वर्ष 9.00

4.3 चल रही परियोजनाएं

4.3.1 आईसीएफआरई— एफजीटीबी, कोयम्बतूर

यह केन्द्र *एलिंथस एक्सेला* रॉक्सब के लिए विवरणों तथा डीयूएस दिशानिर्देशों का विकास और जननद्रव्य बैंक की स्थापना विषय पर एक परियोजना लागू कर रहा है ।

परियोजना की मुख्य विशेषताओं का विवरण

उद्देश्य

- एलिंथस के विशिष्ट तथा अनोखे गुणों की पहचान के लिए विभिन्न समष्टियों/क्लों के वृक्ष संबंधी आकृतिविज्ञानी गुणों का अध्ययन
- *एलिंथस एक्सेला* में विभिन्न स्थानों/वर्षों के दौरान स्थायी गुणों की पहचान करना।
- संदर्भ संकलन के रूप में विभिन्न समष्टियों/क्लों के साथ *एलिंथस एक्सेला* के लिए जननद्रव्य बैंक की स्थापना।
- *एलिंथस एक्सेला* जननद्रव्य की स्थापना

वर्ष 2016–17 के दौरान प्रगति

- तमिल नाडु के पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी औ, दक्षिणी अंचलों में *एलिंथस एक्सेला* की प्राकृतिक समष्टि का सर्वेक्षण किया गया तथा बेतरतीब रूप से चुने गए वृक्षों में पत्तियों, छाल, फलों और बीजों की आकृतिविज्ञानी विविधता का अध्ययन किया गया। चैन्नई में आईएफजीटीबी के *एलिंथस एक्सेला* जननद्रव्य

का संकलन किया गया तथा कुरुम्बपट्टी, सेलम, फील्ड अनुसंधान केन्द्रों में भी इनका लक्षण-वर्णन किया गया, ताकि डीयूएस गुणों को अंतिम रूप दिया जा सके।

- वानस्पतिक तथा जनन, दोनों अवस्थाओं में वृक्षों का लक्षण-वर्णन किया गया। पत्ती, छाल और बीज में पाई गई आकृतिविज्ञानी विविधताएं रिकॉर्ड की गईं।
- इन उद्यानों में चुने गए वृक्षों में से प्रत्येक के पत्तियों के नमूने व बीज एकत्र किए गए। लेइका क्वांटीमेट 500+ छाया विश्लेषक का उपयोग करके पत्ती के आकृतिविज्ञानी गुणों का विश्लेषण किया गया।
- और अध्ययनों के लिए वन परिसर, आईएफजीटीबी में *ऐलिएंथस एक्सेला* के क्लोन तैयार किए गए।

गुण : परिपक्व पत्ती



पैरिपिन्नेट



इम्पैरिपिन्नेट



तिपतिया

गुण : पत्ती की व्यवस्था



एकांतरिक



आमन-सामने

गुण : पत्ती पत्रदल



सममितीय



आधार असममिति

गुण : पत्ती का आधार



गोल



तिरछी



नोकदार

गुण : पत्ती की आकृति



अंडाकार



नोकदार

गुण : पत्ती की नोक



नोकदार



उपकोणीय

गुण : पत्ती का रंग
उतरना



गहरा हरा



हल्का हरा



हरापन लिए हुए पीला

गुण : तने की गांठ



उपस्थित



अनुपस्थित

गुण : छिलके का



उपस्थित



अनुपस्थित

Characteristic: Bark colour



गहरा धूसर हल्का धूसर सफेद

Characteristic: Bark



टूटी हुई क्षैतिज धारियां दरारें

Characteristic: Scar



नए तने में क्षत परिपक्व तने में क्षत

4.3.2 बागवानी प्रभाग, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, मेघालय

नींबू (*सिट्रस लिमोन* एल. बर्म) तथा चकोतरा (*सिट्रस ग्रैंडिस*) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को तैयार करने व उनके सत्यापन से संबंधित परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

परियोजना का विवरण

- उपोव द्वारा परिभाषित विभिन्न गुणात्मक एवं मात्रात्मक विवरणों और जैवविविधता इंटरनेशनल (आईपीजीआरआई) तथा एनबीपीजीआर से इस अध्ययन के लिए रिकॉर्ड की जाने वाली विविधताओं की सूची तैयार करने के लिए परामर्श लिया गया।
- चकोतरा के 12 और नींबू की 3 जीनप्ररूपों के 20 गुणात्मक व 20 मात्रात्मक गुणों पर आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। नींबू उगाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों जैसे आईआईएचआर, सीआईएसएच, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना व हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखण्ड के कुछ क्षेत्रों तथा विभिन्न संस्थानों का सर्वेक्षण किया गया तथा कुछ जननद्रव्य जैसे नींबू के ग्वालियर सीडलैस, पंत लैमन, हिल लैमन और यूरेका को संकलित किया गया है। नींबू तथा चकोतरा की कुछ संदर्भ किस्मों के ब्लॉक स्थापित किए गए हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रगति


दोनों प्रजातियों में वृद्धि स्वभाव, पत्तियों के स्वभाव, पत्तियों की लंबाई, चौड़ाई, पत्तियों की आकृति, पत्र आधार की आकृति, पत्ती कोर की आकृति, पत्ती नोक की आकृति, पर्णवृंत खण्ड तथा पर्णवृंत की आकृति पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। चकोतरा के 12 तथा नींबू के 3 जीनप्ररूपों के मामले में फल संबंधी गुण जैसे फल का भार, आकार, रस का अंश, बीजों की संख्या, छिलके की मोटाई, प्राप्त होने वाले रस की मात्रा, रस का रंग तथा खंडों की संख्या भी रिकॉर्ड किए गए।

- **चकोतरा** : पीएस-6, पीएस-8 और पीएस-9 के पौधों के पत्तियों की अधिक लंबाई देखी गई तथा पीएस-12 की पत्तियों की सर्वाधिक चौड़ाई नापी गई। पत्ती की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पीएस-8 में सर्वाधिक (1.96) था। तथापि, यह पीएस-12 में न्यूनतम था। अधिकांश प्रविष्टियों की पत्तियों की आकृति अंडाकार थी लेकिन कुछ प्रविष्टियों की पत्तियों की आकृति दीर्घ वृत्ताकार भी थी। तथापि, अधिकांश प्रविष्टियों के पत्ती के आधार की आकृति मुथरी थी। इस मामले में पीएस-4, पीएस-10 और पीएस-3 किस्में अपवाद थीं जिनकी पत्तियों के आधार की आकृति गोल थी। चकोतरा के सभी जीनप्ररूपों में पर्णवृंत की विभिन्न आकृतियों वाले पर्णवृंत पक्ष थे जिनमें शामिल हैं हृदयाकार आकृति (पीएस-4, पीएस-6,

पीएस-10, पीएस-11, पीएस-12 और पीएस-13), मुहाने जैसे आकृति (पीएस-8, पीएस-9, पीएस-15 और पीएस-16) तथा प्रतिअंडाकार आकृति (पीडी-17)।

- **नींबू** : पहाड़ी नींबू की सर्वाधिक पत्ती लंबाई(12.45 सें.मी.), पत्ती चौड़ाई (6.14 सें.मी.) व पत्ती लंबाई व चौड़ाई अनुपात तथा पत्ती क्षेत्र (50.02 वर्ग सें.मी.) थे जबकि कागजीकला में इन गुणों का मान न्यूनतम पाया गया। कागजी कला के वृक्षों का वृद्धि स्वभाव फैलावदार था जबकि कोंकण सीडलैस और हिल लैमन के मामले में यह क्रमशः झुका हुआ और सीधा वृद्धि वाला स्वभाव पाया गया। कागजी कला और हिल लैमन कांटा विहीन थे जबकि कोंकण सीडलैस में इसके विपरीत गुण था। अध्ययन किए गए नींबू के सभी जीनप्ररूपों में पत्ती की नोक की आकृति कोणीय से मुथरेपन तक अलग-अलग थी। हिल लैमन में खोखला फल अक्ष देखा गया जबकि नींबू की अन्य दो किस्मों में ठोस फल अक्ष पाया गया। केवल कागजीकला नींबू में फल पर डंठल मौजूद था।

चित्र : विवरण : छिलके की मोटाई तथा रस का रंग



विवरण : पत्ती नोक की आकृति



4.3.3 यूएस, धारवाड़

कुलथी, मोठ, ग्वार तथा चटरी या लेथाइरस के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, यूएस, धारवाड़ में किया जा रहा है।

परियोजना का विवरण

उद्देश्य

- महत्वपूर्ण गौण फलीदार फसलों नामतः कुलथी, मोठ, ग्वार तथा गौण तिलहनी फसल नाइजर पर डीयूएस परीक्षण के लिए कृषि-आकृतिविज्ञानी गुणों की पहचान
- कुलथी, मोठ, ग्वार और नाइजर के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार मानकीकृत विभिन्न गुणों के लिए संदर्भ/उदाहरण किस्मों/वंशक्रमों की पहचान
- विभिन्न प्राचलों के आधार पर किस्मों के समूहीकरण के लिए क्रियाविधियों का विकास

प्रगति

कुलथी, मोठ, ग्वार तथा चटरी पर डीयूएस परीक्षण करने के लिए किस्मों/जीनप्ररूपों का लक्षण-वर्णन उपोव/बायोवर्सिटी इंटरनेशनल/एनबीपीजीआर में उपलब्ध विवरणों की सूची के अनुसार था। इस सामग्री का कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ – नोडल केन्द्र व काजरी, जोधपुर- सहनोडल केन्द्र के बीच परस्पर बंटवारा किया गया।

- कुलथी : वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर 35 गुणों का उपयोग 48 जीनप्ररूपों के डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास हेतु किया गया।

विवरण : पौधे का स्वभाव



सीधा



अर्ध सीधा



फैलावदार

- ग्वार तथा मोठ : चौंतीस और 42 जीनप्ररूपों में डीयूएस गुणों के विकास के लिए वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर क्रमशः 28 और 30 गुणों का विश्लेषण किया गया।
- चटरी : 17 गुणों के लिए 6 जीनप्ररूप तैयार करके उपयोग में लाए गए।

4.3.4 आईसीएफआरई- आईएफजीटीबी, कोयम्बतूर

आईएफजीटीबी 'देसी वन वृक्ष प्रजातियों (टैक्टोना ग्रंडिस और मेलिया डुबिया) के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों व विवरणों के विकास तथा फील्ड जीन बैंक की स्थापना' शीर्षक की एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है।

उद्देश्य

- सागौन तथा मेलिया, दोनों के आकृतिविज्ञानी विवरण विकसित करने के लिए विभिन्न कृषि जलवायु वाले अंचलों में सागौर और मेलिया के समष्टियों/क्लों में विशिष्ट और अनोखे गुणों की पहचान के लिए विभिन्न समष्टियों/क्लों के आकृतिविज्ञानी गुणों का अध्ययन।
- सागौर तथा मेलिया में विभिन्न स्थानों/वर्षों के दौरान स्थायी गुणों की पहचान करना
- संदर्भ संकलन के रूप में विभिन्न समष्टियों/क्लों के साथ सागौर और मेलिया के जननद्रव्य बैंक की स्थापना

प्रगति

सागौन : संकरनकोडे और स्थायी परिरक्षण प्लाट (पीपीपी), कोनोली, नीलमबुर जो सागौन के सबसे पुराने प्लाटों में से एक है तथा टॉप स्लिप, तमिल नाडु और वलायार, केरल में सागौन के क्लोन बीज बाग हैं, में बीज उत्पादन क्षेत्र (एसपीए) में विभिन्न वृक्षों के गुणों पर पर्यवेक्षण किए गए। सागौन के वृक्षों पर चेंगमपल्ली सेमपट्टी, सतियामंगलम, करैकल, तंजौर, अनैकट्टी, कृष्णाकिरी, पल्लागाउंडनपालियम, करूर, पेरमनल्लुर कानुवई, चिन्नाथातागम, मेट्टुपालियम, थुडियालुर, पेन्निमडाई, पेरियाथाडागम और अनैकिट्टी, तमिल नाडु; व चेरुपुझहा, नेलीकुथा व पेरमबीकुलम, केरल में पर्यवेक्षण किए गए। सागौन के प्राकृतिक तथा रोपे गए वृक्षों पर किए गए अध्ययन से यह प्रदर्शित हुआ कि वृक्षों में परस्पर पाई जाने वाली विविधता पत्ती, छाल, पुष्प तथा फल के गुणों के मामले में अपेक्षाकृत कम थी लेकिन प्राकृतिक समष्टियों में यह विविधता अधिक पाई गई। वृक्ष के तने का स्वरूप, पत्ती, शाखन स्वभाव तथा जनन संबंधी गुण विभेदनशील गुणों के रूप में पाए गए। वृक्ष के तने के स्वरूप, पत्ती, शाखन स्वभावों तथा जनन संबंधी गुणों को शामिल करते हुए डीयूएस परीक्षण करने हेतु मसौदा दिशानिर्देश तैयार किया गया है।

विवरण : शाखन स्वभाव



सीधा




अर्ध सीधा

विवरण : वयस्क पत्ती की मध्य नाड़ी पर रोम




अनुपस्थित



उपस्थित

विवरण : वयस्क पत्ती के प्रतिअक्षीय छोर पर ट्राइकोम



अनुपस्थित



उपस्थित

विवरण : पुष्पविन्यास की आकृति



गोल



शंकवाकार

- **मेलिया** : पालमपल्ली, करूर, नेल्लोर, तिरुपति, तिथिमथी, होस्कोट, अन्नुर और चैन्नई में अध्ययन किए गए। पत्ती, तना, छाल और जनन संरचनाओं में पाई जाने वाली विविधताओं का अध्ययन किया गया। चुने हुए आकृतिविज्ञानी गुणों की एकरूपता और स्थायित्व के मात्रात्मक निर्धारण के लिए क्लोनीय अध्ययन किए गए। पत्ती, तने, छाल और जनन संरचनाओं में आकृतिविज्ञानी गुणों की विविधता का अध्ययन किया गया। चुने हुए आकृतिविज्ञानी गुणों की एकरूपता और स्थायित्व के निर्धारण के लिए क्लोनीय परीक्षण किए गए। वृक्ष के तने के स्वरूप, पत्ती, छाल, शाखन स्वभावों और जनन संबंधी गुणों सहित डीयूएस परीक्षण के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा विकसित किया गया।



4.3.5 भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम

केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान में जीमीकंद (*पैकिराइकस यूरोसस*) और बंडा (*डायोस्कोरी एलाटा*) के किस्मिय जीन बैंक की स्थापना और डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास किया गया।

उद्देश्य

- जीमीकंद (*पैकिराइकस यूरोसस*) तथा बंडा (*डायोस्कोरी एलाटा*) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास
- किस्मों के जीन बैंक की स्थापना

वर्ष 2016–17 में प्रगति

बंडा की 8 किस्में तथा जीमीकंद की 14 किस्में डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए अनुरक्षित की गईं और उनका लक्षण-वर्णन किया गया।

- **बंडा** : 31 कटाई पूर्व आकृतिविज्ञानी गुण तथा 10 कटाई उपरांत गुण रिकॉर्ड किए गए। वैयक्तिक तथा समूह के विभेदनशील गुण जैसे पौधे का प्रकार, टहनियों की दिशा, नई तथा उभरती हुई पत्तियों का रंग और नई पत्ती के पर्णवृत्त का रंग बंडा की सभी सामान्य किस्मों में पर्यवेक्षित किए गए, जबकि जीमीकंद के गुणों में छिलके के भीतरी भाग के रंग, छिलके के रंग तथा कंद की आकृति जैसे समूहों में और इसके साथ ही वैयक्तिक गुणों में विशिष्टता देखी गई। वैयक्तिक विशिष्ट गुण नीचे दिए जा रहे हैं।

— डीए 25, श्री रूपा तथा हाथीखोजी में नोट किए गए समूह विशिष्ट गुण थे बैंगनी रंग का भीतरी छिलका (चित्र 2,3, और 4); डीए-25 तथा टीजीवाई-3 में गूदे की बनावट जैसे इसका दानेदार होना जैसे विशिष्ट गुण देखे गए।

— श्री रूपा एकमात्र ऐसी किस्म पाई गई जिसके तने का रंग हल्के बैंगनी के साथ हरा था; डीए-293 में तने के हरे रंग की विशिष्टता देखी गई; श्री कीर्ति और श्री रूपा में हल्के हरे रंग का पर्णवृत्त पाया गया; किस्म डीए-25 और टीजीवाई-8 में पत्ती का आधार एक के ऊपर एक लिपटा हुआ पाया गया। श्री कीर्ति में छिलके के भीतरी रंग का भाग पीला था; उड़ीसा एलाइट में छिलके का भीतरी भाग क्रीम जैसे रंग का था (चित्र 1); कंद के रंग में गहरे भूरे रंग के छिलके की विशिष्टता उड़ीसा एलाइट में प्रदर्शित हुई; टीजीवाई-3 में सफेद बैंगनी गूदे के रंग की विशिष्टता थी; हाथी खोजी एकमात्र ऐसी किस्म थी जिसके कंदों की आकृति चिकनी और ऊंगली के आकार की थी।



Orissa Elite

Hathikhooji

Da-25

Sree Roopa

उड़ीसा एलाइट

हाथीखोजी

डीए-25

श्री रूपा


- **जीमी कंद** : जीमीकंद में जारी की गई विभिन्न किस्मों में भेद करने के लिए सोलह कटाई पूर्व आकृतिविज्ञानी गुण तथा 18 कटाई उपरांत आकृतिविज्ञानी गुण रिकॉर्ड किए गए। आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् कंद, बीजों, फलियों तथा पुष्पीय गुणों में स्पष्ट भिन्नता देखी गई।

— कटाई पूर्व तथा कटाई उपरांत गुणों में कुछ गुणों के मामले में समूह विशिष्टता देखी गई। पहचाने गए समूह विशिष्ट गुण परिपक्व तने के रंग, पत्ती के रंग, पुष्प अंखुड़ी के रंग और प्रति फली बीजों की संख्या से संबंधित थे।

— जीमीकंद की किस्मों जैसे 8x9, एल3, आरएम-1 और आरएम 2 में उनके कंद तथा पुष्पीय गुणों में विशिष्टता पाई गई; 8x9 किस्म में गोल आकृति के कंद जबकि आरएम2 में चपटी आकृति के कंद रिपोर्ट किए गए; 8x9 और एल3 में कंठ की आकृति छोटी पाई गई; टीवाईबी-4 में फली के शाख से अलग होने का गुण प्रदर्शित हुआ जो विसरित प्रकार का था; टीवाईबी 10 में बीज की लंबाई/चोड़ाई

का अनुपात अधिक पाया गया; आरएम-2 में बीज की लंबाई/मोटाई का अनुपात अधिक पाया गया; टीवाईबी 1 में कंद की अधिक लंबाई रिकॉर्ड की गई, आदि।

- आरएम-2 और आरएम-1 के बीच विशिष्ट आकृतिविज्ञानी गुणों के सापेक्ष विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि पत्ती की लंबाई/चौड़ाई का अनुपात और शाखाओं की संख्या आरएम-1 में अधिक थे; आरएम-2 में प्रति फली बीजों की संख्या अधिक थी, पौधे अधिक लंबे थे, छिलका ज्यादा मोटा था, कंद गहरी जड़ वाले थे तथा कंद की लंबाई अधिक थी; आरएम-1 में कंद का रंग हल्का पीला था तथा आरएम-2 का कंद का रंग हल्का पीलापन लिए हुए भूरा था।



आरएम2

आरएम1

4.3.6 भा.कृ.अनु.प. – भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

दो महत्वपूर्ण सब्जी फसलों जैसे मूली और गाजर के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास इस संस्थान के नई दिल्ली स्थित सब्जी विज्ञान प्रभाग में किया जा रहा है।

संक्षिप्त प्रगति

- **मूली** : मूली की 19 संदर्भ किस्में (पूसा मृदुला, आरआरडब्ल्यूटी, व्हाइट आईसिकल, चाइनीज पिक, पूसा चेतकी, अर्का निशांत, काशी स्वेता, काशी हंस, पंजाब पसंद, पंजाब सफेद, हिसार स्वेती, पालम हृदय, पूसा देसी, पूसा रेश्मी, पूसा स्वेता, जापानीज व्हाइट, पूसा हिमानी, पूसा गुलाबी और पूसा जामुनी)। 24 अक्टूबर 2016 को कतार से कतार की 45 सें.मी. और पौधे से पौधे की 10 सें.मी. दूरी रखते हुए प्रतिकृत परीक्षणों में तीन प्रतिकृतियों में बोई गई। प्रति प्रतिकृति प्रति किस्म पौधों की संख्या 100 थी। इन किस्मों के 25 डीयूएस गुणों के लिए आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। पौधों के अंगों या पौधों के समूहों के एकल पर्यवेक्षण द्वारा नाप के आधार पर गुण नोट किए गए; वैयक्तिक पौधे की संख्या या पौधों के भाग को नापा गया। पौधे के समूह या पौधों के भागों का एकल पर्यवेक्षण द्वारा दृष्टव्य मूल्यांकन किया गया और वैयक्तिक पौधे या पौधों के भागों के पर्यवेक्षणों द्वारा दृष्टव्य मूल्यांकन किया गया। पौध, पत्ती, जड़ तथा पुष्प के गुण नोट किए गए। इन 25 डीयूएस गुणों पर आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं और इन्हें संकलित करके तालिका स्वरूप में तैयार किया जा रहा है।
- **गाजर** : गाजर की 13 संदर्भ किस्में और दो संकर (पीसी-34, पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा रूधिरा, पूसा वृष्टि, हिसार गैरिक, पंजाब ब्लैक ब्यूटी, पंजाब कैरट रैड, पूसा आसिता, पूसा कुलफी, पूसा यमदाग्नि, नैटस, सोलन रचना, पूसा वसुदा, पूसा नयन ज्योति) 24 अक्टूबर 2016 को कतार से कतार की 45 सें.मी. व पौधे से पौधे की 10 सें.मी. दूरी रखते हुए 3 प्रतिकृतियों में प्रतिकृत परीक्षणों में बोए गए। प्रति किस्म पौधों की संख्या प्रति प्रतिकृति 150 थी। कुल 29 डीयूएस गुणों पर इन किस्मों और संकरों के आंकड़े रिकॉर्ड किए

गए। गुणों को पौधों के समूह या पौधों के भागों पर किए गए एकल पर्यवेक्षण, वैयक्तिक पौधों की संख्या या पौधों के भागों के पर्यवेक्षण; पौधों के समूहों या पौधों के भागों के एकल पर्यवेक्षण द्वारा दृष्टव्य मूल्यांकन और वैयक्तिक पौधे या पौधे के भागों के पर्यवेक्षणों द्वारा दृष्टव्य मूल्यांकन करते हुए रिकॉर्ड किए गए। पौध, पत्ती, जड़ और पुष्प संबंधी गुण नोट किए गए। रिकॉर्ड किए गए आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं और इन्हें सारणी स्वरूप में तैयार किया जा रहा है।

4.3.7 भा.क.अनु.प. – राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर

यह केन्द्र 'गौण बीज मसालों' (अजवाईन, दिल, निगेला, सेलेरी और एनिसे) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास' में रत है।

परियोजना का विवरण

इस परियोजना में अजवाईन की 6 किस्मों, दिल की 4 किस्मों, निगेला की 5 किस्मों, सेलेरी की 3 किस्मों तथा एनिसे की 2 किस्मों को शामिल किया गया है। गौण बीज मसालों की ये सभी किस्में भा.क.अ.प. – राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर, राजस्थान में 1 नवम्बर 2016 को तीन प्रतिकृतियों में बेतरतीब ब्लॉक डिज़ाइन आरबीडी में बोई गईं। अंकुरण के पश्चात् : बुवाई के 25 दिन बाद सभी फसलों में पौध का रंग रिकॉर्ड किया गया जबकि पौध के शीर्ष की रंजकता केवल सेलेरी के मामले में बुवाई के 25 दिन बाद रिकॉर्ड की गई। वानस्पतिक वृद्धि के दौरान उप पत्तियों से संबंधित गुण जैसे पत्ती पालियों का अंतराल, कोर की नोकों की आकृति, कोर पर दांतुओं की गहनता और अंतस्थ उप पत्ती का आकार; पत्रदल से संबंधित गुण जैसे उप पत्ती के पहले और दूसरे जोड़े के बीच लंबाई व घनत्व; पर्णवृत्त : लंबाई और चौड़ाई; तने से संबंधित गुण जैसे रंजकता और मोमियापन दस चुने हुए पौधों पर बेतरतीब रूप से रिकॉर्ड किए गए। इसके पश्चात् प्रति पौधा प्राथमिक और द्वितीयक शाखाओं की संख्या, छत्रक तथा फली से संबंधित गुण भी रिकॉर्ड किए गए। विभिन्न फसलों की किस्मों की कटाई उपरोक्त वर्णित फसलों की परिपक्वता के अनुसार अलग-अलग तिथियों पर की गई। गहाई भी सावधानीपूर्वक अलग-अलग की गई। बीज से संबंधित पर्यवेक्षण जैसे भार, बीज का रंग, बीज की आकृति आदि भी प्रयोगशाला में रिकॉर्ड किए गए। रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों को संकलित और तालिका बद्ध किया जा रहा है।

4.3.8 केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, कर्नाटक

केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान 'कॉफी (कॉफिया एरेबिका और कॉफिया केनेफोरा) के लिए डीयूएस केन्द्र की स्थापना के साथ-साथ डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास' पर कार्य कर रहा है।

वर्ष 2016-17 के दौरान हुई संक्षिप्त प्रगति

- कॉफी नामत: कॉफिया अरेबिका और कॉफिया केनेफोरा जिन्हें इनके लोकप्रिय नाम एरेबिका और रोबस्टा कॉफी के रूप में जाना जाता है, भारत तथा विश्व के अन्य भागों में इसे वाणिज्यिक रूप से उगाया जाता है। भारत में कॉफी के किस्मगत सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यतः एरेबिका कॉफी में पत्ती रतुआ प्रतिरोध,

उत्पादकता तथा गुणवत्ता पर और रोबस्टा कॉफी में उत्पादकता व गुणवत्ता पर केन्द्रित हैं। तदनुसार, 13 श्रेष्ठ एरेबिका चयन और 3 रोबस्टा चयन वाणिज्यिक खेती के लिए विकसित किए जा चुके हैं।

विवरण : नव पत्ती के नोक का रंग



विवरण : पंखुड़ी नलिका की लंबाई



- केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किए गए कॉफी के सभी 16 चयनों के विवरण आईपीजीआरआई (*बायोवर्सिटी इंटरनेशनल*) द्वारा जारी किए गए स्वरूप में पहले ही तैयार किए गए थे। यद्यपि इन चयनों के बीच विभिन्न गुणों की विविधता सीमित है तथापि, कुछ विशिष्ट गुणों की पहचान कर ली गई है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पत्ती तथा पुष्प संबंधी गुणों के संबंध में सृजित किए गए आंकड़ों का सत्यापन भी दो विभिन्न स्थानों में किया गया है। सभी में पत्ती के आठ गुणों का सत्यापन किया जा चुका है तथा 11 पुष्पीय गुणों का भी सत्यापन कॉफी के लिए उपोव द्वारा विकसित डीयूएस दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
- कुछ गुणों में से केन्द्र में प्रजनित चयनों के बीच विविधता देखी गई जो पत्ती के दो गुणों (पत्ती की आकृति और नई पत्ती का रंग) तथा पुष्प के दो गुणों (पुष्पवंत की लंबाई और पंखुड़ी की लंबाई) के बारे में दोनों स्थानों पर देखी हुई (चित्र 1 और 2)। सृजित किए गए आंकड़ों के आधार पर किस्मों का प्रारंभिक समूहीकरण किया गया है।
- इसके अतिरिक्त वानस्पतिक गुणों के सत्यापन का कार्य प्रगति पर है। केन्द्र में प्रजनित चयनों के पौध की नर्सरी उगाई गई है तथा रोपाई के मौसम, अगस्त 2017 के दौरान संस्थान के संदर्भ ब्लॉक में स्थापना के लिए दूसरी नर्सरी का रखरखाव किया जा रहा है।

4.3.9 बीएसकेकेवी, दपोली, महाराष्ट्र

बीएसकेकेवी, रत्नगिरि, दपोली, महाराष्ट्र में कोकुम (*गार्सीनिया इंडिका* कोइसी) के लिए विवरणों का विकास किया जा रहा है।

परियोजना का विवरण

- उन डीयूएस विवरणों का लक्षण-वर्णन कुल 165 जननद्रव्य में किया गया है जो डीयूएस दिशानिर्देश तैयार करने के लिए अनिवार्य सिद्ध होंगे।
- वृक्ष की पुष्टता; वृक्ष की ऊंचाई, शीर्ष की आकृति, शाखन स्वभाव, पौधे का वृक्ष पर लगे रहना, पत्ती के गुण (पत्रदल की लंबाई, पत्रदल की चौड़ाई, पत्रदल की आकृति, नाड़ियों की प्रमुखता, पत्ती की कोर, पत्ती की नोक की आकृति, पत्ती आधार की आकृति); पुष्प (लिंग प्रकार, पुष्प की पौधे पर स्थिति, पुष्प का स्वरूप, पंखुड़ी का रंग, अंखुड़ी का रंग, पुष्प की संरचना); फल (लंबाई, व्यास, आकृति, रंग, आकार और स्वाद व छिलके की मोटाई); बीज (बीजों का आकार और प्रति फल बीजों की संख्या); ट्रपट की संख्या रिकॉर्ड किए गए।



पत्ती की आकृति : लंबाकार, दीर्घवृत्ताकार, प्रतिलैसाकार

नोक की आकृति : नुकीली, छोटी अल्पनुकीली मुथरी

4.3.10 भा.कृ.अनु.प. – काजू अनुसंधान निदेशालय, कर्नाटक

काजू अनुसंधान निदेशालय, पुत्तूर 'काजू (एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल एल.) के लिए आकृतिविज्ञानी विवरणों तथा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास' पर एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है।

परियाजना का विवरण

- काजू के राष्ट्रीय फील्ड जीन बैंक में 42 किस्मों का रखरखाव किया गया है।
- काजू के फील्ड जीन बैंक में वृक्षों की संख्या बढ़कर 1000 तक हो गई है।
- कुल 156 जननद्रव्य प्रविष्टियों के विभिन्न पौधा भागों का छाया डेटाबेस तैयार किया गया है।
- काजू जननद्रव्य प्रबंध के लिए निर्णय सहायी प्रणाली विकसित की गई है।
- काजू जननद्रव्य की प्रविष्टियों में सीएनएसएल अंश के बारे में 110 प्रविष्टियों में कार्य पूरा किया जा चुका है।
- काजू में डीयूएस परीक्षण की सामान्य क्रियाविधि विकसित की जा चुकी है। इस दस्तावेज में स्थल पर और स्थल से परे परीक्षण प्रक्रियाओं को छह सामूहिक गुण व 25 मूल्यांकन गुणों के साथ व्यक्त किया गया है। रिकॉर्ड किए गए आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं और उन्हें तालिका स्वरूप में तैयार किया जा रहा है।

4.3.11 भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, विट्टल, कर्नाटक

केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र में सुपारी (एरेका कटेचू एल.) के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना और डीयूएस परीक्षण मानदंडों के विकास पर एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

परियोजना का विवरण

- सुपारी के लिए कुल 11 आकृतिविज्ञानी, 4 जनन संबंधी और 14 गिरि संबंधी गुण व दो विशेष गुणों की पहचान की गई। परियोजना के दौरान विशिष्ट गुणों की रिकॉर्डिंग नोडल एवं सहयोगी केन्द्रों में की गई। कुल 3 डीयूएस परीक्षणों के लिए 16 विशिष्ट किस्मों में प्रत्येक की 50 पौध और 8 वयस्क ताड़ जो 35 विशिष्ट किस्मों के थे, उनके 20 डीयूएस परीक्षणों का मूल्यांकन नोडल और इसके साथ-साथ सहयोगी केन्द्रों में किया गया है।



- नोडल केन्द्र पर जीनप्ररूपों/किस्मों के राष्ट्रीय फील्ड जीन बैंक की स्थापना के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

4.3.12 भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर

भा.कृ.अ.प. – केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में खजूर के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास पर कार्य किया जा रहा है।

परियोजना का विवरण

- खजूर की कुल 42 किस्में फील्ड रिपोजिटरी में अनुरक्षित की जा रही हैं तथा इनका आकृतिविज्ञानी और फल संबंधी गुणों के लिए मूल्यांकन किया गया है।
- तीन नए जननद्रव्य नामतः एम1एन1, एमआरके/एस और एमएचएन.बी क्रमशः इकार्डा, ओमान और जॉर्डन से लाए गए हैं, उन्हें मूल्यांकन हेतु खेत में रोपा गया है। डीआरएस, बीकानेर से श्री गंगानगर लोकल के 3 उप प्ररोह जड़ें विकसित होने के लिए नर्सरी में रखे गए हैं। मिश्र से प्राप्त की गई विदेशी किस्मों नामतः सीवी और अम्हाट में रोपाई के छह वर्ष पश्चात पुष्पन/फलन आरंभ हो गया है।
- पौधों के युवा वस्था में होने के कारण अम्हाट और सीवी में फलन कम हुआ। दोनों ही किस्में पीले रंग के खजूर वाली हैं तथा इनकी परिपक्वता अगेती से मध्यम मौसम की हैं। कलिका निकलने/खिलने और पुष्पन संबंधी पर्यवेक्षण वर्ष 2016–17 के दौरान 27 किस्मों में रिकॉर्ड किए गए क्योंकि अन्य किस्में अभी वानस्पतिक प्रावस्था में हैं; फलन, गुच्छा, फल की गुणवत्ता व गुठली के गुणों को 27 किस्मों के मामले में रिकॉर्ड किया गया।
- कलिका का निकलना फरवरी के प्रथम सप्ताह से आरंभ हुआ तथा यह फरवरी के अंत में पूरा हुआ। कम तापमान की दशाओं के कारण वर्ष के दौरान जननद्रव्यों में कलिका के निकलने में देरी को नोट किया गया। कलिका के निकलने/खिलने तथा फलन को 42 जननद्रव्यों में से 27 जीनप्ररूपों में रिकॉर्ड किया गया। कलिका/पुष्पन के अगेती निकलने और यहां तक कि दो का अवस्था में फल परिपक्वता को वर्ष के दौरान नागल किस्म में पर्यवेक्षित किया गया। इसी प्रकार, शाखाओं/गुच्छों की संख्या 7 से 40 के बीच, फलों की संख्या 8 से 26 के बीच अलग-अलग पाई गई। सर्वाधिक फल (प्रति गुच्छा 26 जाहिदी किस्म में रिकॉर्ड किए गए जिसके बाद इस मामले में खलास (20) और खुनेइजी (17) का स्थान था जबकि कोठो

किस्म में यह संख्या सबसे कम (8) थी। बड़े आकार तथा अधिक भार (18.8 ग्रा.) के फल मेदजूल किस्म में पाए गए जिसके बाद इस मामले में दयारी, सेवी, हयानी का स्थान था (10.23 ग्रा. से 12.92 ग्रा.) तथा फलों का सबसे कम भार उमशोक किस्म का था (4.01 ग्रा.)। गुठली के भार, आकार और खांचे में भी विविधता देखी गई। गुठली का भार 0.63–1.70 ग्रा. के बीच अलग-अलग था (सारणी 1)। फलों (दोका) के मामले में अगेती परिपक्वता नागल मस्कट, सीवी और हलावी किस्मों में देखी गई जिनकी तुड़ाई जून 2016 के मध्य से जून के अंत तक की गई। फलों की परिपक्वता (दोका अवस्था) जुलाई के द्वितीय सप्ताह के दौरान सर्वाधिक किस्मों में रिकॉर्ड की गई तथापि, मेदजूल, दयारी और सीवी किस्मों में फलों की तुलाई पछेती अर्थात् अगस्त 2016 के प्रथम सप्ताह में की गई। गुच्छे के डंठल के सर्वाधिक होने के कारण सीवी किस्म के गुच्छों में चटकन देखी गई। दोका अवस्था में सर्वाधिक फल प्राप्ति सीवी किस्म में पाई गई (60.0 कि.ग्रा./वृक्ष) तथा हलावी, जाहिदी और खलास में फल की उपज 50 कि.ग्रा. प्रति वृक्ष थी जिसके पश्चात् खदरावी, चिप चैप और मेदजूल में यह 45.0 कि.ग्रा./वृक्ष थी। तथापि, सबसे कम फलों की प्राप्ति (3.0 कि.ग्रा./पौधा) कोठो किस्म में देखी गई क्योंकि इसके पौधे युवा थे। दोका फलों में कुल घुलनशील ठोसों (टीएसएस) की मात्रा जननद्रव्यों में 27.08 से 48.50 ब्रिक्स के बीच अलग-अलग थी।

- डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए फल और बीजों के गुणों पर आंकड़े तैयार किए गए हैं और इन्हें संकलित किया जा रहा है।

4.3.13 भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

- डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास के लिए आंवला (एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस गेइर्टन) की किस्मों का लक्षण-वर्णन : आंवला की 10 किस्में नामतः बनारसी, चकिया, फ्रांसिस, एनए-7, एनए-10, एनए-6, कृष्णा, कंचन, आनंद-1, आनंद-2 और बीएसआर-1 भारत के विभिन्न भागों में वाणिज्यिक पैमाने पर उगाई जा रही हैं। इन किस्मों का आकृतिविज्ञानी तथा जैव रसायनविज्ञानी प्राचलों के आधार पर लक्षण-वर्णन किया जा रहा है।
- बेल (*ईगल मार्मेलॉस* कोरी) के लिए डीयूएस विवरणों का सत्यापन : बेल की लगभग 12 किस्में (सीआईएसएचबी 1, सीआईएसएचबी-2, एनबी-5, एनबी-7, एनबी-9, एनबी-16, एनबी-17, पंत अपर्णा, पंत सुजाता और पंत शिवानी) देश के विभिन्न भागों में वाणिज्यिक पैमाने पर उगाई जा रही हैं और इनका विभिन्न आकृतिविज्ञानी व जैवरसायनविज्ञानी प्राचलों के लिए लक्षण-वर्णन किया गया है।
- जामुन (*सिंजीगियम क्यूमिनी* स्कील्स) के आकृतिविज्ञानी विवरणों व डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास और फील्ड जीन बैंक की स्थापना : जामुन की कुल 40 प्रविष्टियां/किस्में एकत्र की गईं तथा फील्ड जीन बैंक में स्थापित की गईं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 10 प्रविष्टियों/किस्मों का लक्षण-वर्णन किया गया।
 - वृद्धि स्वभाव : 2 प्रविष्टियां अर्ध फैलावदार प्रकृति की तथा 8 प्रविष्टियां फैलावदार वृद्धि स्वभाव की रिकॉर्ड की गईं।
 - तीन पत्तियां : सभी 10 प्रविष्टियों में गहन पत्तियां पाई गईं।

- पत्ती की नोक : सभी 10 प्रविष्टियां/किस्में नुकीली नोक वाली पत्ती की पाई गई।
- पत्ती आधार : 9 प्रविष्टियों में नुकीला तथा 1 प्रविष्टि में गोल पत्ती आधार देखा गया।
- परिपक्व फल की आकृति : विभिन्न प्रविष्टियों/किस्मों में फल की आकृति में बहुत अंतर रिकॉर्ड किया गया। फल की आकृति के आधार पर विभिन्न प्रविष्टियों/किस्मों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया। 5 प्रविष्टियों में फल की आकृति लंबाकार, 2 प्रविष्टियों में अंडाकार और 3 प्रविष्टियों में फल की आकृति गोल पाई गई।
- पके हुए फल का शीर्ष : विभिन्न प्रविष्टियों/किस्मों में फल के शीर्ष की आकृति चपटी तथा धंसी हुई पाई गई और 8 प्रविष्टियों में फल का शीर्ष चपटा था जबकि दो प्रविष्टियों में फल का शीर्ष धंसा हुआ था।
- वृक्ष के गुण : 15 विभिन्न पहचानी गई प्रविष्टियों/किस्मों में फलों की ऊंचाई में काफी भिन्नता रिकॉर्ड की गई। वृक्ष की ऊंचाई 7.60 से 10.25 मी. आंकी गई तथा वृक्ष की सबसे अधिक ऊंचाई सीआईएसएच जे- 579 में रिकॉर्ड की गई (10.25 मी.) जिसके पश्चात् सीआईएसएच जे-35 की ऊंचाई रिकॉर्ड की गई जो (9.73 मी. थी)। तथापि, सबसे कम ऊंचाई सीआईएसएच जे 577 किस्म के वृक्ष की रिकॉर्ड की गई जो 7.40 मीटर थी। चुनी हुई प्रविष्टियों/किस्मों के वृक्ष वितान में व्यापक भिन्नता देखी गई। वृक्ष वितान पूर्व-पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा में क्रमशः 5.67 मी. से 10.70 मी. और 7.44 मी. से 9.88 मी. के बीच अलग-अलग रिकॉर्ड किया गया। पौधे के मुख्य तने की मोटाई विभिन्न प्रविष्टियों/किस्मों के मामले में 0.74 से 1.15 मी. के बीच रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक मोटा मुख्य तना प्रविष्टि सीआईएसएच जे- 579 का रिकॉर्ड किया गया (1.15 मी.) जिसके पश्चात् सीआईएसएच जे- 25 स्थान था जिसके मुख्य तने की मोटाई (1.08 मी.) थी, जबकि सबसे कम मुख्य तने की मोटाई सीआईएसएच जे-577 की रिकॉर्ड की गई (0.74 मी.)।



4.3.14 राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर

यह केन्द्र सौंफ तथा जीरे के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास और धनिया तथा मेथी की किस्मों के अनुरक्षण पर डीयूएस केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है।

परियोजना का विवरण

- **सौंफ और जीरा** : सौंफ और जीरे के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित करने के लिए सौंफ की 19 किस्में और जीरे की 9 किस्में दो अनुसंधान केन्द्रों में 3 प्रतिकृतियों में आरबीडी में बोई गई। नव पौधों पर प्राप्त किए गए आंकड़े : बीजपत्र पत्ती की लंबाई (सें.मी.), नव पौधा : प्रथम पत्ती के पर्णवृंत की लंबाई (सें. मी.), पूरी तरह खिली हुई पत्ती के पत्रगुच्छ का घनत्व, मुख्य क्षत्र की आधार पत्ती, पत्तियों के समूह की प्रवृत्ति, पत्तियों का घनत्व, पत्तियों की रंग की गहनता, पत्तियों की आकृति, गुच्छे की पत्तियों का घनत्व, तने की मोटाई (मि.मी.), द्वितीय अंतरगांठ पर पत्ती की मोटाई(मि.मी.), मुख्य क्षत्रक पर्णवृंत की लंबाई (सें.मी.), द्वितीय अंतरगांठ आच्छद की लंबाई, पत्ती की लंबाई और चौड़ाई (पौधे की ऊंचाई), क्षत्रक/पौधा, उप

क्षत्रक/क्षत्रक, बीज/उप क्षत्रक को सौंफ की फसल वृद्धि के दौरान रिकॉर्ड किया गया, युवा पौधा : बीजपत्र पत्ती की लंबाई (सें.मी.), पत्तियों की प्रवृत्ति, पत्तियों का घनत्व, आधार पर शाखाएं, तने की मोटाई, पहली से चौथी अंतरगांठ की लंबाई (सें.मी.), मुख्य क्षत्रक पर्णवृंत की लंबाई (सें.मी.), पौधे की ऊंचाई क्षत्रक/पौधा, उप क्षत्रक/क्षत्रक, बीज/उप क्षत्रक को सौंफ की फसल वृद्धि के दौरान रिकॉर्ड किया गया। जीरे के मामले में युवा पौधा : बीजपत्र पत्ती की लंबाई (सें.मी.), पत्ती की प्रवृत्ति (पत्तियों के घनत्व), आधार पर शाखाएं, तने की मोटाई, पहली से चौथी अंतरगांठ की लंबाई (सें.मी.), मुख्य क्षत्रक पर्णवृंत की लंबाई (सें.मी.), पौधे की ऊंचाई, क्षत्रक/पौधा, उप क्षत्रक/क्षत्रक, बीज/उप क्षत्रक, पत्तियों पर रंग की गहनता और परीक्षण भार विभिन्न अवस्थाओं पर रिकॉर्ड किए गए।

- धनिया और मेथी : ये किस्में पहले ही अधिसूचित की जा चुकी हैं। धनिया और मेथी के बीजों के रखरखाव के लिए धनिया की 25 किस्में और मेथी की 21 किस्में भा.कृ.अ.प.– राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर, राजस्थान में 3 प्रतिकृतियों में बोई गई। धनिया के मामले में 4 प्रत्याशी किस्में दोनों स्थानों पर 17 अक्टूबर 2016 को तीन प्रतिकृतियों में आरबीडी में बोई गई। इनमें से पहला स्थान भा.कृ.अ.प. – राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर और दूसरा स्थान औषधीय एवं सगंधीय पौधा अनुसंधान निदेशालय, आनंद, गुजरात है। प्रत्याशी किस्में हैं धनिया परवाना, देशी धाने, देशी धनिया छोटी और देशी। वृद्धि अवधि के दौरान आधार पत्तियों की संख्या, सबसे लंबी आधार पत्ती की लंबाई, आवरण की उपस्थिति या अनुपस्थिति, वृद्धि स्वभाव, उप क्षत्रक/क्षत्रक और बीज/उप क्षत्रक रिकॉर्ड किए गए। 27 फरवरी 2017 को अंतिम कटाई के पश्चात् सभी प्रत्याशी किस्मों की अलग-अलग सावधानीपूर्वक गहाई की गई। 7-8 प्रतिशत नमी अंश पर बीज की आकृति और उनका परीक्षण भार भी प्रयोगशाला में रिकॉर्ड किए गए।

4.3.15 पादप जैवप्रौद्योगिकी विभाग, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके, बंगलुरु

कटहल के विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व (डीयूएस) दिशानिर्देशों का विकास और भारत में कृषक किस्मों का पंजीकरण पर एक परियोजना कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके में कार्यान्वित की जा रही है।

इस केन्द्र में निम्न किस्में संकलित की गई हैं :

कटहल के वर्तमान मौसम में कृषक किस्मों का प्रलेखन किया गया है। संबंधित क्षेत्रों में किसानों के चित्रों के साथ अनेक जीनप्ररूपों की पहचान की गई है। इन किस्मों को तभी पंजीकृत किया जाएगा जब कटहल के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश तैयार हो जाएंगे।

किस्मों का नाम	रोपण सामग्री का स्रोत
स्वर्णा	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरु
ब्यारचंद्रा	ब्यारपटना बागसानी फार्म
लालबाघ मधुरा	लालबाघ वानस्पतिक उद्यान बंगलुरु
अशोका रेड और येलो, काचाहल्ली, कर्नाटक	कृषक के खेत, काचाहल्ली, डोडाबल्लपुर, बंगलुरु ग्रामीण




अशोका रेड, काचाहल्ली, कर्नाटक



अशोका येलो, काचाहल्ली, कर्नाटक




केटी-12, काचाहल्ली, कर्नाटक



केटी-9, काचाहल्ली, कर्नाटक



मुनियम्मा, काचाहल्ली, कर्नाटक



नेलागुडीगे, तुबागारे, कर्नाटक



कृषि विज्ञान केन्द्र, हादोनहल्ली, कर्नाटक



सदानंद, ट्यूबागारे, कर्नाटक

4.3.16 केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

यह केन्द्र नोनी (*मोरिंडा सिट्रिफोलिया* एल.) के लिए डीयूएस गुणों की क्रियाविधियों के विकास व मानकीकरण पर एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है।

इसके उद्देश्य हैं :

- भारत की किसी भी वाणिज्यिक किस्म या किस्म के पंजीकरण के लिए नोनी की प्रयुक्त होने वाली विभिन्न वाणिज्यिक किस्मों/प्रजातियों के लिए डीयूएस परीक्षण की क्रियाविधि निर्धारित करना।
- नोनी के लिए जन-सामान्य को और अधिक सचेत बनाने के लिए जैव रसायनविज्ञानी प्राचलों पर सूचना तैयार करना जिससे इसके वाणिज्यिक उपयोग में सहायता मिल सके।
- द्वीप समूहों में नोनी की खेती करने वाले किसानों को वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना।
- आनुवंशिकी में और सुधार से संबंधित कार्यक्रमों के लिए वांछित जीनप्ररूपों के चयन में सहायता हेतु सूचना तैयार करना व उपलब्ध कराना।

लक्षित उपलब्धियां (अक्टूबर 2016—मार्च 2017)


उपलब्धियां	प्रगति
• नोनी की रोपाई से संबंधित सस्यविज्ञानी क्रियाएं की गईं।	वन चरागाह विधियां अर्थात् कटाई-छंटाई, जैविक अपशिष्टों के साथ पलवार का उपयोग करते हुए मिट्टी पलटने का कार्य 2 हैक्टर के नोनी के उद्यान में किया गया।
• नोनी की वृद्धि व उपज पर मिस्टलेटो (डेंड्रोपथो कुरवाटा ब्लूम मिक.) के प्रभाव का अध्ययन • नोनी की वृद्धि व उपज पर छाया का प्रभाव	नोनी की वृद्धि व उपज पर मिस्टलेटो के प्रभाव का अध्ययन किया गया। नोनी की वृद्धि व उपज पर छाया के प्रभाव को रिकॉर्ड किया गया।
• पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में पंजीकरण के लिए नोनी की किस्म के डीयूएस लक्षण/गुण तैयार करना	पीपीवी और एफआर में पंजीकरण हेतु नोनी की चार किस्मों के डीयूएस गुण तैयार किए गए।
• पौध की रोपाई के लिए नर्सरी तैयार करना	नोनी की चार किस्मों (सीएआरआई संपदा, सीएआरआई रक्षक, सीएआरआई समृद्धि और सीएआरआई संजीवनी) की पौधें मूल नर्सरी से निकालकर पॉली बैग में प्रतिरोपित की गईं।

अनुसंधान उपलब्धियां (अक्टूबर 2016–मार्च 2017)

- विशेष रूप से समय पर सस्यविज्ञानी विधियों को अपनाकर 2 फार्मों पर नोनी के पौधों का अनुरक्षण किया गया।
- नोनी की वृद्धि व उपज पर मिस्टेलेटो के प्रभाव का अध्ययन किया गया।
- नोनी की वृद्धि व उपज पर छाया के प्रभाव को रिकॉर्ड किया गया।
- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने किस्म के पंजीकरण हेतु नोनी की चार किस्मों के डीयूएस गुण तैयार किए गए।
- नोनी की चार किस्में नामतः सीएआरआई संपदा, सीएआरआई रक्षक, सीएआरआई समृद्धि और सीएआरआई संजीवनी की पौधें तैयार की गईं। प्रत्येक किस्म की 1000 पौधें तैयार की गईं तथा उन्हें पॉलीबैग में प्रतिरोपित किया गया।

नोनी की वृद्धि और उपज पर मिस्टेलेटो (*डेंड्रोफथो करवाटा* ब्लूम मिक.) का प्रभाव

परिणामों से यह संकेत मिला कि मिस्टेलेटो का नोनी की वृद्धि व उपज संबंधी प्राचलों जैसे वृक्ष की ऊंचाई (मी.), शाखाओं की संख्या और डीबीएच (सें. मी.) की वृद्धि पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है (सारणी 1)। विभिन्न स्थानों पर पांच ब्लॉकों [भा.कृ. अ.प.–सीआईएआरआई गाराचार्मा फार्म (ब्लॉक सं. 1 और 2), भा.कृ.अ.प.–सीआईएआरआई सिप्पीघाट बागवानी फार्म (ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4) तथा एपीडीसी उद्यान, मीठाखारी (ब्लॉक-5)] 6500 वैयक्तिक पौधों में 11.3 प्रतिशत वृक्षों (7.35 वृक्षों) को *डेंड्रोफथो करवाटा* द्वारा गहनीकृत किया गया। संक्रमित पौधों के संक्रमण की गहनता की तुलना



A. Origin of Mistletoe on stem
B. Bead formation at the parasitic attachment zone
C. Hypertrophy of the distal portion of parasitized branch
D. Clumps of Mistletoe on *Morinda citrifolia*
E. *Dendrophthoe curvata* Blume inflorescence

स्वस्थ पौधों से की गई और इसे उल्लेखनीय पाया गया। ब्लॉकों में भी परजीवी के संक्रमण के कारण वृद्धि में कमी सर्वाधिक ब्लॉक 3 में देखी गई (वृक्ष की ऊंचाई और शाखाओं की संख्या के मामले में) जबकि स्वस्थ पौधों से तुलना करने पर ब्लॉक सं. 1 में डीबीएच में सर्वाधिक कमी देखी गई। संक्रमित पौधों में औसत फल उपज 14.4 कि.ग्रा. प्रति पौधा थी तथा स्वस्थ पौधों में यह उपज 20.12 कि.ग्रा./पौधा थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि संक्रमित वृक्ष के फलों में स्वस्थ पौधों में लगने वाले फलों की तुलना में 38 प्रतिशत की कमी हो जाती है। अतः मिस्टेलेटो का प्रभावी नियंत्रण तथा इसके संक्रमण की निरंतर निगरानी नोनी के वृक्षों को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है।

4.3.17 सब्जी विज्ञान प्रभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली

यह संस्थान बंदगोभी और फूलगोभी के डीयूएस परीक्षण के लिए सह-नोडल केन्द्र है। अनुरक्षण प्रजनन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

फूल गोभी : आपूर्त की गई 12 प्रविष्टियों (4 नई, 1 वीसीके और 7 कृषक) प्रविष्टियों में से तीन कृषक किस्मों के बीज दो बार बोने के बावजूद भी अंकुरित नहीं हुए। नौ प्रविष्टियों का उनके डीयूएस गुणों के लिए परीक्षण किया गया।

बंदगोभी : आपूर्त की गई 8 प्रविष्टियों में से 7 नई श्रेणी की तथा एक कृषक किस्म थी। एक नई प्रविष्टि का डीयूएस हेतु लक्षण-वर्णन नहीं किया जा सका क्योंकि यह डेम्पिंग ऑफ रोग के प्रति बहुत संवेदनशील थी। कुल सात प्रविष्टियों का डीयूएस गुणों के लिए परीक्षण किया गया।

4.3.18 भा.कृ.अनु.प. – राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, पाक्यांग, सिक्किम (मोकारा)

- कैम्बिडियम, डैड्रोबियम, वाण्डा, फैलियोनोप्सिस, कटेलिया, ऑसिडियम, पेफियोपेडिलम और मोकारा की संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण और प्रगुणन।
- भा.कृ.अ.प. – एनआरसीओ 'किसान मेला 2017' के सहयोग से सम्मेलन कक्ष, भा.कृ.अ.प.–राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, पाक्यांग, सिक्किम में 11 मार्च 2017 को डीयूएस परियोजना के अंतर्गत 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर एक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें से 25 प्रतिनिधि, 50 किसान तथा 25 विज्ञान के छात्र थे।
- सामान्य विवरणों का उपयोग करते हुए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास करने के लिए मोकारा के 8 संकरों का मूल्यांकन किया गया। विकसित किए गए कुल 61 सामान्य विवरणों में से पौधे की चौड़ाई, पुष्पों/पुष्प विन्यास की संख्या, पुष्प की लंबाई, सामने से देखने पर पुष्प की चौड़ाई, पृष्ठीय अंखुड़ी का मुख्य रंग, पार्श्व अंखुड़ी का मुख्य रंग, पंखुड़ी का मुख्य रंग, अधर शीर्षीय पाली का मुख्य रंग तथा अधर के कंठ का रंग जैसे गुणों का उपयोग संकरों के समूहीकरण के लिए किया गया।

4.3.19 बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय

जीमीकंद और तारो के किस्म जीन बैंक हेतु डीयूएस परीक्षणों के मानकों के विकास का कार्य भा.कृ.अ.प.–कंद फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, कल्याणी केन्द्र, बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है।

संक्षिप्त उद्देश्य

- तारो और जीमीकंद की दो एरॉइड प्रजातियां विकसित करने के लिए प्रत्येक की किस्मों/क्लोनों में भेद करने हेतु विशिष्ट, स्थायी तथा समरूप आकृतिविज्ञानी गुणों का विकास।



- तारो तथा जीमीकंद के डीयूएस मानकों के साथ 'किस्म जीन बैंक' की स्थापना तथा कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस विकसित करना।

लक्ष्य

- डीयूएस गुणों की पहचान के लिए आकृतिविज्ञानी आंकड़ों का संकलन तथा संकलित किस्मों/क्लों का स्वपात्रे और इसके साथ-साथ खेत में रखरखाव
- विशिष्ट गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े प्राप्त किए जाएंगे और उनका प्रलेखन किया जाएगा।
-
- विभिन्न किस्मों/क्लों के विशिष्ट गुणों का मूल्यांकन
- किस्म व क्लों की रोपण सामग्री का प्रगुणन
- एकत्र की गई किस्मों/क्लों का खेत में रखरखाव तथा विभिन्न किस्मों/क्लों के विशिष्ट गुणों के मूल्यांकन का कार्य जारी रखा जाना है।

उपलब्धियां

- इस परियोजना के अंतर्गत आने वाली सभी किस्मों के वैयक्तिक विशिष्ट गुणों की पहचान की गई व उन्हें रिकॉर्ड किया गया।
- अनेक प्रकार से भिन्न तथा स्थायित्व संबंधी परीक्षण भी किए गए।
- आकृतिमिती के माध्यम से अनोखे गुणों की पहचान की गई।
- रोपण सामग्री का प्रगुणन किया गया।
- रोपण सामग्री को उचित प्रकार से अनुरक्षित किया गया।

जीमीकंद तथा तारो की किस्मों का अनुरक्षण प्रजनन बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के खेत जीन बैंक में किया जा रहा है। जीमीकंद और तारो की किस्मों का गुण-प्ररूपण व आण्विक लक्षण-वर्णन किया जा चुका है। जीमीकंद और तारो की किस्मों के डीयूएस गुणों के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। स्वैम्पतारो का गुण-प्ररूपण किया गया है तथा इनके डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास कार्य प्रगति पर है। स्वैम्पतारो की सभी किस्में फील्ड जीन बैंक में रखी गई हैं और उनका मूल्यांकन किया गया है। अनुरक्षण अधीन किस्मों की सूची निम्नानुसार है :

फसलें	किस्मों का नाम
जीमीकंद	बीसीए-3, अप्पाकुदल, श्रीपद्म, गजेन्द्र, बीसीए-5, बिधान कुसुम (बीसीए-1), बीसीए-2, बीसीए-4, आईजीएएम-2, श्री अथिरा, एनडीए-9, कोवुर, टीआरसी बदामा, आरसी बदामा 13, सोनाजुली 14, एसी-28
तारो	बीसीसी-22, बीसीसी-39, केसीएस-3, आईजीसीओएल-8, सतामुखी, केसीएस-2, श्री रेश्मी, झंकारी, मुक्ताकेशी, तेलिया, बीसीसी-35, पानीसारू-1, सोनाजुली, पानीसारू-2, बीसीसी-38, श्री किरन, श्री पल्लवी, ओवकोल-46, बीसीसी-1, बीसीसी-47, केएसएस-2

पश्चिम बंगाल तथा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के विभिन्न जिलों से एकत्र किए गए स्वाम्प तारो के 44 जीनप्ररूप बागवानी अनुसंधान केन्द्र, बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोंदोरी, नादिया, पश्चिम बंगाल में उगाए गए। स्वैम्प तारो संकलनों का मूल्यांकन बेतरतीब ब्लॉक डिजाइन में 3 प्रतिकृतियों में किया गया। प्रयोग के दौरान समरूप मानक सरस्यविज्ञानी विधियां अपनाई गईं। एक वर्ष आयु की पौध गीली जुताई करते हुए दलदल वाली भूमि में दिसम्बर के अंत में रोपी गई। पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी 60 सें.मी. रखी गई। कार्बनिक स्रोत के रूप में 50 कि.ग्रा. नाइट्रोजन के साथ 200 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 150 कि.ग्रा. फास्फोरस और 100 कि.ग्रा. पोटेश/है. की दर से अकार्बनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया। स्टोलिन की छंटाई आधार बंडों से तब आरंभ की गई जब उनकी लंबाई विपणन योग्य अर्थात् 70–100 सें.मी. हो गई। पहली कटाई रोपाई के 105–130 दिनों बाद की गई और 15 दिनों के अंतराल पर इसे सात माह तक जारी रखा गया। आकृतिविज्ञानी गुणों जैसे वृद्धि स्वभाव, मुख्य घनकंद की लंबाई व मोटाई (सें.मी.), पत्ती पत्रदल की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, पत्ती का अभिमुखन, पत्ती का रंग, पत्ती की कोर का रंग, पत्ती की व्यवस्था, पर्णवृंत जोड़ का रंग, पर्णवृंत का रंग तथा नाड़ी का रंग प्रत्येक प्रतिकृति में देखा गया। प्रत्येक प्रतिकृति में 5 पौधे लिए गए थे तथा इन गुणों को पादप आनुवंशिक संसाधनों के अंतरराष्ट्रीय मंडल द्वारा लागू किए गए विवरणों का अनुसरण करते हुए फसल की रोपाई के बाद 210–225 दिनों पर फसल की वृहद वृद्धि के दौरान रिकॉर्ड किया गया। इसी प्रकार, प्रकंद की उपज (टन/है.) तथा उपज से संबंधित गुणों जैसे वैयक्तिक प्रकंद का भार (ग्रा.), प्रकंद की लंबाई (सें.मी.), प्रकंद की मोटाई (सें.मी.) तथा प्रति पौधा प्रकंदों की संख्या को सभी जीनप्ररूपों के मामले में अलग-अलग रिकॉर्ड किया गया।

4.3.20 वृक्ष सुधार एवं आनुवंशिक संसाधन विभाग, डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन

यह केन्द्र पॉपलर जननद्रव्य के डीयूएस विशिष्ट लक्षण-वर्णन के साथ-साथ क्लोन बैंक (नर्सरी) की स्थापना पर एक परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है।

परियोजना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

डॉ. यशवंत सिंह परमार, बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन, हिमाचल प्रदेश में पॉपलर क्लोनों का क्लोन बैंक स्थापित किया गया है। लगभग 15 क्लोन (एल-30/06, एल-621/84, जी-48, एल-6105, एस7सी15, एस7सी8, डब्ल्यूएसएल-22, डब्ल्यूएसएल-39, 6503, 5503, 1007, एल-200/86, पीएल-3, पीएल-6 और पीएल-7) तीन प्रतिकृतियों में रोपे गए इन क्लोनों को विभाग के प्रायोगिक क्षेत्र में बेतरतीब ब्लॉक डिजाइन में रोपा गया। क्लोनों के बीच 60x 60 सें.मी. का अंतराल रखा गया। डीयूएस दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया गया तथा उसे पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली में प्रस्तुत किया गया।

किस्मों की संख्या	स्रोत (स्वयं जारी की गई/भा.कृ.अ.प./रा.कृ.वि.)
एल6105, एल30/06, एल521/84, जी-48 (उत्तराखण्ड वन विभाग) एस7सी15, एस7सी8, डब्ल्यूएसएल22, डब्ल्यूएसएल 39, (विम्बो सीडलिंग रूद्रपुर, उत्तराखण्ड) 6503, 5503, 1007, एल 200/86 (टीआईजीआर विभाग, यूएचएफ, नौनी) पीएल-3, पीएल-6, पीएल-7, वानिकी विभाग, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	राज्य कृषि विश्वविद्यालय, वन विभाग, विम्को

4.3.21 वृक्ष सुधार एवं आनुवंशिक संसाधन विभाग, यूएचएफ, नौनी, सोलन

यह केन्द्र विलो (सैलिक्स प्रजातियां) जननद्रव्य के क्लोन बैंक (नर्सरी) की स्थापना तथा डीयूएस विशिष्ट लक्षण-वर्णन पर एक परियोजना चला रहा है।

इसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

किस्में	स्रोत
पीएन 731, एसई-63-016, पीएन 227, एसआई-64-017, एसआई-63-007, जे 799, कश्मीरी (सैलिक्स एल्बो), कश्मीरी विलो (सैलिक्स एल्बो), एनजैड 1140, 131/25, जे 194, जे 795, आस्ट्री, वी-99, एफएलएस (सैलिक्स टेट्रास्पर्मा), एस. एक्मोफाइला, देवमाता (सैलिक्स टेट्रास्पर्मा)	राज्य कृषि विश्वविद्यालय

विलो के क्लोनों का क्लोन बैंक डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन, हिमाचल प्रदेश की नागांजी नर्सरी में स्थापित किया गया है। लगभग 17 क्लोन (पीएन 731, एसई-63-016, पीएन 227, एसआई-64-017, एसआई-63-007, जे 799, कश्मीरी (सैलिक्स एल्बो), कश्मीरी विलो (सैलिक्स एल्बो), एनजैड 1140, 131/25, जे 194, जे 795, आस्ट्री, वी-99, एफएलएस (सैलिक्स टेट्रास्पर्मा), एस. एक्मोफाइला, देवमाता (सैलिक्स टेट्रास्पर्मा) विभाग के प्रायोगिक क्षेत्र में बेतरतीब ब्लॉक डिज़ाइन आरबीडी में तीन प्रतिकृतियों में रोपे गए। क्लोनों के बीच की दूरी 40 x 50 सें.मी. रखी गई।

अध्याय –5 : किसानों से संबंधित गतिविधियां

5.1 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 कृषि में बौद्धिक सम्पदा अधिकार, (आईपीआर), पर एक नया विधान है। अतः इसके प्रति किसानों, प्रजनकों, वैज्ञानिकों व अन्य संबंधित हितधारकों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। प्राधिकरण किसानों, अनुसंधानकर्ताओं, पादप प्रजनकों, वैज्ञानिकों, छात्रों, स्वयंसेवी संगठनों व सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने में विश्वास रखता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान प्राधिकरण ने प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, किसान मेलों, किसान उत्सवों, कृषि मेलों, कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और राष्ट्रीय सेमिनारों व कृषि कार्यशालाओं के लिए धनराशियां जारी की हैं। किसानों के बीच पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत प्रदत्त किए गए उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता सृजित करने के लिए प्राधिकरण ने कृषक कोष की स्थापना की गई है। यह कृषक कोष उपरोक्त अधिनियम में किसानों के अधिकारों के प्रावधानों के कार्यान्वयन की देखभाल करता है। यही कोष विभिन्न संगठनों/हित धारकों द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु भी उत्तरदायी है।



वर्ष 2016–17 के दौरान प्राधिकरण द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में पूरे देश में अनेक जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और प्रदर्शनियां आयोजित की गईं, ताकि किसान पादप आनुवंशिक संसाधनों (पीजीआर) के संरक्षण, सुधार और उन्हें उपलब्ध कराने; कृषि विज्ञान केन्द्रों/भा.कृ.अनु.प. के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, सरकारी विभागों और स्वयं सेवी संगठनों के साथ मिलकर नई किस्मों के विकास में उनके द्वारा किए गए योगदान के संबंध में उनके अधिकारों की सुरक्षा की जा सके और इसके प्रति उनमें जागरूकता लाई जा सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के आंचलिक परियोजना निदेशकों को ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धनराशियां जारी की गईं तथा ऐसे कुछ कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

5.1.1 अंचल-1

5.1.1.1 कृषि विज्ञान केन्द्र, गुरदासपुर, पंजाब में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोजकों तथा विशेष आमंत्रितों ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के बारे में संक्षेप में बताते हुए उनकी स्थानीय किस्मों के पंजीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। यह कार्यक्रम 21 मार्च 2017 को आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 120



किसानों, स्थानीय वैज्ञानिकों व कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों ने भाग लिया।

जागरूकता कार्यक्रम की कार्यसूची के अलावा प्रतिभागियों को निम्न सूचना भी प्रदान की गई :

- विभिन्न फसलों की स्थानीय किस्मों/प्रभेदों के संरक्षण का महत्व
- कृषक समुदाय के लाभ के लिए पंजाब के कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं
- फार्म उपज को सीधे बाजार में बेचना क्योंकि किसानों की आमदनी दुगुनी करने की केवल यही विधि है।
- पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 का साहित्य वितरित किया गया और कृषि विज्ञान केन्द्र, गुरदासपुर द्वारा एक प्रदर्शनी भी लगाई गई।

5.1.1.2 कृषि विज्ञान केन्द्र, होशियारपुर, पंजाब द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोजकों तथा विशेष आमंत्रितों ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के बारे में संक्षेप में बताते हुए उनकी स्थानीय किस्मों के पंजीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। यह कार्यक्रम 21 मार्च 2017 को माहिलपुर गांव में आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 103 किसानों ने भाग लिया।



जागरूकता कार्यक्रम की कार्यसूची के अलावा प्रतिभागियों को निम्न सूचना भी प्रदान की गई :

- पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के सामान्य कार्यों तथा इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अधिकारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया।
- एस. मोहिन्दर सिंह दोसांझ जो एक क्षेत्र के प्रगतशील किसान हैं, उन्होंने किसानों को बेहतर लाभ लेने के लिए समेकित फार्मिंग मॉडल अपनाने तथा अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा सिफारिश की गई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पिछले कई वर्षों के दौरान उनके द्वारा संरक्षित की गई विभिन्न किस्मों और जननद्रव्य का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए इसके लिए उन्हें प्राप्त हुए सम्मान के बारे में संक्षेप में बताया।
- अनेक किसानों ने अधिनियम और इसके विभिन्न प्रावधानों के बारे में अनेक प्रश्न किए तथा इस अवसर पर आयोजित चर्चा में उन्होंने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

5.1.1.3 कृषि विज्ञान केन्द्र, कारगिल, जम्मू और कश्मीर द्वारा

आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह कार्यक्रम कारगिल में 9 मार्च 2017 को आयोजित किया गया जिसमें 50 से अधिक खेतिहर महिलाओं, किसानों तथा स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।

जागरूकता कार्यक्रम की कार्यसूची के अलावा प्रतिभागियों को निम्न सूचना भी प्रदान की गई :



- कार्यक्रम समन्वयक तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने उपस्थित जन-समूह को जननद्रव्य के महत्व के बारे में सचेत किया।
- इसके अतिरिक्त उन्होंने कृषक किस्मों को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में पंजीकृत कराने की क्रियाविधियों के बारे में विस्तार से बताया।
- कठिन व कठोर जलवायु संबंधी परिस्थितियों में भी बेमौसमी सब्जियों के आश्चर्यजनक उत्पादन के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र के दल की सराहना की गई।
- किसानों को स्थानीय पौधों के संरक्षण, पौधा किस्मों के पंजीकरण और कृषि विज्ञान केन्द्र के दल द्वारा प्रदर्शित बेमौसमी सब्जी फसलों के उत्पादन की तकनीकों को अपनाने हेतु सावधानी बरतने संबंधी सुझाव/कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों का परामर्श लेने का सुझाव दिया गया।

5.1.1.4 कृषि विज्ञान केन्द्र, डोटा, जम्मू व कश्मीर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम : इस कार्यक्रम में सरकारी विभाग के अधिकारियों, किसानों व स्थानीय अधिकारियों सहित लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 मार्च 2017 को भादेरवाह में आयोजित किया गया था।

जागरूकता कार्यक्रम की कार्यसूची के अलावा प्रतिभागियों को निम्न सूचना भी प्रदान की गई :

- कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों तथा विस्तार कर्मियों को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रति जागरूक करना तथा इस अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट स्थानीय किस्मों के पंजीकरण हेतु उन्हें प्रेरित करना था।
- प्रतिभागियों को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों व इसके विभिन्न घटकों जैसे पेटेंट, कॉपी राइट, ट्रेड मार्क, व्यापार रहस्य, औद्योगिक डिजाइनें, जीआई और पीपीवी व एफआर अधिनियम तथा सामान्य रूप से जिला के किसानों के लिए इसकी प्रासंगिकता के बारे में संक्षेप में बताया गया।
- डॉ. ए.एस. चरक ने प्रतिभागियों को भौगोलिक संकेतों व इनकी प्रासंगिकता के बारे में बताया। उन्होंने राजमा, मक्का, धान, गांठगोभी आदि जैसी स्थानीय किस्मों को उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराने हेतु आगे आने पर बल दिया ताकि अधिकांश स्थानीय लोग अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए भविष्य में इससे लाभान्वित हो सकें। इस कार्यक्रम को प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित-प्रसारित किया गया।



5.1.2 अंचल II

बिहार, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा 25 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनका विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम	राज्य	कार्यक्रम के आयोजन की तिथि	प्रतिभागी
1	औरंगाबाद	बिहार	29.03.2017	200

2	कटिहार	बिहार	29.03.2017	185
3	मुंगेर	बिहार	30.03.2017	146
4	नवादा	बिहार	06.03.2016	124
5	पुर्निया	बिहार	29.03.2017	125
6	समस्तीपुर	बिहार	29.03.2017	100
7	चतरा	झारखण्ड	26.02.2017	110
			28.02.2017	
			03.03.2017	
8	देवघर	झारखण्ड	24.02.2016	50
			28.02.2016	51
9	पूर्व सिंहभूमि	झारखण्ड	25.03.2017	248
10	गढवा	झारखण्ड	24.03.2017	105
			25.03.2017	
			28.03.2017	
11	गोड्डा	झारखण्ड	26.03.2017	50
			28.03.2017	70
12	गुमला	झारखण्ड	3.03.2017	122
13	हजारीबाग	झारखण्ड	6.03.2017	165
14	जामतारा	झारखण्ड	29.03.2017	155
15	लोहारदगा	झारखण्ड	28.03.2017	95
16	रांची	झारखण्ड	17.03.2017	100
			28.03.2017	120
18	सिमडेगा	झारखण्ड	26.03.2017	141
19	पश्चिम सिंह भूमि	झारखण्ड	30.03.2017	109
20	दक्खिन दीनाजपुर	पश्चिम बंगाल	30.03.2017	98
21	हुगली	पश्चिम बंगाल	17.03.2017	66
			20.03.2017	38
22	जलपायगुड़ी	पश्चिम बंगाल	17.02.2017	254
23	निमपीठ	पश्चिम बंगाल	18.03.2017	115
24	पुरुलिया	पश्चिम बंगाल	02.03.2017	40
			16.03.2017	30
			17.03.2017	30
25	उत्तर दिनाजपुर	पश्चिम बंगाल	25.03.2017	119

5.1.3 अंचल V

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनका विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम	बैठक की तिथि	बैठक का स्थान	भाग लेने वाले किसानों की संख्या	पीपीवी और एफआरए में कृषक किस्मों के पंजीकरण का विवरण
1	काडपाड़ा (उतुकुर)	30.03.2017	काडपाड़ा	100	—
2	नैल्लोर	चार बैठकें	ग्रामों में	160	—
3	कुरनूल (वाई)	31.03.2017	कुरनूल	148	—
4	वारंगल (मलियाल)	31.03.2017	मलियाल	100	—
5	करीमगंज (जे)	28.03.2017	जम्मीकुंटा	72	—
6	महबूबनगर (एम)	24.03.2017	वाईएफए-कृषि विज्ञान परिसर, मदनापुरम	81	—
7	खम्मम (व्यारा)	30.03.2017	व्यारा	100	—
8	नागपुर	23.03.2017 और 24.03.2017	नागपुर	100	
9	अहमदनगर (बी)	23.3.2017	बाभलेश्वर	216	
10	अमरावती (डी)	27.3.2017	दुर्गापुर	186	1
11	बीड (अम्बाजोगई)	21.03.2017	अम्बाजोगई	100	
12	औरंगाबाद (पैठानमार्ग)	01.03.2017	औरंगाबाद	91	1
13	नंदुर्बार	30.03.2017	नंदुर्बार	148	
14	सिंधुदुर्ग	04.03.2017	सिंधुदुर्ग	412	
15	सोलापुर	18.03.2017	सोलापुर	114	शरीफे की एनएमके-1 (गोल्डन किस्म) पंजीकरण अधीन है। कृषक का नाम : एन. एम. कस्पाटे, ए/पी: गोरमेल, तहसील : बरशी, जिला सोलापुर
16	वाशिम	21.03.2017	वाशिम	324	

5.1.4 अंचल IV

वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न जिलों के कृषक समुदाय के लिए पीपीवी और एफआरए के अंतर्गत कुल 17 कृषि विज्ञान केन्द्रों (10 राजस्थान राज्य के तथा 7 गुजरात राज्य के) द्वारा प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान के 10 जिलों (स्वाईमाधोपुर, झालवार, हनुमानगढ़-1, अजमेर, करौली, सीकर, पाली, प्रतापगढ़, धौलपुर और राजसमंद) के 1007 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जबकि गुजरात राज्य के सात जिलों (पाटन, कच्छ-1, साबरकांठा, अमरेली, नवसारी, तापी और डांगस) के कुल 1754 प्रतिनिधियों ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।



इन प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों में जो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए गए थे, भा.कृ.अ.प. के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अखिल भारतीय समन्वित

अनुसंधान परियोजनाओं के सुविधकों द्वारा राजस्थान और गुजरात के संबंधित जिलों में अनेक उपयोगी व्याख्यान दिए गए। 'कृषक अधिकार कृषक विकास' शीर्षक की पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराए गए 17 मिनट के एक वृत्तचित्र का भी प्रदर्शन किया गया जो कृषक समुदाय के आकर्षण का मुख्य केन्द्र था और जिससे कृषक समुदाय पीपीवी और एफआर अधिनियम के प्रति विशेष रूप से आकर्षित हुआ। पीपीवी और एफआर अधिनियम पर प्रकाशित उचित साहित्य भी प्रतिभागियों के बीच बांटा गया। किसानों ने अनेक प्रश्न किए जिनका समाधान किया गया तथा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान के सहयोग से इन कार्यक्रमों के द्वारा प्रतिभागियों में जागरूकता लाने में सफलता मिली। इस अवसर पर प्रतिभागियों को कृषकों की किस्मों के पंजीकरण फार्म भरने की क्रियाविधि के बारे में भी समझाया गया जो कृषक समुदायों को सब्जियों, मसालों, चारा तथा अन्य फसलों की स्थानीय किस्मों के पंजीकरण हेतु आगे आने में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। संबंधित कार्यक्रम का कृषि विज्ञान वार विवरण नीचे दिया गया है।

कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों की सूची

क्र.सं.	राजस्थान राज्य		गुजरात राज्य		
	कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	क्र.सं.	कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम	प्रतिभागियों की संख्या
1	सवाईमाधोपुर	104	1	पाटन	170
2	झालवार	118	2	कच्छ 1	182
3	हनुमानगढ़-1	145	3	साबरकांठा	312
4	करौली	65	4	अमरेली	132
5	अजमेर	57	5	नवसारी	200
6	सीकर	25	6	तापी	224
7	पाली	70	7	ढांग्स	534
8	प्रतापगढ़	120			
9	धौलपुर	183			
10	राजसमंद	120			

5.2 पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार, प्रतिदान और सम्मान

कृषि जैवविविधता के हॉट-स्पॉट के पहचाने गए क्षेत्रों में विशेष रूप से, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों व उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार एवं परिरक्षा में रत विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के किसानों को सहायता प्रदान करने व पुरस्कृत करने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली राष्ट्रीय जीन निधि से प्रति वर्ष पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार सम्मान व प्रतिदान प्रदान किए जाते हैं। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियमावली, 2003 के अंतर्गत पीपीवी और एफआर प्राधिकरण कृषि में अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने व इसके विकास में कृषकों व कृषक समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान व उनकी भूमिका के लिए यह पुरस्कार प्रदान करता है। वास्तव में कृषक समुदाय व किसान पीढ़ियों से इन पादप आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करते आ रहे हैं, अतः इस कार्य में रत व्यक्तिगत किसानों व कृषक समुदायों को उनके योगदान के लिए मान्यता देने हेतु ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार सभी भारतीय किसान समुदायों, विशेष रूप से उन आदिवासी किसानों व ग्रामीण समुदायों के लिए हैं जिन्होंने कृषि जैवविविधता के

हॉट-स्पॉट के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों व उनके वन्य संबंधियों के पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार व परिरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन पुरस्कारों के लिए आवेदकों द्वारा संरक्षण कार्य में सहायता के प्रमाण सहित आवेदन प्रस्तुत करने होते हैं, संरक्षण की गई किस्मों के बीज/रोपण सामग्री उपलब्ध करानी होती है तथा कृषक समुदाय में पुरस्कार की राशि का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा इसका एक संक्षिप्त प्रस्ताव देना होता है और यह भी सूचित करना होता है कि सामग्री का यदि किसी प्रजनक ने कोई अन्य किस्म के सुधारने में उपयोग किया है तो किस प्रकार किया है, आदि। पुरस्कार विजेता (ओं) का चयन एक उच्च स्तर की राष्ट्रीय समिति द्वारा किया जाता है।

प्राधिकरण वर्ष 2009-10 से प्रत्येक 10 लाख रुपये राशि के पांच पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार प्रदान करता है जो उन कृषक समुदायों को दिए जाते हैं जो पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और परिरक्षण में रत हैं। इसी प्रकार, पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 (जीन निधि से प्रतिदान एवं सम्मान) नियमावली, 2012 के अनुसार प्रति वर्ष प्राधिकरण 10 पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार प्रतिदान तथा 20 सम्मान प्रदान करता है। वर्ष 2013 से कृषक पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक के लिए 1.5 लाख रुपये नकद तथा प्रतिदान के अंतर्गत प्रत्येक किसान को 1.0 लाख रुपये नकद और इसके साथ ही उद्धरण व स्मृति चिह्न प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने अगस्त तथा दिसम्बर 2016 के दौरान दो पादप जीनोम संरक्षक (पीजीएस) पुरस्कार समारोह आयोजित किए।

5.2.1 वर्ष 2012-13 के लिए पुरस्कार

दिनांक 24 अगस्त 2016 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने ए.पी. सिंदे सिम्पोजियम सभागार, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में पीजीएस पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। मुख्य अतिथि श्री राधा मोहन सिंह, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई। इस समारोह में श्री पुरुषोत्तम रूपाला, माननीय केन्द्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं पंचायती राज राज्य मंत्री और श्री सुदर्शन भगत, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थे। अन्य महानुभावों ने डॉ. टी. महापात्र, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व श्री आर.के. सिंह, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग शामिल थे।

जिन प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया था, उनकी परंपरागत किस्मों और जिन प्रतिभागियों को जीनोम संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिन्हें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में पुरस्कृत व सम्मानित किया जा चुका है, उनकी परंपरागत किस्मों के बारे में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, श्री पुरुषोत्तम रूपाला, माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व पंचायती राज राज्य मंत्री तथा श्री सुदर्शन भगत, माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री की उपस्थिति में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

पुरस्कारों/प्रतिदानों व सम्मानों का विवरण

पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार (2012-13) :

- **सोसायटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ मंगो डायवर्सिटी (एससीएमडी)**, मलिहाबाद, कसमांडी कलां, लखनऊ, उत्तर प्रदेश जो ऊपरी गंगा के मैदानों के कृषि जैवविविधता हॉट-स्पॉट क्षेत्र में सक्रिय है, आम की परंपरागत किस्मों के संरक्षण, अनुरक्षण और प्रगुणन व इसके विविधीकरण में रत है, जिसमें 42 परंपरागत किस्में भी हैं जो वाणिज्यिक रूप से महत्पूर्ण हैं।

- **कचई विलेज कम्युनिटी**, एलएम ब्लॉक, कचई, उखरूल, मणिपुर जो उत्तर पूर्वी पर्वतीय कृषि जैवविविधता हॉट स्पॉट के क्षेत्र में सक्रिय है, इसने रफ लेमन के एक प्रकार कचई नींबू (*सिट्रस जाम्बीरी*



लश) का संरक्षण किया है जिसे मूलवृत्त के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रजाति खासी मेंडारिन की कलमों के लिए मूलवृत्त के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। कचई नींबू के संरक्षण के लिए ग्रामवासियों ने भा.कृ.अ.प., उत्तर पूर्वी पर्वतीय मणिपुर केन्द्र द्वारा विकसित विधियों के पैकेज को अपनाकर सामुदायिक संरक्षण कार्यक्रम को लागू किया है। यह सस्योत्तर प्रसंस्करण और विपणन सहित किसी

समुदाय द्वारा किसी विशेष प्रजाति की गहन खेती और संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तंगखुल नागा समुदाय के कचई नींबू के परिरक्षण व संरक्षण का यह प्रयास सराहनीय है।

- **धरोहर समिति, मुरिया/भत्रा आदिवासी एवं पिछड़ा आदिवासी समुदाय**, गोलाबंद, कोंडागांव, बस्तर, छत्तीसगढ़, जो बस्तर के कृषि जैवविविधता हॉट स्पॉट के क्षेत्र में चावल सहित विभिन्न फसलों की परंपरागत भू-प्रजातियों के संरक्षण में रत है, ने चिकित्सीय गुणों से युक्त लाल चावल की मेहर और कांता मेहर; खुशबूदार किस्में जैसे कदमफूल ओर उन्नत कृषक किस्में जैसे शिव धरोहर 1 और लाजमी सुपर आदि सहित परंपरागत चावल की लगभग 267 किस्में संरक्षित की हैं। चावल की इन देसी किस्मों के बीज व पुष्पगुच्छ एक समुदाय जीन बैंक में संरक्षित किए जा रहे हैं तथा किस्में जैविक विधि के द्वारा उगाई जा रही हैं। समुदाय द्वारा किए गए प्रयास तथा दिखाई गई रुचि सराहनीय है जिसे सराहने व उचित रूप से पुरस्कृत करने की आवश्यकता है, ताकि समुदाय के सदस्यों को और अधिक नैतिक बल प्राप्त हो सके।

- **खर्ची ग्राम समुदाय**, पाली, राजस्थान, जो शुष्क पश्चिमी कृषि जैवविविधता हॉट स्पॉट के क्षेत्र में है, मूंग जैसी कृषि फसलों की खेती में लगा है। खरीफ मौसम में ग्वार और रबी मौसम में गेहूं, जौ, जीरा, चना



आदि जैसी कृषि फसलें उगा रहा है। इसने स्थानीय रूप से अनुकूलित गेहूं की खर्चिया भूप्रजाति का संरक्षण किया है जिसका उपयोग गेहूं की उन्नत व लवणता सहिष्णु किस्मों के विकास में गहन रूप से किया जा रहा है। इस भूप्रजाति के संरक्षण और अनुरक्षण के कारण स्थानीय समुदाय कम से कम निवेश से लवणता से प्रभावित मृदाओं में खर्चिया

गेहूँ की खेती करके अपनी आजीविका कमा रहा है। भूप्रजातियों का उपयोग लवण सहिष्णु किस्मों के विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी किया गया है।

- **सिद्धरुद्ध सवायाव कृषिकार बलाग**, गुंडेनहट्टी, ताल्लुक खानापुर, बेलगांव, कर्नाटक जो पश्चिम घाट में जैविक किसानों का एक समूह है और जो चावल, दलहनों, सब्जियों, मोटे अनाजों और फल फसलों आदि की परंपरागत किस्मों के संरक्षण और खेती में रत है, ने अनूठे आकृतिविज्ञानी गुणों से युक्त चावल की विभिन्न 68 किस्मों को एकत्र करके उनका संरक्षण किया है; समुदाय बीज बैंक का रखरखाव किया है और स्थानीय किसानों के बीच बीज का विनिमय भी किया है। इस समुदाय ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न फसलों की पुरानी किस्मों को संरक्षित करते हुए उन्हें वितरित भी किया है।



पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान (2013) :

- **श्री बेन्नी मैथ्यू**, कुरुवंपाडी, चित्तूर, अगाली, पालकाड, केरल एक प्रगतशील कृषक हैं और काली मिर्च के साथ सुपारी, इलायची, रबड़, कॉफी तथा अन्य फल/चिकित्सीय पादप प्रजातियों की स्थानीय किस्मों के संरक्षक हैं। ये काली मिर्च के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं तथा इन्होंने फल/चिकित्सीय पौधों, भूप्रजातियों और कृषक किस्मों के संरक्षण के बारे में किसानों के बीच जागरूकता भी फैलाई है।
- **श्री मेलेथिल बीरनकुट्टी**, तिरूर, अंदावूर, मालाप्पुरम, केरल तिरूर क्षेत्र के लिए अनूठी पान की परंपरागत किस्मों के संरक्षक हैं। इस किसान ने तिरूर क्षेत्र के पान के संरक्षण पर सराहनीय कार्य किया है तथा ये भौगोलिक विशेषताओं, खेती की जैविक विधि व सस्यविज्ञानी विधियों के कारण पान के विशेष आकृतिविज्ञानी और जैव रसायनविज्ञानी गुणों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता भी फैला रहे हैं।
- **श्री टी. वेंकदापति**, कूदापक्कम, पुदुचेरी एक प्रगतशील बागवान हैं जिन्हें स्थानीय किस्मों और मिर्च की अनोखी किस्मों तथा कैसुआरीना पादप प्रजातियों का संरक्षण किया है। ये *क्रॉसैंड्रा सलेक्शन* जैसे *देहली क्रॉसैंड्रा सलेक्शन*, *एपीजे अब्दुल कलाम-1*, *अब्दुल कलाम-2*, *विजय क्रॉसैंड्रा*, *लक्ष्मी क्रॉसैंड्रा* के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं तथा जैव विविधता और भूप्रजातियों और कृषक किस्मों के संरक्षण के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं।
- **श्री मोहम्मद मूपन**, तिरूर, मीनादाथूर, मालाप्पुरम, केरल तिरूर के लिए पान की अनूठी व परंपरागत किस्मों के संरक्षक हैं। इस किसान ने पान के पुजुकोडी और नंदन पारिस्थितिक प्रकारों का संरक्षण किया है तथा इन्हें *ओट्टाकोडी* और *कुट्टाकोडी* प्रणाली व जैविक खेती के माध्यम से उगाया है। ये पान के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं



तथा जैव विविधता और पान की बेलों, भूप्रजातियों और कृषक किस्मों के संरक्षण के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं।

- **श्री अंजनेया ए.एन.**, कुम्बालुरु, हरिहरा, देवनागरे, कर्नाटक चावल की 'दोदाभाट्टा' जैसी परंपरागत किस्मों के संरक्षण में रत हैं। ये सिद्धासन्ना, गौरीसन्ना, मैसूर सन्ना आदि जैसी परंपरागत लोकप्रिय किस्में भी उगा रहे हैं और इसके साथ-साथ बीज भंडारण की परंपरागत विधियों जैसे 'मुडिकाट्टू' (धान के भूसे के साथ पैकिंग) को भी अपना रहे हैं। ये चावल की स्थानीय किस्मों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं तथा जैव विविधता और भूप्रजातियों और कृषक किस्मों के संरक्षण के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं।



- **श्री के.वी. कन्नन**, नेहालयम, कांदोथ, पायनूर, कन्नूर, केरल एक प्रगतिशील फसलोत्पादक तथा पादप जैवविविधता के संरक्षक हैं। इस किसान ने नारियल की दो परंपरागत किस्में नामतः *वेस्ट कोस्ट टाल* और *चौघाट आरेंज ड्वार्फ*; चावल की एक किस्म *चित्तेनी* (उत्तरी पारिस्थितिक प्रकार); कम लेटेक्स से युक्त कटहल, अन्य फलों तथा चिकित्सीय पादप प्रजातियों का संरक्षण किया है। ये नारियल, चावल, कटहल, केला, अमरूद और आम जैसी उत्तर मालाबार क्षेत्र में लोकप्रिय व महत्वपूर्ण स्थानीय किस्मों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं तथा फलों/चिकित्सीय फलों, भू प्रजातियों व कृषक किस्मों के संरक्षण के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं।



- **श्री अरुण कुमार**, बाजपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड चावल की *हंसराज बासमती* किस्म के संरक्षण में रत हैं। ये जैविक तथा परंपरागत खेती के माध्यम से मिश्रित खेती को अपना रहे हैं। ये चावल की स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं तथा कृषि-जैव विविधता और भूप्रजातियों और कृषक किस्मों के संरक्षण के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं।
- **श्री देवनाथ वर्मा**, प्रेम नगर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड चावल की परंपरागत किस्म जैसे *तिलक चंदन* के संरक्षण में रत हैं। ये चावल की स्थानीय किस्मों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं तथा जैव विविधता और भूप्रजातियों और कृषक किस्मों के संरक्षण के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं।
- **श्री अमित कुमार बेरा**, पूर्व मेदनीपुर, पश्चिम बंगाल चावल की पांच ऐसी किस्मों (राधुनीपगाल, भुतमुरी, सबिता, दुधेश्वर और गोबिंदभोग) के संरक्षण में रत हैं जिनका उपयोग *बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय*, पश्चिम बंगाल में चावल सुधार कार्यक्रम में किया गया है। ये चावल की स्थानीय किस्मों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं तथा जैव विविधता और भूप्रजातियों और कृषक किस्मों के संरक्षण के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं।
- **श्री युमनाम रंजीत सिंह**, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर चावल की सात किस्मों नामतः *मोइरांगफोउ*, *खोकंगंधी (ए)*, *तुमाई अंगांगबी*, *तुमाई अंगोउबा*, *फोउरेन फाउजाउ*, *फोउगाक फोउरेन अकुप्पी*, *फोउकांग*, *चखाओ अम्बुल* के संरक्षण में रत हैं जिनका उपयोग पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पंजीकरण योग्य किस्मों के लिए दाताओं के रूप में किया गया है। ये चावल की गहनीकरण प्रणाली (एसआरआई)

विधि को अपना रहे हैं जो विभिन्न किस्मों की खेती के लिए उपयोग में लाई जाती है। ये पादप सुरक्षा के उपायों के रूप में समेकित नाशीजीव प्रबंध या आईपीएम विधि को अपना रहे हैं। ये चावल की स्थानीय किस्मों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं तथा जैव विविधता और भूप्रजातियों और कृषक किस्मों के संरक्षण के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं।

पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान (2013)

- **श्री के. नरेन्द्रन**, नम्बारुविकाला, करुनागापाल्ली, कोल्लम जिला, केरल औषधीय पौधों, नारियल, सुपारी, शोभाकारी पादप आदि की अनेक दुर्लभ तथा संकटप्राय प्रजातियों के संरक्षण में रत हैं और खेती की जैविक विधि को अपना रहे हैं, प्रगतशील उत्पादकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, चिकित्सीय पौधों की रोपण सामग्री (यों) को आपूर्त कर रहे हैं तथा स्थानीय किसानों को मलयालम में प्रकाशन उपलब्ध करा रहे हैं। ये औषधीय पौधों, भू प्रजातियों और कृषक किस्मों के संरक्षण के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं।


- **श्री पी. कृष्णन**, कोप्पम, पट्टाम्बी, पुलासेरी, पालकाड चिकित्सीय पादप प्रजातियों, फल पौधों, चावल की परंपरागत किस्मों आदि के संरक्षक हैं। चावल की किस्मों में इस कृषक ने *चेत्तादी*, *माकरम*, *कट्टामोदन* आदि जैसी चावल की परंपरागत किस्मों का संरक्षण किया है। ये उपरोक्त फसलों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं तथा जैव विविधता और भूप्रजातियों और कृषक किस्मों के संरक्षण के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं।


- **श्री के. रमण**, चेरुवालय रमण, मनाथवादी, वायनाड, केरल चावल, की 35 परंपरागत किस्में संरक्षित कर रहे हैं। इनके द्वारा संरक्षित दो किस्मों नामतः पालथोंडी और कायमा का उपयोग केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचुर में चावल की किस्मों के विकास हेतु जीन के दाता के रूप में किया गया है। काली मिर्च की एक किस्म, उथिरानकोट्टा का आरएआरएस (केएयू), पेन्नियूर से जारी की गई पेन्नियूर-1 के विकास की दिशा में योगदान है। ये उपरोक्त फसलों के अलावा केला और नारियल के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं तथा जैव विविधता और भूप्रजातियों और कृषक किस्मों के संरक्षण के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं।
- **श्री अंजन कुमार सिन्हा**, गंगाजलघाटी, रणबहल, अमरकानन, बांकुडा, पश्चिम बंगाल चावल की 102 भूप्रजातियों जैसे रघुसाल, निकुंज, नोना-बोगरा, मालाबाती, खजूरचारी आदि का संरक्षण किस्मों के सुधार हेतु किया है। ये चावल की किस्मों के अनेक प्रकारों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं तथा जैव विविधता और भूप्रजातियों और कृषक किस्मों के संरक्षण के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं।

5.2.2 वर्ष 2013–14 के लिए पुरस्कार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने 21 दिसम्बर 2016 को डॉ. बी.पी.पाल सभागार, भा.कृ.अ.प. –भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली में एक अन्य पीजीएस पुरस्कार समारोह आयोजित किया। श्री राधा मोहन सिंह, माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कृषकों/कृषक समुदायों को पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार/प्रतिदान/सम्मान प्रदान किए। इस अवसर पर श्री एस.के.पटनायक, सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग; डॉ. टी. महापात्र, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) और महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प., डॉ. अशोक दलवाई, अपर सचिव, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग; श्री आर.के.सिंह, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के साथ-साथ जम्मू व काश्मीर के माननीय विधायक; अनेक कुलपति, भा.कृ.अनु.प. के उप महानिदेशक, सहायक महानिदेशक, निदेशक, दूतावासों के प्रतिनिधि व अन्य प्रतिष्ठित अतिथि व किसान और प्राधिकरण के सदस्य भी उपस्थित थे।

माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री ने अपने भाषण में यह सूचित किया कि जिन किसानों और कृषक समुदायों ने भारतीय कृषि की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वे सराहना के पात्र हैं। उन्होंने इस दिशा में प्रयास करने वाले अन्य किसानों व कृषक समुदायों को भी उनके इस कार्य के लिए बधाई दी। उन्होंने यह भी घोषित किया कि हाल ही में भारत सरकार ने प्राधिकरण के तीन नए शाखा कार्यालयों को खोलने की स्वीकृति प्रदान की है जिनमें से एक शीघ्र ही पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में स्थापित किया जाएगा जिसके अंतर्गत उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के राज्य आएंगे, दूसरा पुणे में स्थापित होगा जिसके अंतर्गत केन्द्रीय तथा पश्चिमी क्षेत्र के राज्य आएंगे और तीसरा शिवामोगा (कर्नाटक) में स्थापित होगा जिसके अंतर्गत दक्षिणी राज्य आएंगे। इस प्रकार, प्राधिकरण किसानों व अन्य हितधारकों तक और बेहतर ढंग से पहुंच सकेगा तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों को और भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। उन्होंने सूचित किया कि सरकार किसानों के लाभ के लिए और अधिक शाखाएं खोलने की स्वीकृति प्रदान करेगी।

पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार 2013–14

इस पुरस्कार में 10.00 लाख रुपये नकद, एक उद्धरण, एक प्रमाण-पत्र और स्मृति चिह्न दिया जाता है। निम्न पांच समुदायों को पुरस्कार प्रदान किए गए :

सागम और दनवंतपुरा (अनंतनाग जिला, जम्मू व काश्मीर) का कृषक समुदाय : पश्चिम हिमालय के कृषि जैवविविधता के हॉट स्पॉट में कृषक समुदाय चावल की किस्मों विशेष रूप से मुश्कबुदगी और कमाद की खेती व संरक्षण व शामिल है जिसमें अच्छी सुगंध, शीत के प्रति सहिष्णुता, पकाने की बेहतर गुणवत्ता होती है और जिसका बाजार मूल्य अधिक है। चावल की इन किस्मों के संरक्षण के अलावा यह समुदाय सस्योत्तर प्रसंस्करण व विपणन में भी शामिल है। यह समुदाय इस क्षेत्र में सिंचाई नालियों के विस्तार में सक्रिय रूप से शामिल है।



चेंगलीकोडन बनाना ग्रोअर्स एसोसिएशन, इरुमापेट्टी (त्रिचुर, केरल) : मालाबार कृषि जैवविविधता के हॉट-स्पॉट क्षेत्र में स्थित यह समुदाय चेंगलीकोदन नेंद्रन केले पर विशेष बल देते हुए आम, नारियल, कटहल, इमारती लकड़ी के वृक्षों और सब्जियों आदि जैसी फसलों के संरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल है। केले की यह किस्म अपने स्वाद, गुच्छे की आकृति और फल के रंग के कारण प्रसिद्ध है। इस समुदाय ने चेंगलीकोदन नेंद्रन केले का संरक्षण परंपरागत विधि से किया है।



सागर कृष्णानगर स्वामी विवेकानंद यूथ कल्चरल सोसायटी, दक्षिण 24

परगना, पश्चिम बंगाल : यह समुदाय गंगा के मुहाने के कृषि-जैव विविधता के हॉट-स्पॉट में है तथा यह चावल और चिकित्सीय पौधों की परंपरागत भूप्रजातियों में शामिल है। इस समुदाय ने चावल की 39 देसी किस्मों और चिकित्सीय प्रजातियों के 34 प्रकारों का संरक्षण किया है। चावल की किस्में नामतः *बादशाहभोग*, *दुर्गाभोग*, *दुधेश्वर*, *हरिनाखुरी*, *कालाजीरा*, *कार्तिभोग* और *कनकचूर* सुगंधित प्रकृति के हैं। इस समुदाय ने पश्चिम बंगाल के गंगा के मुहाने वाले क्षेत्र में कृषक समुदायों के बीच चावल की देसी किस्मों का वितरण भी किया है।

खोला/कैनाकोना चिली कल्टीवर्स ग्रुप्स, खोला (सिरोथि, दक्षिण

गोआ) : यह समुदाय कोंकण कृषि जैवविविधता के हॉट-स्पॉट क्षेत्र में है तथा मिर्च की खोला/कैनाकोना नामक स्थानीय परंपरागत किस्म तथा कंद फसलों व सब्जियों की स्थानीय किस्मों के संरक्षण में शामिल है। मिर्च की इस किस्म का रंग चमकीला लाल है और इसमें मध्यम तीखापन है।



कारेन वेल्फेयर एसोसिएशन, वेबी (मायाबंदर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : यह समुदाय द्वीप समूह कृषि जैवविविधता के हॉट-स्पॉट क्षेत्र में है तथा चावल की 6 परंपरागत किस्मों नामतः *खुशबैय्या*, *ब्लैक बर्मा*, *व्हाइट बर्मा*, *मुशली*, *न्याविन* और *रेड बर्मा* के संरक्षण व इसकी खेती में सक्रिय रूप से शामिल है। यह समुदाय 1925 से दीर्घावधि संरक्षण के लिए आनुवंशिक जीवन क्षमता बनाए रखने के लिए परंपरागत विधि का उपयोग करके उत्तर और मध्य अंडमान में इन किस्मों का संरक्षण कर रहा है।

पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान (2014)

इस प्रतिदान में 1.5 लाख रुपये नकद, एक उद्धरण, एक प्रमाण-पत्र और एक स्मृति चिह्न प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार इन किसानों को प्रदान किए गए :

- **श्री राम प्रकाश केशवानी** (बाम्हानिधि, लाखुरी, जंजीर, छत्तीसगढ़) एक प्रगतिशील किसान हैं तथा धान की आठ स्थानीय किस्मों के संरक्षण हैं। महत्वपूर्ण किस्में हैं – गुडशक्कर, राम बासमती, शंकर भोग, पुराना बासमती, श्याम स्वर्ण, श्री राम प्रकाश धान, चीनीशक्कर और पार्वती शिव। इन्होंने खेती की अपनी विशेष तकनीकें विकसित की हैं।
- **श्री शाजी एन.एम. :** (इलापुपारा हाउस, अरुथ्यूथारा डाकघर, मन्थावाडी, वायनाड जिला, केरल) कंद फसलों नामतः *बंडा*, *अरबी*, *शकरकंद*, *टैपियोका/कसावा*, *जीमीकंद*, *अरारूट*, *चीनी आलू*, *लेसर याम* तथा

अन्य फसलों जैसे हल्दी, सब्जियों, चिकित्सीय पौधों व ऑर्किड प्रजातियों के संरक्षक हैं। इन्होंने संरक्षण व भंडारण तकनीकों में नवीन विधियों का उपयोग किया है तथा विशेष रूप से बंडे और जीमीकंद की भी अपनी रोपण व भंडारण तकनीकें विकसित की हैं।

- **श्री सुरेन्द्र कुमार** (सिद्धोली कादिम, नरियारी, कम्बोह माजरा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश) गेहूं, धान, सब्जियों, कपास आदि के प्रगतिशील किसान व संरक्षक हैं। उनके द्वारा संरक्षित गेहूं की बंसी किस्म, कठिया गेहूं का उपयोग गेहूं की उच्च उपजशील किस्मों के विकास में किया गया है। इन्होंने संरक्षण तथा भंडारण तकनीकों में परंपरागत नवोन्मेषी विधियों का उपयोग किया है।

पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान, 2014

इसके अंतर्गत एक लाख रुपये नकद, एक उद्धरण, एक प्रमाण-पत्र और एक स्मृति चिह्न दिए जाते हैं। निम्न किसानों को ये सम्मान प्रदान किए गए:

- **श्री एन.के. चंद्रन** (पी. वर्नबल्लूर डाकघर, त्रिचुर, केरल) नारियल की विभिन्न परंपरागत किस्मों (मलायन येलो ड्वार्फ और चौघाट ओरेंज ड्वार्फ) का संरक्षण कर रहे हैं। इन्होंने आम, बांस, *हेलिकोनिया* आदि की विभिन्न स्थानीय किस्में भी संरक्षित की हैं। इन्होंने इसके अलावा काजू, इमली, अमरुद, चिकित्सीय पौधों, कटहल, सागौन आदि सहित कई अन्य फसल की परंपरागत किस्मों का भी संरक्षण किया है। ये खेती की जैविक विधि अपनाते हैं।
- **श्री अरविन्द के** (पी वी कलाम (एच), पोम्ब्रा, पालकाड, केरल) केला, फल वृक्षों, रोपण फसलों, सब्जियों, चिकित्सीय और सगंधीय पौधा प्रजातियों की स्थानीय किस्मों के प्रगतिशील किसान व संरक्षक हैं। इनके द्वारा संरक्षित स्थानीय किस्म नामतः पिसांग लिनिन का उपयोग केले के बीआरएस1 और बीआरएस 2 संकरों के विकास में किया गया है। ये प्राकृतिक जीवन और जैवविविधता के संरक्षण की संकल्पना का प्रचार-प्रसार भी कर रहे हैं।
- **श्री रेचन्ना एम** (कोल्लागाला, होसा मलांगी डाकघर, चामराजनगर, कर्नाटक) धान, उड़द, लोबिया, मूंग, तिल आदि की किस्मों के संरक्षक हैं। इन्होंने संरक्षण की नवोन्मेषी स्वपात्रे विधियों का उपयोग किया है। इनके द्वारा संरक्षित किस्मों में विभिन्न विशेष गुण हैं जैसे औषधीय गुण, रोग प्रतिरोध, पोषणिकता और सूखा सहिष्णुता।
- **श्री शंकरगुरु एम.के.** (मद्राल्ली, कुन्नाली, डाकघर नरसीपुरा, मैसूर, कर्नाटक) धान की परंपरागत किस्मों के लिए प्रगतिशील किसान तथा प्रमाणित जैविक बीज उत्पादक हैं। इन्होंने धान की 14 परंपरागत किस्मों का संरक्षण किया है तथा एनएमएस-2 किस्म विकसित की है जिसकी उच्च उपज के कारण बहुत पसंद किया जाता है।
- **श्री प्रभाकर एम. केन्नी** (साल्सेटे, सावोर काटा, क्यूकोलिन, दक्षिण गोवा) काजू, नारियल, सुपारी, आम, कटहल, काली मिर्च, जायफल और वनीला के संरक्षक हैं। काजू के दो आशाजनक स्थानीय चयन नामतः बाली-2 और गोवा केस्यू नट्स (केएन-2/98) मूलतः इन्हीं के फार्म में स्थित हैं। इन्होंने काजू, आम, जायफल और कटहल के प्रवर्धन की अनोखी तकनीक विकसित की है।

- **श्री बुद्धराम कश्यप** (बेहरामगढ़, तलनार, नैल्सनार, बीजापुर, छत्तीसगढ़) चावल, कंद फसलों, सब्जियों और फलों आदि की परंपरागत किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं। इनके द्वारा संरक्षित चावल की एक किस्म नामतः मुंडा धान को सफेद चावल की गुणवत्ता और रोग प्रतिरोध के कारण पसंद किया जाता है। इनके द्वारा संरक्षित अन्य लोकप्रिय किस्में हैं : दियारी, समसारी, नवसिंगो और बुदमा।
- **श्री निताई मिस्त्री** (बलरामपुर, महाराजगंज, छत्तीसगढ़) धान, गौण मोटे अनाजों, अरहर, सब्जियों तथा अन्य पुष्प प्रजातियों जैसे गेंदा, गुलाब, गुड़हल, फ्रंगीपाणी, मैग्नोलिया आदि की स्थानीय किस्मों के संरक्षक होने के साथ-साथ एक प्रगतिशील किसान भी हैं।
- **श्री रोहित कुमार साहू** (पाटन, अचकनपुर, तर्रा, दुर्ग, छत्तीसगढ़) आम की तोतापरी किस्म के संरक्षण में रत हैं। इस किस्म की यह विशेषता है कि यह किस्म प्रत्येक तीन वर्ष बाद दो बार फल देती है। इसके कच्चे आम नारियल जैसे स्वाद के होते हैं।
- **श्री बोसा राम अतानी** (गीदम, कसौली, हिरनार, दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़) चावल की चार किस्मों (चुड़ीधान, गंगा बारू, आंध्रादेशी बोसाराम और सेफमा बाइंगी) के संरक्षक हैं जिनका उपयोग चावल की सीधी बुवाई अर्थात् एसआरआई और छिड़कवां बुवाई के माध्यम से खेती किए जाने के लिए चावल के सुधार में किया गया है। यह किसान चावल के लिए, विशेष रूप से दोला कुच्छा हेतु भंडारण की परंपरागत तकनीकों का उपयोग करता है।
- **श्री मंजित सिंह सलूजा** (राजनंद गांव, छत्तीसगढ़) चावल (करतार-1), गेहूं (भगत-1), मटर (भगत मटर) और चना (भगत चना 1) की खेती करने वाले प्रगतिशील किसान और इन स्थानीय किस्मों के संरक्षक हैं। इन्होंने चयन के माध्यम से चावल की एक स्थानीय किस्म नामतः करतार-1 (स्थानीय किस्म बादशाह भोग के सुधार द्वारा) विकसित की है।
- **श्री कमल किशोर कश्यप** (बादेछुका, बस्तर, छत्तीसगढ़) लौकी, बैंगन, पपीता और चिकित्सीय पौधों की कुछ किस्मों की खेती करने वाले प्रगतिशील किसान व संरक्षक हैं।

प्राधिकरण द्वारा अब तक किसानों और कृषक समुदायों को दिए गए पुरस्कारों का सार निम्नानुसार है :

‘पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कारों क लिए प्राप्त आवेदनों का विवरण

पुरस्कार का नाम	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	प्राप्त कुल आवेदन	भाग लेने वाले राज्य	दिए गए कुल पुरस्कार	प्राप्त कुल आवेदन	भाग लेने वाले राज्य	दिए गए कुल पुरस्कार	प्राप्त कुल आवेदन	भाग लेने वाले राज्य	दिए गए कुल पुरस्कार	प्राप्त कुल आवेदन	भाग लेने वाले राज्य	दिए गए कुल पुरस्कार	प्राप्त कुल आवेदन	भाग लेने वाले राज्य	दिए गए कुल पुरस्कार	प्राप्त कुल आवेदन	भाग लेने वाले राज्य	दिए गए कुल पुरस्कार	प्राप्त कुल आवेदन	भाग लेने वाले राज्य	दिए गए कुल पुरस्कार	प्राप्त कुल आवेदन	भाग लेने वाले राज्य	
पादप जीनोम संरक्षक समुदाय सम्मान प्रमाण-पत्र	-	5	5	15	-	4	-	-	19	11	7	-	-	27	11	4	2	15	5	26	14	5	14	10
पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार	-	-	-	-	-	-	20	11	2	11	4	4	27	11	4	8	15	5	26	14	5	14	10	5
पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	13	10	8	20	10	3	78	16	3	46	10	10
पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	13	15	-	-	-	11	-	-	46	10	20	20

अध्याय 6 : भारतीय पौधा किस्म जरनल, पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर तथा प्राधिकरण के प्रकाशन


6.1 भारतीय पौधा किस्म जरनल

पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 के नियम 2(जी) के अनुसार प्राधिकरण हिंदी और अंग्रेजी में एक द्विभाषी प्रकाशन 'भारतीय पौधा किस्म जरनल' अपने अधिकारिक जरनल के रूप में प्रति माह प्रकाशित करता है तथा प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर अपनी वेबसाइट पर जन-सामान्य को उपलब्ध कराता है। इस जरनल को विनियमन, 2006 के अंतर्गत राजपत्र का दर्जा प्राप्त है। जरनल की विषय-वस्तु में सरकारी और सार्वजनिक सूचनाएं, पौधों किस्मों के पासपोर्ट आंकड़े, फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश, पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के विवरण तथा अन्य संबंधित मामले शामिल हैं।



6.2 पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 13 के अनुपालन में मुख्यालय में पौधा किस्मों की रजिस्ट्री के लिए पौधा किस्मों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर खोला है। इसमें सभी पंजीकृत पौधा किस्मों के नामों के अलावा संबंधित प्रजनकों के नाम और पत्तों, किस्म के नाम, विशिष्टताओं, विशेष गुणों आदि का पूर्ण विवरण दर्ज किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 495 किस्मों जिनमें 99 नई किस्में, 46 विद्यमान अधिसूचित किस्में, 62 विद्यमान वीसीके और 288 कृषक किस्में शामिल हैं, जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया।



6.3 प्राधिकरण के प्रकाशन

भारतीय पौधा किस्म जरनल को नियमित रूप से प्रकाशित करने के अलावा जो द्विभाषी रूप में नियमित रूप से प्रकाशित होता है, प्राधिकरण ने पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 पर हिन्दी और अंग्रेजी में ब्रॉशर प्रकाशित किए हैं। साथ ही कृषकों के अधिकारों पर प्रकाशित एक ब्रॉशर अनेक बैठकों, प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में वितरित किए गए। अन्य ब्रॉशर और पोस्टर, वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य प्रकाशन भी प्राधिकरण द्वारा अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी निकाले गए। प्राधिकरण की द्विभाषी वेबसाइट भी है। प्राधिकरण द्वारा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश नियमित रूप से हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित किए गए। वर्तमान वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने 26 फसल प्रजातियों के विशिष्ट डीयूएस दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं और इन्हें अधिसूचना हेतु कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को भेजा है। ये फसल प्रजातियां शोभाकारी पौधों, मसालों, मोटे अनाजों और फलों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हिन्दी में प्राप्त पत्रों तथा शासकीय पत्राचारों के उत्तर हिन्दी में दिए गए। प्राधिकरण के अधिकारियों ने श्रोताओं/अवसर की आवश्यकता के अनुसार हिन्दी व अंग्रेजी में व्याख्यान भी दिए।

अध्याय 7 :वेबसाइट तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का विकास

वेबसाइट

प्राधिकरण की वेबसाइट www.plantauthority.gov.in हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। हिन्दी संस्करण प्राधिकरण की वेबसाइट पर पुनः डिजाइन किया गया है। इसकी विषय-वस्तु अब द्विभाषी होने के साथ-साथ सुधरे हुए नए प्रतीक चिह्न से युक्त है और इसमें उच्च संकल्पशक्ति का प्राधिकरण का लोगो है। दाहिने छोर पर लम्बवत् नैविगेशन मैनुअल बार आइटम गोल कोने वाले बॉर्डर की स्टाइल में शामिल किए गए हैं जिससे यह और आकर्षक दिखाई देता है। एक नया फुटर सैक्शन लागू किया गया है। इस फुटर सैक्शन में होम, हमसे सम्पर्क करें, स्थल मानचित्र, डाउन लोड, फीडबैक, आर्काइव्स और डिस्कलेर लिंक्स शामिल किए गए हैं। संबंधित लिंक सैक्शन को अब होम पेज में दाहिनी ओर हटा दिया गया है। एक उन्नत फसल डीयूस फसल दिशानिर्देश वेबपेज शुरू किया गया है। इस पृष्ठ में सारणी को फसल समूह, फसल के नाम जिसके बाद उनके वानस्पतिक नाम और फसल के डीयूस दिशानिर्देश डाउनलोड करने योग्य फॉर्मेट (पीडीएफ में) हैं।

इसमें कुल 140 फसल प्रजातियां सूचीबद्ध हैं। जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करते हुए सभी गुणों की संक्षिप्तियों व विस्तृत स्वरूपों के साथ एक नया एफएक्यू वेब पेज शामिल किया गया है जो दो अन्य नए वेब पेज डिजाइन किए गए हैं, वे हैं : पादप जीनोम संरक्षक समुदाय, प्रतिदान एवं सम्मान पुरस्कार वेब पेज। आरटीआई पेज, पौधा किस्म रजिस्ट्री से संबंधित सूचना वेब पेज, वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखा वेबपेज, प्राधिकरण के लगभग सभी कर्मचारियों का वेबपेज, नई/विद्यमान/कृषक किस्म तथा महत्वपूर्ण राजपत्र अधिसूचनाओं आदि से संबंधित वेबपेज भी इसमें उपलब्ध हैं।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में सभी पंजीकृत किस्मों का डेटाबेस एक रजिस्टर में रखा जाता है जो राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर कहलाता है। यह डेटाबेस रजिस्टर में हार्ड कॉपी में होने के साथ ई-राष्ट्रीय रजिस्टर के रूप में डिजिटल स्वरूप में भी है। इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। प्राधिकरण भारत सरकार निविदा सूचना प्रणाली पर निविदाओं की प्रतियां (<http://tenders.gov.in>) पर उपलब्ध कराती है। सामान्य पूल रिहायशी आवास की अद्यतन स्थिति भी उपलब्ध कराई जाती है (<http://gpra.nic.in>), आरटीआई की तिमाही रिपोर्टें (<http://cic.gov.in>), नई पेंशन प्रणाली योगदानों की लेखा प्रणाली (<https://npSCAN-cra.com/CRA/>) भारत सरकार निगरानी प्रणाली में पदों और सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों के अभ्यावेदनों (<http://www.rrcps.nic.in/>) को भी अद्यतन किया जाता है। प्राधिकरण में पंजीकृत किस्मों का ई-राष्ट्रीय रजिस्टर भी मौजूद है। प्राधिकरण इस संबंध में राष्ट्रीय ई-शासन की संकल्पना को पूरा करने का प्रयास कर रहा है तथा इस दिशा में पहल भी आरंभ की जा चुकी है।

अध्याय-8 : प्रशासनिक मामले

8.1 विधायी कोष्ठ

प्राधिकरण के विधायी कोष्ठ ने प्राधिकरण के विरुद्ध दायर किए गए सभी मुकदमों की सफल पैरवी की है। रजिस्ट्री तथा प्राधिकरण के सम्मुख अर्ध न्यायिक कार्यवाहियों के मामले में कानूनी राय दी गई तथा दैनिक आदेश शीटें संबंधित पक्षों को शीघ्रता से प्रेषित किया गया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश को निरस्त नहीं किया गया। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 24(5) में उल्लिखित अनंतिम सुरक्षा की संवैधानिक वैधता पर अपना आदेश पहले सुरक्षित रखा था। दिनांक 02.12.2016 को पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 की धारा 24(5) को निरस्त किया है। प्राधिकरण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कथित निर्णय पर स्थगन आदेश प्राप्त करने की योजना बना रहा है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण के विरुद्ध 34 मामले लम्बित थे जिसमें से 7 का निपटारा किया गया और 1 अप्रैल 2016 को प्राधिकरण के विरुद्ध 27 मुकदमे लंबित हैं। निर्णय के लिए लंबित मुकदमों की संख्या का फोरम के साथ विवरण निम्नानुसार है :

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण	उच्च न्यायालय	सर्वोच्च न्यायालय
4	21	2

वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित राजपत्रित सूचनाएं प्रकाशित हुईं :

- किस्मों के पंजीकरण हेतु 5 सब्जी फसल प्रजातियों (जो विद्यमान किस्में/कृषक किस्में नहीं हैं) नामतः सब्जी चौलाई, तोरई, पालक, कार्नेशन और ऑर्किड की अधिसूचना के संबंध में राजपत्रित अधिसूचना संख्या 1444 (ई) दिनांक 19 अप्रैल 2016
- कृषक किस्मों के लिए नवीकरण शुल्क 'शून्य' रहेगा, इसमें सुधार के संबंध में राजपत्रिक अधिसूचना संख्या जीएसआर 427 (ई) दिनांक 19 अप्रैल 2017
- किस्मों के पंजीकरण के उद्देश्य से 7 फसल प्रजातियों (जो विद्यमान किस्में और कृषक किस्में नहीं हैं) नामतः भारतीय शहतूत/नोनी, बेल, जामुन, जायफल, मोगरा, शरीफा, कालमेघ पर अधिसूचना के संबंध में राजपत्रित अधिसूचना सं. एसओ.2394 (ई), दिनांक 13 जुलाई 2017
- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में गैर-सरकारी सदस्यों के नाममांकन की अधिसूचना के संबंध में राजपत्रित अधिसूचना सं. एसओ 3094 (ई) दिनांक 30 सितम्बर 2016
- तीन नए शाखा कार्यालयों व उनकी अधिकार सीमाओं पर अधिसूचना के संबंध में राजपत्रित अधिसूचना संख्या एसओ 182 (ई) दिनांक 19 जनवरी 2017

8.2 सूचना का अधिकार (आरटीआई)

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने संबंधित व्यक्तियों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया है। नामित अधिकारियों का विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट पर आरटीआई शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) को प्रस्तुत किए जाने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 25 (2) के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधान का अनुपालन किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान प्राधिकरण को या तो सीधे या अन्य विभागों से हस्तांतरित होकर आए कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए (सूची संलग्न) जिनमें आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी। प्राप्त सूचना को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या सीआईसी के पास कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है।

प्राधिकरण द्वारा 2016-17 में प्राप्त किए गए आरटीआई आवेदनों की स्थिति

क्र. सं.	आवेदक का नाम	आवेदन की तिथि	मांगी गई सूचना	आवेदन की स्थिति	टिप्पणी
1.	श्री मनोज कुमार आनंद	04.03.2016	1 प्रश्न पूछा गया	01.04.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
2.	श्री जयप्रकाश टी आर	18.03.2016	6 प्रश्न पूछे गए	25.04.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
3.	श्री जे. पार्थीसारथी	04.04.2016	4 प्रश्न पूछे गए	25.04.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
4.	श्री एच.एस. कुम्मात	11.04.2016	1 प्रश्न पूछा गया	25.04.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
5.	श्री बोदेला सुरेश बाबू	11.04.2016	1 प्रश्न पूछा गया	26.04.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
6.	श्री पी. राजा	22.04.2016	1 प्रश्न पूछा गया	26.04.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
7.	श्री उमेश कुमार महिलानी	22.04.2016	1 प्रश्न पूछा गया	26.04.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
8.	श्री अतुल जैन	26.04.2016	4 प्रश्न पूछे गए	13.05.2016 को उत्तर भेजा गया	सीधे प्राप्त हुआ
9.	श्री बनारसी राम	27.04.2016	1 प्रश्न पूछा गया	27.05.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
10.	श्री आजाद सिंह	27.04.2016	5 प्रश्न पूछे गए	27.05.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
11.	श्री मिल्टन डेविड	27.04.2016	7 प्रश्न पूछे गए	27.05.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
12.	श्री एम रामचन्द्रन	27.04.2016	1 प्रश्न पूछा गया	02.06.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
13.	श्री आर.वी.एस. कौशल	30.05.2016	5 प्रश्न पूछे गए	06.06.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
14.	श्री किशोर कुमार	13.05.2016	1 प्रश्न पूछा गया	15.06.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
15.	श्री गोपाल प्रसाद	31.05.2016	134 प्रश्न पूछे गए	24.06.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित

16.	श्री राम स्वरूप	02.06.2016	6 प्रश्न पूछे गए	01.07.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
17.	सुश्री अरुणा	02.06.2016	3 प्रश्न पूछे गए	01.07.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
18.	श्री एन. वेंकटेश्वरा राव	06.06.2016	3 प्रश्न पूछे गए	01.07.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
19.	श्री विजय कुमार	07.06.2016	1 प्रश्न पूछा गया	05.07.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
20.	श्री जय राम	10.06.2016	3 प्रश्न पूछे गए	05.07.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
21.	श्री मोहम्मद फैजल नवापज़	16.06.2016	7 प्रश्न पूछे गए	15.07.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
22.	श्री मंजूर अहमद डार	16.06.2016	1 प्रश्न पूछा गया	14.07.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
23.	श्री एन. पापाराव	07.07.2016	2 प्रश्न पूछे गए	05.08.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
24.	श्री श्याम लाल यादव	08.07.2016	6 प्रश्न पूछे गए	04.08.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
25.	सुश्री एन. अरुणा	13.07.2016	3 प्रश्न पूछे गए	11.08.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
26.	श्री एन. वेंकटेश्वरा	13.07.2016	3 प्रश्न पूछे गए	11.08.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
27.	श्री पापाराव	18.07.2016	2 प्रश्न पूछे गए	11.08.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
28.	श्री एन. नागाबाबजी	20.07.2016	6 प्रश्न पूछे गए	19.08.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
29.	श्री बृजेश कुमार	20.07.2016	6 प्रश्न पूछे गए	21.08.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
30.	श्री धर्मपाल एस. कपूर	22.07.2016	1 प्रश्न पूछा गया	22.08.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
31.	श्री एन. वेंकटेश्वरा	22.07.2016	3 प्रश्न पूछे गए	22.08.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
32.	श्री एन. नागाबाबजी	03.08.2016	8 प्रश्न पूछे गए	05.09.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
33.	सुश्री एन. अरुणा	04.08.2016	3 प्रश्न पूछे गए	31.08.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
34.	श्री एन. पापाराव	09.08.2016	3 प्रश्न पूछे गए	31.08.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
35.	श्री एन. वेंकटेश्वरा	09.08.2016	3 प्रश्न पूछे गए	31.08.2016 को उत्तर भेजा गया	सीधे प्राप्त हुआ
36.	सुश्री एन. अरुणा	09.08.2016	5 प्रश्न पूछे गए	31.08.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
37.	श्री एन. वेंकटेश्वरा	18.08.2016	4 प्रश्न पूछे गए	16.09.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
38.	सुश्री एन. अरुणा	18.08.2016	5 प्रश्न पूछे गए	16.09.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
39.	श्री एन. पापाराव	18.08.2016	5 प्रश्न पूछे गए	16.09.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
40.	सुश्री एन. अरुणा	19.08.2016	5 प्रश्न पूछे गए	19.09.2016 को	डीएसी द्वारा

41.	श्री एन. वेंकटेश्वरा	19.08.2016	2 प्रश्न पूछे गए	उत्तर भेजा गया 19.09.2016 को	हस्तांतरित डीएसी द्वारा
42.	श्री एन. पापाराव	19.08.2016	2 प्रश्न पूछे गए	उत्तर भेजा गया 19.09.2016 को	हस्तांतरित सीधे प्राप्त हुआ
43.	सुश्री एन. अरुणा	22.08.2016	2 प्रश्न पूछे गए	उत्तर भेजा गया 21.09.2016 को	सीधे प्राप्त हुआ
44.	श्री एन. वेंकटेश्वरा	22.08.2016	4 प्रश्न पूछे गए	उत्तर भेजा गया 21.09.2016 को	सीधे प्राप्त हुआ
45.	श्री एन. पापाराव	22.08.2016	4 प्रश्न पूछे गए	उत्तर भेजा गया 21.09.2016 को	सीधे प्राप्त हुआ
46.	सुश्री एन. अरुणा	22.08.2016	3 प्रश्न पूछे गए	उत्तर भेजा गया 21.09.2016 को	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
47.	श्री भाविक ब्रह्मभट्ट	29.08.2016	1 प्रश्न पूछा गया	उत्तर भेजा गया 23.09.2016 को	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
48.	श्री सतपाल सिंह	30.08.2016	4 प्रश्न पूछे गए	उत्तर भेजा गया 23.09.2016 को	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
49.	श्री मुस्तफा	02.09.2016	4 प्रश्न पूछे गए	उत्तर भेजा गया 28.09.2016 को	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
50.	श्री बिरेन्द्र कुमार	08.09.2016	5 प्रश्न पूछे गए	उत्तर भेजा गया 07.10.2016 को	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
51.	श्री निखिल कुमार सिंह	16.09.2016	4 प्रश्न पूछे गए	उत्तर भेजा गया 13.10.2016 को	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
52.	श्री धर्मदेव ओझा	22.09.2016	5 प्रश्न पूछे गए	उत्तर भेजा गया 13.10.2016 को	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
53.	श्री धर्मपाल एस. कपूर	22.09.2016	1 प्रश्न पूछा गया	उत्तर भेजा गया 19.10.2016 को	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
54.	सुश्री एन. अरुणा	23.09.2016	2 प्रश्न पूछे गए	उत्तर भेजा गया 19.10.2016 को	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
55.	श्री एन. वेंकटेश्वरा	27.09.2016	2 प्रश्न पूछे गए	उत्तर भेजा गया 19.10.2016 को	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
56.	श्री एन. वेंकटेश्वरा	27.09.2016	2 प्रश्न पूछे गए	उत्तर भेजा गया 19.10.2016 को	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
57.	श्री हरीश उपाध्याय	28.09.2016	5 प्रश्न पूछे गए	उत्तर भेजा गया 25.10.2016 को	सीधे प्राप्त हुआ
58.	श्री डी.एस. मिश्रा	29.09.2016	5 प्रश्न पूछे गए	उत्तर भेजा गया 26.10.2016 को	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
59.	श्री हरीश उपाध्याय	30.09.2016	4 प्रश्न पूछे गए	उत्तर भेजा गया 25.10.2016 को	सीधे प्राप्त हुआ
60.	श्री एन. पापाराव	07.10.2016	2 प्रश्न पूछे गए	01.11.2016 आवेदन हस्तांतरित	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
61.	श्री एन. वेंकटेश्वरा	07.10.2016	2 प्रश्न पूछे गए	01.11.2016 आवेदन हस्तांतरित	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
62.	श्री निरंजन यादव	07.10.2016	2 प्रश्न पूछे गए	01.11.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
63.	सुश्री ऋतु माथुर	17.10.2016	4 प्रश्न पूछे गए	11.11.2016 को उत्तर भेजा गया	सीधे प्राप्त हुआ

64.	सुश्री एन. अरूणा	28.10.2016	2 प्रश्न पूछे गए	18.11.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
65.	श्री एन. वेंकटेश्वरा	28.10.2016	2 प्रश्न पूछे गए	18.11.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
66.	श्री एन. नागाबाबजी	02.11.2016	24 प्रश्न पूछे गए	08.12.2016 को उत्तर भेजा गया	सीधे प्राप्त हुआ
67.	श्री हर्षवर्धन	18.11.2016	1 प्रश्न पूछा गया	08.12.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
68.	श्री ए.वी.बी. सायोजी राव	21.11.2016	10 प्रश्न पूछे गए	29.12.2016 को उत्तर भेजा गया	सीधे प्राप्त हुआ
69.	श्री एन. वेंकटेश्वरा	28.11.2016	5 प्रश्न पूछे गए	27.12.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
70.	सुश्री एन. अरूणा	30.11.2016	1 प्रश्न पूछा गया	27.12.2016 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
71.	श्री बलबीर सिंह	08.12.2016	7 प्रश्न पूछे गए	05.01.2017 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
72.	श्री एन. पापाराव	09.12.2016	1 प्रश्न पूछा गया	05.01.2017 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
73.	श्री एन. पापाराव	13.12.2016	5 प्रश्न पूछे गए	05.01.2017 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
74.	सुश्री एन. अरूणा	13.12.2016	1 प्रश्न पूछा गया	05.01.2017 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
75.	सुश्री मालती देवी गुप्ता	26.12.2016	1 प्रश्न पूछा गया	24.01.2017 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
76.	सुश्री एन. अरूणा	26.12.2016	1 प्रश्न पूछा गया	05.01.2017 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
77.	सुश्री एन. अरूणा	29.12.2016	1 प्रश्न पूछा गया	05.01.2017 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
78.	श्री विकास गुप्ता	30.12.2016	1 प्रश्न पूछा गया	25.01.2017 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
79.	श्री एन. पापाराव	30.12.2016	1 प्रश्न पूछा गया	उत्तर निर्धारित समय सीमा में भेजा जाएगा	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
80.	श्री एन. वेकटेश्वरा	02.01.2017	6 प्रश्न पूछे गए	30.01.2017 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
81.	श्री एम. नागराजू	23.01.2017	5 प्रश्न पूछे गए	14.02.2017 को उत्तर भेजा गया	सीधे प्राप्त हुआ
82.	श्री ए.वी. बी. सायोजी राव	24.01.2017	4 प्रश्न पूछे गए	23.02.2017 को उत्तर भेजा गया	सीधे प्राप्त हुआ
83.	सुश्री पुष्पा कुमारी	16.02.2017	5 प्रश्न पूछे गए	10.03.2017 को उत्तर भेजा गया	सीधे प्राप्त हुआ
84.	सुश्री पुष्पा कुमारी	17.02.2017	5 प्रश्न पूछे गए	14.03.2017 को उत्तर भेजा गया	सीधे प्राप्त हुआ
85.	श्री एम. नागराजू	06.03.2017	6 प्रश्न पूछे गए	14.03.2017 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित
86.	श्री जितेन्द्र सिंह	16.03.2017	3 प्रश्न पूछे गए	21.03.2017 को उत्तर भेजा गया	सीधे प्राप्त हुआ
87.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	23.03.2017	1 प्रश्न पूछा गया	26.04.2017 को उत्तर भेजा गया	डीएसी द्वारा हस्तांतरित

अध्याय 9 : प्राधिकरण की सामान्य गतिविधियां

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण ने अपने मामलों और शासकीय विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेक कार्यक्रम व बैठकें आयोजित कीं। अध्यक्ष, महा पंजीकार और पंजीकार ने प्रजनकों, अनुसंधानकर्ताओं और किसानों को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों तथा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की भूमिका के बारे में सचेत करने के लिए अनेक बैठकें आयोजित कीं। कुछ गतिविधियों की मुख्य बातें नीचे उल्लिखित हैं :

9.1 प्राधिकरण का स्थापना दिवस

प्राधिकरण का स्थापना दिवस 20 नवम्बर 2016 को किसान अतिथि गृह, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में मनाया गया। आरंभ में डॉ. आर.आर. हंचिनाल ने स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों और स्टाफ का स्वागत किया तथा प्राधिकरण की प्रगति के बारे में संक्षेप में बताया। इस अवसर पर उन्होंने प्राधिकरण के स्टाफ को सम्बोधित किया और प्राधिकरण की प्रगति में उनके द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने स्टाफ के सदस्यों से प्राधिकरण की भावी प्रगति के लिए एक साथ मिलकर दल के रूप में कार्य करने की अपील की ताकि प्राधिकरण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। महा पंजीकार डॉ. आर.सी. अग्रवाल ने भी उपस्थित जन-समूह को सम्बोधित किया और अनुरोध किया कि सभी अधिकारियों और स्टाफ को दल भावना से एक परिवार के रूप में कार्य करना चाहिए। पंजीकार, डॉ. रवि प्रकाश ने अध्यक्ष और महा पंजीकार को नेतृत्व प्रदान करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया तथा सहायता व कठोर परिश्रम के लिए स्टाफ के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

9.2 शासकीय कार्य में हिन्दी के उपयोग की प्रगति

प्राधिकरण में हिन्दी पखवाड़ा दिवस मनाया गया तथा 14 सितम्बर 2016 को (कृषक किस्मों के पंजीकरण की आवश्यकता एवं इसका जैव विविधता के संरक्षण में योगदान) विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में प्राधिकरण के पांच अधिकारियों ने भाग लिया तथा निम्न व्यक्तियों को पुरस्कार दिए गए।



नाम	पुरस्कार
सुश्री ऋतु यादव	प्रथम
कुमारी साई लीला	द्वितीय
कुमारी मनीषा सिंह	तृतीय
श्री सुनील कुमार सिंह	सांत्वना
श्री मनोज कुमार	सांत्वना

9.3 सतर्कता एवं जागरूकता सप्ताह

प्राधिकरण के स्टाफ ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह (27 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2016 तक) के एक अंग के रूप में भ्रष्टाचार से लड़ने और सतर्क रहने में अपनी सहायता प्रदान करने के लिए एक साथ मिलकर शपथ

ली। सतर्कता सप्ताह के अंतर्गत किए गए क्रियाकलापों के रूप में एक निबंध लेखन प्रतियोगिता (द्विभाषी) भी आयोजित की गई।

9.4 पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की बैठकें

बैठकों के द्वारा प्राधिकरण द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय

9.5 वर्ष 2016–17 के दौरान विभिन्न बैठकों व चर्चाओं में अध्यक्ष की प्रतिभागिता

दिनांक	विवरण
4 अप्रैल 2016	दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से पीपीवी और एफआरए के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अपर महानिदेशक दूरदर्शन से सहायता की चर्चा करने हेतु बैठक में भाग लिया। नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय कृषि जैवविविधता कांग्रेस के लिए अंतरराष्ट्रीय परामर्श समिति (एआईसी) की बैठक में भाग लिया।
06 अप्रैल 2016	नई दिल्ली में पारिस्थितिक प्रणाली सेवाएं सुनिश्चित करने और संवेदनशीलता को कम करने के लिए कृषि क्षेत्र में कृषि जैव-विविधता संरक्षण और उपयोग को मुख्य धारा में लाना' शीर्षक की जीईएफ-यूएनईपी – भा.कृ.अनु.प.–बायोवर्सिटी इंटरनेशनल के लिए आरंभ पूर्व तैयारी कार्यशाला में भाग लिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में प्रसार भारती से सहायता प्राप्त करने पर चर्चा करने हेतु प्रसार भारती के अध्यक्ष के साथ बैठक में भाग लिया।
7–8 अप्रैल 2016	'भारत में दलहनों में आत्मनिर्भरता की ओर – कार्यनीतिपरक कार्यशाला' पर एनएएस प्रायोजित बैठक में भाग लिया तथा 'दलहन किस्में और उनकी सुरक्षा' पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। नई दिल्ली में 8 अप्रैल को आयोजित समापन सत्र की अध्यक्षता की।
11 अप्रैल 2016	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली में काउंसिल ऑफ इंडियन सोसायटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस (आईएसपीजीआर) की कार्यकारी परिषद की बैठक में भाग लिया।
16 अप्रैल 2016	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क), मुम्बई में विशेषज्ञ के रूप में डीपीसी – बैठक में भाग लिया।
18 अप्रैल 2016	एसएचआईएटीएस, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में जागरूकता के माध्यम से 'प्रजनक व अनुसंधानकर्ताओं तक ले जाना – पादप प्रजनकों और अनुसंधानकर्ताओं के अधिकार' विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
21 अप्रैल 2016	सुपारी तथा मसालों के विकास निदेशालय, वेस्ट हिल, काजीकोड द्वारा कालीकट, केरल में

	‘मसालों में रोपण सामग्री का उत्पादन’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
22 अप्रैल 2016	महालैनोबिस समिति कक्ष सं. 138, कृषि भवन, नई दिल्ली में अपर सचिव (विस्तार) के साथ द्वितीय चयन समिति की बैठक में भाग लिया। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में पादप प्राधिकरण भवन के निर्माण के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। सदस्य सचिव के रूप में इस बैठक में महा पंजीकार ने भी भाग लिया।
2 मई 2016	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में कम्प्यूटर सहायक के पद पर नियुक्ति से इंकार करने के संबंध में माननीय सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के साथ बैठक में भाग लिया।
5 मई 2016	वैज्ञानिकों तथा किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम तथा पंजीकरण हेतु जम्मू की कृषक किस्मों के आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रगति की समीक्षा करने के लिए पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में डॉ. शर्मा, कुलपति, एसकेयूएटी, जम्मू के साथ बैठक में भाग लिया।
6 मई 2016	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण कार्यालय में लघु छोटे अनाजों के कार्यबल के साथ डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित प्रथम बैठक में भाग लिया।
9 मई 2016	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण कार्यालय में वित्त वर्ष 2015-16 के लिए प्राधिकरण के वार्षिक खातों को बंद करने से संबंधित मुद्दों तथा बाहरी एजेंसियों को जारी की गई राशियों के निपटारे व बचे हुए मुद्दों के लेखापरीक्षित प्रमाण-पत्रों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। पीपीवी और एफआर कार्यालय में बीज विकास पर भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय सहयोग परियोजना के फ्रेमवर्क में तथ्यों का पता लगाने के मिशन से संबंधित बैठक में भाग लिया।
10 मई 2016	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में ‘सब्जियों पर एआईसीआरपी – कार्यशाला में जननद्रव्य का संकलन, संरक्षण और मूल्यांकन’ विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की तथा कृषक किस्मों/सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रजनित किस्मों/संकरों के पंजीकरण के महत्त्व पर बल दिया।
12-13 मई 2016	एसकेयूएटी, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) में अधिकारी/निदेशक और अधिष्ठाता पदों के चयन में विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया।
16 मई 2016	ईडीवी के पंजीकरण ईडीवी के पंजीकरण के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समिति कक्ष, नास परिसर, नई दिल्ली में ईडीवी के पंजीकरण के लिए विशेषज्ञ समिति की पांचवीं बैठक में भाग लिया।
19 मई 2016	बीज परियोजना के संबंध में जर्मन विशेषज्ञों के साथ बैठक का आयोजन किया।
20 मई 2016	बीज विकास में भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय सहयोग के फ्रेमवर्क में तथ्यों का पता

	लगाने के मिशन के संबंध में बैठक में भाग लिया। नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (बीज/प्रभारी) के साथ समापन बैठक में भाग लिया।
23-24 मई 2016	एनएएससी, नई दिल्ली में 'बीज विकास में भारत-जर्मनी द्विपक्षीय सहयोग संयुक्त कार्यशाला' आयोजित की तथा इसमें भाग लिया। इस कार्यशाला में भा.कृ.अ.प., डीयूएस केन्द्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, स्वयं सेवी संगठनों और बीज उद्योगों के लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। भारत और जर्मनी के बीच पारस्परिक हितों के क्षेत्र में एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। विभिन्न अंचलों से प्राप्त महत्वपूर्ण कृषक किस्मों और पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के बारे में एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। दोनों देशों की पीपीवी प्रणाली भी इस कार्यशाला के दौरान चर्चा की गई।
25-26 मई 2016	जर्मनी प्रतिनिधि मंडल के साथ मशोबरा, हिमाचल प्रदेश में डॉ. वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय, सोलन के कुलपति के अलावा जर्मन प्रतिनिधि मंडल के साथ फील्ड जीन बैंक का दौरा किया। इसके साथ ही प्रतिनिधि मंडल को कृषि विज्ञान केन्द्र, कांधाघाट का दौरा भी कराया। डॉ. एस.के. चक्रवर्ती, निदेशक व अन्य वैज्ञानिकों के साथ आलू व सब्जियों के अनुसंधान एवं विकास पर चर्चा की। केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सीपीआरआई (शिमला) की गतिविधियों व डीयूएस परीक्षण के बारे में विचार-विमर्श किया। आलू में डीयूएस परीक्षण को देखने के लिए सीपीआरआई केन्द्र, कुफरी में भी दौरा किया गया।
27-28 मई 2016	जर्मन प्रतिनिधि मंडल के साथ आईआईएचआर, बंगलुरु का दौरा किया तथा बागवानी फसलों के डीयूएस परीक्षण के बारे में उनसे चर्चा की। इस दौरे के दौरान निजी बीज उद्योगों के साथ एक चर्चा भी आयोजित की गई।
2 जून 2016	दूरदर्शन के किसान चैनल पर 'बौद्धिक सम्पदा अधिकार और किसान' विषय पर चर्चा में भाग लिया।
3 जून 2016	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण कार्यालय में डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए शंक्व वृक्षों के लिए कार्य बल की बैठक में भाग लिया। नास, नई दिल्ली में पैनल सदस्य के रूप में 'भारतीय कृषि और किसानों के कल्याण में सुधार के लिए रूपांतरण पर कार्यनीतिपरक कार्यशाला' में भाग लिया।
4 जून 2016	इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 'प्रौद्योगिकी तथा नीतिगत हस्तक्षेपों व आईपीआर पर गोलमेज चर्चा' में भाग लिया तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम एवं प्रजनकों के अधिकारों पर एक प्रस्तुतीकरण दिया।
6 जून 2016	कम्प्यूटर सहायक की नियुक्ति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिमजाति आयोग के साथ बैठक में भाग लिया।
7-9 जून 2016	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, रजामुंदरी, आंध्र प्रदेश में 'क्यूटीआर प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया।

11 जून 2016	कुलपति, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुडी के साथ डीयूएस केन्द्रों (पुणे और कोल्हापुर) की प्रगति की समीक्षा के लिए इन केन्द्रों का दौरा किया। किसान मेले में भाग लिया और पीपीवी और एफआर अधिनियम में कृषकों के अधिकारों के प्रावधानों पर व्याख्यान दिया।
14 जून 2016	केन्द्रीय रेशम पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर में 'शहतूत के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों का सत्यापन' के कार्य बल की बैठक में भाग लिया।
18 जून 2016	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरु में एल्यूमिनी एसोसिएशन के समक्ष 'पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा' विषय पर विशेष व्याख्यान दिया तथा यूएस के विशिष्ट पूर्व छात्र के रूप में सम्मान प्राप्त किया।
23 जून 2016	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण कार्यालय, नई दिल्ली में ईडीवी मामलों पर चर्चा करने के लिए गठित उप समिति की पांचवीं ईडीवी विशेषज्ञ समिति बैठक में भाग लिया।
27 जून 2016	कम्प्यूटर सहायक की नियुक्ति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ बैठक में भाग लिया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उत्तरी दिल्ली) की बैठक दिनांक 27 जून 2017 को एनएससी परिसर, नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें अध्यक्ष ने भाग लिया।
30 जून 2016	नई दिल्ली में 'प्रजनकों और अनुसंधानकर्ताओं तक ले जाना – कृषक किस्मों के प्रति जागरूकताप और सुचारुता के माध्यम से पादप प्रजनकों व अनुसंधानकर्ताओं के अधिकार' विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला में भा.कृ.अ.प., डीयूएस केन्द्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से आए लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। नई/विद्यमान किस्मों के पंजीकरण को बढ़ाने, भारत में प्रजनकों के अधिकार लागू करने तथा वाणिज्यीकरण के लिए पंजीकृत कृषक किस्मों को मुख्य धारा में लाने पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया।
4 जुलाई 2016	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चैन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की 38वीं प्राधिकरण बैठक में भाग लिया।
6 जुलाई 2016	गेहूं और जौ की विद्यमान अधिसूचित किस्मों के पंजीकरण के लिए निदेशक, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल के साथ एक बैठक में भाग लिया तथा गेहूं और जौ पर डीयूएस केन्द्र द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की।
7 जुलाई 2016	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना से पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने पर कुलपति और निदेशक के साथ विद्यमान अधिसूचित किस्मों के बारे में चर्चा करने के अलावा 'पौधा किस्मों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा' विषय पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के संकाय सदस्यों के समक्ष एक व्याख्यान दिया।
8 जुलाई 2016	जम्मू में कृषक पादप किस्मों की सुरक्षा व उनके वाणिज्यीकरण पर आयोजित एक दिवसीय चेतना कार्यशाला में भाग लिया। इसके अलावा कृषक किस्मों व विद्यमान अधिसूचित किस्मों

	के पंजीकरण पर एसकेयूएसटी – जम्मू के कुलपति व निदेशक अनुसंधान के साथ बैठक भी आयोजित की।
15 जुलाई 2016	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण कार्यालय में राष्ट्रीय आईपीआर नीति के संबंध में आयोजित बैठक में भाग लिया।
25 जुलाई 2016	लाभ में भागीदारी संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए पीपीवी और एफआर प्राधिकरण कार्यालय में डॉ. (श्रीमती) उषा बरवाले जेहर, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, महिको से मुलाकात की।
26 जुलाई 2016	पीजीआर गतिविधियों पर परियोजना प्रस्तावों पर चर्चा के लिए श्री श्याम खादका, एफएयू प्रतिनिधि और डॉ. जी.जी. कोप्पा, सहायक एफएओ के साथ लोदी एस्टेट, नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में भाग लिया।
27 जुलाई 2016	जी. पार्थसारथी सम्मेलन कक्ष, आरआईएस में कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तक पहुंच व आईपीआर संबंधी मुद्दों पर विशेषज्ञ परामर्श के संबंध में वैधानिक अस्पष्टता के बारे में गोलमेज बैठक में भाग लिया।
28 जुलाई 2016	कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल ने निदेशक, भा.कृ.अनु.प. राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली के निदेशक पद के प्रत्याशियों के साक्षात्कार के लिए परामर्शक के रूप में आमंत्रित किया।
29 जुलाई 2016	भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआईआरआर), भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान, आईआईएमआर, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईओआर) तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद में विद्यमान अधिसूचित किस्मों के लम्बित आवेदनों के बारे में चर्चा करने के लिए एक बैठक में भाग लिया।
30 जुलाई 2016	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय में 30 जुलाई 2016 को विद्यमान किस्म अनुशांसा समिति की 28वीं बैठक में भाग लिया।
2-4 अगस्त 2016	नई दिल्ली में 'आवश्यकताओं के लिए बीज' विषय पर जैवविविधता अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में 'बीज श्रृंखला में समेकित कृषक किस्मों से संबंधित कृषकों के अधिकार व नीतियां' विषय पर व्याख्यान दिया।
4 अगस्त 2016	नास समिति कक्ष सं.1, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में कृषि तथा संबंधित मुद्दों में 'जैवप्रौद्योगिकी नवोन्मेषों को बढ़ावा देने पर गोलमेज चर्चा' में भाग लिया। अध्यक्ष ने 'पौधा किस्मों में आईपीआर मुद्दों पर प्रस्तुतीकरण दिया। ये पैनलिस्टों में से एक थे।
6 अगस्त 2016	साबौर, भागलपुर, बिहार में 'पूर्वी भारत के लिए आत्म निर्भरता लाने' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
10 अगस्त 2016	कृषि भवन में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 35 के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों पर अदा किए जाने वाले वार्षिक शुल्क पर राजपत्र अधिसूचना में सुधार के संबंध में संयुक्त सचिव (बीज) के साथ बैठक में भाग लिया।
11 अगस्त 2016	कृषि भवन, नई दिल्ली में जीईएफ-6 इंडिया, एफएओ परियोजना पर राष्ट्रीय इन्सेप्शन

	कार्यशाला में भाग लिया तथा परियोजना की संकल्पना तैयार करने में अपना योगदान दिया।
12 अगस्त 2016	प्रो. के. कन्हैयन आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एनएबीएस सम्मेलन में भाग लिया तथा चैन्नई में 'पादप किस्मों की सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय संधियों' भारतीय आईपीआर – नीति और इसके पादप किस्म सुरक्षा पर प्रभाव' विषय पर एक व्याख्यान दिया।
13 अगस्त 2016	आईएफजीटीबी और तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटून ने डीयूएस परीक्षण की समीक्षा की तथा तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विद्यमान अधिसूचित किस्मों के पंजीकरण के बारे में विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ एक बैठक आयोजित की।
16 अगस्त 2016	आईआईएचआर, बंगलुरु में बागवानी फसलों पर डीयूएस परियोजनाओं की समीक्षा की, पीपीवी और एफआर अधिनियम पर दूरदर्शन बंगलुरु के एक कार्यक्रम में फोन द्वारा भाग लिया और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरु में परियोजना इंसैप्शन कार्यक्रम में भारत-जर्मन सहयोग पर आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लिया।
17 अगस्त 2016	समिति कक्ष संख्या 3, नास, एनएससी परिसर, पूसा, नई दिल्ली में पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार के लिए गठित चयन समिति की द्वितीय बैठक में भाग लिया।
24 अगस्त 2016	नई दिल्ली में पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार/प्रतिदान/सम्मान समारोह का आयोजन किया। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जिन्हें पुरस्कृत किया गया था उन जीनोम संरक्षक पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं तथा वर्तमान में पुरस्कार प्राप्त करने वालों द्वारा संरक्षित परंपरागत बीजों के बारे में आयोजित एक प्रदर्शनी में भी भाग लिया।
29 अगस्त 2016	यूएस, धारवाड़ में बीज भवन का उद्घाटन किया तथा डीयूएस केन्द्र की समीक्षा की।
31 अगस्त 2016	भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, आईआईआरआर, हैदराबाद में आयोजित ईवीआरसी की 29वीं बैठक में भाग लिया जिसमें ईवीआरसी के विचारार्थ लगभग 70 किस्में प्रस्तुत की गई थीं।
1 सितम्बर 2016	गंगावार (मेडक जिला), तेलंगाना राज्य में श्रीमती अंजम्मा ने अनुरक्षित किए जा रहे कृषक किस्म जीन बैंक का दौरा किया तथा सामुदायिक बीज बैंक की स्थापना के बारे में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों और ग्रामीणों के साथ चर्चा की।
2 सितम्बर 2016	हैदराबाद में सीडमैन एसोसिएशन द्वारा बीज उद्योग और फार्मिंग समुदाय के उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री एस.वी. रेड्डी स्मारक पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर भारत में बीज उद्योग व प्रजनकों के अधिकार विषय पर एक मुख्य व्याख्यान भी दिया।
14-15 सितम्बर 2016	उन प्रजनकों/बीज प्रौद्योगिकीविदों, औद्योगिकी विदों, पादप सुरक्षा वैज्ञानिकों को शामिल करते हुए जिन्होंने तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय में फसल किस्मों के विकास में योगदान दिया है, के साथ तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विद्यमान किस्मों/संकरों के पंजीकरण की बैठक में भाग लिया। इसके अतिरिक्त चावल और सब्जियों की कृषक किस्मों को मुख्य धारा में लाने और सामुदायिक बीज बैंक की स्थापना के बारे में चित्तोर, पालघाट के किसानों से मुलाकात की। 'पादप किस्मों की सुरक्षा और प्रजनकों के अधिकारों में राज्य कृषि

		विश्वविद्यालयों की भूमिका' तथा राष्ट्रीय आईपीआर नीति के लिए तैयारी' विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिए और तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर में डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए रत्नजोत पर गठित कार्य बल की बैठक में भाग लिया।
16 सितम्बर 2016		बीटी कपास मसौदा लाइसेंसिंग दिशानिर्देश और जीएम प्रौद्योगिकी समझौतों के स्वरूपों पर प्राप्त टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री के ओएसडी के साथ कृषि भवन में एक परामर्श बैठक में भाग लिया।
19-20 सितम्बर 2016		लैम्बूचेरा, त्रिपुरा में अधिष्ठाता (गृह विज्ञान) और उप निदेशकों की नियुक्ति के लिए आयोजित चयन समिति की बैठक में भाग लिया।
23-24 सितम्बर 2016		कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ में बीज मेले तथा पादप जैवविविधता मेले का उद्घाटन किया।
25-26 सितम्बर 2016		कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दीनदयाल धाम, मथुरा में कृषि से संबंधित गतिविधियों पर आयोजित एक प्रदर्शनी को देखा।
26 सितम्बर 2016		नई दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल के लिए एपीएसए अंतरक्रियात्मक कार्यशाला में भाग लिया।
30 सितम्बर 2016		भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र, पुत्तूर में आरएसी-काजू के अध्यक्ष के रूप में आरएसी बैठक में भाग लिया।
3 अक्टूबर 2016		भा.कृ.अ.सं. - क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर में स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' विषय पर एक व्याख्यान दिया। आईआईएसआर, इंदौर में सोयाबीन पर डीयूएस केन्द्र का दौरा किया तथा संस्थान के निदेशक व स्टाफ के साथ आयोजित बैठक में भाग लिया।
8 अक्टूबर 2016		विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर में मुख्य अतिथि के रूप में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) व पेटेंट पर कार्यशाला में भाग लिया तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियां - आईपीआर नीति के लिए तैयारी' विषय पर एक वार्ता प्रस्तुत की।
19 अक्टूबर 2016		कृषि भवन में पूर्वाह्न 11.00 बजे माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में भाग लिया।
20 अक्टूबर 2016		पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत फसल किस्मों/संकरों के पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अपेक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक में भाग लिया तथा घटना आधारित अनुमोदन यांत्रिकी के आधार पर बीटी कपास के संकरों के वाणिज्यिक स्तर पर जारी किए जाने के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण व डीबीटी की स्थायी समिति के साथ आयोजित बैठक में भी भाग लिया।
21 अक्टूबर 2016		वैज्ञानिक पदों की भर्ती के लिए एआरएस परीक्षा 2015 के संबंध में प्रत्याशियों के मौखिक साक्षात्कार के लिए गठित चयन समिति की बैठक में परामर्शक के रूप में भाग लिया।
24 अक्टूबर 2016		एक्केहार्ड स्क्रोएडर परियोजना समन्वयक - जर्मनी भारत-जर्मन बीज परियोजना के साथ

	बैठक में भाग लिया।
26 अक्टूबर 2016	वैज्ञानिक पदों पर भर्ती के लिए एआरएस परीक्षा-2015 के संबंध में प्रत्याशियों की मौखिक परीक्षा के लिए गठित चयन समिति के परामर्शक के रूप में बैठक में भाग लिया।
3 नवम्बर 2016	महानिदेशक, राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान के पद को भरने के लिए खोज-व चयन समिति की बैठक में कृषि भवन, नई दिल्ली में भाग लिया।
4 नवम्बर 2016	श्री आर.बी. सिन्हा, संयुक्त सचिव (एनआरएम और आरएफएस) तथा एनपीडी (जीईएफ) के अंतर्गत कृषि पर जीईएफ परियोजना की राष्ट्रीय परियोजना प्रबंध इकाई की प्रथम बैठक में भाग लिया।
5 नवम्बर 2016	उन जन-सामान्य व्यक्तियों के लाभ के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कर्टन रीजर कार्यक्रम में भाग लिया जो आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग में रत हैं। यह कार्यक्रम सिद्धार्थ होटल, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
6-9 नवम्बर 2016	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, इंडियन सोसायटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस (आईएसपीजीआर), तथा बायोवर्सिटी इंटरनेशनल द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ. अनु.प), राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसिस (टास), राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (नास), एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ) के सहयोग से इक्रीसैट, सिमित, जीसीडीटी, जेआईआरसीएएस, जीआईजैड आदि के साथ मिलकर एनएससी परिसर, नई दिल्ली में आयोजित प्रथम अंतरराष्ट्रीय जैवविविधता कांग्रेस (आईएसी 2016) में भाग लिया। अध्यक्ष ने इस अवसर पर 'कृषकों के अधिकारों पर भारतीय पहलें' और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में किसानों की भूमिका' विषयों पर आमंत्रित वार्ता प्रस्तुत की और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में किसानों की भूमिका पर मॉडरेटर के रूप में कार्य किया।
11 नवम्बर 2016	वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखा स्वीकृत किए जाने के लिए प्राधिकरण की 26वीं बैठक में भाग लिया। ये दोनों दस्तावेज शरद सत्र में सदन के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने थे। तकनीकी, वैधानिक तथा रजिस्ट्री की प्रगति से संबंधित कार्यसूची पर भी इस बैठक में चर्चा हुई।
22 नवम्बर 2016	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचुर में मुख्य अतिथि के रूप में 8वें स्थापना दिवस में भाग लिया और स्थापना दिवस व्याख्यान दिया तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार पौधा किस्मों की सुरक्षा के लिए किस्मों के पंजीकरण के बारे में वैज्ञानिकों के साथ चर्चा की।
29-30 नवम्बर 2016	एनएससी परिसर, नई दिल्ली में 'बीज विकास पर भारतीय-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग का आयोजन और संचालन किया। इस कार्यशाला में जर्मनी व नीदरलैंड के तकनीकी विशेषज्ञों, भारत में दूतावासों के काउंसलर, केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, भा.कृ.अनु.प. के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों व बीज उद्योग के प्रतिनिधियों ने भी भाग

		लिया। इसमें 100 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित थे। अध्यक्ष ने 'पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 और उपोव सदस्यता' विषय पर एक प्रस्तुतीकरण दिया।
1 दिसम्बर 2016		डीयूस परीक्षण प्लाटों को दिखाने के लिए जर्मन प्रतिनिधियों के साथ सीपीआरआईसी, मोदीपुरम का दौरा किया तथा प्रतिनिधियों से प्रजनन कार्यक्रम के अनुरक्षण पर चर्चा की और इसके साथ ही आलू के डीयूस परीक्षण पर कार्य करने वाले वैज्ञानिकों के साथ विचार-विमर्श किया।
2-3 दिसम्बर 2016		भा.कृ.अनु.प.— आईआईएसआर और भा.कृ.अनु.प.— सीआईएसएच, लखनऊ के सहयोग से 'स्वास्थ्य एवं आजीविका सुरक्षा के लिए नोनी और अन्य औषधीय पौधे' विषय पर आयोजित आईएसएनएस—डब्ल्यूएनआरएफ— नोनी सर्च 2016— ग्यारहवें राष्ट्रीय सिम्पोज़ियम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
8-10 दिसम्बर 2016		भा.कृ.अनु.प.—केन्द्रीय द्वीप समूह कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्टब्लेयर में 8 से 10 दिसम्बर 2016 को जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन व जैव विविधता पारिस्थितिक टिकाऊपन तथा आजीविका सुरक्षा के लिए संसाधन प्रबंध पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। जैवविविधता के एक सत्र की अध्यक्षता की और उद्घाटन के दौरान विशेष अतिथि के रूप में एक व्याख्यान भी दिया। अध्यक्ष इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सम्मानीय अतिथि तथा समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे।
13-14 दिसम्बर 2016		धारवाड़ में कपास पर डीयूस परीक्षण केन्द्र का दौरा किया तथा 'पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 व अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों का पंजीकरण' विषय पर व्याख्यान दिया। इसके अलावा शरदकालीन प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सम्बोधित भी किया।
21 दिसम्बर 2016		डॉ. बी.पी. पाल सभागार, भा.कृ.अ.सं.—भा.कृ.अनु.प. में आयोजित छठे पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार/प्रतिदान/सम्मान समारोह में भाग लिया। प्राधिकरण इस समारोह का आयोजक था। इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करने वालों द्वारा संरक्षित की जा रही परंपरागत किस्मों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी।
22 दिसम्बर 2016		कृषि महाविद्यालय, विजयपुर में 'रजत जयंती समारोह में भाग लिया।
29-30 दिसम्बर 2016		राष्ट्रीय नवोन्मेष परियोजना — आईआईएम, अहमदाबाद की मंडल बैठक में भाग लिया तथा जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय में विशेषज्ञ के रूप में अध्यापकों/वैज्ञानिकों/एसएमएस के साक्षात्कार में भी भाग लिया।
6 जनवरी 2017		पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धरा 41(3) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) के साथ एक अंतर-प्रावस्था बैठक में भाग लिया।
7 जनवरी 2017		भा.कृ.अनु.प.— आईआईएचआर में फलों पर भा.कृ.अनु.प. — एआईसीआरपी पर चौथी समूह चर्चा के दौरान फल की किस्मों के पंजीकरण के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया और 'पीपीवी और एफआर अधिनियम के अंतर्गत फल फसलों की किस्मों के पंजीकरण' पर एक

	व्याख्यान भी दिया।
10 जनवरी 2017	कृषि महाविद्यालय, बीजापुर, कर्नाटक में 'भारतीय बीज उद्योग और पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001' पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
11 जनवरी 2017	केवीके, बीजापुर, कर्नाटक का दौरा किया और कृषकों के अधिकारों पर एक प्रस्तुतीकरण दिया।
12 जनवरी 2017	केवीके, हनुमानमत्ती, कर्नाटक में पीपीवी और एफआरए जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। तीर्थाहल्ली, कर्नाटक में कृषक किस्मों के पंजीकरण के बारे में पुरुषोत्तम राव फाउंडेशन के सदस्यों के साथ चर्चा की।
13 जनवरी 2017	कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिमोगा में शाखा कार्यालय के लिए पीपीवी और एफआरए को आबंटित की जाने वाली भूमि और भवन के बारे में कुलपति से चर्चा करने के लिए शिवामोगा, कर्नाटक का दौरा किया। मसौदा एमएयू और पट्टे पर भूमि/भवन देने पर भी चर्चा हुई।
20 जनवरी 2017	हैदराबाद में सतगुरु मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स द्वारा आयोजित वार्षिक बीज उद्योग कार्यक्रम (एसआईपी) में भाग लिया तथा 'पौधा किस्मों की सुरक्षा की क्रियाविधियां तथा गुणों के विकास एवं प्रदानीकरण पर इसका प्रभाव' विषय पर एक व्याख्यान दिया।
22 जनवरी 2017	भा.कृ.अनु.प. – राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान, अजमेर, राजस्थान में 'किसानों की समृद्धि और आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बीज मसाले' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया तथा बीज मसालों में आईपीआर के महत्व पर एक वार्ता भी प्रस्तुत की।
31 जनवरी 2017	एचपीकेवी, पालमपुर में नए शाखा कार्यालय की स्थापना और भूमि की उपलब्धता पर चर्चा करने के लिए एचपीकेवी, पालमपुर का दौरा किया।
1 फरवरी 2017	पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर जागरूकता के संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्र के स्टाफ के साथ बैठक में भाग लेने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र, कांगड़ा का दौरा किया।
3 फरवरी 2017	कृषि विज्ञान केन्द्र, कर्नाटक में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया और 'पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001' पर व्याख्यान दिया।
4 फरवरी 2017	कृषि विज्ञान केन्द्र, गुलबर्गा में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया तथा 'पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001' पर मुख्य वार्ता प्रस्तुत की। इसी दिन शाम को किसानों के सम्मेलन में भाग लिया और कृषकों के अधिकार के बारे में जागरूकता पर एक वार्ता प्रस्तुत की।
5 फरवरी 2017	इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम पर व्याख्यान भी दिया।
9 फरवरी 2017	भारतीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल के स्थापना दिवस के दौरान आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया और 'भारतीय बीज उद्योग व पीपीवी और एफआर

		अधिनियम की उपलब्धियां तथा भावी दिशा' पर एक व्याख्यान दिया।
11-12 2017	फरवरी	शाखा कार्यालय, रांची की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा के लिए शाखा कार्यालय का दौरा किया तथा बीएयू (रांची) के साथ फील्ड जीन बैंक की गतिविधियों की चर्चा की और डॉ. श्रीमती निक्की कुमारी, प्राधिकरण की सदस्य से उन जागरूकता संबंधी गतिविधियों के बारे में चर्चा की जिन्हें झारखण्ड और बिहार में चलाया जा सकता है।
13-14 2017	फरवरी	कोलकाता में आयोजित सातवीं भारतीय बीज कांग्रेस में 'भारतीय बीज उद्योग को संचालित करने वाले विनियम' सत्र की सह-अध्यक्षता की और केन्द्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, कोलकाता में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर व्याख्यान भी दिया।
27 2017	फरवरी 1 मार्च	आईजीकेवी, रायपुर में डीयूएस परीक्षण केन्द्रों की 11वीं समीक्षा बैठक में भाग लिया। इस बैठक में विभिन्न कुलपतियों, निजी बीज उद्योग के प्रतिनिधियों व डीयूएस केन्द्रों ने भाग लिया था। यह बैठक विभिन्न डीयूएस परियोजनाओं की गतिविधियों, उनकी वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के साथ-साथ विकासोन्मुख विभिन्न डीयूएस दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थी। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने आईजीकेवी, रायपुर में आजीविका के लिए जैवविविधता पर एक प्रदर्शनी के साथ-साथ जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया।
13 मार्च	2017	पुणे में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण का शाखा कार्यालय खोलने के लिए एमपीकेवी, राहुरी के कुलपति के साथ बैठक में भाग लिया।
17 मार्च	2017	जेएनकेवीवी, जबलपुर में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने कृषक किस्मों और सार्वजनिक क्षेत्र की किस्मों के पंजीकरण में एनएआरएस की भूमिका पर एक प्रस्तुतीकरण भी दिया।
18 मार्च	2017	काजू और सुपारी के लिए डीयूएस परीक्षण मानदंडों के विकास के लिए कार्य बल की बैठक में भाग लिया और इसके साथ ही पुत्तूर में पीपीवी और एफआर अधिनियम पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भी भाग लिया।
28 मार्च	2017	जागरूकता कार्यक्रम पर चर्चा करने तथा सह नोडल केन्द्र की स्थापना के बारे में भा.क.अ.प. के सुपारी अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष के साथ चर्चा भी की।
28 मार्च	2017	पृथ्वी विज्ञान एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंध के एचएएमपी विद्यालय, मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजॉल के वन विभाग द्वारा आयोजित पौधा किस्म और कृषक अधिकार सुरक्षा पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
29 मार्च	2017	कृषि विज्ञान एवं ग्रामीण विकास विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय, मेदजीफेमा में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया तथा 'कृषक किस्मों के पंजीकरण में सुविधा प्रदान करने व सार्वजनिक क्षेत्र में प्रजनित किस्मों के पंजीकरण में नार्स की भूमिका' पर एक प्रस्तुतीकरण दिया।

9.6 विभिन्न बैठकों और चर्चाओं में महापंजीकार की प्रतिभागिता

दिनांक	विवरण
6 अप्रैल 2016	एनएएससी परिसर में पारिस्थितिक प्रणाली सेवाएं सुनिश्चित करने और संवेदनशीलता को कम करने के लिए कृषि के क्षेत्र में कृषि जैवविविधता के संरक्षण और उपयोग को मुख्य धारा में लाना' विषय पर कार्यशाला के आयोजन से पूर्व आयोजित बैठक में भाग लिया।
13 अप्रैल 2016	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आईएएसआरआई), नई दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मूल्यांकन हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में बाहरी विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया।
22 अप्रैल 2016	अपर सचिव (विस्तार) की अध्यक्षता में कृषि भवन, नई दिल्ली में पीजीएससी पुरस्कारों के लिए आयोजित चयन समिति की दूसरी बैठक में भाग लिया।
22 अप्रैल 2016	पौधा प्राधिकरण भवन के निर्माण के संबंध में भवन समिति की बैठक आयोजित की।
25 अप्रैल 2016	उन सभी आवेदकों की पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 20(2)(बी) के अंतर्गत वैधानिक सुनवाई की जहां आवेदन फार्म-1 की तकनीकी प्रश्नावली के कॉलम 10 में सुधरी हुई शीट लगाई गई थी तथा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की रजिस्ट्री में किस्मों के सस्यविज्ञानी व वाणिज्यिक गुणों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।
26-27 अप्रैल 2016	उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना- ज्वार की 46वीं वार्षिक दल बैठक में भाग लिया तथा ज्वार पर डीयूएस दिशानिर्देशों की समीक्षा की।
30 अप्रैल 2 मई 2016	शेर-ए-काश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर में पादप जीनोम संरक्षक समिति पुरस्कार 2013-14 के लिए आवेदकों की गतिविधियों के स्थल पर सत्यापन हेतु आयोजित बैठक में भाग लिया।
2 मई 2016	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में कम्प्यूटर सहायक के पद पर नियुक्ति से इंकार करने के संबंध में माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के साथ आयोजित बैठक में भाग लिया।
5 मई 2016	पंजीकरण हेतु जम्मू क्षेत्र की कृषक किस्मों के लिए आवेदन आमंत्रित करने और वैज्ञानिकों व किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु पीपीवी और एफआर प्राधिकरण कार्यालय में डॉ. शर्मा, कुलपति, एसकेयूएसटी, जम्मू के साथ एक बैठक में भाग लिया।
6 मई 2016	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में लघु मोटे अनाजों के डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए कार्य बल की प्रथम बैठक में भाग लिया।
9 मई 2016	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्राधिकरण के वार्षिक लेखों को बंद करने से संबंधित मुद्दों और बाहरी एजेंसियों को जारी की गई निधियों का निपटारा करने के साथ-साथ लेखापरीक्षित प्रमाण-पत्रों के बकाया रह गए मुद्दों के बारे में चर्चा हेतु आयोजित बैठक में भाग लिया।
9 मई 2016	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में 'बीज विकास पर भारत और जर्मनी के बीच

द्विपक्षीय सहयोग के फ्रेमवर्क में तथ्यों का पता लगाने के मिशन' के संबंध में आयोजित बैठक में भाग लिया।

16 मई 2016	ईडीवी के पंजीकरण के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एनएससी परिसर, नई दिल्ली में ईडीवी के पंजीकरण हेतु विशेषज्ञ समिति की पांचवीं बैठक में भाग लिया।
20 मई 2016	'बीज विकास पर भारत और जर्मन के बीच द्विपक्षीय सहयोग के फ्रेमवर्क में तथ्यों का पता लगाने के मिशन' के संबंध में आयोजित बैठक में भाग लिया और संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के साथ समापन बैठक में भी भाग लिया।
23-24 मई 2016	एनएससी परिसर, नई दिल्ली में भारत-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की और उसमें भाग लिया।
25-26 मई 2016	आलू तथा सब्जियों में अनुसंधान व विकास और डीयूस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास पर चर्चा करने के लिए मशौबरा (हिमाचल प्रदेश), कृषि विज्ञान केन्द्र - कंडाघाट में फील्ड जीन बैंक और केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान केन्द्र (सीपीआरआई-कुफरी) का जर्मन प्रतिनिधि मंडल के साथ दौरा किया
3 जून 2016	औद्योगिक नीति एवं प्रवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उद्योग भवन, नई दिल्ली में 'आरसीईपी मुक्त व्यापार समझौते के आईपीआर अध्याय' पर चर्चा करने के लिए श्री आर.के. मिश्र, अपर आयुक्त के साथ एक अंतर मंत्रालयीन बैठक में भाग लिया।
8 जून 2016	चंडीगढ़ में किस्मों के वाणिज्यिक पंजीकरण को बढ़ाने और भारत में आलू बीज के प्रमाणीकरण का संस्थागत सैटिंग में दोहन व इसके आर्थिक प्रभाव' पर नीदरलैंड दूतावास में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया।
10-11 जून 2016	लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ डीयूस परीक्षण के तकनीकी मामलों व अन्य वित्तीय मुद्दों से संबंधित विषयों पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
23 जून 2016	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में ईडीवी- विशेषज्ञ समिति की उप समिति की बैठक आयोजित की।
30 जून 2016	व्याख्यान कक्ष, नास, एनएससी परिसर, नई दिल्ली में 'प्रजनकों तथा अनुसंधानकर्ताओं तक ले जाना - कृषक किस्मों के प्रति जागरूकता और उन्हें मुख्य धारा में लाकर पादप प्रजनकों व अनुसंधानकर्ताओं के अधिकार' पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।
2 जुलाई 2016	एनबीपीजीआर में समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और आईसीएफआरई प्रायोजित कार्यक्रम के प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए। इसके साथ ही पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रतिभागियों को विस्तार से बताया।
6-8 जुलाई 2016	भा.कृ.अनु.प.- केन्द्रीय तटवर्ती कृषि अनुसंधान संस्थान, गोवा के सह-समन्वयन में आयोजित पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार, 2013-14 के लिए समिति के अन्य सदस्यों के साथ खोलो/कानाकोना मिर्च उत्पादकों के समूह की गतिविधियों के सत्यापन की स्थल पर जांच के लिए दौरा किया।

15 2016	जुलाई	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आईपीआर नीति के संबंध में बैठक में भाग लिया।
25 2016	जुलाई	सुश्री एन. अरुणा (फ्लैट सं. 225, नारायंद्री ब्लॉक, स्वामीजी अपार्टमेंट, 6/2, चन्द्रामौलीनगर, गुंटूर- 522007) के मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में अपीलों को सुना।
25 2016	जुलाई	श्री एन. वेंकटेश्वरा राव (सुपुत्र सम्बैया, डी. सं. 3-87, कांथेरू गांव, द्वारा नाम्बू, टाडीकोंडा मंडल, गुंटूर) के मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में अपीलों को सुना।
27 2016	जुलाई	एनबीआरआई, लखनऊ में पुष्पों में डीयूएस परीक्षण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में डॉ. आर.के राय, वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष के साथ बैठक में भाग लिया।
29 2016	जुलाई	हैदराबाद में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, भारतीय मोटे अनाज अनुसंधान संस्थान, तिलहन अनुसंधान निदेशालय और राज्य कृषि विश्वविद्यालय में विद्यमान अधिसूचित किस्मों के लंबित आवेदनों के बारे में चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया।
30 2016	जुलाई	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़ में विद्यमान किस्म अनुशांसा समिति (ईवीआरसी) की 28वीं बैठक में भाग लिया।
4 अगस्त 2016		एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 'कृषि तथा संबंधित मुद्दों में जैवप्रौद्योगिकी नवोन्मेषों पर बढ़ावा देने के लिए गोल मेज चर्चा' में भाग लिया।
5 अगस्त 2016		विभिन्न देशों में पुष्पों में डीयूएस परीक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए श्री थेओ रुइस, द नीदरलैंड के साथ बैठक में भाग लिया।
5 अगस्त 2016		श्री एन. वेंकटेश्वरा राव (सुपुत्र सम्बैया, डी. सं. 3-87, कांथेरू गांव, द्वारा नाम्बू, टाडीकोंडा मंडल, गुंटूर) के मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अपीलों को सुना।
9 2016	अगस्त	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रत्यायन समिति के साथ चर्चा के अंग के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए विभिन्न संभावनाओं पर भा.कृ. अ.सं. के पूर्व छात्रों की संस्थान के नई दिल्ली मुख्यालय में संयुक्त निदेशक (शिक्षा), भा.कृ.अ. सं. के साथ आयोजित किए गए पारस्परिक चर्चा सत्र में भाग लिया।
10 2016	अगस्त	कृषि भवन, नई दिल्ली में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 35 के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के लिए अदा किए जाने वाले वार्षिक शुल्क पर राजपत्र अधिसूचना में सुधार के लिए संयुक्त सचिव (बीज) के साथ बैठक में भाग लिया।
17 2016	अगस्त	एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार 2013-14 की चयन समिति की दूसरी बैठक में भाग लिया।
24 2016	अगस्त	ए.पी. शिंदे सिम्पोजियम सभागार, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में आयोजित पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार 2012-13 में भाग लिया।

31 2016	अगस्त	भा.कृ.अ.प.— भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में 29वीं ईवीआरसी बैठक में भाग लिया।
9 2016	सितम्बर	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में स्वीकृति से पूर्व विरोध के अंतर्गत गुलाब की एक किस्म के मामले में वैधानिक सुनवाई की।
15–16 सितम्बर 2016		तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर में विद्यमान किस्मों/संकरों तथा कृषक किस्मों के पंजीकरण की बैठक में भाग लिया। तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर में डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए रत्नजोत पर आयोजित कार्यबल की बैठक में भाग लिया। चित्तोड़ और पालघाट में सामुदायिक जीन बैंक को मुख्य धारा में लाने और उसकी स्थापना के बारे में किसानों के साथ बैठक आयोजित की।
25–26 सितम्बर 2016		कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, मथुरा में 25–29 सितम्बर 2016 को कृषि से संबंधित गतिविधियों के बारे में आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में कृषि जैवविविधता पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की। श्रीमती अंजम्मा जो तेलंगाना की एक किसान हैं को 26 सितम्बर 2016 को परंपरागत किस्मों के संरक्षण में उनके योगदान के लिए माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह द्वारा दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, मथुरा में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया था।
27 2016	सितम्बर	सम्मेलन कक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में 'जननद्रव्य के संरक्षण और कृषकों के अधिकारों के लिए सरकार की पहलें' विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए फार्म नवोन्मेषियों के सम्मेलन के तकनीकी सत्र में भाग लिया।
3 2016	अक्तूबर	पुस्तकालय कक्ष, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली में भा.कृ.अनु.प. क्षेत्रीय समिति की 24वीं बैठक में भाग लिया तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
4 2016	अक्तूबर	कृषि जैवविविधता के संबंध में डीडी किसान चैनल के वाद-विवाद वृत्त चित्र कार्यक्रम में भाग लिया।
7 2016	अक्तूबर	एन. नागा बाबजी (मकान नं. 6/284/ए, प्लॉट सं. 47, बैंक कालोनी, जीदीमेल्ला, कुतुबुल्लापुर, हैदराबाद) बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के मामले में आरटीआई अपीलों को सुना।
7 2016	अक्तूबर	स्वीकृति पूर्व विरोध से संबंधित मोयरहेइम रोसिस एंड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में वैधानिक सुनवाई की।
18 2016	अक्तूबर	एन. नागा बाबजी (मकान नं. 6/284/ए, प्लॉट सं. 47, बैंक कालोनी, जीदीमेल्ला, कुतुबुल्लापुर, हैदराबाद) बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के मामले में आरटीआई अपीलों को सुना।
19 2016	अक्तूबर	इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 'पहुंच तथा लाभ में भागीदारी – अधिकार संतुलन को बनाए रखना' जो पूर्व-अंतरराष्ट्रीय कृषि जैवविविधता सम्मेलन-2016 (आईएसी-2016) से

संबंधित गतिविधि थी, उसकी समीक्षा बैठक में भाग लिया।

19 2016	अक्तूबर	माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में टास कार्यालय, नई दिल्ली में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में भाग लिया।
19 2016	अक्तूबर	मोइरहेरिम रोसिस एंड ट्रेडिंग इंडिया द्वारा गुलाब की किस्म मेइफमिंगवे के पंजीकरण के विरुद्ध एसआईएफए द्वारा दाखिल किए गए विरोध में दिए गए फैसले में उपस्थित रहे।
22 2016	अक्तूबर	इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 'पहुंच तथा लाभ में भागीदारी – अधिकार संतुलन को बनाए रखना' विषय पर आयोजित विचार-मंथन बैठक में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 में उपलब्ध विभिन्न प्रावधानों पर एक वार्ता प्रस्तुत की।
24 2016	अक्तूबर	श्री इक्केहार्ड स्क्रोयडर, परियोजना समन्वयक, भारत-जर्मन बीज परियोजना के साथ बैठक में भाग लिया
24 2016	अक्तूबर	मैसर्स सीड्समैन एसोसिएशन एंड एएनआर बनाम भारत संघ और एएनआर की उच्च न्यायालय, हैदराबाद में हुई सुनवाई में भाग लिया।
24 2016	अक्तूबर	नई दिल्ली में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता कांग्रेस की समीक्षा बैठक में भाग लिया।
26 2016	अक्तूबर	औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, इंडियन सोसायटी फॉर एग्रो इकोलॉजी और तृतीय विश्व नेटवर्क द्वारा एनबीपीजीआर, नई दिल्ली में आयोजित 'बीजों तक पहुंच' शीर्षक के कार्यक्रम में एक वार्ता प्रस्तुत की।
3 नवम्बर 2016		राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवाएं आईएनसी (एनआईसीएसआई), नई दिल्ली में 'ई-कार्यालय उत्पादों पर प्रदर्शन कार्यक्रम' में भाग लिया।
4 नवम्बर 2016		नई दिल्ली में कृषि पर जीईएफ परियोजना की राष्ट्रीय परियोजना प्रबंध इकाई की पहली बैठक में भाग लिया।
5 नवम्बर 2016		सामान्य जनो के लाभ के लिए तथा आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग में लगे लोगों के लाभ के लिए नई दिल्ली में आयोजित कर्टन रेज़र कार्यक्रम में भाग लिया।
6-9 2016	नवम्बर	बायोवर्सिटी इंटरनेशनल द्वारा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, इंडियन सोसायटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस (आईएसपीजीआर), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.), राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए), ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसिस (टास), राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (नास), एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ) के सहयोग से तथा इक्रीसैट, सिमित, जीसीडीटी, जीआईआरसीएएस, जीआईजैड के साथ मिलकर एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में आयोजित 'प्रथम अंतरराष्ट्रीय कृषि जैवविविधता कांग्रेस (आईएसी-2016)' में भाग लिया।
29-30 2016	नवम्बर	नास, व्याख्यान कक्ष, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 'बीज विकास पर भारत-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग' कार्यक्रम में भाग लिया।
1 दिसम्बर		डीयूएस परीक्षण प्लाटों के शोकेश और आलू में डीयूएस परीक्षण में कार्यरत वैज्ञानिकों के

2016		साथ अनुरक्षण प्रजनन पर चर्चा के लिए विदेशी प्रतिनिधि मंडल के साथ केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के मोदीपुरम स्थित केन्द्र (सीपीआरआईसी) का दौरा किया।
2 2016	दिसम्बर	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के संबंध में आईपीआर नीति के कार्यान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक में भाग लिया।
8-10 2016	दिसम्बर	भा.कृ.अ.प.- केन्द्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्टब्लेयर में 'जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन तथा जैवविविधता पारिस्थितिक टिकाऊपन और आजीविका सुरक्षा के लिए संसाधन प्रबंध' पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया।
21 2016	दिसम्बर	भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली में छठा पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह आयोजित किया।
22 2016	दिसम्बर	सुश्री एन. अरुणा (फ्लैट सं. 225, नारायंद्री ब्लॉक, स्वामीजी अपार्टमेंट, 6/2, चन्द्रामौलीनगर, गुंटूर- 522007) के मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में अपीलों को सुना।
22 2016	दिसम्बर	एन. नागा बाबजी (मकान नं. 6/284/ए, प्लॉट सं. 47, बैंक कालोनी, जीदीमेत्ला, कुतुबुल्लापुर, हैदराबाद) बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के मामले में अपीलों को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में सुना।
4 2017	जनवरी	उप सचिव, सतर्कता के साथ कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लिया।
6 2017	जनवरी	पीपीवी और एफआर अधिनियम की धारा 41(3) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए चैन्नई में राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) में आयोजित बैठक में भाग लिया।
11-14 2017	जनवरी	पीपीवी और एफआरए को इसके शाखा कार्यालय के लिए कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोगा में भवन और भूमि आबंटित किए जाने के बारे में कुलपति के साथ चर्चा करने और समझौता ज्ञापन व पट्टे पर भवन व भूमि देने के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए शिव मोगा का दौरा किया।
16 2017	जनवरी	लम्बित विद्यमान अधिसूचित किस्मों के बारे में पंजीकरण हेतु नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति व अन्य संबंधित प्रजनकों से चर्चा करने के लिए एक बैठक में भाग लिया। कृषि विज्ञान केन्द्र के स्टाफ और आस-पास के जिलों के प्रगतशील किसानों के समक्ष पीपीवी और एफआर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों तथा कृषकों के अधिकारों के महत्व के बारे में एक व्याख्यान दिया।
17 2017	जनवरी	सतर्कता संबंधी मामले के संदर्भ में श्री आर.के. मिश्र, अपर आयुक्त के साथ कृषि भवन में एक बैठक में भाग लिया।
19 2017	जनवरी	जनता कालेज, बकेवर, उत्तर प्रदेश में 'बौद्धिक सम्पदा अधिकारों' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

25	जनवरी	कृषक ज्ञान के अंकीय पुस्तकालय (एफकेडीएल) पर भावी दिशा पर चर्चा करने और इसे तय करने के बारे में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के समिति कक्ष में आयोजित बैठक में भाग लिया।	
27	जनवरी	एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में पीजीएससी चयन समिति की बैठक में भाग लिया।	
27	जनवरी	एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 30वीं विद्यमान किस्म अनुशांसा समिति (ईवीआरसी) बैठक का आयोजन किया।	
30	जनवरी	बीज क्षेत्र विकास पर भारत जर्मनी सहयोग के संबंध में श्री एक्केहार्ड स्कॉयडर के साथ पीपीवी और एफआ प्राधिकरण, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लिया।	
31	जनवरी	एचपीकेवी, पालमपुर में नए शाखा कार्यालय की स्थापना और भूमि की उपलब्धता पर आयोजित बैठक में भाग लिया।	
9 फरवरी	2017	भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल के स्थापना दिवस के दौरान आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।	
11	— 12	बीएयू रांची के साथ फील्ड जीन बैंक की गतिविधियों पर चर्चा करने, शाखा कार्यालय की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करने और झारखण्ड व बिहार में चलाई जा सकने वाली जागरूकता संबंधी गतिविधियों पर विचार-विमर्श के लिए डॉ. (श्रीमती) निक्की कुमारी, प्राधिकरण सदस्य के साथ चर्चा करने के लिए रांची स्थित शाखा कार्यालय का दौरा किया।	
15	फरवरी	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में पौधा प्राधिकरण भवन के बारे में आयोजित बैठक में भाग लिया।	
20	फरवरी	डॉ. पी.एम. पिल्लै, पूर्व कुलसचिव, सीएयू, इम्फाल के विरुद्ध पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में विभागीय जांच की।	
21—22	फरवरी	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में 'पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के वैधानिक पहलू' विषय पर एक व्याख्यान दिया।	
27	फरवरी—1	आईजीकेवी, रायपुर में डीयूस परीक्षण केन्द्रों की 11वीं समीक्षा बैठक में भाग लिया।	
	मार्च	2017	
3	मार्च	2017	अंतरराष्ट्रीय अतिथि गृह, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान एवं सम्मान, 2015 के लिए चयन समिति की बैठक में भाग लिया।
8	मार्च	2017	डीआईपीपी के सहयोग से राष्ट्रीय सेमिनार/कार्यशाला आयोजित करने के लिए पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में श्री राघव (डीआईपीपी) के साथ बैठक में भाग लिया।

9 मार्च 2017	सलमान घनी हासनी सभागार, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में जैव सांख्यिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला में उद्घाटन भाषण दिया। राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय नवोन्मेष फाउंडेशन द्वारा 'कृषि के लिए टिकाऊ निवेश' पर आयोजित गोलमेज चर्चा बैठक में भाग लिया।
16-19 मार्च 2017	जबलपुर में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के बारे में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया तथा काजू और सुपारी के लिए डीयूएस परीक्षण मानदंडों के विकास और जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में पुत्तूर, कर्नाटक में कार्यबल की बैठक में भाग लिया।
20 मार्च 2017	इंडियन सोसायटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस की एनबीपीजीआर में आयोजित बैठक में भाग लिया। डॉ. पी.एम. पिल्लै के विरुद्ध पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में विभागीय जांच की।
28-30 मार्च 2017	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के सहयोग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, बांका में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
31 मार्च 2017	ग्लोबल फोरम फार फार्मर्स (जीएफएफ), नास और पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में आयोजित विचार-मंथन बैठक में भाग लिया।

9.7 शाखा कार्यालय गुवहाटी के कार्य के प्रगति

शाखा कार्यालय, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने 20 मई 2011 से असम कृषि विश्वविद्यालय, खानपाड़ा, गुवहाटी में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। डॉ. ए.सी. शर्मा, पूर्व उप पंजीकार का प्रतिनियुक्ति का समय 19 मई 2016 को पूरा हो गया और वे अपने मूल विभाग में वापस चले गए। शाखा कार्यालय का प्रभार डॉ. ए.के. सिंह, पौधा किस्म परीक्षक (पीवीई) को सौंपा गया।

9.7.1 प्राप्त आवेदन / बीजों के नमूने

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न फसलों के 56 आवेदन प्राप्त हुए और प्राथमिक जांच के पश्चात् इन्हें अगली कार्रवाई के लिए मुख्यालय भेजा गया। रिपोर्टाधीन अवधि में आवेदनों तथा प्रत्याशी किस्मों के बीज नमूनों/रोपण सामग्री, जिसका उपयोग पंजीकरण के उद्देश्य से किया गया है, भी प्राप्त की गई। डीयूएस/जीओटी के लिए विभिन्न फसल प्रजातियों के 60 बीज नमूने पंजीकरण हेतु प्राप्त हुए जिन्हें अगली कार्रवाई के लिए शाखा कार्यालय से मुख्यालय भेजा गया।

फसल प्रजातियाँ	आवेदनों की सं.
चावल	39
कंगनी	08
मक्का	03
उड़द	02
मूंग	01
सोयाबीन	01
कद्दू	01
कुल	52

प्राप्त आवेदनों तथा उनके अग्रेषण का विवरण निम्नानुसार है :

9.7.2 शाखा कार्यालय की गतिविधियां

दिनांक	कार्यक्रम	विवरण
17 मार्च 2017	कृषि विज्ञान केन्द्र, बारपेटा, असम में जागरूकता कार्यक्रम	शाखा कार्यालय के प्रभारी, डॉ. ए.के. सिंह, पीपीवी ने भाग लिया तथा इस एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 तथा पौधा किस्मों के पंजीकरण पर एक व्याख्यान दिया। पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर यह कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र, बारपेटा द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें खेतिहर महिलाओं सहित स्थानीय किसानों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 149 लोगों ने भाग लिया।
22 मार्च 2017	जागरूकता कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र, चिरांग, असम कृषि विश्वविद्यालय, काजलगांव, बीटीएडी, असम	डॉ. ए.के. सिंह, पीपीवी तथा प्रभारी शाखा कार्यालय ने कृषि विज्ञान केन्द्र, चिरांग, असम द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर व्याख्यान दिया। प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई कृषकों के अधिकारों व कृषि जैवविविधता पर एक वीडियो क्लिप भी किसानों को दिखाई गई। अन्य आमंत्रित अतिथियों ने स्थानीय जननद्रव्य व जैवविविधता के महत्व और पंजीकरण के महत्व के बारे में स्थानीय भाषा में प्रतिभागियों के समक्ष व्याख्यान दिया।
28 मार्च 2017	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, काहीकुची और कृषि विज्ञान केन्द्र, कामरूप, काहीकुची, असम	डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण व डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के साथ केन्द्रों का दौरा किया। दोनों केन्द्रों पर वैज्ञानिकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। पंजीकरण हेतु आवेदन की गई विभिन्न किस्मों के डीयूएस परीक्षण करने के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र/उप केन्द्र की स्थापना हेतु संभावनाएं तलाशने के लिए आयोजित बैठक के पश्चात् फील्ड दौरा भी किया
30 मार्च 2017	जागरूकता कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केन्द्र, कामरूप, काहीकुची, असम	शाखा कार्यालय के प्रभारी डॉ. ए.के. सिंह, पीपीवी ने इसमें भाग लिया तथा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण 2001 पर व्याख्यान देने के साथ इस एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में कृषकों के अधिकारों के बारे में भी बताया। यह कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र, कामरूप, काहीकुची, असम द्वारा आयोजित किया गया था। श्री बाबेश कालिता, विधायक, रंगिया, विधान सभा क्षेत्र, असम ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई तथा किसानों को अपने जननद्रव्य की सुरक्षा के लिए आगे आने हेतु प्रेरित किया ताकि वे पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत किए गए अधिकारों का उपयोग करते

हुए उससे लाभ प्राप्त कर सकें। इसमें खेतिहर महिलाओं सहित स्थानीय किसानों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 125 से अधिक प्रतिभागी शामिल थे।

9.8 शाखा कार्यालय, रांची में कार्य की प्रगति

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण का शाखा कार्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची (झारखण्ड) के कम्प्यूटर केन्द्र भवन के परिसर में स्थित है। इसकी अधिकार क्षेत्र सीमा झारखण्ड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह है। यह केन्द्र मई 2011 से कार्यशील है। इस शाखा कार्यालय का कार्य विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विज्ञान केन्द्रों/विभागों/संगठनों/एजेंसियों द्वारा इसके अधिकार क्षेत्र में आयोजित की गई विभिन्न प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों/बैठकों/सेमिनारों/कार्यशालाओं में भाग लेना है, ताकि विभिन्न पुरस्कारों, प्रतिदानों और सम्मानों के साथ कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु उन्हें लोकप्रिय बनाया जा सके और प्रेरित किया जा सके।

9.8.1 किस्मों का पंजीकरण

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान शाखा कार्यालय रांची में निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गईं :

- कृषक किस्मों के आवेदन : पंजीकरण हेतु कृषक किस्मों के 1331 आवेदन प्राप्त हुए तथा आरंभिक जांच के पश्चात् इन आवेदनों को अगली कार्रवाई के लिए पौधा किस्म रजिस्ट्री, नई दिल्ली को भेजा गया।
- डीयूएस तथा ग्री आउट परीक्षण (जीओटी) के लिए विभिन्न फसलों के 227 बीज नमूने प्राप्त हुए तथा इन्हें अगली आवश्यक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक और/अथवा विभिन्न डीयूएस केन्द्रों को भेजा गया।
- प्रमाण-पत्रों का उपयोग : रांची स्थिति इस शाखा कार्यालय द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों सहित इसकी अधिकार सीमा में आने वाले विभिन्न संगठनों को प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी की गई राशियों के उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी) एकत्र करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए।

9.8.2 सेमिनारों/कार्यशाला/किसान गोष्ठी में भागीदारी

- पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर कार्यशाला 17 मार्च 2017 को जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवीवी), जबलपुर (मध्य प्रदेश) में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली के अध्यक्ष व पंजीकार ने भी भाग लिया। अनुसंधान सेवा निदेशालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवीवी), जबलपुर (मध्य प्रदेश) में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत आने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों के परियोजना समन्वयकों और आंचलिक अनुसंधान केन्द्र (जैआरएस) के प्रभारी वैज्ञानिक ने भी भाग लिया।

इन लोगों के अतिरिक्त इस कार्यशाला में ये भी उपस्थित थे : डॉ. एस.के. राव, निदेशक (अनुसंधान) और डॉ. जी.एस. कोउटू, प्राध्यापक। इन्होंने जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कृषक किस्मों के बारे में विस्तार से बताया।

डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, की उपलब्धियों, उद्योग की चुनौतियों, पीजीआर के महत्व, बीज उद्योग, वृद्धि और विकास, ट्रिप्स, सीबीडी, आइटीपीजीआरएफए, नागोया प्रोटोकॉल, उपोव, पीजीटी कार्टेजेना प्रोटोकॉल और जीआई के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बीज की स्थिति या बीज के लिए बाजार के महत्व पर भी व्याख्यान दिया। अपने व्याख्यान में उन्होंने प्रजनकों के अधिकार, अनुसंधानकर्ताओं के अधिकार, अधिकारों के उल्लंघन, जागरूकता कार्यक्रम और कृषक किस्मों के पंजीकरण में हुई प्रगति के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, डॉ. वी.ए. तोमर ने प्रौद्योगिकी और नई-नई खोजों के माध्यम से ज्ञान की संपदा के महत्व पर प्रकाश डाला।

- रांची स्थित शाखा कार्यालय के उप पंजीकार को पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार के लिए आवेदन की जांच हेतु (सागर कृष्णानगर स्वामी विवेकानंद यूथ कल्चरल सोसायटी, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल) नामित किया गया। डॉ. के.डी. कोकाटे, निदेशक (विस्तार), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी इस समिति के अध्यक्ष थे और बीएयू, साबौर के अनुसंधान निदेशक व उप पंजीकार, रांची इस सत्यापन समिति के सदस्य थे। समिति ने 03 से 06 जून 2016 को आवेदक के कार्य स्थल पर दौरा किया तथा अपनी रिपोर्ट पीपीवी और एफआर प्राधिकरण मुख्यालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत की।
- उप पंजीकार, रांची ने 24 अगस्त 2016 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में आयोजित पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार समारोह में भाग लिया। पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं तथा अन्य किसानों को कृषक किस्मों के संरक्षण व टिकाऊ उपयोग के बारे में सशक्त बनाने के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की गई।
- डॉ. निक्की कुमारी, सदस्य (पीपीवी और एफआर प्राधिकरण) ने 19.09.2016 को रांची स्थित शाखा कार्यालय का दौरा किया। श्री उमा कांत दुबे, उप पंजीकार ने सदस्य महोदय का स्वागत किया तथा उन्हें पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों के साथ कृषि व जैव विविधता के संरक्षण में इसकी भूमिका के बारे में संक्षेप में बताया। डॉ. निक्की कुमारी पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के शाखा कार्यालय, रांची की स्थापना की अल्पावधि में इसके द्वारा आवेदनों के पंजीकरण में हुई प्रगति के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुईं।
- बीएयू, रांची में 27 सितम्बर 2016 को श्री राधा मोहन सिंह, माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा झारखण्ड में कृषि विकास से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा बैठक में भागेदारी : माननीय कृषि मंत्री ने झारखण्ड राज्य में कृषि विकास की गतिविधियों की समीक्षा की। श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय कृषि मंत्री, झारखण्ड और डॉ. नितिन मदान कुलकर्णी, सचिव, कृषि एवं कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची ने भी बैठक की शोभा बढ़ाई। श्री उमाकांत दुबे, उप पंजीकार, रांची ने समीक्षा बैठक में भाग लिया तथा रांची स्थित शाखा कार्यालय की अधिकार सीमा में हुई प्रगति के

बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने बताया कि मई 2011 से शाखा कार्यालय की स्थापना के पश्चात् पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या और पंजीकरण में अच्छी प्रगति हुई। उन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदनों और समुदाय पुरस्कार एवं उनके सत्यापन के लिए की गई कार्रवाई की भी जानकारी दी।

- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ में दिनांक 27 फरवरी 2017 से 01 मार्च 2017 तक आयोजित डीयूएस समीक्षा बैठक में भागेदारी।
- माननीय अध्यक्ष, प्रो. आर.आर. हंचिनाल और महा पंजीकार डॉ. आर.सी. अग्रवाल, पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली ने रांची स्थित शाखा कार्यालय का दौरा किया तथा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (झारखण्ड) स्थित फील्ड जीन बैंक भी देखा। अध्यक्ष महोदय ने शाखा कार्यालय रांची से कृषक किरमों के आवेदनों के दाखिल किए जाने और प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में भागीदारी के बारे में शाखा कार्यालय के प्रयासों की सराहना की। अध्यक्ष तथा महापंजीकार ने दिनांक 11 और 12 फरवरी 2017 को दिव्यायन कृषि विज्ञान केन्द्र, राम कृष्ण मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची (झारखण्ड) और भा.कृ.अ.प. –पूर्वी क्षेत्र के लिए अनुसंधान परिसर के केन्द्र, प्लांडू, रांची का भी दौरा किया।
- उप पंजीकार ने 31 मार्च 2017 को नई दिल्ली में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत कृषकों के अधिकारों संबंधी प्रावधानों की जानकारी हेतु अपनाई जाने वाली कार्यनीतियों पर आयोजित विचार मंथन कार्यशाला में भाग लिया। यह विचार मंथन कार्यशाला ग्लोबल फोरम फार फार्मर्स और पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी।

9.8.3 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान शाखा कार्यालय, रांची के उप पंजीकार श्री उमा कांत दुबे ने शाखा कार्यालय की अधिकार सीमा में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से विभिन्न संस्थाओं/कृषि विज्ञान केन्द्रों/कृषि विश्वविद्यालयों व स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया। इनका विवरण इस प्रकार है :

- कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) : कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), पुरुलिया, पश्चिम बंगाल) में 2 मार्च 2017 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीपीवी और एफआरए), 2001 के विभिन्न प्रावधानों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। श्री उमाकांत दुबे, उप पंजीकार, शाखा कार्यालय, रांची ने इस प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। उनके अतिरिक्त इस अवसर पर दिनांक 02.03.2017 को पुरुलिया तथा आसपास के जिलों से 50 से अधिक किसान इसमें आए थे। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष (पीसी), कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), पुरुलिया (पश्चिम बंगाल); श्री माणिक कुमार, देवघारा, सचिव, कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), कल्याण, (पश्चिम बंगाल); श्री अतनु घोष, सहायक निदेशक (पादप सुरक्षा), श्री बिधान चन्द्र साहनी, एडीए (बीज) भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।



- विकास भारती बिशुनपुर, कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), गुमला (झारखण्ड) द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीपीवी और एफआरए), 2001 के विभिन्न प्रावधानों पर दिनांक 03 मार्च 2017 को प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री उमा कांत दुबे, उप पंजीकार, शाखा कार्यालय, रांची ने इस प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। उनके अतिरिक्त इस अवसर पर गुमला तथा इसके आस-पास के जिलों से 550 से अधिक किसानों ने भी भाग लिया।



श्री सुदर्शन भगत, माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा इसके महत्व पर प्रकाश डाला। डॉ. आर.पी. सिंह 'रतन', निदेशक, विस्तार शिक्षा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची ने समारोह की अध्यक्षता की तथा विलुप्त होने वाली अनोखी और दुर्लभ भूप्रजातियों के महत्व पर इस कार्यक्रम में प्रकाश डाला। श्री उमाकांत दुबे, उप पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण शाखा कार्यालय, रांची ने किसानों के अधिकारों के संरक्षण व उनकी सुरक्षा में पीपीवी और एफआर अधिनियम की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रजनन कार्यक्रम में देसी फसल किस्मों के महत्व, विभिन्न किस्मों के पंजीकरण और विभिन्न पुरस्कारों के महत्व के बारे में भी बताया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें परंपरागत किस्मों का बहुत अच्छा संकलन प्रदर्शित किया गया था।



- कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदया आश्रम, सोखोदेवरा, नवादा (बिहार) में 6 मार्च 2017 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीपीवी और एफआरए) के विभिन्न प्रावधानों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री उमा कांत दुबे, उप पंजीकार, शाखा कार्यालय, रांची ने इस प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। उनके अतिरिक्त दिनांक 06.03.2017 को आयोजित इस कार्यक्रम में नवादा और इसके आस-पास के जिलों के 100 से अधिक किसान; सुश्री कल्पना सिन्हा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष (पीसी), कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), नवादा (बिहार), सैय्यद आबिद इमाम, विषय-वस्तु विशेषज्ञ (एसएमएस), कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), नवादा, बिहार; श्री अरविन्द कुमार राय, विषय वस्तु विशेषज्ञ (एसएमएस, सस्यविज्ञान), कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), नवादा (बिहार); श्री निरंजन प्रसाद सिंह, विषय-वस्तु विशेषज्ञ (एसएमएस) कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), नवादा (बिहार); डॉ. धनंजय कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ (एसएमएस, पशु विज्ञान), कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), नवादा (बिहार) भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
- हॉलीक्रॉस कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), हजारीबाग (झारखण्ड) में 7 मार्च 2017 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, पीपीवी और एफआरए, 2001 के विभिन्न प्रावधानों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री उमा कांत दुबे, उप पंजीकार, शाखा कार्यालय रांची ने

इस प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। उनके अतिरिक्त इस प्रशिक्षण में हजारीबाग और उसके आस-पास के जिलों से आए 125 से अधिक किसानों ने भी भाग लिया।

- कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), सिमडेगा (झारखण्ड) में 26 मार्च 2017 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीपीवी और एफआरए), 2001 के विभिन्न प्रावधानों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री उमा कांत दुबे, उप पंजीकार, शाखा कार्यालय रांची ने इस प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। उनके अतिरिक्त इस प्रशिक्षण में सिमडेगा और उसके आस-पास के जिलों से आए 100 से अधिक किसानों ने भी भाग लिया। इसके अलावा इस प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में डॉ. ए.कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष (पीसी), कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), सिमडेगा (झारखण्ड); डॉ. राकेश रंजन, विषय वस्तु विशेषज्ञ (एसएमएस) बागवानी, कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), सिमडेगा (झारखण्ड); डॉ. हिमांशु सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ (एसएमएस), पशु विज्ञान, कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), सिमडेगा (झारखण्ड) भी उपस्थित थे।

अध्याय 10 : अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारतीय पीवीपी विधान में धारा 31 की उप धारा 1 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा विशिष्टीकृत किसी भी देश के साथ पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर विदेश के नागरिकों के पंजीकरण हेतु आवेदन से संबंधित विशेष प्रावधान हैं। ये प्रावधान किसी किस्म के पंजीकरण और सुरक्षा के संबंध में भारत के नागरिकों को वैसे ही अधिकार नहीं प्रदान करते हैं जैसे कि अन्य राष्ट्रों में अपने यहां प्रदान किए हैं। इस प्रकार, ऐसे देश का कोई भी नागरिक किसी भी व्यक्ति के साथ मिलकर या अकेले किसी किस्म के पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकता है और न ही इस अधिनियम के अंतर्गत किसी पंजीकृत किस्म को प्राप्त करने का पात्र हो सकता है। चूंकि भारत उपोव का सदस्य नहीं है अतः कई देश कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं।

भारत अनेक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों व संधियों में सदस्य के रूप में शामिल है तथा खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) का एक संस्थापक सदस्य है। आईटीपीजीआरएफए को द्विवार्षिक चंदा भारत सरकार की ओर से प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है। प्राधिकरण शासी निकाय के अनेक सत्रों/अंतर्राष्ट्रीय संधि व उपोव की अनेक बैठकों व तकनीकी कार्यक्रमों में भाग लेता है। उपोव में भारत की सदस्यता विचाराधीन है और इसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल के विदेशी भ्रमणों और दौरों का विवरण निम्नानुसार है :

10.1 विदेशी भ्रमण

भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जर्मनी भ्रमण का दौरा

जर्मनी बीज विकास के संदर्भ में एक विकसित देश है तथा उपोव प्रणाली के लिए पांच संस्थापक देशों में से एक है। यहां अनाजों, सब्जियों और फल फसलों में विशेषज्ञता उपलब्ध है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के भ्रमण का उद्देश्य डीयूएस परीक्षणों का अध्ययन करना तथा वीसीयू केन्द्रों का दौरा करना था, ताकि स्थल पर अनुभव प्राप्त किया जा सके और जर्मनी में पादप प्रजनकों के अधिकारों के बारे में विस्तृत विवरण के साथ-साथ प्रयुक्त होने वाले विशेष परीक्षणों की जानकारी भी ली जा सके। यह भ्रमण निम्न कारणों से हमारे लिए सीखने का एक अच्छा अनुभव था :

- भारत में अनाज विकास कार्यक्रम सार्वजनिक निधि सहायता प्राप्त संस्थाओं के अंतर्गत है, जबकि जर्मनी में निजी पादप प्रजनक कंपनियों के पास अनाजों में



किस्मों के विकास का अच्छा कार्यक्रम है। इसलिए भारत में भी निजी बीज कंपनियों को अनाजों की किस्मों के विकास में और अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

- जर्मनी में बड़ी मात्रा में बीजोत्पादन के मामले में बीज उद्योग को कुछ लाभ प्राप्त हैं क्योंकि यहां इस क्षेत्र में यंत्रीकरण है। इसलिए बीज क्षेत्र में जर्मनी से और अधिक सहयोग की आवश्यकता है।
- सीपीओवी और पीपीवी एवं एफआरए के डीयूएस विवरणों के बीच और अधिक सुचारुता की आवश्यकता है।
- पीबीआर के प्रति भविष्य में होने वाले किसी टकराव से बचने के लिए आईपीके जैसे संदर्भ संकलन रखे जाने की आवश्यकता है।



10.2 बीज क्षेत्र में विकास के लिए भारत जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत कार्यशाला (एं)

दो बैठकें आयोजित की गईं। इनकी मुख्य प्रगति नीचे दी जा रही है :

10.2.1 दिनांक 23–24 मई 2016 को द्विपक्षीय कार्यशाला

- समझौता देशों के बारे में विवरण तैयार करने के लिए डीयूएस परीक्षण के संबंध में भारत और जर्मनी के बीच प्रक्रिया को सुचारु बनाने पर अध्ययन करने हेतु एक कार्य दल गठित किया जा सकता है।
- पारस्परिक हितों की फसल प्रजातियों की पहचान के लिए एक कार्य दल गठित किया जा सकता है : डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को सुचारु बनाना, आवेदन तथा जांच प्रक्रिया, डीयूएस परीक्षण, परिशोधन, रिपोर्टिंग तथा किस्मों का विवरण, सामान्य संदर्भ की किस्मों का संकलन और डेटाबेस आदि।
- यह दल उपोव-बीएसए में अपनाई गई प्रक्रिया को ध्यान में रखकर क्रियाविधि विकसित करेगा तथा बीएसए के साथ परामर्श की सिफारिश करेगा।
- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण तथा एनबीए बीज उद्योग के साथ पारस्परिक चर्चा की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि एबीएस के बारे में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा सके और बीज क्षेत्र को नियंत्रित करने की विभिन्न विनियमनकारी क्रियाविधियां विकसित की जा सकें।
- डीयूएस प्रक्रिया में प्रजनकों को प्रशिक्षित करने के लिए हैदराबाद में एक संयुक्त कार्यशाला
 - यह कार्यशाला सितम्बर के अंत या अक्टूबर के आरंभ (2016) में हैदराबाद में आयोजित की जा सकती है (चावल, ज्वार और मक्का में), ताकि प्रजनकों को डीयूएस विवरणों, डेटाबेस, स्वचालीकरण तथा छाया विश्लेषण की रिकॉर्डिंग के बारे में प्रशिक्षण दिया जा सके; डीयूएस परीक्षण में अनुभवों को परस्पर बांटा जा सके।

- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी किस्म के 'तर्क संगत मूल्य' सहित किसानों के अधिकारों से जुड़े विभिन्न प्रावधानों की जांच के लिए एक समिति गठित कर सकता है।
- भू प्रजातियों के बहिर्स्थाने संरक्षण में युग्मविकल्पी आवर्तता के संदर्भ में आनुवंशिक समेकीकरण एवं विविधता के अध्ययन के लिए एनबीपीजीआर के वैज्ञानिकों का एक दौरा।
- नए प्रशिक्षण के लिए जननद्रव्य के मूल्यांकन व आनुवंशिक प्रवर्धन के साथ-साथ जैव-वर्गीकरण विज्ञानी अध्ययन हेतु सहयोग के लिए संभावना तलाशना, मूल्यांकन एवं संगरोध की क्रियाविधि।
- वर्ष 2016 के शरद मौसम के दौरान अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों पर एक दिवसीय द्विपक्षीय सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है।
- सामुदायिक बीज बैंकों के लिए सरकारी सहायता
- जर्मनी में मौजूद प्रणाली के अनुसार वीसीयू और डीयूएस परीक्षणों में सुचारूता लाई जानी चाहिए तथा भारत में बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों व बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन किया जाना चाहिए।
- बीज भंडारण, आण्विक नैदानिकी और बीज प्रबंध प्रणाली की लेखा परीक्षा में परिशुद्ध कृषि, आईपीएम, वहन करने योग्य प्रौद्योगिकियों में ज्ञान का सहयोग।

10.2.2 दिनांक 29–30 नवम्बर 2016 को द्विपक्षीय कार्यशाला

तृतीय भारत-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग कार्यशाला दिनांक 29-30 नवम्बर 2016 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, एनएएससी, नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह संयुक्त कार्यशाला पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली) द्वारा पादप सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विनिमय और चर्चा करने तथा भाग लेने वाले देशों के बीच संबंधों को सबल बनाने के लिए आयोजित की गई थी। इस बैठक में नीदरलैंड्स के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इसके अतिरिक्त इस बैठक में जर्मनी और नीदरलैंड के प्रतिनिधि, अनुसंधानकर्ता, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा. कृ.अ.प.), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), भा.कृ.अ.प.- डीयूएस केन्द्रों, निजी बीज उद्योगों के प्रतिनिधियों और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) ने भी भाग लिया।

इस दो दिवसीय कार्यशाला में पांच तकनीकी सत्र आयोजित किए गए जो विभिन्न पहलुओं जैसे पादप सुरक्षा, डीयूएस केन्द्र, ईडीवी, आईपीआर व पीपीवी और एफआर अधिनियम पर थे। अध्यक्ष, पीपीवी और एफआरए प्राधिकरण, प्रो. आर.आर. हंचिनाल ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया और सब का परस्पर परिचय कराया। उन्होंने एकत्रित जन-समूह को भारत-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के बारे में बताया जो कृषि के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए 2011 में आरंभ हुआ था और इसे 11 अप्रैल 2013 को संयुक्त सहयोग के रूप में घोषित किया गया था। वर्तमान सहयोग को दो और वर्षों का विस्तार प्रस्तावित करते हुए अध्यक्ष ने दोनों देशों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के गहनीकरण में रुचि तथा व्यापार के अवसर बढ़ाने पर अपना संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने नीदरलैंड के प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा त्रिपक्षीय सहयोग स्थापित करने, बीज क्षेत्र को सबल बनाने, व्यापार के अवसर उपलब्ध कराने और इन देशों के बीच

समृद्ध जननद्रव्य की विविधता के लाभों में साझेदारी करने में रूचि प्रदर्शित की। उन्होंने डीयूएस दिशानिर्देशों को सुचारु बनाने, पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा के लिए (उपोव) समझौते के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के वैधानिक व न्यायिक पहलुओं को समझने, भारत सरकार की उपोव का सदस्य बनने में रूचि होने तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत समझौता देशों के रूप में जर्मनी और नीदरलैंड्स को शामिल किए जाने से संबंधित मुद्दों भी उठाए। उपोव देशों का एक अंग बनने के लिए 1998 में भारत के द्वारा किए गए प्रस्ताव को याद करते हुए अध्यक्ष महोदय ने यह विचार व्यक्त किया कि इस प्रकार का ज्ञान का सहयोग अत्यधिक मूल्यवान है तथा इस पर इस बैठक में भली प्रकार चर्चा की जानी चाहिए।

श्री आर.के. सिंह, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 में सामान्य बातों पर सहयोग बनाने व उपोव समझौते के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहयोग नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए। उनका कहना था कि यह कार्यशाला अधिनियम के कृषकों के अधिकारों संबंधी पहलू पर और इसके साथ ही अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों (ईडीवी), उपोव और पीपीवी और एफआर अधिनियम के बीच क्रियाविधि में अंतर आदि के बारे में विचार-विमर्श करने का एक अच्छा मंच सिद्ध होगा।

डॉ. सिवन्ना, कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरु ने जन-समूह को सम्बोधित किया तथा बागवानी फसलों में डीयूएस परीक्षण प्रणाली में सुधार के लिए परस्पर सहयोग, क्षमता निर्माण और इसकी आवश्यकता के बारे में संक्षेप में बताया।

डॉ. नजीर अहमद, कुलपति, शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेएयूएसटी), श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर में भारतीय पारिस्थितिक प्रणालियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए जन-समूह को सम्बोधित किया तथा एसकेएयूएस और टी में उगाई जाने वाली फसलों (जो एक शीतोष्ण राज्य कृषि विश्वविद्यालय है) और जर्मनी तथा नीदरलैंड्स में उगाई जाने वाली फसलों की तुलना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत जो अनेक फसलों का वृहत केन्द्र है, यहां अनेक भू-प्रजातियां हैं तथा उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण और शीतोष्ण अंचलों में ये भू-प्रजातियां और जीनप्ररूप फैले हुए हैं। उन्होंने फल और वृक्ष फसलों के फील्ड जीन बैंक की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नेटवर्किंग, विचारों के आदान-प्रदान और ज्ञान की भागीदारी के लिए इस कार्यशाला को एक सक्षम मंच माना।

डॉ. मार्टिन एक्वाड, अध्यक्ष, कम्युनिटी प्लांट वेरायटी ऑफिस (सीपीवीओ), फ्रांस ने प्रतिभागियों को संक्षेप में यूरोपीय यूनियन (ईयू) में 40 वर्ष पुराने स्वतंत्र प्राधिकरण अर्थात् सीपीवीओ के बारे में बताया और सूचित किया कि यह कार्यालय विश्व भर में 28 देशों को पौधा किस्मों की सुरक्षा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे आशा करते हैं कि ईडीवी को किस प्रकार पीपीवी और एफआर अधिनियम में उचित रूप से समझा जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने पादप सुरक्षा की भारतीय प्रणाली के तकनीकी विवरण तथा व्यावसायिक पारस्परिक सम्पर्क विकसित करने के बारे में कार्यशाला के प्रतिभागियों को बताया।

डॉ. यूडो वान कोचर, अध्यक्ष, बुंडेसोर्टेनामेंट, जर्मनी ने वर्ष 2013 में द्विपक्षीय सहयोग के आरंभ होने से अब तक हुई उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने पादप सुरक्षा तथा भावी सहयोग को सबल बनाने हेतु युक्तियां

डिजाइन करने में भारत और यूरोपीय यूनियन प्रणाली के बीच सहयोग को सघन बनाने तथा सामान्यताओं और वैधानिक भेदों को पहचानने के प्रति रुचि प्रदर्शित की।

श्री जॉर्न ग्राजिंगर, औद्योगिक मामलों के परामर्शक, जर्मन दूतावास, नई दिल्ली ने बहुपक्षीय सहयोग में इस द्विपक्षीय सहयोग के निर्माण के बारे में प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया और यह सुझाव दिया कि आर्थिक सहयोग करने के लिए इस प्रकार की कार्यशालाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे देशों के बीच फलदायक विचार-विनिमय होता है तथा भारत और जर्मनी, दोनों देशों में बीज कंपनियों की स्थापना में मदद मिलती है।

डॉ. टी. महापात्र, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) और महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत, द नीदरलैंड्स और जर्मनी के बीच त्रिपक्षीय सहयोग शुरू करने के लिए उपस्थित जनों को प्रोत्साहित किया और कहा कि पौधा किस्मों की विशिष्टताओं के वर्णन के लिए वैज्ञानिक युक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए और प्रक्रिया की आलोचनात्मक समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्यशाला में चर्चा के माध्यम से हम डीयूएस और वीसीयू परीक्षणों में और सुधार कर सकेंगे, ईडीवी के मूल्यांकन में कमी वाले क्षेत्रों को उजागर कर सकेंगे, आण्विक-डीयूएस विवरणों की पहचान कर सकेंगे आदि। उन्होंने आण्विक मार्करों के उपयोग पर बल दिया क्योंकि ये विकसित किस्मों में गुणों से संबंधित अनोखे मार्करों की पहचान करने व उनकी छंटाई करने में एक कारगर, सशक्त और सटीक प्रणाली सिद्ध हो सकते हैं। उनका यह भी विचार था कि हमें उन अनसुलझे विषयों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें चार भागों में बांटा जा सकता है : डीयूएस विवरण (डीयूएस विवरणों को प्रभावित करने वाले जातिवृत्तीय पक्ष, दो देशों में उगी एक किस्म की तुलना करने के लिए विवरणों की पहचान, डीयूएस परीक्षण में आण्विक मार्करों के उपयोग की संभावना तलाशना, विशिष्ट गुणों के लिए आण्विक मार्करों की पहचान और संदर्भ संकलनों का रखरखाव); बीज नैदानिकी को सुचारु बनाना (बीज की गुणवत्ता, शुद्धता, जीवन क्षमता व निधानी आयु आदि का मूल्यांकन) और देश में उपलब्ध बीज भंडारण की सुविधाएं; देशों के बीच पादप सामग्री का आदान-प्रदान (पादप सामग्री के विनिमय में शामिल न्यायिक प्रणालियों के वैधानिक पहलू और गतिकी, देशों के बीच पादप सामग्री के आदान-प्रदान के संगरोध संबंधी पहलू और नई पादप किस्मों को किसी अन्य देश में लाने पर वहां की पारिस्थितिक प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन); उपोव में भारत की सदस्यता (अंतर्राष्ट्रीय संधियों की मांग, वैधानिक प्रणालियों को बिना कोई क्षति पहुंचाए पारस्परिक संबंधों के लिए रास्ता निकालना, यूरोपीय यूनियन के साथ सहयोग बनाने के नए पहलुओं की जांच करना, संबंधित देशों के किसानों व औद्योगिक स्तर पर इसका प्रभाव तथा सहयोग के निर्माण में आने वाली बाधाएं और चिंताएं)।

डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अध्यक्ष को धन्यवाद दिया तथा टी. महापात्र का कार्यशाला के अवसरों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने हेतु प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए आभार व्यक्त किया। क्योंकि इससे डीयूएस प्रणाली में सुधार के लिए नए दिशानिर्देश ढूंढना संभव हुआ है, उपोव के सामान्य पहलुओं का एकीकरण हुआ है तथा भावी कार्य योजना को तैयार करने में पीपीवी और एफआर अधिनियम तथा उपोव के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिली है। उन्होंने श्री आर.के. सिंह, संयुक्त सचिव को मंत्रालय से सहायता प्राप्त कराने, डॉ. मिश्रा और डॉ. कीस जो बीज उद्योग के प्रतिनिधि थे तथा अन्य हितधारकों को इस कार्यशाला के लिए अपना अमूल्य समय

देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कार्यशाला के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह द्विपक्षीय सहयोग बहुपक्षीय सहयोग में परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते कि इसे इस द्वि-दिवसीय कार्यशाला में हुई चर्चा के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने प्रतिभागियों को डीयूएस विवरणों के मार्कर के रूप में उपयोग करने, डीयूएस दिशानिर्देशों को सुचारू बनाने, ईडीवी के पंजीकरण से संबंधित चिंताओं को दूर करने, समझौता वाले देशों की संकल्पना को समझने, उपोव की सदस्यता व बीज क्षेत्र के हितधारकों की भूमिका के बारे में चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि द्विपक्षीय सहयोग अत्यधिक प्रगामी रहा है और द नीदरलैंड्स के साथ तीसरी बैठक का आयोजन व्यापक पहलू में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।

उपरोक्त के आधार पर जर्मनी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निम्नलिखित मुख्य सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया। संक्षेप में ये सिफारिशें नीचे दी जा रही हैं।

- समझौता देशों के दृष्टिकोणों के बारे में विस्तार से कार्य करने के लिए डीयूएस परीक्षण के संबंध में भारत और जर्मनी के बीच क्रियाविधि को सुचारू बनाने के मामले में अध्ययन के लिए एक कार्यदल गठित किया जाना चाहिए।
- पारस्परिक हितों की फसल प्रजातियों की पहचान करने, डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को सुचारू बनाने, क्रियाविधियों को लागू करने व उनकी जांच करने, डीयूएस परीक्षण, मानकीकरण, प्रतिवेदन तैयार करने और किस्मगत विवरण, सामान्य संदर्भ किस्मों के संकलन और डेटाबेस आदि के लिए भी एक कार्यदल गठित किया जाना चाहिए। यह दल बीएसए के परामर्श से उपोव-बीएसए में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि को ध्यान में रखते हुए तकनीकें/प्रणाली विकसित करेगा।
- चावल, ज्वार और मक्का प्रजनकों को डीयूएस क्रियाविधि, डीयूएस विवरणों की रिकॉर्डिंग, डेटाबेस स्वचालीकरण और छाया विश्लेषण तथा डीयूएस परीक्षण में अनुभव की साझेदारी हेतु प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 2016 के सितम्बर के अंत और अक्टूबर के आरंभ में हैदराबाद में एक संयुक्त कार्यशाला प्रस्तावित है।
- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत की गई किस्मों के 'तर्क संगत मूल्य' सहित कृषकों के अधिकार पर पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 में उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों की जांच के लिए एक समिति गठित करेगा।
- वर्ष 2016 के सर्दियों के मौसम के दौरान अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म पर एक द्विपक्षीय सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है।
- जर्मनी में विद्यमान प्रणाली के अनुसार वीसीयू और डीयूएस परीक्षण को सुचारू बनाया जा सकता है।
- परिशुद्ध खेती, समेकित नाशीजीव प्रबंध या आईपीएम, बीज भंडारण में वहनीय प्रौद्योगिकियों, आण्विक नैदानिकी तथा बीज प्रबंध प्रणाली की लेखापरीक्षा में ज्ञान का सहयोग किया जाना चाहिए।
- डीयूएस विशेषज्ञों के जर्मनी दौरे में डीयूएस परीक्षणों में प्रशिक्षा के लिए भारत के आलू विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सकता है।

- आपसी हितों की फसलों की महत्वपूर्ण संदर्भ किस्मों के बारे में भारत के पीपीवी और एफआर प्राधिकरण तथा जर्मनी के बीएसए के बीच सूचना की साझेदारी की जा सकती है।
- विद्यमान पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के ढांचे में हम उपोव के संस्थापक सदस्यों और उपोव के अधिकारियों से संवाद के लिए कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं तथा उपोव की सदस्यता के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

10.3 जर्मन प्रतिनिधि मंडल के लिए फील्ड दौरों की व्यवस्था

दिनांक 23–24 मई 2016 को आयोजित कार्यशाला के पश्चात् पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने 25 और 26 मई 2016 को जर्मन प्रतिनिधि मंडल के शिमला में फील्ड दौरों की व्यवस्था की। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं महा पंजीकार मशोबरा, हिमाचल प्रदेश में फील्ड जीन बैंक के दौरे के दौरान जर्मन प्रतिनिधि मंडल के साथ थे। कुलपति, डॉ. वाई.एस. परमार, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन ने प्रतिनिधि मंडल को कृषि विज्ञान केन्द्र, कंडाघाट का दौरा कराया। डॉ. एस.के. चक्रवर्ती, निदेशक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान तथा अन्य वैज्ञानिकों ने केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में आलू और सब्जियों में अनुसंधान एवं विकास, डीयूएस परीक्षण तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के बारे में प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की। आलू के डीयूएस परीक्षण देखने के लिए केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के कुफरी स्थित केन्द्र का दौरा भी आयोजित किया गया।

दिनांक 27–28 मई 2016 को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु का भी एक अन्य फील्ड दौरा आयोजित किया गया। अध्यक्ष ने जर्मन प्रतिनिधि मंडल के साथ भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु का दौरा किया तथा बागवानी फसलों में डीयूएस परीक्षण के बारे में चर्चा की। इस दौरे के दौरान निजी बीज उद्योगों के साथ एक चर्चा भी आयोजित की गई।

अध्याय 11 : प्राधिकरण के वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरण सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), लागू अधिदेशित लेखा मानकों (एएस) जो भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए हैं और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीजीए) द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों की प्रासंगिक प्रस्तुतीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। प्राधिकरण जब तक अन्यथा उल्लेख न हो व्यय तथा आय की सभी मदों के संदर्भ में लेखाकरण की संभूति प्रणाली का पालन करता है। 31 मार्च 2017 को तुलन-पत्र, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय के लेखे तथा प्राप्तियों और अदायगियों के लेखे संलग्न हैं। लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा लेखापरीक्षित लेखे तथा प्रबंधन के उत्तर पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की नई दिल्ली में हुई बैठक में अनुमोदित किए गए।

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 62(2) के अनुपालन में प्राधिकरण के लेखे भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक को प्रस्तुत किए गए। सीजीए द्वारा लेखापरीक्षा अभी की जानी है। लेखापरीक्षित लेखे तथा लेखापरीक्षा की रिपोर्ट तथा प्रबंधन संबंधी उत्तर मंत्रालय को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए अलग से भेजे जाएंगे। वर्ष 2016-17 के दौरान प्राधिकरण को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग से 1975.00 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई जिसमें से 1886.90 लाख रुपये की अनुदान राशि का उपयोग हुआ तथा पिछले वर्ष की गैर खर्च हुई 7.38 लाख रुपये को समायोजित करने के पश्चात् 95.40 लाख रुपये शेष बचे।

सारणी : 31 मार्च 2017 को तुलन-पत्र

कॉर्पस/पूंजी निधि तथा देयताएं	चालू वर्ष (राशि रुपये में)	पिछले वर्ष (राशि रुपये में)
कॉर्पस/पूंजी निधि	402,074,246	285,360,795
आरक्षित राशि और अतिरिक्त राशि	-	-
निर्धारित/स्थायी निधि	-	-
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	-	-
आगे खिसकाई गई ऋण देयताएं	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	123,527,750	152,845,257
परिसम्पत्तियां		
अचल परिसम्पत्तियां	30,025,715	29,977,679
घटाएं : संचयित मूल्यह्रास	24,983,197	24,139,774
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां	5,042,518	5,837,905
पूंजीगत कार्य में प्रगतियां	17,838,219	17,838,219
निवेश – निर्धारित/स्थायी निधियों से		-
निवेश – अन्य से		-

चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, पेशगियां आदि	502,721,259	414,529,928
फुटकर व्यय (जो बट्टे खाते में न डाली गई हों या समायोजित न की गई हो)		-
योग	525,601,996	438,206,052

सारणी : 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (राशि रुपयों में)

आय	प्राधिकरण निधि		जीन निधि	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष		चालू वर्ष
बिक्री/सेवाओं से हुई आय	-	-	-	-
अनुदान/सहायता	197,451,964	158,115,040	57,167,000	18,500,000
शुल्क/चंदा	19,532,600	29,849,800	4,722,123	7,665,296
निवेशों से हुई आय	-	-	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	-	-	-	-
अर्जित ब्याज	22,411,926	14,288,012	985	2,311,840
अन्य आय	656,856	601,581	2,805,487	-
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (गिरावट) और चालू कार्य	-	-	-	-
आस्थगित आय (अचल सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास)	843,422	1,213,294	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध क)	-	5,543,859	-	1,304,000
कुल (क)	240,896,768	209,611,585	64,695,595	29,781,136
व्यय				
स्थापना व्यय	91,228,598	49,152,403	-	-
अन्य प्रशासनिक आय आदि	20,047,710	45,415,679	15,636,572	-
अनुदान, चंदों आदि पर हुआ व्यय	58,308,868	49,460,328	-	-
ब्याज	17,783	10,985	633	630
मूलह्रास (अनुसूची 8 से सम्बद्ध वर्ष के अंत में निवल योग)	843,422	1,213,294	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध-क)	1,999,941	-	-	-
योग (ख)	172,446,322	145,252,689	15,637,205	630
व्यय की तुलना में आय घटाकर शेष राशि (क-ख)	68,450,446	64,358,897	49,058,391	29,780,506
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्रत्येक को अलग-अलग बताएं)	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधि को/से हस्तांतरण	-	-	-	-
कॉर्पस/पूंजी निधि तक ले जाई गई शेष अतिरिक्त राशि (अंतर)	68,450,446	64,358,897	49,058,391	29,780,506

सारणी : वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं अदायगियां (राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगियां	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. आदिशेष			1. व्यय		
क) उच्चंत (मौजूद नकद राशि)	22,815	44,593	स्थापना व्यय	19,920,282	20,167,178
ख) बैंक में शेष			प्रशासनिक व्यय	39,142,253	21,506,248
भारतीय स्टेट बैंक	52,271,445	64,978,652			
सिंडिकेट बैंक	32,976,805	7,453,097	2. निधियों के विरुद्ध किए गए भुगतान		
लेन-देन में वापसी	-	19,630	क) विद्यमान डीयूएस केन्द्र	47,131,161	39,179,207
एसबीआई (जीन निधि)	52,161,780	24,157,718	ख) नए डीयूएस केन्द्र	11,225,966	21,516,314
गुवहाटी बैंक	32,433	19,910	ग) संदर्भ प्रयोगशालाएं	-	-
रांची बैंक	26,086	3,024	घ) फील्ड जीन बैंक	3,524,952	3,113,386
घटाएं : स्वीप शेष (निवल)	(127,740,142)	-			
भारतीय स्टेट बैंक-5,87,53,190					
सिंडिकेट बैंक-2,72,93,143					
एसबीआई (जीन निधि)-4,16,93,809					
2. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	197,500,000	158,544,000	3. अचल सम्पत्तियों व प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय		
			क) अचल सम्पत्तियों	48,036	428,960

3. बैंक में जमा राशि से प्राप्त ब्याज						की खरीद (प्राधिकरण)		
जीन निधि	-	1,858,911				ख) पूंजीगत कार्य में प्रगति पर व्यय	-	-
प्राधिकरण निधि (शाखाओं सहित)	14,633,296	6,853,854				4. प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशगी	17,712,267	27,998,875
प्राधिकरण निजी मियादी जमा पर अर्जित ब्याज 81,96,643								
सीपीएफ जमा राशि पर ब्याज 10,313						5. बाहरी एजेंसियों को पेशगी	1,101,075	978,591
बचत खाते पर ब्याज (सिंडिकेट बैंक) 5,79,100								
स्वीप पर ब्याज (एसबीआई) 38,53,395						6. फ्रैंकिंग मशीन की पुनः भरपाई	100,000	250,000
स्वीप पर ब्याज (सिंडिकेट बैंक) 19,93,845								
6. पूंजीगत लेखा (प्राधिकरण निधि)	-	210,000				7. जीन निधि को योगदान	57,167,000	18,500,000
7. प्रशिक्षण केन्द्रों से पेशगी की वापसी	313,411	444,293				9. स्टाफ को पेशगी	1,307,562	1,017,900
8. डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए पेशगी की वापसी (नया डीयूएस केन्द्र)	163,141	304,783				10. वित्त प्रभार	17,945	11,729
9. स्टाफ से पेशगी की वापसी	608,939	219,197				11. बैंक द्वारा टीडीएस की कटौती	199,483	-
10 फिल्ड जीन बैंक से पेशगी की वापसी	351,181	-				12. मियादी जमा - (सीपीएफ)	356,000	-
11. संदर्भ किस्मों के रखरखाव से पेशगी की वापसी	148,050	-				13. आवर्ती जमा - (सीपीएफ)	297,000	-
12. संदर्भ प्रयोगशालाओं से पेशगी	1,000,000	-				12. मियादी जमा	-	131,650,000

13. डीयूएस परीक्षण व पंजीकरण शुल्क के विरुद्ध पेशगी की वापसी	285,600	-	12. रद्द हो चुके डिमांड ड्राफ्ट की वापसी		
14. शुल्क / अंशदान/अन्य आय आवेदन / पंजीकरण शुल्क	10,141,600	15,304,600	जीन निधि प्राधिकरण निधि	-	863,279
पीवीजे अंशदान शुल्क	107,500	141,600	13. भुगतान की विधिक देयताएं	5,356,830	4,210,718
आपत्ति के नोटिस के लिए शुल्क	10,000	-			
वार्षिक शुल्क (बीजों की बिक्री से प्राप्त हिससेदारी सहित)- जीन निधि	4,722,123	8,792,574	अन्य वापसी	37,560	218,520
वार्षिक शुल्क - प्राधिकरण डीयूएस परीक्षण शुल्क	-	8,000			
	8,278,500	12,430,000	17. अंत शेष		
वार्षिक नकदीकरण शुल्क	722,000	1,821,000	क) उच्चत (वर्तमान में नकद राशि) प्राधिकरण	25,819	25,000
आरंभिक शुल्क	273,000	5,000	रांची शाखा	52	52
वार्षिक विवरणी फॉर्म	2,805,487	-	गुवहाटी शाखा	767	767
अन्य आय	600	155,961	ख) बैंक में शेष राशि (एमओडी सहित)		
प्रकाशनों की बिक्री 600			(i) भारतीय स्टेट बैंक	25,340,939	52,271,445
पुराने समाचार-पत्रों रद्दी की बिक्री	29,486	2,908	(ii) सिंडिकेट बैंक	40,484,983	32,976,805
आरटीआई (310+60)	370	-	(iii) एसबीआई (जीन)	65,009,845	52,161,780
काटे गए टीडीएस की वापसी	81,077	52,242			

बैंक द्वारा दिया गया अतिरिक्त ऋण	-	224,608	निधि)		
प्राधकरण निधि से योगदान	57,167,000	18,500,000	(iv) गुवहाटी बैंक	32,433	32,433
पूर्वाधि लेखा	-	20,996	(v) रांची बैंक	26,086	26,086
11. स्वीप का नकदीकरण - एसबीआई	155,849,395	-	स्वीप का सृजन- एसबीआई	207,403,000	-
12. स्वीप का नकदीकरण -एसबीआई- जीन	9,970,473	-	स्वीप का सृजन - एसबीआई- जीन	21,970,000	-
13. स्वीप का नकदीकरण- सिडिकेट बैंक	363,775	-	स्वीप का सृजन - सिडिकेट बैंक	45,159,000	-
11. मियादी जमा का नकदीकरण		-			
सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	63,754,768	106,421,975			
इलाहाबाद बैंक	70,408,303	-			
12. सीपीएफ आवर्ती जमा	658,000	144,000			
13. निरस्त हुए चैकों की वापसी	-	38,557			
कुल	610,098,297	429,175,683	कुल	610,098,297	429,175,683

अध्याय 12 :नागरिक आचार संहिता

पाधिकरण का परिदृश्य

पौधा किस्मों, कृषकों के अधिकारों तथा पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली सुनिश्चित करना।

प्राधिकरण के उद्देश्य

- पौधा किस्मों और कृषक के अधिकारों, पादप प्रजनकों व अनुसंधानकर्ताओं की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करना।
- अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ावा देने तथा नई किस्मों के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए पादप प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा।
- पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार व उन्हें उपलब्ध कराने के लिए किसानों के योगदानों को मान्यता प्रदान करना।
- किसानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण बीजों तथा रोपण सामग्री का उत्पादन व उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बीज उद्योग की वृद्धि में सुविधा प्रदान करना।

प्राधिकरण के कार्य

- कृषकों और पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना।
- परंपरागत बीज के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक और बहुवार्षिक फसलों के लिए फील्ड जीन बैंक की स्थापना।
- पौधों की नई और विद्यमान किस्मों का पंजीकरण
- पंजीकृत पौधा किस्मों के गुणों का निर्धारण व उनका प्रलेखन
- कृषक किस्मों का प्रलेखन, सूचीकरण और सूची पत्रकरण
- पौधों की सभी किस्मों के लिए अनिवार्य सूचीपत्रकरण की सुविधा
- यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध हों और यदि आवश्यकता हो तो अनिवार्य लाइसेंस उपलब्ध कराना।
- पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव सुनिश्चित करना।
- पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग को सहायता देने तथा इस प्रकार का संरक्षण करने के लिए पंचायतों की क्षमता निर्माण व टिकाऊ उपयोग तथा लाभ में भागीदारी से संबंधित स्कीमों के व्यय के साथ-साथ पणधारियों को क्षतिपूर्ति के लिए दी जाने वाली राशि पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए जीन निधि का उपयोग।

पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की सुरक्षा एक अनूठा विषय है जिसमें विविध क्रियाकलाप पहले व हितधारक शामिल हैं। पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित स्टेकहोल्डर हैं, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, कृषि विश्वविद्यालयों सहित अनुसंधान संगठन, बीज उद्योग, स्वयं सेवी संगठन और इन सबसे बढ़कर आदिवासी कृषक समुदायों सहित सभी किसान।

प्रदान की गई सेवाएं

- कृषकों, अनुसंधानकर्ताओं/पादप प्रजनकों द्वारा प्रजनित पौधों की किस्मों को पौधा किस्म पंजीकरण के रूप में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) की सुरक्षा प्रदान करना।
- पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव जिसमें पौधा किस्मों तथा संबंधित प्रजनकों के अधिकारों का उल्लेख हो।
- यदि कोई पंजीकृत किस्म उस प्रकार निष्पादन नहीं करती है, जिसका दावा प्रजनकों द्वारा किया गया है तो किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना।
- समुदायों/किसानों को पादप आनुवंशिक संसाधनों के योगदान/साझीदारी के लिए लाभ में भागीदारी।
- पीपीवी और एफआर अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पौधा प्रजनकों तथा किसानों के अधिकारों के लिए जागरूकता का सृजन व क्षमता का निर्माण।
- स्टेकहोल्डरों को पौधा किस्मों का डेटाबेस उपलब्ध कराना।
- आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार तथा परिरक्षण में लगे किसानों, कृषक समुदायों, विशेष रूप से आदिम जाति और ग्रामीण समुदायों को सहायता प्रदान करना व पुरस्कृत करना।

शिकायत के निपटारे की क्रियाविधि

महा पंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, जन-शिकायतों के निपटान के लिए पद-नामित अधिकारी हैं और शिकायतें निम्न पते पर भेजी जा सकती हैं :

डॉ. आर. सी. अग्रवाल

महा पंजीकार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के निकट
नई दिल्ली- 110 012

फोन - 011-25843316, फैक्स : 011-25840478

ई-मेल : ppvfra-agri@nic.in

www.plantauthority.gov.in

मुख्य जन-सूचना अधिकारी, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के पंजीकार को आरटीआई अपीलें निपटाने का दायित्व सौंपा गया है। उनसे आरटीआई कोष्ठ में सम्पर्क किया जा सकता है।

डॉ. रवि प्रकाश

मुख्य जन सूचना अधिकारी

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के निकट
नई दिल्ली- 110 012

फोन - 011-25843853

ई-मेल : prakash.ravi@nic.in

अनुबंध

अनुबंध-I: प्राधिकरण के सदस्य

डॉ. आर.आर. हंचिनाल

अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के निकट

नई दिल्ली- 110 012

फोन - 011-25843316,

ई-मेल : chairperson-ppvfra@nicin

सदस्य (पदेन):

1. श्री आर.के. सिंह (आईएस)

संयुक्त सचिव (बीज)

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001

टेलीफैक्स: 91-11-23381503

ई-मेल: jsseeds-agri@nic.in

2. डॉ. एस.के. मल्होत्रा

कृषि आयुक्त

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001

टेलीफैक्स- 91-11-23383549

ई-मेल: ag.comm@nic.in

3. डॉ. जे.एस. संघु

उप महानिदेशक (फसल विज्ञान)

फसल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिशद,

भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001

दूरभाष : 91-11-23382545

ई-मेल: ddgcs.icar@nic.in

4. बागवानी आयुक्त

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग,

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 238

कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001

टेलीफैक्स: 91-11-23381012

5. डॉ. कुलदीप सिंह

निदेशक

राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो,

पूसा, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली-110 012

दूरभाष: 91-11-25843697

ई-मेल: director.nbpgr@icar.gov.in, kuldeep.singh4@icar.gov.in

6. डॉ. मोहम्मद असलम

सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी'

जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

कमरा नं. 809, 8वां तल, ब्लॉक-2, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003

टेलीफैक्स: 91-11-24363057

ई-मेल: aslam@dbt.nic.in

7. डॉ. सुजाता अरोड़ा

सलाहकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
कमरा नं. वी-235, इंदिरा पर्यावरण भवन
जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110 003
फोन : +91-11-23384162
ई-मेल: sujata@nic.in

8. श्री इन्दर कुमार

संयुक्त सचिव (विधि)
विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
दूरभाष : +91-11-23381494

9. श्री बिहारी लाल शर्मा

कार्यकारी निदेशक
टिकाऊ युवा विकास
बी-2, एम.सी. कार पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर, हिमाचल प्रदेश उच्चन्यायालय के समीप
शिमला-171 001
दूरभाष : +91-9418014280, +91-117-72811155
ई-मेल: bihariysd@gmail.com

10. श्री अरुणा कुमार वी.के.

निदेशक
कृषि प्रयोग परिवार
कृषि निवास, कुरुवल्ली, थिरुहल्ली
शिमो जिला, कर्नाटक-577 432
दूरभाष : +91-9449623275
ई-मेल: aruna_kpp@yahoo.com

11. श्री एम. प्रभाकर राव

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
नुजीवीडु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
एनएसएल ऑफॉन, चौथा तल, आईसीआईसीआई बैंक के पीछे, रोड नं. 12,
बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना-500 034
दूरभाष: +91-40-30514444, +91-40-30514214
ई-मेल: mprmd@nslindia.com

12. डॉ. आर. सी. श्रीवास्तव, कुलपति

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
पूसा, समस्तीपुर-848 125
दूरभाष: +91-6274-240226
ई-मेल: vcraupusa@gmail.com

13. डॉ. निक्की कुमारी हेमब्रॉम

एमआईजी 52, हनुमान नगर, कंकरबाग, पटना- 800 020
ई-मेल: drnikkik@gmail.com

14. प्रधान सचिव (कृषि)

मध्य प्रदेश सरकार
कमरा नं. 83, वल्लभभवन, भोपाल- 462 004
दूरभाष : +91-9987109898
ई-मेल: pse.agri@maharashtra.gov.in

15. प्रधान सचिव (कृषि)

मंत्रालय, मुख्य भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई- 400 032
दूरभाष: +91-7552559542
ई-मेल: psagriculture@mp.gov.in

सदस्य-सचिव (पदेन) :

डॉ. आर.सी. अग्रवाल

महा पंजीकार
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के निकट
नई दिल्ली- 110 012
फोन - 011-25843316,
ई-मेल : rg-ppvfra@nic.in

अनुबंध-II : पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के मानव संसाधनों का विवरण

पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	रिक्त पद
अध्यक्ष	80,000 निर्धारित	1	.
महा पंजीकार	67,000 - 79,000	1	-
पंजीकार	37,400 - 67,000 + GP 8700/-	3	2
वित्तीय सलाहकार	37,400 - 67,000 + GP 8700/-	1	-
संयुक्त पंजीकार-I	15,600 - 39,100 + GP 7600/-		-
संयुक्त पंजीकार-II	15,600 - 39,100 + GP 7600/-	2	-
विधि सलाहकार-I	15,600 - 39,100 + GP 6600/-		-
विधि सलाहकार-II	15,600 - 39,100 + GP 6600/-	2	-
उप पंजीकार	15,600 - 39,100 + GP 6600/-	3	2
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	9300 - 34,800 + GP 4600/-	3	2
तकनीकी सहायक	9300 - 34,800 + GP 4200/-	1	-
कम्प्यूटर सहायक	9300 - 34,800 + GP 4200/-	6	2

अनुबंध III: वर्ष 2016–17 के दौरान नए डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई राशि का विवरण

सारणी : वर्ष 2016–17 के दौरान नए डीयूएस केन्द्रों को जारी की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	नए डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	जारी की गई राशि (रुपये में)
1	आईजीएफआरआई, झांसी	जई, गिनी घास	100,000
2	बीएयू साबौर, भागलपुर	अनाज, दलहन तथा सब्जियां	165,000
3	आईएफजीटीबी, कोयम्बटूर	सागौन	400,000
4	सीआईएएच, बीकानेर	आंवला	203,945
5	सीआईएएच, बीकानेर	चिरौंजी और ईमली	123,790
6	सीआईएसएच, लखनऊ (बेल)	बेल	255,800
7	राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर	लीची व अमरुद	275,000
8	सीआईएएच, बीकानेर	बेल	190,267
9	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	विलो	288,298
10	आईआईएचआर, बंगलुरु	गेंदा	444,000
11	एसएचयूएटीएस, इलाहाबाद	—	450,000
12	आईसीएआर— यूनिट, सीटीआरआई, रजामुंदरी		450,000
13	एसकेयूएसटी—के, श्रीनगर	मक्का	450,000
14	केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, कर्नाटक	कॉफी	450,000
15	यूएस, धारवाड़	लोबिया	450,000
16	सीपीसीआरआई, कर्नाटक	सुपारी	450,000
17	बीएसकेकेवी, दपोली	कोकम	450,000
18	सीआईएएच, बीकानेर	खजूर	270,823
19	सीआईएएच, बीकानेर	जामुन	256,744
20	काजरी, जोधपुर	कुलथी, मोथ, ग्वार फली और चटरी	491,656

21	सीआईएसएच, लखनऊ	आंवला	420,466
22	सीआईएसएच, लखनऊ	जामुन	473,556
23	सीएआरआई, पोर्ट ब्लेयर	मूंग, उड़द, लोबिया और अरहर	646,000
24	डॉ. बी.एस. कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, दपोली	जायफल	345,633
25	यूएसएस, धारवाड़	कुलथी, मोथ, ग्वार फली और चटरी	566,028
26	भा.कृ.अ.सं., सब्जी विज्ञान संभाग, नई दिल्ली	मूली तथा गाजर	423,960
27	भा.कृ.अ.सं., फल एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी संभाग, नई दिल्ली	नींबू तथा चकोतरा	900,000
28	आईआईएचआर, बंगलुरु	—	85,000
29	उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	कटहल	300,000
30	बीएसकेकेवी, दपोली	अनाज, दलहन तथा सब्जियां	450,000
कुल			11,225,966

अनुबंध IV: वर्ष 2016-17 के दौरान विद्यमान डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई राशि का विवरण

सारणी : वर्ष 2016-17 के दौरान विद्यमान डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	जारी की गई राशि (रुपये में)
1	डीटीआर एवं डीसीटीबी, कुर्सियोंग	चाय	100,000
2	केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	शकरकंदी एवं कसावा	50,000
3	सीआईटीएच, श्रीनगर	आड़ू और आलूबुखारा	450,000
4	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	परवल	64,449
5	आईआईपीआर, कानपुर	अरहर	132,965
6	आईआईएचआर, बंगलुरु	चमेली	100,000
7	सीआईएसएच, लखनऊ	आम	559,836
8	आरएआरआई, दुर्गापुर, जयपुर	जौ	70,000
9	सीआईएएच, बीकानेर	तरबूज और खरबूजा	417,405
10	आईएआरआई, नई दिल्ली	गुलाब एवं गुलदाउदी	300,000
11	यूएस, बंगलुरु	चावल	143,847
12	एसकेएनएयू, जोबनेर	जौ	70,000
13	सीएसएयू और टी, कानपुर	अलसी	273,151
14	सीआईएमएपी, लखनऊ	औषधीय पौधे	312,500
15	सीआईएएच, बीकानेर	बेर	203,461
16	आईएआरआई, नई दिल्ली	लौकी	284,760
17	आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई	बंदगोभी व फूलगोभी	258,036
18	आईआईएचआर, बंगलुरु	आम	300,000
19	एनआरसीबी, ट्रिक्की	केला	300,000
20	सीआईटीएच, श्रीनगर	स्ट्राबेरी	400,000
21	सीएआरआई, पोर्ट ब्लेयर	नोनी	220,143
22	टीएनएयू, कोयम्बटूर	चमेली	450,000
23	मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़	मूंगफली	417,481
24	आईएआरआई, नई दिल्ली	मिर्च	628,843
25	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	ऑर्किड	287,500
26	जेएनकेवीवी, जबलपुर	सेम और तिल	374,163
27	आईआईएचआर, बंगलुरु	तरबूज और खरबूजा	253,456
28	केन्द्रीय कोशकृमिपालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर	शहतूत	275,000
29	जेएयू, जामनगर	अरण्ड	368,000
30	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	चिनार	779,560
31	गन्ना प्रजनन संस्थान, अगाली	गन्ना	425,586
32	आईएफजीटीबी, कोयम्बटूर	नीलगिरी और कैसुरीना	475,294

33	आईआईएचआर, बंगलुरु	चौलाई, पालक और तुरई	71,657
34	एनआरसीएसएस, अजमेर	बीज मसाले	567,823
35	एएयू, जोरहट	चावल	434,614
36	आईएआरआई, नई दिल्ली	गेंदा	582,991
37	वीपीकेएस, अल्मोडा	राजमा, सोयाबीन और मक्का	616,422
38	डीओजीआर, राजगुरुनगर	प्याज और लहसुन	377,690
39	एनआरसी, सिक्किम	ऑर्किड	414,79
40	एनआरसीपी, शोलापुर	अनार	859,960
41	आईएआरआई, नई दिल्ली	प्याज एवं लहसुन	536,068
42	आईआईएसआर, लखनऊ	गन्ना	592,363
43	आईआईएचआर, बंगलुरु	पान	464,711
44	सीएसएयू और टी, कानपुर	सरसों एवं गेहूं	578,312
45	आईआईएसआर, कालीकट	मसाले	555,220
46	डीएसआर, इंदौर	सोयाबीन	559,113
47	आईआईपीआर, कानपुर	मूंग, उड़द, मसूर, राजमा और सब्जी मटर	465,696
48	आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल	चावल	475,294
49	गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	गन्ना	393,738
50	आईजीकेवी, रायपुर	वृद्धि परीक्षण (चावल)	733,170
51	गन्ना प्रजनन संस्थान, करनाल	गन्ना	582,716
52	आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल	जौ	640,162
53	डीआरएमआर, भरतपुर	तोरिया और सरसों	452,052
54	आईआईएचआर, बंगलुरु	मिर्च	1,284,120
55	राएयू बीकानेर – मंदौर एआईसीपीएमआईपी, जोधपुर	बाजरा	544,206
56	पीएयू, लुधियाना	जई, लोबिया और गिनी घास	533,874
57	केन्द्रीय कंदीय फसलें अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	सूरन और कचालू	913,441
58	सीआरआरआई, कटक	चावल	531,233
59	पीडीकेवी, अकोला	चना और अरहर	300,000
60	आईएआरआई, नई दिल्ली	चौलाई, पालक और तुरई	795,640
61	डीएमपीआर, आनंद	औषधीय एवं सगंधीय पौधे	882,953
62	सीसीएसएचएयू, हिसार	कपास और चना	442,859
63	आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर	गेहूं	644,500
64	सीपीआरआई, शिमला	आलू	702,400
65	एनईएच क्षेत्र, बारापानी	चावल	595,145
66	आईएआरआई, नई दिल्ली	बंदगोभी और फूलगोभी	200,000
67	जेटीएसएयू, हैदराबाद		908,43
68	आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल	गेहूं	1,175,000
69	टीएनएयू, कोयम्बटूर	चावल, सूरजमुखी और मूंगफली	792,198
70	आईआईएमआर, हैदराबाद	मोटे अनाज	1,063,100
71	सीआरआईजेएफआर, बैरकपुर एवं सीएसआरएस, बुदबुद	पटसन	716,115
72	एमपीकेवी, राहुड़ी	कपास	412,201
73	आईआईओआर- आईसीएआर, हैदराबाद	सूरजमुखी, अरण्ड और कुसुम	1,022,957

74	सीपीसीआरआई, केरल	नारियल	528,949
75	यूएस, बंगलुरु	गौण अनाज	950,000
76	सीआईएसएच, लखनऊ	अमरुद व लीची	472,766
77	आईआईपीआर, कानपुर	चना और अरहर	982,448
78	एमपीकेवी, राहुड़ी	ज्वार, बाजरा	945,862
79	आईआईएचआर, बंगलुरु	सब्जी	1,224,000
80	यूएस, धारवाड़	कपास, सोयाबीन, मूंगफली और सेम	984,545
81	आईआईएचआर, बंगलुरु	गुलाब और गुलदाउदी	989,796
82	आईआईआरआर, हैदराबाद	चावल	1,067,897
83	आईआईएमआर, नई दिल्ली	मक्का	2,170,514
84	सीआईसीआर, कोयम्बटूर	कपास	825,125
85	सीआईसीआर, नागपुर	कपास	944,887
86	एचवीआर, वाराणसी	भिण्डी, बैंगन, टमाटर, बंदगोभी और फूलगोभी	224,000
कुल			47,131,161

अनुबंध V: वर्ष 2016–17 के दौरान फील्ड जीन बैंक/जीन बैंक को जारी की गई राशि का विवरण

वर्ष 2016–17 के दौरान फील्ड जीन बैंक/जीन बैंक को जारी की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	जारी की गई राशि (रुपये में)
1	बीएयू रांची	1,000,000
2	डॉ. बालासाहेब कोंकण कृषि विद्यापीठ	705,069
3	काजरी	375,000
4	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	565,951
5	एनबीपीजीआर	878,932
कुल		3,524,952

अनुबंध VI: वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता

तालिका : वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान जारी
1	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर (सीएयू)	80,000
2	चौधरी एस.के.के. विश्वविद्यालय, पालमपुर	400,000
3	पीवीकेएएस, अल्मोड़ा	53,767
4	काजू अनुसंधान निदेशालय, दक्षिण कन्नड़	80,000
5	आईआईएचआर, बंगलुरु (136/15)	80,000
6	एमएसएसआरएफ, चैन्नई	80,000
7	अनुसंधान एसएचआईएटीएस इलाहाबाद (136/15)	80,000
8	आईएआरआई, नई दिल्ली	120,000
9	राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिक्किम	80,000
10	पीएयू, लुधियाना	20,000
11	पीडीकेवी, अकोला	80,000
12	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय - अंचल-VIII बंगलुरु	1,840,000
13	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय - भा.कृ.अ.प.अंचल-I लुधियाना, पंजाब	720,000
14	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय - भा.कृ.अ.प. अंचल-II कोलकाता, प. बंगाल	2,560,000
15	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय - भा.कृ.अ.प. अंचल-III बाड़ापानी, मेघालय	1,680,000
16	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय - भा.कृ.अ.प. अंचल-IV, कानपुर, उत्तर प्रदेश	1,520,000
17	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय - भा.कृ.अ.प. अंचल-V हैदराबाद	1,520,000
18	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय - भा.कृ.अ.प. अंचल-VI जोधपुर	1,280,000
19	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय - भा.कृ.अ.प. अंचल-VII जबलपुर	3,600,000
20	अध्यक्ष, जेएसएस महाविद्यापीठ, मैसूर (सुत्तूर)	80,000
21	नागालैंड विश्वविद्यालय, जुनहेबोतो	80,000
22	केएसआर प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, तिरुचेंगोडे, तमिल नाडु	80,000
23	यूएएस, बंगलुरु	200,000
24	इंटरनेशनल एग्रीबायोवर्सिटी कांग्रेस- 2016	398,500
25	सुपारी एवं मसाले विकास निदेशालय, कालीकट	80,000
26	अंडमान साइंस एसोसिएशन- भा.कृ.अ.प.-सीआईएआर, पोर्ट ब्लेयर	80,000
27	वनस्पति विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	80,000
28	एसआरएमआर कांफ्रेंस (आरटीजीएस)	80,000
29	बीएयू शिक्षा निदेशालय, साबौर, भागलपुर	160,000
30	भारतीय आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन सोसायटी	80,000
31	आईसीएआर यूनिट - आईआईएमआर हैदराबाद	80,000
32	मिजोरम विश्वविद्यालय	80,000
33	7वीं भारतीय बागवानी कांग्रेस 2016	80,000
34	पादप अनुसंधान सोसायटी, मेरठ	100,000
35	भारत प्रकाशन दिल्ली लिमिटेड	100,000
कुल		17,712,267

अनुबंध VII : वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त कृषक किस्मों की सूची

फसल	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	दिल्ली	गोवा	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर	नागालैंड	तेलंगाना	उत्तर प्रदेश	उत्तराखण्ड	पश्चिम बंगाल	कुल
नींबू	-	-	10	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
बादाम	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
सेब	-	-	1	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
खुबानी	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
बेल	-	-	7	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
केला	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
जौ	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	21
बार्नयार्ड मिलेट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	33
शिमला मिर्च	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
करेला	-	-	6	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	13
उड़द	1	1	13	-	-	-	4	-	44	-	-	49	-	-	-	-	-	-	4	116
काली मिर्च	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
लौकी	-	-	20	-	-	-	-	-	10	-	-	25	-	-	-	-	-	-	6	63
बैंगन	-	-	50	-	-	-	-	-	21	-	-	7	-	-	-	-	1	-	-	95
बंदगोभी	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
अरण्ड	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9

फसल	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	दिल्ली	गोवा	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर	नागालैंड	तेलंगाना	उत्तर प्रदेश	उत्तराखण्ड	पश्चिम बंगाल	कुल
फूलगोभी	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7
चेरी	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
चना	-	4	5	-	-	-	-	-	13	-	-	31	-	-	-	-	-	-	2	55
मिर्च	-	-	13	-	1	-	-	-	14	-	-	2	-	1	-	-	-	-	5	36
नारियल	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
धानिया	-	5	15	-	-	-	1	-	7	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	37
गुलदाउदी	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
खीरा	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	8	21
शरीफा	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	8
द्विगुणित कपास	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
कठिया गेहूँ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5
मेथी	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	8
मटर	-	3	7	-	-	-	-	1	10	-	-	50	-	1	-	-	1	-	2	75
रागी	-	-	1	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
कंगनी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	9	-	-	-	-	22
लहसुन	-	-	1	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
अदरक	-	-	4	-	-	-	-	-	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13
ग्लोडियोलस	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
अंगूर	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	7
मूंग	1	4	6	-	-	-	-	-	8	1	-	12	-	-	-	-	-	-	4	36
मूंगफली	-	-	3	-	-	-	-	-	19	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	28
बेर	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

फसल	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	दिल्ली	गोवा	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर	नागालैंड	तेलंगाना	उत्तर प्रदेश	उत्तराखण्ड	पश्चिम बंगाल	कुल
भारतीय सरसों (करन राई)	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
भारतीय सरसों (सरसों)	-	1	2	-	-	1	2	-	20	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	28
ईसबगोल	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
जामुन	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
चमेली	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
पटसन	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
राजमा	-	2	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	10
कोदो	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	97
मसूर	-	2	4	-	-	-	-	-	12	-	-	13	-	-	-	-	-	-	2	33
अलसी	-	6	4	-	-	-	-	-	11	-	-	19	-	-	-	-	-	-	1	41
लघु मोटे अनाज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	78
मक्का	-	1	12	-	-	-	4	-	50	-	-	125	1	-	6	-	-	-	1	200
आम	-	1	2	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	15
गेंदा	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
पुदीना	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
खरबूजा	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
नीम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
जायफल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	7	-	-	-	-	-	-	15
भिण्डी	-	-	14	-	-	-	-	-	6	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	29
प्याज	-	-	3	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
ऑर्किड	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

फसल	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	दिल्ली	गोवा	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर	नागालैंड	तेलंगाना	उत्तर प्रदेश	उत्तराखण्ड	पश्चिम बंगाल	कुल
पपीता	-	-	7	-	-	-	-	-	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16
आड़ू	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
नाशपाती	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
बाजरा	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
अरहर	-	3	16	-	-	-	-	-	48	-	-	84	1	-	-	-	4	-	4	160
अनार	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
आलू	-	-	4	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	13
कद्दू	-	-	21	-	-	-	-	-	15	-	-	2	-	-	1	-	-	-	8	47
तोरिया (गोभी सरसों)	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
तोरिया	1	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	22
चावल	25	41	100	-	-	-	3	-	395	-	-	390	2	2	7	-	2	2	16	985
तुरई	-	2	22	-	-	-	-	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	33
गुलाब	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
तिल	-	1	4	-	-	-	-	-	15	-	-	28	-	-	-	-	-	-	9	57
ज्वार	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	44	-	-	-	1	-	-	-	50
सोयाबीन	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	13	-	-	1	-	-	-	-	17
गन्ना	-	-	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	10
सूरजमुखी	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
नारंगी	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
टमाटर	-	-	9	-	-	-	-	-	10	-	-	6	-	-	-	-	-	-	2	27
हल्दी	-	2	5	-	-	-	-	-	33	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	44

फसल	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	दिल्ली	गोवा	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर	नागालैंड	तेलंगाना	उत्तर प्रदेश	उत्तराखण्ड	पश्चिम बंगाल	कुल
सब्जी चौलाई	-	-	7	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10
अखरोट	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
तरबूज	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
गेहूँ	-	3	3	-	-	-	5	-	19	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	72
कुल योग	30	84	462	1	1	1	25	65	974	5	4	1224	15	9	24	1	10	2	104	3041

अनुबंध VIII : पंजीकरण के अंतर्गत फसलें

क्र.सं.	फसलें	वानस्पतिक नाम
1.	खट्टा	सिट्रस औरैन्टिफोलिया स्वीगल
2.	बादाम	प्रूनस डलिसस (मिल.) डी.ए. वैब
3.	सेब	मैलोस्डो मेस्टिका बॉर्ख
4.	खुबानी	प्रूनस आर्मोनियाका एल.
5.	बेल	एइग्ले मार्मेलोस (एल.) कोरिया
6.	केला	म्यूसा प्रजाति
7.	जौ	होर्डैयम वल्गोरे एल.
8.	बार्नियार्ड मिलेट	इकीनोक्लोआ फ्रमंटेसेई (रॉक्सब.) लिंक
9.	पान	पाइपर बेटल एल.
10.	करेला	मोमोरिडिका चामर्स एवं एल.
11.	काली मिर्च	पाइपर नाइग्रम एल.
12.	लोकी / घिया	लेगेनेरियासी सेरारिया (मोल) स्टैन्ड.
13.	बोगनविलिया	बोगनविलिया कॉम. एक्स जस
14.	ब्राहमी	बैकोपा मोनिएरी एल. पैनेल
15.	चपाती गेहूँ	ट्रिटिकम एस्टिवम एल.
16.	बैंगन	सोलेनम मैलोनोना एल.
17.	बंदगोभी	ब्रैसिका ओलेरेसिया वैर. कैपिटटा एल.
18.	केली	केन्ना एल.
19.	कार्नेशन	डाइएथस कैरियोफिलस एल.
20.	अरंड	रेसिनस कम्युनिस एल.
21.	जंगली सरु	कैसुरियाना क्यूसिट्रोलिया एल.
22.	जंगली सरु	कैसुरियाना फगुनिकोसो मिक.
23.	फूलगोभी	ब्रैसिका ओलेरेसिया एल. वैर. बोटाइटिस
24.	चेरी	प्रूनस सेवियम एल.
25.	चना	साइसर एरिटिनम एल.
26.	मिर्च, शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च	कैप्सीकम एनम एल.
27.	चाइना एस्टर	कैलिस्टेफस चाइनेसिस (एल.) नीस.
28.	चीड़	पाइनस रॉक्सबर्धी सर्जेन्ट
29.	गुलदाउदी	क्राइसैथेमम एल.
30.	नारियल	कोकस न्यूसिफेरा एल.
31.	कुटू	फैगोफाइरम एस्कूलेंटम
32.	धनिया	कारिएण्ड्रम सटाइवम एल.
33.	खीरा	क्यूक्यूमिस सटाइवस एल.
34.	शरीफा	एनोना स्क्वामोसा एल.
35.	दमस्क गुलाब	रोसा डेमासेना मिल.
36.	देवदार	सैड्रस देवदारा (रॉक्सब.) जी. डॉन
37.	डाइकोकम गेहूँ	ट्रिटिकम डाइकोकम एल.
38.	द्विगुणित कपास	गोसिपियम बोरियम एल.
39.	द्विगुणित कपास	गोसिपियम हार्बेरियम एल.

40.	कठिया गेहूँ	ट्रिटिकम ड्यूरम डैस्फ.
41.	जीमीकंद	एमोरफोफैलस पायोनीफोलस
42.	सफेदा	यूकेलिप्टस कोमालडुलेसिस देहम्ब
43.	सफेदा	यूकेलिप्टस टेरेटिकोनिस् एसएम
44.	बाकला	विसिया फाबा एल.
45.	मेथी	पूनस डल्सिस (मिल.) डी.ए. वैब
46.	दाल मटर	पाइसम सटाइवम एल.
47.	रागी	एल्यूसीन कोराकाना (एल.) गेइर्टन
48.	कँगनी	सेटारिया इटालिक (एल.) ब्यूव
49.	लहसुन	एलियम सटाइवम एल.
50.	तारो	क्रिस्टोस्पर्मा कैमिशनिस/सी. मर्कुसी
51.	अदरक	जिङ्गीबेरा ओफिसिनेली रॉस्क
52.	ग्लेडिओलस	क्यूक्यूमिस मेलो एल.
53.	गोभी सरसों	ब्रैसिका नैपस एल.
54.	अंगूर	विटिस प्रजाति
55.	मूंगफली	एरेकिस हाइपोगेई एल.
56.	अमरूद	सिडियम गावाजावा एल.
57.	करौदा	एम्बलिका ओफिसिनेलिस गेइर्टन.
58.	बेर	जिजिफस मौरिटियाना लैम्क
59.	सरसों	ब्रैसिका जुंसिया एल. सीजर्न एवं कॉस
60.	ईसबगोल	प्लाटागो ओवाटा फोस्क
61.	जामुन	सीजीयम क्यूमिनी (एल.) स्कील्स
62.	जापानी आलूचा	पूनस सेलिसिना एल.
63.	चमेली	जैसमिनम ओरिकुलेटम एल.
64.	चमेली	जैसमिनम मल्टीपलोरम एल.
65.	चमेली	जैसमिनम सैम्बेक एल.
66.	रतनजोत	जट्रोफा कर्कासप एल.
67.	पटसन	कार्कारस ओलिटोरिस एल.
68.	पटसन	कार्कारस कैप्सुलेरिस एल.
69.	कालमेघ	एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा (बर्म एफ.) वाल. एक्स नीस
70.	राई	ब्रैसिका कैरिनाटा ए. ब्रॉन
71.	करंज	पोनगोमिया पिनाटा (एल.) पियरे.
72.	राजमा	फैसियोलस वल्गेरिस एल.
73.	कोदों	पास्पलम स्कोर्बीकुलेटम एल.
74.	मसूर	लैस क्यूलीनेरिस मैडिक
75.	अलसी	लिनुमसिटा टिसिमम एल.
76.	लीची	लीची चाइनेसिस सोन.
77.	लिटल मिलेट	पेनिकम सुमार्ट्रेस रोथ. एक्स. रोइमेर एवं स्कल्टेस
78.	मक्का	जी मेज एल.
79.	नारंगी	सिट्रस रेटिकुलेटे ब्लांको
80.	आम	मैंगीफेरा इंडिका एल.
81.	गेंदा	टैगेटस प्रजाति एल.
82.	पुदीना	मैथा आर्वेन्सिस एल.

83.	शहतूत	मोरस प्रजाति
84.	मूंग	विग्ना रेडिएटा (एल.) विल्कजैक
85.	खरबूजा	क्यूक्यूमिस मैल्ड एल.
86.	नीम	एजाडिरेक्टा इंडिका ए. जस.
87.	नौनी	मोरिंडा सिट्रिफोलिया एल.
88.	जायफल	मिरिस्टिका फ्रैगरेस हाउट.
89.	भिंडी	एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस (एल.) मोयंक
90.	प्याज	एलियम सेपा एल.
91.	ओर्किड	कैटलेया लिंड्ल.
92.	ओर्किड	फैलियोनोप्सिस ब्लूम
93.	ओर्किड	ऑसिडियम एसडब्ल्यू
94.	ओर्किड	पैफियोपैण्डुलस फिट्ज़
95.	ओर्किड	वांडा
96.	ओर्किड	डेंड्रोबियम
97.	ओर्किड	सिम्बिडियम
98.	अन्य ट्रिटिकम प्रजातियाँ	ट्रिटिकम प्रजातियाँ
99.	पपीता	कैरिका पपाया एल.
100.	आड़ू	प्रूनस पर्सिका एल. बैट्सच
101.	नाशपाती	पायरेस कम्युनिस एल.
102.	बाजरा	पेनीसेटम ग्लाउकम (एल.) आर.बीआर.
103.	सदाबहार	कैथारेंथस सोसियस एल. जी डॉन
104.	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) मिल्स्प
105.	अनार	पुनिका ग्रैनेटम एल.
106.	आलू	सोलेनम ट्यूबेरोसम एल.
107.	प्रोसो मिलेट	पैनिकम मेलियासियम एल.
108.	सीताफल	कुकुरबिटा मॉस्केटा डच.एक्स पेयर
109.		एमेरेंथस हाइपोकोड्रिकस
110.	राजगीरा (दानों का राजा) या	एमेरेंथस क्रूपेंटस
111.	रामदाना (भगवान राम का	एमेरेंथस काउडेटस
112.	दाना)	एमेरेंथस इडुलिस
113.	तोरिया	ब्रैसिका रैपा एल.
114.	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.
115.	तुरई	लुफा ओक्योटेंगुला (एल.) रॉक्सब.
116.	गुलाब	रोसा प्रजातिआर. डेमासेना से भिन्न
117.	कुसुम	हैलियंथस एनस एल.
118.	तिल	सेसामम इंडिकम एल.
119.	छोटी इलाइची	एलिटेरिया कार्डमोमम माटन
120.	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक
121.	सोयाबीन	ग्लाइसीन मैक्स (एल.) मैरिल
122.	चुकुंदर	बीटा वल्गेरिस वेर. बेंगालेंसिस रॉक्सब.
123.	स्ट्राबेरी	फ्रैगोरिया x एनानासन डच.
124.	गन्ना	सैक्रम एल.

125.	सूरजमुखी	कार्थेमस टिक्टोरियस एल.
126.	मौसमी	सिट्रस सिनेंसिस (एल.) ओस्बैक
127.	तारो	कोलोकोसिया एस्कुलेंटा
128.	तातार/कडुआ कुटू	फागोपायरम तातारिकम
129.	चाय	कैमेलिया सिनेंसिस
130.	चाय	कैमेलिया ऐसेमिका
131.	चाय	सी. एसेमिकास प्लासियोकैलिकस
132.	चर्तुगुणित कपास	गोसिपियम हिर्सुटम एल.
133.	चर्तुगुणित कपास	गोसिपियम बार्बेडेस एल.
134.	टमाटर	लाइकोपर्सिकन लाइकोपर्सिकम (एल.) कस्टर्न एक्स. फर्व.
135.	रजनीगंधा	पोलिएंथस ट्यूबरोस एल.
136.	हल्दी	करक्यूमा लोंगा एल.
137.	उड़द	विग्ना मुंगो (एल.) हैप्पर
138.	सब्जी चौलाई	एमेरेंथस ट्राइकलर (एल.)
139.	अखरोट	जुगलांस रेगिया एल.
140.	तरबूज	सिट्रल्स लैटेंस (थुनी) मैस्फ

अनुबंध IX : वर्ष 2016-17 के दौरान जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	नाम	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
1	2016 का 125	एचपीडब्ल्यू 249 (अस्मी)	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	नई
2	2016 का 126	एमआरडीसी 223	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
3	2016 का 127	आरसीएचबी 708 बीटी	रासी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
4	2016 का 128	पीएमएस 28ए	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
5	2016 का 129	पीएमएस 28 बी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
6	2016 का 130	धनिया	फूल सिंह	कृषक
7	2016 का 131	कुदई वझही	पूर्वी उझावर मांद्रोम	कृषक
8	2016 का 132	कावनी	कुलीपिरई उझावर मांद्रोम	कृषक
9	2016 का 133	करुंग कुरवई	संघाई उझावर मांद्रोम	कृषक
10	2016 का 134	जीरागा साम्बा	संघाई उझावर मांद्रोम	कृषक
11	2016 का 135	बिंदली	ग्राम पंचायत हरिपुरा	कृषक
12	2016 का 136	सादा झुली	डॉ. देबल देब	कृषक
13	2016 का 137	एसआर-1	सुंडा राम वर्मा	कृषक
14	2016 का 138	मोहिनी	ग्राम पंचायत पारसोली	कृषक
15	2016 का 139	एमआरडीसी 222	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
16	2016 का 140	आईजी 7806	मोनसेंटो इंडिया लिमिटेड	नई
17	2016 का 141	एनएस-222	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
18	2016 का 142	आरसीएच 111 बीटी	रासी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
19	2016 का 143	निर्मल-2 (एनटीएल-2)	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
20	2016 का 144	गुडा महाराता	बुलु गोडा	कृषक
21	2016 का 145	इकछुप्पी	हिमाद्रि नायक	कृषक
22	2016 का 146	भांगर	अजय कुमार मोहपात्रा	कृषक
23	2016 का 147	नौपाड़ा सिनापली पुआगी	मनुला माझी	कृषक
24	2016 का 148	देवगढ़ - मयूरकंठा	बृजमोहन साहू (बी)	कृषक

25	2016	का	149	भूटिया	दुसा मुंडा	कृषक
26	2016	का	150	कांधा भुटा	बिशु प्रसाद राउत	कृषक
27	2016	का	151	गादाकाटी	सुनाधर दलाई	कृषक
28	2016	का	152	ककुदिया	प्रदीप कु माझी	कृषक
29	2016	का	153	असम चुड़ी	त्रिनाथ बेमल	कृषक
30	2016	का	154	खाखरिया	सोम पंचायत	कृषक
31	2016	का	155	मेईन सरसों	सोनाराम बेदिया	कृषक
32	2016	का	156	सी/एमएसी- 23	अंकुर सीड्स प्रा. लि.	नई
33	2016	का	157	अम्बिका (एनएसीएच- 12)	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
34	2016	का	158	एसवी- 385	मै. शक्ति वर्धक हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
35	2016	का	159	एमआईएम- 603	मोनसेंटो इंडिया लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
36	2016	का	160	एमआईएम - 103	मोनसेंटो इंडिया लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
37	2016	का	161	सूर्यतेज (एसएसएफएच- 41)	सफल सीड्स एंड बायोटेक लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
38	2016	का	162	एमआईएम 312	मोनसेंटो इंडिया लिमिटेड	नई
39	2016	का	163	27पी 31	पायनियर ओवरसीस कारपोरेशन	नई
40	2016	का	164	अगिया साल	सुदर्शन साई पाणिकारा	कृषक
41	2016	का	165	केंडूमुदी-1	मंगलू गुप्ता	कृषक
42	2016	का	166	90 नम्बर	सुदर्शन साई पाणिकारा	कृषक
43	2016	का	167	कालिया लेंडी	सुकलधर माधी	कृषक
44	2016	का	168	मल्कान गिरि- महाराजपाली - असम चुड़ी	मुता सुदी	कृषक
45	2016	का	169	मल्कानगिरि- झारापल्ली- रत्नचुड़ी	देबराज पदयामिनी	कृषक
46	2016	का	170	झुल्पा	देवा मदकामी	कृषक
47	2016	का	171	बंसी लोकल	सुरेन्द्र कुमार	कृषक
48	2016	का	172	कार्तिक	ज्योति प्रशाद बरूआ	कृषक
49	2016	का	173	जैंग जारियाह	ज्योति प्रसाद बरूआ	कृषक
50	2016	का	174	स्वेताश्री	ज्योति प्रसाद बरूआ	कृषक

51	2016	का	175	साकेत सरसों	श्याम चन्द्र लाला	कृषक
52	2016	का	176	धोरामुद्रिया	मोहनलाल	कृषक
53	2016	का	177	गोपाल भोग	मोहनलाल	कृषक
54	2016	का	178	पटनिया झुली	मोहनलाल	कृषक
55	2016	का	179	पानबुदी (गोइंडी)	सुदरर्शन साई पाणिकारा	कृषक
56	2016	का	180	करहानी सरदेगा	सुदरर्शन साई पाणिकारा	कृषक
57	2016	का	181	काजली बूंदे	अंगद प्रधान	कृषक
58	2016	का	182	सुरेन्द्रो	अंगद प्रधान	कृषक
59	2016	का	183	लुचई	मोहनलाल	कृषक
60	2016	का	184	कनक महसुरी	उंगा कोबासी	कृषक
61	2016	का	185	तिपोया	सत्य देव सिंह	कृषक
62	2016	का	186	शीतला उपहार (डीवीआर-1)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
63	2016	का	187	शीतला ज्योति (डीवीआर-2)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
64	2016	का	188	एसवीजी- 04-2440	मैसर्स शक्ति वर्धक हाइब्रिड सीड्स प्रा.लि.	नई
65	2016	का	189	एसवी-202	मैसर्स शक्ति वर्धक हाइब्रिड सीड्स प्रा	नई
66	2016	का	190	एसवी-318	मैसर्स शक्ति वर्धक हाइब्रिड सीड्स प्रा	नई
67	2016	का	191	एसवीएच-8	मैसर्स शक्ति वर्धक हाइब्रिड सीड्स प्रा	नई
68	2016	का	192	एसवीजी-04-75	मैसर्स शक्ति वर्धक हाइब्रिड सीड्स प्रा	नई
69	2016	का	193	एसवी- 200	मैसर्स शक्ति वर्धक हाइब्रिड सीड्स प्रा	नई
70	2016	का	194	एमएचटीएम 256	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
71	2016	का	195	एसवी- 45	मैसर्स शक्ति वर्धक हाइब्रिड सीड्स प्रा.लि.	नई
72	2016	का	196	एकेयूएल-बाल	संकर साहनी	कृषक
73	2016	का	197	तेवान धान	चतुर बेदिया	कृषक
74	2016	का	198	बाराबाली	दशरथ बेदिया	कृषक
75	2016	का	199	नेता कलानी	गंडुरा ओरॉन	कृषक
76	2016	का	200	बगेरी सोना	सुभाष कुमार	कृषक

77	2016	का	201	सफेद ललक	एलाद बेदिया	कृषक
78	2016	का	202	लौहोंची (देहाती)	त्रिभुवन मुंडा	कृषक
79	2016	का	203	सिंदूर साल	चतुर बेदिया	कृषक
80	2016	का	204	दिगम्बर धान 1	दिगम्बर बेदिया	कृषक
81	2016	का	205	तुलसी मंजर	सितु ओरॉन	कृषक
82	2016	का	206	छोटा धनिया	सितु ओरॉन	कृषक
83	2016	का	207	बोगा	मेहंदी हसन	कृषक
84	2016	का	208	दुध कंडार	अशोक कुमार सिंह	कृषक
85	2016	का	209	डमरू बाबा 3	बबिता गार्गी	कृषक
86	2016	का	210	कारी जीरा (सोनाचुर)	अशोक कुमार सिंह	कृषक
87	2016	का	211	बरहबाली	सोनाराम बेदिया	कृषक
88	2016	का	212	हद्रसाल धान	सोनाराम बेदिया	कृषक
89	2016	का	213	भजना बाबा- 6	कुलमति देवी	कृषक
90	2016	का	214	केसर जवांफूल	वल्लन सिंह केसर	कृषक
91	2016	का	215	बचाकोमला (देहाती)	त्रिभुवन मुंडा	कृषक
92	2016	का	216	गोडा	झारी बेदिया	कृषक
93	2016	का	217	कोधा फूल	सुहेरिया बेदिया	कृषक
94	2016	का	218	झुली	दुर्गा च. भोई	कृषक
95	2016	का	219	तिलासर	अशोक कुमार सिंह	कृषक
96	2016	का	220	गुदिका बाबा	सुगनी गार्गी	कृषक
97	2016	का	221	जारली बाबा	गंगल सिंह केरई	कृषक
98	2016	का	222	जीरा बाबा	सूर्यमणि गगराई	कृषक
99	2016	का	223	बालमसर	सितु ओरॉन	कृषक
100	2016	का	224	केपीएच-199	कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड	नई
101	2016	का	225	मंदाकिनी (ओआर)	उडीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	नई
102	2016	का	226	केपीएच-371	कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड	नई
103	2016	का	227	करन-2 (सीओ 0118)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
104	2016	का	228	लूना संखी (आईईटी 21237)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई

105	2016	का	229	प्रताप क्यूपीएम हाइब्रिड-1 (ईएचक्यू- 16)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
106	2016	का	230	एलएजी 32-81 (युवाराज गोल्ड)	बिस्को बायोसाइंसिस प्राइवेट लिमिटेड	नई
107	2016	का	231	एनपी-124-8 (आईईटी-22110)	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	नई
108	2016	का	232	गणगौर (जीएनजी-1581)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
109	2016	का	233	एनपी-209 (आईईटी 2225)	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	नई
110	2016	का	234	सीएसवी 26 (एसपीवी-1829)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
111	2016	का	235	बीएच-1576 (डीएचएम-111)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
112	2016	का	246	पूसा प्राची (एचआई 1563)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
113	2016	का	237	फुले धनवंतरी (आरएचएआरबी.02-1)	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ	नई
114	2016	का	238	बायो 605	डीसीएम श्रीराम लिमिटेड	नई
115	2016	का	239	एनएमएच-290	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	नई
116	2016	का	240	एनएमएच- 803	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	नई
117	2016	का	241	पंत संकर मक्का-1	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
118	2016	का	242	पीएमएच-5 (जेएच 3110)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
119	2016	का	243	फुले अनमोल (आरएसी 024)	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ	नई
120	2016	का	244	पी 1864 (एक्स8एफ 984)	पॉयनियर ओवरसीस कारपोरेशन	नई
121	2016	का	245	पीकेवी काबुली-4	डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ	नई
122	2016	का	246	जेआरओएम-1 (प्रदीप)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
123	2016	का	247	एचएम-12 (एचकेएच 313)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	छमू
124	2016	का	248	जेआरसीएम-2 (पार्थो)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
125	2016	का	249	विवेक मेज हाइब्रिड-45 (एफएच 3483)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
126	2016	का	250	डीएचएम 119 (बीएच 4062)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
127	2016	का	251	बिस्को x 1 (बिस्को 506)	बिस्को बायोसाइंसिस प्राइवेट लिमिटेड	नई
128	2016	का	252	सीआर धान 701 (आईईटी 20852) सीआरएचआर 32	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
129	2016	का	253	केएमएच-25के45 (2700) (बम्पर)	कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड	नई

130	2016	का	254	पी3522 (एक्स35ए019)	पॉयनियर ओवरसीस कारपोरेशन	नई
131	2016	का	255	सीआर धान 601 (आईईटी 18558)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
132	2016	का	256	एनपी 218 (आईईटी 22218)	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	नई
133	2016	का	257	इंदम 200-017 (आईईटी-20419)	इंडो-अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स (I) प्रा.लि.	नई
134	2016	का	258	एनपीएच 924-1 (आईईटी-21255)	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	नई
135	2016	का	259	पंत संकुल मक्का-' 3 (डी 131)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
136	2016	का	260	सीओ 0403	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
137	2016	का	261	करन 9(सीओ 05011)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
138	2016	का	262	सीओ 0237	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
139	2016	का	263	सोनल (नं. 3114) (आईईटी 18299)	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	नई
140	2016	का	264	निर्मल-2530 (एनटीएच-2530)	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
141	2016	का	265	जे 1061	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड	नई
142	2016	का	266	आरसीएच 2 बीटी	रासी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
143	2016	का	267	निर्मल 2257 (एनटीएच-2257)	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
144	2016	का	268	राजेश्वरी (फुले- टी-0012)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
145	2016	का	269	सीएसएच-27 (एसपीएच-1644)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
146	2016	का	270	एनपी 107-5 (आईईटी 22753)	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	नई
147	2016	का	271	सीएसएच 30 (एसपीएच 1655)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
148	2016	का	272	लुना बरियाल (आईईटी 19472)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
149	2016	का	273	एचक्यूपीएम-4	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
150	2016	का	274	पूसा हाइब्रिड-20 (डीबीएचएल-20)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
151	2016	का	275	केडीएमएच- 017	कृषि धन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	नई
152	2016	का	276	डीबीडब्ल्यू 88	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
153	2016	का	277	बायो 10107 I	डीसीएम श्रीराम लिमिटेड	नई

154	2016	का	278	बजौरा मक्का (एल 201 कम्पोजिट)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
155	2016	का	279	पीएमएच 6 (जेएच 31292)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
156	2016	का	280	सीओ 6	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
157	2016	का	281	सीएसवी 27 (एसपीवी-1870)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
158	2016	का	282	मोतीगोल्ड (एनपी 1024)	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	नई
159	2016	का	283	इंदिरा एरोबिक (आर1570-2649-1-1546-1) (आईईटी 21686)	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	नई
160	2016	का	284	बीएच-1620 (डीएचएम 113)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
161	2016	का	285	आस्था गोल्ड	संदीप गोयल	नई
162	2016	का	286	भोजना बाब : एच-4	मजेन्द्र हेम्ब्रम	कृषक
163	2016	का	287	कोया-4	नीलमणि गगरै	कृषक
164	2016	का	288	गादुर सेला	धरोहर समिति	कृषक
165	2016	का	289	भुरसी धान	धरोहर समिति	कृषक
166	2016	का	290	दोकरा मेचा	धरोहर समिति	कृषक
167	2016	का	291	कदम फूल	धरोहर समिति	कृषक
168	2016	का	292	कुंदई दाती	धरोहर समिति	कृषक
169	2016	का	293	भाटा मोकदो	धरोहर समिति	कृषक
170	2016	का	294	रानी काजर	धरोहर समिति	कृषक
171	2016	का	295	मेहर धान	धरोहर समिति	कृषक
172	2016	का	296	बोदी	धरोहर समिति	कृषक
173	2016	का	297	लोकाटी माही	धरोहर समिति	कृषक
174	2016	का	298	आल सागर	धरोहर समिति	कृषक
175	2016	का	299	सांदुर सिंगा	धरोहर समिति	कृषक
176	2016	का	300	काटा मेहर	धरोहर समिति	कृषक
177	2016	का	301	मुजानी धान	धरोहर समिति	कृषक
178	2016	का	302	रंजनी गंधा	तुलसी महतो	कृषक
179	2016	का	303	कोलहिन खोसा	भारत बेदिया	कृषक
180	2016	का	304	जी 4568960	मोनसेंटो होल्डिंग्स प्राइवेट	नई

						लिमिटेड	
181	2016	का	305	अर्का बोल्ड	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (वीसीके)	
182	2016	का	306	चौली बाबा	ज्वाला कोरा	कृषक	
183	2016	का	307	हरिखुंटा धान	शंकर बेदिया	कृषक	
184	2016	का	308	हाजरा खुटा	अंदू बेदिया	कृषक	
185	2016	का	309	सुगंधा	वीरेन्द्र कुमार चौरसिया	कृषक	
186	2016	का	310	लाल सीतासाल	गांडुरा ओरॉन	कृषक	
187	2016	का	311	धाधामैनी धान	झबुलाल कुम्हार	कृषक	
188	2016	का	312	तुलसी मुकुल	आनंद माझी	कृषक	
189	2016	का	313	नरदाह	अशोक कुमार सिंह	कृषक	
190	2016	का	314	देव धान	बुरुंगा ओरॉन	कृषक	
191	2016	का	315	सीता साल धान	करम बेदिया	कृषक	
192	2016	का	316	बरूम गोदा धान	तुलसी मेहतो	कृषक	
193	2016	का	317	जीरा भोग	कार्तिक मेहतो	कृषक	
194	2016	का	318	बायो 6488 बीजीआई	डीसीसी श्रीराम लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)	
195	2016	का	319	मेईपलेमिंग्यू	मोयरहेडम रोसिस एंड ट्रेडिंग इंडिया प्रा.लि.	विद्यमान (वीसीके)	
196	2016	का	320	बीए-1031	नीजुवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)	
197	2016	का	321	एफएन-9006	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)	
198	2016	का	322	केसीएच-36 बीजी II	कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड	नई	
199	2016	का	323	केसीएच-311 बीजी II	कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड	नई	
200	2016	का	324	जीएनएलसी-1	अंकुर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	नई	
201	2016	का	325	बीए-1003	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)	
202	2016	का	326	एनटीएफ 9011	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)	
203	2016	का	327	27पी63 (आईईटी 21832)	पायनियर ओवरसीस कारपोरेशन	विद्यमान (अधिसूचित)	
204	2016	का	328	कुफरी गरिमा (एमएस/99-1871)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई	
205	2016	का	329	सीओएच (एम) 7 (सीएमएच 08-287)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई	

206	2016	का	330	बीसीटी 3501	बायर बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
207	2016	का	331	रीता (आईईटी 19969)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
208	2016	का	332	सीओएच (एम) 10 (सीएमएच 08-433)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
209	2016	का	333	डीबीडब्ल्यू 90	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
210	2016	का	334	सीओएच (एम) 9 (सीएमएच 08-350)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
211	2016	का	335	सीओएच (एम) 8 (सीएमएच 08-292)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
212	2016	का	336	कुफरी गौरव (जेएक्स 576)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
213	2016	का	337	गुजरात जूनागढ़ ओकरा हाइब्रिड-3 (जीजेओएच'3) (जेओएच- 05-9)	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
214	2016	का	338	एमजीडी -101	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
215	2016	का	339	डीआरएच-775 (आईईटी 19741)	मेटाहेलिक्स लाइफ साइंसिस लिमिटेड	विद्यमान (अधिसूचित)
216	2016	का	340	एएयू ओजे-1 (तरुण)	असम कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
217	2016	का	341	भीमा किरन (एनआरसीओजी- 597)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
218	2016	का	342	भीमा रेड (केईएल-2)(बी-780-5-3-1)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
219	2016	का	343	वीएल सोया- 65	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
220	2016	का	344	एग्रीफाउंड पार्वती-2 (जी-408)	राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन	विद्यमान (अधिसूचित)
221	2016	का	345	यमुना सफेद-8 (जी-384)	राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन	विद्यमान (अधिसूचित)
222	2016	का	346	एनआरसी 86 (अहिल्या 6)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
223	2016	का	347	एसएल 525	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
224	2016	का	348	एसएल 688	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
225	2016	का	349	रतना (जीपीयू-48)	परियोजना समन्वयक (लघु मोटे अनाज)	विद्यमान (अधिसूचित)
226	2016	का	350	वीएल सोया 59	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
227	2016	का	351	काशी वरदान (वीआरओ 25)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)

228	2016	का	352	वीआर सोया 63	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
229	2016	का	353	एनटीएच-3031	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
230	2016	का	354	एचआर 411120आर	डीसीएम श्रीराम लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
231	2016	का	355	एसवी-22	मैसर्स शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स प्रा.लि.	नई
232	2016	का	356	प्रताप कंचन-2 (डब्ल्यूसी-236 (वाई)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
233	2016	का	357	एमएचटीएम 401	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
234	2016	का	358	केसीएच- 172 बीजी-II	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड	नई
235	2016	का	359	एसएलएफएच- 777	सुंग्रो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
236	2016	का	360	एमएचटीएम- 301	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
237	2016	का	361	पीएम80105आर	डीसीएम श्रीराम लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
238	2016	का	362	ओके-184	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	नई
239	2016	का	363	एनओकेएच- 1001	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	नई
240	2016	का	364	एनओकेएच-1004	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	नई
241	2016	का	365	ओके- 372	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	नई
242	2016	का	366	ओके-169	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	नई
243	2016	का	367	श्याम जीरा	संजय कुमार दास	कृषक
244	2016	का	368	पानीकुलांगारा ग्रीन बोल्ड नं.1	जॉय पीटर	कृषक
245	2016	का	369	पानीकुलांगारा ग्रीन बोल्ड नं.2	जॉय पीटर	कृषक
246	2016	का	370	इला (इलाराजन)	के.जे. बेन्नी	कृषक
247	2016	का	371	वंडर कार्डेमम	साबु वर्गीज़	कृषक
248	2016	का	372	थिरूथल्ली	टी.पी. जोसेफ	कृषक
249	2016	का	373	पैप्पर थैक्कन	टी.टी. थॉमस	कृषक
250	2016	का	374	अगाली पैप्पर	जॉर्ज कल्लुवैली वार्की	कृषक
251	2016	का	375	कुंभकल सलेक्शन	के.टी. वर्गीज़	कृषक
252	2016	का	376	पूसा गौतमी (एचडी 3086)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई

253	2016	का	377	डीडब्ल्यूआर 1006	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
254	2016	का	378	यूएस 347	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
255	2016	का	379	यूएस 446	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
256	2016	का	380	एनसी-62	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
257	2016	का	381	एनसी- 181	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
258	2016	का	382	ओके-199	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
259	2016	का	383	एनसी- 172	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
260	2016	का	384	एनसी - 91	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
261	2016	का	385	एनसी 1108	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
262	2016	का	386	एनसीएस- 9028 बीटी 2	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
263	2016	का	387	एनसी- 174	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
264	2016	का	388	एसी- 1207	एशियन एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
265	2016	का	389	पीसी - पी3812	प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
266	2016	का	390	एनसी 167	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
267	2016	का	391	एनसी 106	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
268	2016	का	392	एनसी 170	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
269	2016	का	393	एसओ7एच878 बीजी II	मोनसेंटो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
270	2016	का	394	एनसीएस 955 बीटी	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
271	2016	का	395	एनसी 1171	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
272	2016	का	396	पीसी पी711	प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
273	2016	का	397	एसी 1910	एशियन एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
274	2016	का	398	एनसी 185	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
275	2016	का	399	एनसी 113	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान

						(वीसीके)
276	2016	का	400	एनसी 47	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
277	2016	का	401	एनसी 90	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
278	2016	का	402	ओंकार बीटी (एनसीएस 950 बीटी)	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
279	2016	का	403	एनओकेएच 1003	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	नई
280	2016	का	404	एफएन 9003	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
281	2016	का	405	डीआई 62459	डीसीएम श्रीराम लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
282	2016	का	406	एलआर 62216	डीसीएम श्रीराम लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
283	2016	का	407	एमएसीएस 6478	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
284	2016	का	408	एफएन-9017	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
285	2016	का	409	एमएचओके-55	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
286	2016	का	410	यूएस 314 (आईईटी 21777)	सीड वर्क्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
287	2016	का	411	डीबीडब्ल्यू 107	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
288	2016	का	412	कावेरी राइस 4	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड	नई
289	2016	का	413	एनसीएस-9014 बीटी 2	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
290	2016	का	414	एनसी 156	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
291	2016	का	415	गुजरात मस्कमैलन-3 (जीएमएम-3)	आनंद कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
292	2016	का	416	आनंद बोटल गार्ड (एबीजी-1)	आनंद कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
293	2016	का	417	गुजरात कुकम्बर 1	आनंद कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
294	2016	का	418	गुजरात वेजिटेबल चीली-121 (एसीएस 97-2)	आनंद कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
295	2016	का	419	आनंद पम्पकिन-1 (एपी 1)	आनंद कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
296	2016	का	420	गुजरात वेजिटेबल चीली 101 (जीवीसी 101)	आनंद कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
297	2016	का	421	गुजरात आनंद ओकरा 5 (जीएओएस-5)	आनंद कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
298	2016	का	422	पूसा पछेती (एचडी 3059)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई

299	2016	का	423	एचडी 3090 (पूसा अमूल्य)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
300	2016	का	424	जीपीयू 67	परियोजना समन्वयक (लघु मोटे अनाज)	विद्यमान (अधिसूचित)
301	2016	का	425	काशी अगेती (वीआरपीई-25)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
302	2016	का	426	डीडब्ल्यूआरयूबी 52	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
303	2016	का	427	भीमा ओंकार (एसी 200)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
304	2016	का	428	गुजरात टोमेटो 2 (जीटी 2)	आनंद कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
305	2016	का	429	काशी हरित (आईवीपीके-226)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
306	2016	का	430	डीडब्ल्यूआरयूबी 64	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
307	2016	का	431	डीडब्ल्यूआरबी 91	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
308	2016	का	432	काशी मधु (आईवीएमएम-3)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
309	2016	का	433	पूसा व्हीट 111 (एचडी 2932)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
310	2016	का	434	पूसा अनमोल (एचआई 8737)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
311	2016	का	435	डीडब्ल्यूआरबी 92	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
312	2016	का	436	जीडीडब्ल्यू 1255	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
313	2016	का	437	डीडब्ल्यूआरबी 101	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
314	2016	का	438	डीजीजीवी 2	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
315	2016	का	439	डीडब्ल्यूआरबी 73	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
316	2016	का	440	पूसा थेनमलै (एचडब्ल्यू 5216)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
317	2016	का	441	एफएन 9018	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
318	2016	का	442	जेपी 168	जय प्रकाश सिंह	कृषक
319	2016	का	443	जेपी 153	जय प्रकाश सिंह	कृषक
320	2016	का	444	जेपी 164	जय प्रकाश सिंह	कृषक
321	2016	का	445	जेपी 157	जय प्रकाश सिंह	कृषक
322	2016	का	446	जेपी 133	जय प्रकाश सिंह	कृषक

323	2016	का	447	भाटा गादा खुटा	धरोहर समिति	कृषक
324	2016	का	448	बांदी गोयांडी	धरोहर समिति	कृषक
325	2016	का	449	कुरसो भोग	धरोहर समिति	कृषक
326	2016	का	450	बतिया	धरोहर समिति	कृषक
327	2016	का	451	असम करिन	धरोहर समिति	कृषक
328	2016	का	452	करंज गादा खुटा	धरोहर समिति	कृषक
329	2016	का	453	मद्रास चुड़ी	धरोहर समिति	कृषक
330	2016	का	454	कन्हार्ई	धरोहर समिति	कृषक
331	2016	का	455	ककद गादो	धरोहर समिति	कृषक
332	2016	का	456	राखी धान	पूरन सिंह	कृषक
333	2016	का	457	सरैया	सुदर्शन साई पाणिकारा	कृषक
334	2016	का	458	कावा पाखी	धरोहर समिति	कृषक
335	2016	का	459	पांडकी गुदा	धरोहर समिति	कृषक
336	2016	का	460	मादेया	लिंगुराम ठाकुर	कृषक
337	2016	का	461	मधु कुच्छी	लिंगुराम ठाकुर	कृषक
338	2016	का	462	खुटी धान 2	धरोहर समिति	कृषक
339	2016	का	463	गुरमासिया उमरी	धरोहर समिति	कृषक
340	2016	का	464	हिरवा धान	धरोहर समिति	कृषक
341	2016	का	465	लांके श्री	धरोहर समिति	कृषक
342	2016	का	466	मोतीलूर	धरोहर समिति	कृषक
343	2016	का	467	पिल कोरमेल	धरोहर समिति	कृषक
344	2016	का	468	बागदी चुड़ी	धरोहर समिति	कृषक
345	2016	का	469	कुरुनू धान	धरोहर समिति	कृषक
346	2016	का	470	जातियां	धरोहर समिति	कृषक
347	2016	का	471	सोनपुरी	धरोहर समिति	कृषक
348	2016	का	472	डार्बा चुड़ी	लिंगुराम ठाकुर	कृषक
349	2016	का	473	रामजीरा (पाडीगांव)	भोजराम मांझी	कृषक
350	2016	का	474	बरहारिया खुटा	धरोहर समिति	कृषक

351	2016	का	475	बहल बिंजो	धरोहर समिति	कृषक
352	2016	का	476	कांकब्स	श्री सुंदर साई	कृषक
353	2016	का	477	खुट केसरी	धरोहर समिति	कृषक
354	2016	का	478	वीरहोली	विष्णु देव चेखा	कृषक
355	2016	का	479	झुन्नी प्रसार	समयलाल रजवारे	कृषक
356	2016	का	480	चिंद झोपा	धरोहर समिति	कृषक
357	2016	का	481	सागरी फूल	धरोहर समिति	कृषक
358	2016	का	482	रंग गादा खुटा	धरोहर समिति	कृषक
359	2016	का	483	जादेगा	धरोहर समिति	कृषक
360	2016	का	484	पौनरी सतका	धरोहर समिति	कृषक
361	2016	का	485	मसूर धान	धरोहर समिति	कृषक
362	2016	का	486	मुंदरी चुडी	धरोहर समिति	कृषक
363	2016	का	487	आडंगा धान	धरोहर समिति	कृषक
364	2016	का	488	तांगन	धरोहर समिति	कृषक
365	2016	का	489	घोदा चावल	धरोहर समिति	कृषक
366	2016	का	491	कोकोदी	धरोहर समिति	कृषक
367	2016	का	492	कारी ग्रास	धरोहर समिति	कृषक
368	2016	का	493	मुंडा घोटिया	धरोहर समिति	कृषक
369	2016	का	494	तिल कोर्मेल	धरोहर समिति	कृषक
370	2016	का	495	कुदई फूल	धरोहर समिति	कृषक
371	2016	का	496	जोंद्रा	धरोहर समिति	कृषक
372	2016	का	497	पखिया	धरोहर समिति	कृषक
373	2016	का	498	गोयांडी	धरोहर समिति	कृषक
374	2016	का	499	कंडुल काटी	धरोहर समिति	कृषक
375	2016	का	500	कुकदी मुही	धरोहर समिति	कृषक
376	2016	का	501	मांचा	धरोहर समिति	कृषक
377	2016	का	502	पात धान	धरोहर समिति	कृषक
378	2016	का	503	मुंडिया	धरोहर समिति	कृषक

379	2016	का	504	केरा फूल	धरोहर समिति	कृषक
380	2016	का	505	काला उमरी	धरोहर समिति	कृषक
381	2016	का	506	दांदर धान	धरोहर समिति	कृषक
382	2016	का	507	कुम्दा फूल	धरोहर समिति	कृषक
383	2016	का	508	लाल पंजा धान	बालेश्वर	कृषक
384	2016	का	509	मांडिया धान	धरोहर समिति	कृषक
385	2016	का	510	कला माली	धरोहर समिति	कृषक
386	2016	का	511	ब्यागनी धान	धरोहर समिति	कृषक
387	2016	का	512	कोर्चो बांदी	धरोहर समिति	कृषक
388	2016	का	513	सोना कानन	धरोहर समिति	कृषक
389	2016	का	514	मोतिया	धरोहर समिति	कृषक
390	2016	का	515	गोंगल	धरोहर समिति	कृषक
391	2016	का	516	बान केना	धरोहर समिति	कृषक
392	2016	का	517	बावडी	धरोहर समिति	कृषक
393	2016	का	518	मंकी धान	धरोहर समिति	कृषक
394	2016	का	519	बबई बुटा	इंधरा समरथ	कृषक
395	2016	का	520	गाधा खुटा 1	धरोहर समिति	कृषक
396	2016	का	521	सक्ता-1	धरोहर समिति	कृषक
397	2016	का	522	जेला	धरोहर समिति	कृषक
398	2016	का	523	हर्दी गाथी	धरोहर समिति	कृषक
399	2016	का	524	फूल मेचा	धरोहर समिति	कृषक
400	2016	का	525	गाधा खुटा-2	धरोहर समिति	कृषक
401	2016	का	526	अमरी धान	धरोहर समिति	कृषक
402	2016	का	527	फर्सा फूल	धरोहर समिति	कृषक
403	2016	का	528	अमरी चुड़ी	धरोहर समिति	कृषक
404	2016	का	529	टिकी चुड़ी	धरोहर समिति	कृषक
405	2016	का	530	कपूर साय	धरोहर समिति	कृषक
406	2016	का	531	मुदरिया धान	धरोहर समिति	कृषक

407	2016	का	532	बारांगी	धरोहर समिति	कृषक
408	2016	का	533	लाल बारांगी	धरोहर समिति	कृषक
409	2016	का	534	लालू चौदाह	धरोहर समिति	कृषक
410	2016	का	535	हंसा दुबराज	धरोहर समिति	कृषक
411	2016	का	536	कुकदा माउर	धरोहर समिति	कृषक
412	2016	का	537	कावा कोर	धरोहर समिति	कृषक
413	2016	का	538	इलायची	धरोहर समिति	कृषक
414	2016	का	539	कारी बराई	धरोहर समिति	कृषक
415	2016	का	540	बादेखुजी	धरोहर समिति	कृषक
416	2016	का	541	मेसो धान	धरोहर समिति	कृषक
417	2016	का	542	ब्रह्म पट्टी	धरोहर समिति	कृषक
418	2016	का	543	तामा कोनी	धरोहर समिति	कृषक
419	2016	का	544	रामी पारेवा	धरोहर समिति	कृषक
420	2016	का	545	भुरकुंड	धरोहर समिति	कृषक
421	2016	का	546	डुमर फूल	धरोहर समिति	कृषक
422	2016	का	547	बासा भोग	धरोहर समिति	कृषक
423	2016	का	548	लोधियारी	धरोहर समिति	कृषक
424	2016	का	549	बांसपति-1	धरोहर समिति	कृषक
425	2016	का	550	धांगरी काजर	धरोहर समिति	कृषक
426	2016	का	551	करेला	धरोहर समिति	कृषक
427	2016	का	552	पोटेखुजी	धरोहर समिति	कृषक
428	2016	का	553	आजम लाली	धरोहर समिति	कृषक
429	2016	का	554	बाकटी चुड़ी	धरोहर समिति	कृषक
430	2016	का	555	देवमती	दौलत राम	कृषक
431	2016	का	556	गोदादनी धान	अनिल पैकारा	कृषक
432	2016	का	557	पैन बुरी कुरिया	शिव शंकर सिंह पैकारा	कृषक
433	2016	का	558	गंगाचुर	घनश्याम	कृषक
434	2016	का	559	सतरा साफरी	राज कुमार रजवाड़े	कृषक

435	2016	का	560	कुदाफुल	श्री रामब्रिक्श साई	कृषक
436	2016	का	561	लोउनधी	श्री जगदीश सिंह	कृषक
437	2016	का	562	डांडरास	शिव शंकर सिंह पाणिकारा	कृषक
438	2016	का	563	करहानी घुघारा	श्री बल साई रजवाड़े	कृषक
439	2016	का	564	गोदा धान	मुकुंद साई	कृषक
440	2016	का	565	धनिया फुल	कृपा साई	कृषक
441	2016	का	566	नादिया आरएसओ	धरोहर समिति	कृषक
442	2016	का	567	भाटा कान्ही	धरोहर समिति	कृषक
443	2016	का	568	फोटकी	धरोहर समिति	कृषक
444	2016	का	569	डोंगर काबरी	धरोहर समिति	कृषक
445	2016	का	570	सोना सारी	धरोहर समिति	कृषक
446	2016	का	571	साक्ता 2	धरोहर समिति	कृषक
447	2016	का	572	मोहा	धरोहर समिति	कृषक
448	2016	का	573	अदन चिल्या	धरोहर समिति	कृषक
449	2016	का	574	कोसम झोया	धरोहर समिति	कृषक
450	2016	का	575	हरी चुड़ी	धरोहर समिति	कृषक
451	2016	का	576	बांदी लुचई	धरोहर समिति	कृषक
452	2016	का	577	धावदा फूल	धरोहर समिति	कृषक
453	2016	का	578	भालू दुबराज	धरोहर समिति	कृषक
454	2016	का	579	भाटा दुबराज	धरोहर समिति	कृषक
455	2016	का	580	बांसपति-2	धरोहर समिति	कृषक
456	2016	का	581	नानी चुड़ी	धरोहर समिति	कृषक
457	2016	का	582	हिरन बाको	धरोहर समिति	कृषक
458	2016	का	583	भाटा खुजी	धरोहर समिति	कृषक
459	2016	का	584	पारा	धरोहर समिति	कृषक
460	2016	का	585	बांस काठिया	धरोहर समिति	कृषक
461	2016	का	586	लाल मोकदो	धरोहर समिति	कृषक
462	2016	का	587	बांसमुखी	धरोहर समिति	कृषक

463	2016	का	588	जोंदारा नागदी	धरोहर समिति	कृषक
464	2016	का	589	हर्दी गर्धी-1	धरोहर समिति	कृषक
465	2016	का	590	भाकवा	धरोहर समिति	कृषक
466	2016	का	591	कुरलू कावरी	धरोहर समिति	कृषक
467	2016	का	592	जुरांडी	धरोहर समिति	कृषक
468	2016	का	593	गाधा खुटा	धरोहर समिति	कृषक
469	2016	का	594	सेंदूर सिंगा	धरोहर समिति	कृषक
470	2016	का	595	कासी कामन	लिंगुराम ठाकुर	कृषक
471	2016	का	596	दोकरा मुच्छा	लिंगुराम ठाकुर	कृषक
472	2016	का	597	लीम फूल	लिंगुराम ठाकुर	कृषक
473	2016	का	598	लाल हजारी	लिंगुराम ठाकुर	कृषक
474	2016	का	599	अरेंड कदमफूल	अरेंड कृषक समुदाय	कृषक
475	2016	का	600	झिल्ली धान 1	सिलेश्वर इंडो	कृषक
476	2016	का	601	रुद्रा धान	अरेंड कृषक समुदाय	कृषक
477	2016	का	602	अल्सेंगा धान	अरेंड कृषक समुदाय	कृषक
478	2016	का	603	जंजाले धान	अरेंड कृषक समुदाय	कृषक
479	2016	का	604	अरेंड करहानी	अरेंड कृषक समुदाय	कृषक
480	2016	का	605	कोदादानी धान-1	भुदाना राम	कृषक
482	2017	का	1	अरखुटा धान	मणिराम बेदिया	कृषक
483	2017	का	2	बदका धान	सामु बेदिया	कृषक
484	2017	का	3	एसएमबी- रत्नचुड़ी	जनार्दन प्रधान	कृषक
485	2017	का	4	मगुरा- एस	पंचानन बारिक	कृषक
486	2017	का	5	जंगलीजाता- के	अजित कुमार बिस्वाल	कृषक
487	2017	का	6	गंजम- कालाजीरी	नीलांचल मुनि	कृषक
488	2017	का	7	रायगाडा - रतनचुड़ी	कचिन्द्र नंदरूका	कृषक
489	2017	का	8	कमल धानी	राम किशन साई	कृषक
490	2017	का	9	अरेंड कालाजीरा	अरेंड कृषक समुदाय	कृषक
491	2017	का	10	डाबर धान	दयालु मरार	कृषक

492	2017	का	11	धान साथिया	राम चन्द्र मरावी	कृषक
493	2017	का	12	नांदेल	सिन्दु साई	कृषक
494	2017	का	13	हनुमान भोग	श्री रामब्रिक्स साई	कृषक
495	2017	का	14	रोहित	मृत्युंजय कुमार	कृषक

अनुबंध X : संक्षिप्तियां

ए आई सी आर पी	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना
बी ए यू	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
बी एम सी	जैवविविधता प्रबंध समिति
बी सी आई एल	बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड
सी ए जी	भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
सी ए आर आई	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान
सी बी डी	जैविक विविधता पर सम्मेलन
सी एम डी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सी एस आई आर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सी एच ई एस	केन्द्रीय बागवानी प्रायोगिक केन्द्र
सी एस एस आर आई	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान
डी ए सी	कृषि एवं सहकारिता विभाग
डी यू एस	विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व
ई वी आर सी	विद्यमान किस्म संस्तुति समिति
ईटीएल	आर्थिक गहाई स्तर
जी ए टी टी	सीमा शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता
आई ए आर आई	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
आई सी ए आर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आई सी एफ आर ई	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
आई एन डी यू एस	डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय सूचना प्रणाली
आई पी जी आर आई	बायोवर्सिटी इंटरनेशनल
आई टी पी जी आर एफ ए	खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन पर अंतरराष्ट्रीय संधि
के ए यू	केरल कृषि विश्वविद्यालय
के वी के	कृषि विज्ञान केन्द्र
एन ए एस सी	राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र
एन जी ओ	गैर-शासकीय संगठन
एन ओ आर वी	भारत की अधिसूचित एवं जारी की गई किस्में
एन एस ए आई	नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एन आर सी पी बी	राष्ट्रीय पादप जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र
एन एस आर टी सी	राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र
एम एस ई जैड	मंगलौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड
ओ ई सी डी	आर्थिक सहकारिता एवं विकास संगठन
पी एस	प्रधान वैज्ञानिक
पी डी	परियोजना निदेशक
पी जी आर	पादप आनुवंशिक संसाधन
पी पी वी एंड एफ आर ए	पौधा किस्म सुरक्षा एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
पी वी ई	पौधा किस्म परीक्षक

पी वी आई एस	पौधा किस्म सूचना प्रणाली
पी वी जे	भारतीय पौधा किस्म जरनल
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आर टी आई	सूचना का अधिकार
एस ए ओ	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
एस ए यू	राज्य कृषि विश्वविद्यालय
एस टी ओ	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी
टी आर आई पी एस	बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू
यू पी ओ वी	पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा की अंतरराष्ट्रीय यूनियन
वी सी के	सामान्य ज्ञान की किस्म
डब्ल्यू टी ओ	विश्व व्यापार संगठन

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को नई दिल्ली में
22 नवम्बर 2017 को आयोजित अट्ठाईसवीं बैठक में स्वीकृत किया गया।
(कार्यसूची मद संख्या 13)



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गाँव के सामने
नई दिल्ली-110012